निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

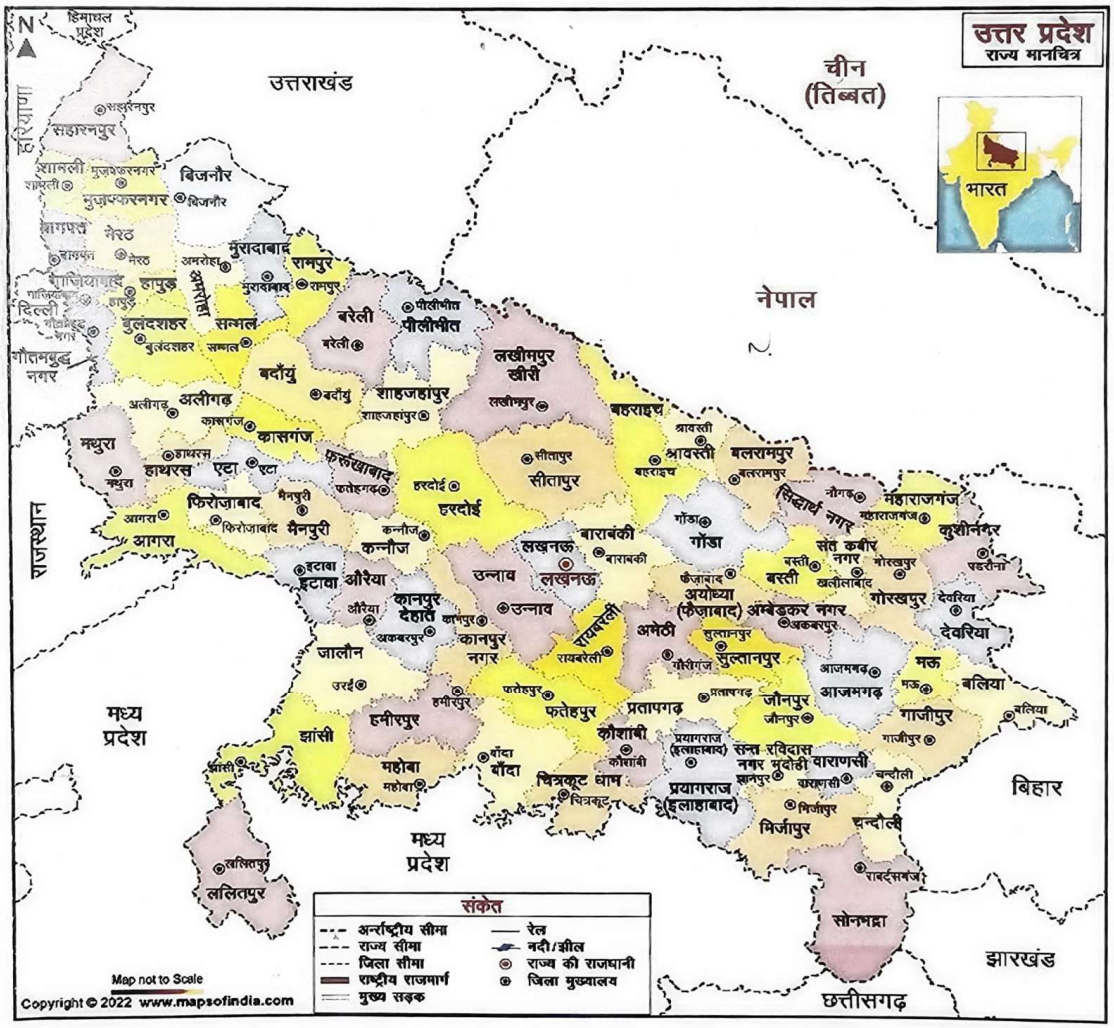

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-7

<u>अध्याय-4</u>

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	देवीपाटन मण्डल		**3126-3376(7)**
2	गोरखपुर मण्डल		**3376-3581(7)**
3	झाँसी मण्डल		**3581-3595(7)**

जनपद-बहराइच सम्भाग- देवीपाटन

जनपद-बहराइच

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों में उदघटित अपहरण/अनियमितताओं की आपत्तियों का विवरणः-

आपत्ति का विवरण

ग्राम पंचायत का नाम - अहलादगांव विकास खण्ड - मिहींपुरवा

प्रस्तर सं0

प्रस्तर 01- वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0- 67993.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जबकि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के सं0-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। इसका पालन न कर दिनांक 19.05.2021 को चेक द्वारा रू0 12450.00 का भुगतान मुनिजर हैण्डपम्प मैकेनिक एण्ड सप्लायर, दिनांक 21.05.2021 को चे द्वारा रू0 19645.00 एवं 18642.00 का भुगतान भारत डीजल स्पेयर्स, दिनांक 02.08.2021 को चेक द्वारा रू0 17256.00 का भुगतान मुनिजर हैण्डपम्प मैकेनिक एण्ड सप्लायर, अर्थात कुल रू0 67993.00 व्यय/भुगतान किया गया।

जोकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 50737.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं प्रशासक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह से एवं रू0 17256.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती छबीली से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम - पड़रिया विकास खण्ड - मिहींपुरवा

प्रस्तर 2. वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0- 141996.00 का भुगतान आलोच्य वर्ष में 15 वॉ वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान से मधु के खेत से पुलिया तक खड़ज्जा मरम्मत कार्य कराया गया। कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के चालू अवस्था में तथा कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रति फाइल में संलग्न नहीं है। अतः दिखाया गया कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया।

जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय रू0 141996.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम - भगवानपुर कुर्मियाना विकास खण्ड - मिहींपुरवा

प्रस्तर 3.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-54015.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जबकि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के सं0-5 के अनुसार हैण्डपम्प

मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। इसका पालन न करते हुए आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्थानों रू0 54015.00 व्यय/भुगतान किया गया।

जोकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 13640.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं प्रशासक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह से एवं रू0 40375.00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री आमिर अली से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर 4. वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-39800.00 का भुगतान सोलर लाइट हेतु व्यय बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जबकि सोलर लाइट यूपीनेडा या नेडा द्वारा अधिकृत की गयी एजेंसियों से खरीदा गया है या अन्य संस्था से इसका कोई भी प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सोलर लाइट का क्रय यूपीनेडा या नेडा द्वारा अधिकृत एजेंसी से ही खरीदा जाय। उपरोक्त धनराशि रू0-39800.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर व्यय के सापेक्ष कोई प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, कार्य योजना आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतया काल्पनिक है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2)के(क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय रू0 39800.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विजय शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री आमिर अली से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम - पारापरशुरामपुर विकास खण्ड - जरवल

प्रस्तर 5.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-18930.00.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जबकि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के सं0-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। इसका पालन न करते हुए आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्थानों रू0 18930.00 व्यय/भुगतान किया गया जोकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 18930.00 की वसूली ब्याज सहित प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-9465.00 प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा आधी रकम मु0-9465.00 श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर 6.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-5690.00.00 का भुगतान फोटो कापी, स्टेशनरी क्रय हेतु व्यय के सापेक्ष बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। आलोच्य वर्ष 2021-22 में पाया गया कि दिनांक 09.05.2021 को उक्त धनराशि को कैशबुक में कृष्णा कम्प्यूटर को भुगतान किया दर्शाया गया है। उपरोक्त धनराशि रू0-5690.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व ग्राम सचिव से की जायेगी। उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 5690.00.00 की वसूली प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-2845.00 प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा आधी रकम मु0-2845.00 श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।(सा0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम - रिठौढा विकास खण्ड - जरवल

प्रस्तर 7.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-17960.00.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जबकि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के सं0-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। किन्तु इसके विपरीत दिनांक 10.05.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत मद में रू0 17960.00 का भुगतान सोनू यादव टेडर्स को किया गया है।जोकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 17960.00 की वसूली ब्याज सहित प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-8980.00.00 प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा आधी रकम मु0-8980.00 श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर 8.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-5780.00 का भुगतान फोटो कापी, स्टेशनरी क्रय हेतु व्यय के सापेक्ष बिना किसी प्रमाणक/अभिलेख के अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। आलोच्य वर्ष 2021-22 में पाया गया कि दिनांक 09.05.2021 को उक्त धनराशि को कैशबुक में कृष्णा कम्प्यूटर को भुगतान किया दर्शाया गया है। उपरोक्त धनराशि रू0-5780.00 के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व ग्राम सचिव से की जायेगी। उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 5780.00.00 की वसूली प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा श्री अरूण वर्मा ग्राम अधिकारी उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि की आधी रकम मु0-2890.00 प्रशासक श्री राजेश सिंह तथा आधी रकम मु0-2890.00 श्री अरूण कुमार वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम - पुरैना विकास खण्ड -विशेश्वरगंज

प्रस्तर 9. वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-2272971.00 का भुगतान राज्य वित्त/15 वा वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं कायाकल्प शासनादेशों के अनुरूप कार्ययोजना निर्माण ना कर एवं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कार्य हेतु भुगतान के सापेक्ष बिल/एस्टीमेट/एम0बी0/मस्टर रोल/त्रिस्तरीय फोटो आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना कर अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत-पुरैना विकास खण्ड-विशेश्वरगंज की 2020-21 की प्राप्त कैाबुक/प्रिया फिडिंग/रोकड़-वही की लेखा परीक्षा में वर्ष 2020-21 को 2272971.00 रू. भुगतान किया गया। वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पुरैना, विकासखण्ड-विशेश्वरगंज की प्राप्त कैशबुक एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में विविध कार्य हेतु भुगतान किया गया। व्यय का विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	30.01.2022	सितम्बर 2021से दिसम्बर 2021 तक ग्रामधान मानदेय का भुगतान	14000.00	देवेश कुमार मिश्रा	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	14000.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां

1.	10.07.2021	ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह मानदेय का का भुगतान किया गया।	18000.00	शनिदेव महिला एस0एच0जी0	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	04.09.2021	जून 2021से अगस्त 2021 तक ग्रामधान मानदेय का भुगतान किया गया।	10500.00	देवेश कुमार मिश्रा	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	28.10.2021	ग्राम पंचायत में स्वच्छता हेतु थेहलिया खरीद का भुगतान किया गया।	12500.00	जयसवाल साइकिल स्टोर	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	19.12.2021	सामुदायिक शौचालय के रख रखाव हेत स्वयं सहायता समूह मानदेय का भुगतान किया गया।	6000.00	शनिदेव महिला एस0एच0जी0	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	19.03.2022	फोटोकापी, स्टेशनरी हेतु भुगतान किया गया।	2000.00	कृष्णा कंम्प्यूटर	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	49000.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	16.04.2021	प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष, मूल भवन में रैंप निर्माण सामग्री की खरीद के लिए भुगतान।	15000.00	शुक्ला सीमेंट स्टोर	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	19.03.2022	प्राथमिक पाठशाला पुरैना में रैंप, रैलिग निर्माण कार्य सामग्री की खरीद आदि के लिए भुगतान।	19500.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	34500.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	21.10.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य और हैंड पम्प मरम्मत व्यय के लिये भुगतान।	15500.00	रण बहादुर सिंह हैण्डपम्प मिस्त्री	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	21.10.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य और हैंड पम्प मरम्मत व्यय के लिये भुगतान।	6700.00	रण बहादुर सिंह हैण्डपम्प मिस्त्री	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	22200.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	25.08.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपंप मरम्मत कार्य और हैंड पम्प मरम्मत व्यय के लिये भुगतान।	6340.00	शिव कंस्ट्रक्शन	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	07.09.2021	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	9900.00	रण बहादुर सिंह हैण्डपम्प मिस्त्री	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	21.09.2021	ग्राम पंचायत में मेंइंडिया मार्का	10600.00	शिव कंस्ट्रक्शन	व्यय प्रमाणक अज्ञात

		हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।			
4.	19.12.2021	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	16000.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	19.12.2021	ग्राम पंचायत में मेंइंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	5400.00	शुक्ला टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	09.01.2022	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	9250.00	हरीओम टेडिग कम्पनी	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	16.02.2022	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	15190.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
8.	16.02.2022	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	15240.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
9.	20.02.2022	ग्राम पंचायत में में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	5000.00	शिव कंस्ट्रक्शन	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	92920.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	17.07.2021	जिलेदार वैश्यके घर से राधे वैश्य के घर तक खडंजा खर्जा मरम्मत और मिट्टी पटाई के लिए भुगतान।	21367.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	18.07.2021	जिलेदार वैश्य के घर से राधे वैश्य के घर तक खडंजा मरम्मत काम के लिए मजदूरी का भुगतान।	58884.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	80251.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	16.04.2021	ग्राम पंचायतद में समुदायिक शौचालय निर्माण कार्य सामग्री खरीद के लिये भुगतान।	81965.00	शुक्ला सीमेंट स्टोर	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	21.09.2021	ग्राम पंचायत में समुदायिक शौचालय टाइल्स निर्माण और	11000.00	विशाल	व्यय प्रमाणक अज्ञात

		श्रम श्रम मजदूरी के लिए लये भुगतान।			
3.	24.12.2021	समुदायिक शौचालय बोर्ड खरीद का भुगतान किया गया।	4500.00	आदर्श टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	97465.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	01.12.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	19450.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	01.12.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत और हैंडपम्प मरम्मत व्यय व्यय के लिये भुगतान।	13250.00	शुक्ला टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	01.12.2021	ग्राम पंचायत मेंइंडिया मार्का हैंड पंप मरम्मत काम के लिए मिट्टी ढुलाईके खर्च और शुल्क का भुगतान	5000.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	01.12.2021	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपप मरम्मत कार्य और हैडप-म्प मरम्मत व्यय के लिए भुगतान	8500.00	रण बहादुर सिंह हैण्डपम्प मिस्त्री	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	05.01.2022	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपप मरम्मत कार्य और हैडप-म्प मरम्मत व्यय के लिए भुगतान	16200.00	बालाजी टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	19.03.202	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपप मरम्मत कार्य और हैडप-म्प मरम्मत व्यय के लिए भुगतान	16900.00	शुक्ला टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	24.03.2022	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का हैंडपप मरम्मत कार्य और हैडप-म्प मरम्मत व्यय के लिए भुगतान	12000.00	रण बहादुर सिंह हैण्डपम्प मिस्त्री	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	91300.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	08.07.2021	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय टाइल्स निर्माण कार्य सामग्री खरीद के लिये भुगतान।	114990.00	के0पी0 टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	18.07.2021	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय टाइल्स निर्माण कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान।	14280.00	विनोद कुमार	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	08.09.2021	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय टाइल्स निर्माण कार्य	42363.00	के0पी0 टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात

		और टाइल्स खरीद के लिये भुगतान।			
4.	08.09.2021	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय टाइल्स निर्माण कार्य और वायरिंग आदि खरीद के लिए भुगतान	11135.00	के0पी0 टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	182668.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	27405.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और सीमेंट, रेत खरीद आदि के लिए भुगतान।	22250.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	09.12.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	16868.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	09.12.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	6065.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	09.12.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य के लिए मिट्टी का भुगतान।	3765.00	संतोष कुमार सिंह	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	09.12.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और मजदूरी के लिए भुगतान।	20632.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	96985.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	अलखराम के घर से से शिवकुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	41685.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	अलखराम के घर से से शिवकुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और सीमेंट, रेत आदि खरीद के लिये भुगतान।	17815.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	28.10.2021	अलखराम के घर से से शिवकुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और इंटर लाकिंग टाइल्स खरीद आदि के लिये भुगतान।	42480.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	09.12.2021	अलखराम के घर से से शिवकुमार के घर तक इंटर लाकिंग कार्य, ब्रिक और ब्रिक्स ब्लास्ट खरीद आदि के लिए लिए भुगतान।	6562.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात

5.	09.12.2021	अलखराम के घर से से शिवकुमार के घर तक इंटर लाकिंग कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिये भुगतान।	9387.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	16.04.2021	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण कार्य पाइप, प्लम्ब-रिंग,गेट,दरवाजा,पेंट, पुट्टी,प्राइमर,इलेक्ट्रानिक लाइट खरीद आदि के लिए लिए भुगतान।	49800.00	पाठक इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	167729.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और इंटरलाकिंग टाइल्स खरीद आदि के लिये भुगतान।	42480.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	41685.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	28.10.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर घर तक इंटरलाकिंग कार्य और सीमेंट, रेत आदि खरीद के के लिये भुगतान।	17815.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	09.12.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर घर तक इंटरलाकिंग कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिये भुगतान।	4770.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	09.12.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर घर तक इंटरलाकिंग कार्य और मिट्टी कार्य के लिये भुगतान।	2616.00	संतोष कुमार सिंह	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	09.12.2021	सत्यराम के घर से से तुलसी के घर घर तक इंटरलाकिंग कार्य और श्रम मजदूरी के लिये भुगतान।	15888.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	30.01.2022	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण में और ब्रिक्स और ब्रिक्स ब्लास्ट खरीद आदि के लिए भुगतान।	18120.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
8.	30.01.2022	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण कार्य सीमेंट बालू पत्थर,लोहे की छड़ खरीद आदि के लिए भुगतान	27226.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात

9.	30.01.2022	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान	41676.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	212276.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	27405.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और सीमेंट, रेत खरीद आदि के लिए भुगतान।	17815.00	आयुष टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	45220.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	स्वामीनाथ के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	72862.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	स्वामीनाथ के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य और सीमेंट रेत खरीद आदि के लिए भुगतान।	37776.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	09.12.2021	पक्की सड़क से से कोटेदार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और इंटरलाकिंग ब्रिक के लिए भुगतान।	147724.00	पाण्डेय ब्रिक्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	09.12.2021	सत्यराम के घर से तुलसी के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान।	56286.00	पाण्डेय ब्रिक्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	09.12.2021	अलखराम के घर से से शिव कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और और इंटरलाकिंग ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	68450.00	पाण्डेय ब्रिक्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	09.12.2021	अलखराम के घर से से शिव कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और और मिट्टी कार्य के लिए भुगतान।	2829.00	संतोष कुमार सिंह	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	09.12.2021	अलखराम के घर से से शिव कुमार के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान।	19188.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
8.	09.12.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	8820.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात

9.	09.12.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	4581.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
10	09.12.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक इंटरलाकिंग कार्य और मिट्टी कार्य के लिए भुगतान।	2772.00	संतोष कुमार सिंह	व्यय प्रमाणक अज्ञात
11.	09.12.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक तक इंटरलाकिंग कार्य और और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान।	16092.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
12.	09.01.2022	स्वामीनाथ के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	1159.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
13.	09.01.2022	स्वामीनाथ के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	22488.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	464027.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	28.10.2021	तुलसी के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य और ब्रिक खरीद आदि के लिए भुगतान।	74287.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	28.10.2021	तुलसी के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य सीमेंट,रेत खरीद आदि के लिए भुगतान।	30822.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	09.12.2021	शोभा के घर से से पक्की सड़क तक तक तक इंटरलाकिंग कार्य और और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान।	108643.00	पाण्डेय ब्रिक्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	06.01.2022	तुलसी के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य और सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	974.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	09.01.2022	तुलसी के घर से से पक्की सड़क तक तक नाली निर्माण कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान।	21048.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	15.01.2022	स्टेटफण्ड ट्रान्सफर टू डायरेक्टर पंचायतीराज	6280.00	डायरेक्टर पंचायतीराज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	10.02.2022	पक्की सड़क से सुख चैन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य और	72874.00	आदेश इंटर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात

		इंटरलाकिंग ब्रिक्स खरीद आदि के लिए भुगतान।			
8.	19.03.2022	ग्राम पंचायत में सोकता गढ़ा निर्माण कार्य और सामग्री खरीद आदि का भुगतान।	11000.00	शुक्ला टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	325928.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	19.12.2021	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण में और ब्रिक्स और ब्रिक्स ब्लास्ट खरीद आदि के लिए भुगतान।	31185.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	19.12.2021	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण कार्य सीमेंट बालू पत्थर,लोहे की छड़ खरीद आदि के लिए भुगतान	22140.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	19.12.2021	प्राथमिक विद्यालय महेश्वर में शौचालय निर्माण कार्य टाइल्स ,मूत्रालय, पुट्टी नलसाजी, पाइप, दरवाजा,खिड़की आदि के लिए भुगतान।	40800.00	के0पी0 टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	94125.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	10.02.2022	पक्की सड़क से सुख चैन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य, और ब्रिक्स और ब्रिक्स ब्लास्ट खरीद आदि के लिए भुगतान।	36629.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	10.02.2022	पक्की सड़क से सुख चैन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य, सामग्री खरीद आदि के लिए भुगतान।	23680.00	आदेश इंटर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	10.02.2022	पक्की सड़क से सुख चैन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य, के लिए भुगतान।	1905.00	संतोष कुमार सिंह	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	10.02.2022	पक्की सड़क से सुख चैन के घर तक इंटरलाकिंग कार्य, और श्रम मजदूरी के लिए भुगतान।	14856.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	77070.00		
क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	19.03.2022	गांधी बाबा के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य, और ब्रिक्स और ब्रिक्स ब्लास्ट खरीद आदि के लिए भुगतान।	64072.00	शिवा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	19.03.2022	गांधी बाबा के घर से नाला तक नाली निर्माण कार्य रेत,	39779.00	सिंह टेडर्स	व्यय प्रमाणक अज्ञात

		सीमेंट,पत्थर लोहे की छड़ खरीद आदि के लिए भुगतान।			
3.	19.03.2022	गांधी बाबा के घर से नाला तक नाली निर्माण काम के लिए मजदूरी का भुगतान।	21456.00	लेबर को भुगतान	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	125307.00		
		कुल महा योग	2272971.00		

ग्राम पंचायत पुरैना में उपरोक्त व्यय रू0- 2272971.00 के व्यय प्रमाणक और कार्य की पुष्टि मे व्यय पत्रावलियां जिसमें इटरलांकिग कार्य, हैंडपंप मरम्मत कार्य, खड़जा, नाली, शौचालय निर्माण कायाकल्प के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2706/33-3-2019 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं किस कार्य में भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया। जोकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। रू0 2272971.00 में से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राजेश चैधरी ए0डी0ओ0 (पंचायत) एवं ग्राम प्रधान श्री देवेश कुमार मिश्रा से रू 1136485.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय त्रिपाठी से रू 1136485.50 की वसूली ब्याज सहितसे की जानी अपेक्षित है।

(आ0सं0-23)

ग्राम पंचायत का नाम - शिवपुर बैरागी विकास खण्ड -विशेश्वरगंज

प्रस्तर 10.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-578501.00 का भुगतान राज्य वित्त/15 वा वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्घांतों के विपरीत कार्ययोजना प्रस्तुत ना कर एवं ग्राम पंचायत में ईट सामग्री हेतु भुगतान पर व्यय कर एवं व्यय के सापेक्ष बिल/एस्टीमेट एम0बी0/मस्टर रोल/त्रिस्तरीय फोटो आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना कर अपहरण कियागया। ग्राम पंचायत-शिवपुर बैरागी, वि0ख0-विशेश्वरगंज की 2020-21 की प्राप्त कैशबुक एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में खंड़जा निर्माण कार्य, सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत में ईट क्रय भुगतान किया गया। व्यय का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	26.04.2021	ग्राम सभा मे सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	46225.00	दयाल ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
2.	22.09.2021	खोज के घर से काले बाज के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	73795.00	दयाल ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
3.	22.09.2021	खोज के घर से काले बज के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	100548.00	दयाल ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
4.	22.09.2021	ग्राम सभा मे पंचायत भवन निर्माण कार्य	65100.00	शांति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
5.	22.09.2021	ग्राम सभा मे पंचायत भवन निर्माण कार्य	4536.00	शांति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
6.	22.09.2021	नकछेड़ के घर से धोबी घाट के तालाब के आगे तक खड़जा निर्माण कार्य	100548.00	दयाल ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
7.	22.09.2021	नकछेड़ के घर से धोबी घाट के तालाब के आगे तक खड़जा निर्माण कार्य	73795.00	दयाल ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात

8.	23.09.2021	ग्राम सभा में स्तर के घर से से सज्जाद के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	80438.00	बाबू ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
9.	23.09.2021	ग्राम सभा में स्तर के घर से से सज्जाद के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	33516.00	बाबू ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अज्ञात
		योग	578501.00		

ग्राम पंचायत शिवपुर बैरागी में उक्त विवरण अनुसार उपरोक्त मद पर व्यय 578501.00 रूपये के व्यय प्रमाणक और कार्य की पुष्टि में व्यय पत्रावलियां जिसमें टेंडर, कोटेशन, कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं ईट क्रय के व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। उक्त की पुष्टि में भुगतानित माप पुस्तिका एवं उक्त कार्यो को मजदूरी का विवरण भी प्रस्तुत नहीं की गयी, केवल कार्य का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि 578501.00 रू का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से समानुपातिक बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 578501.00 (532276.0$46225.00) रू में जिसमें ग्राम प्रधान श्री रज्जन एवं ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राजेश चैधरी ए0डी0ओ0 (पंचायत) से समानुपातिक रूप से रू 289250.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेश यादव से रू 289250.50 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम - जैसोरा विकास खण्ड -विशेश्वरगंज

प्रस्तर 11.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-758053.00 का भुगतान राज्य वित्त/15 वा वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्घांतों एवं कायाकल्प शासनादेश के विपरीत कार्ययोजना निर्माण ना कर अज्ञात सी0एस0सी0 कार्य हेतु सामग्री हेतु भुगतान पर व्यय के सापेक्ष बिल/एस्टीमेट/एम0बी0/मस्टर रोल/त्रिस्तरीय फोटो आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना कर अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत-जैसोरा, वि0ख0-विशेश्वरगंज की 2020-21 की प्राप्त कैशबुक एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में अज्ञात सी0एस0सी0 कार्य हेतु भुगतान किया गया। व्यय का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	08.04.2021	अज्ञात कायाकल्प	198205.00	श्री लक्ष्मी ब्रदर्स	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
2.	18.04.2021	अज्ञात सी0एस0सी0हेतु भुगतान	99800.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
3.	18.04.2021	अज्ञात सी0एस0सी0हेतु भुगतान	99822.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
4.	08.04.2021	अज्ञात कायाकल्प	91256.00	श्री लक्ष्मी ब्रदर्स	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
5.	26.04.2021	अज्ञात कायाकल्प हेतु	108200.00	श्री लक्ष्मी ब्रदर्स	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
6.	01.05.2021	अज्ञात कायाकल्प हेतु	85210.00	श्री लक्ष्मी ब्रदर्स	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
7.	25.05.2021	अज्ञात कायाकल्प हेतु	75560.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
		योग	758053.00		

ग्राम पंचायत जैसोरा में ग्राम पंचायत चुनाव के समय अज्ञात कायाकल्प एवं अज्ञात सी0एस0सी0 हेतु भुगतान पर उपरोक्त व्यय 758053.00 रूपये के व्यय प्रमाणक और कार्य की पुष्टि में व्यय पत्रावलियां जिसमें कायाकल्प के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2706/33-3-2019 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं किस कार्य में भुगतान किया गया है आात रहा। कोटेशन, मजदूरी एवं उसके मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों पर कायाकल्प कार्य किया गया एवं कितनी संख्या में किस दर से सामग्री क्रय की गई है कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं ईट क्रय के व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। उक्त की पुष्टि में भुगतानित माप पुस्तिका एवं उक्त कार्यो को मजदूरी का विवरण भी प्रस्तुत नहीं की गयी, केवल कार्य का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि 758053.00 रू का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से समानुपातिक बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 758053.00 रू में से ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राजेश चौधरी ए0डी0ओ0 (पंचायत) से रू 379026.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष शर्मा से रू 379026.50 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आडिट आपत्ति की अनुपालन आख्या के साथ यदि व्यय प्रमाणक एवं रसीदे प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें संबंधित फर्म एवं व्यापार कर विभाग से सत्यापित कराने प्श्चात ही समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है।

(आ0सं0-23)

ग्राम पंचायत का नाम - रनियापुर गोबरही विकास खण्ड -विशेश्वरगंज

प्रस्तर 12. ग्राम पंचायत-रनियापुर गोबरही, वि0ख0-विशेश्वरगंज की 2021-22 की प्राप्त कैशबुक एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में अज्ञात सी0एस0सी0एस0 कार्य आदि दर्शित कर भुगतान किया गया। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	आपत्तियां
1.	08.04.2021	कायाकल्प हेतु भुगतान अज्ञात	155260.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
2.	08.04.2021	मल्टीपल हैंडवाश हेतु भुगतान	55245.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
3.	08.04.2021	कायाकल्प हेतु श्रमिक भुगतान अज्ञात	20500.00	**अमित मिश्रा**	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
4.	13.04.2021	**सी.एस.सी.एस .हेतु हेतु भुगतान**	99800.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
5.	17.04.2021	रनिंग वाटर कार्य	62260.00	**वशिष्ठ टेडर्स**	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
6.	17.04.2021	**सी.एस.सी.हेतु हेतु भुगतान अज्ञात**	112110.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
7.	17.04.2021	**सी.एस.सी.हेतु हेतु भुगतान अज्ञात**	130280.00	**वशिष्ठ टेडर्स**	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
8.	17.04.2021	कायाकल्प हेतु भुगतान अज्ञात	84200.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
9.	17.04.2021	**श्रमिक भुगतान अज्ञात**	10300.00	**अमित पलम्बर**	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत

10.	25.05.2021	कायाकल्प हेतु भुगतान अज्ञात	49500.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
		योग	779455.00		

ग्राम पंचायत रनियापुर गोबरही में ग्राम पंचायत चुनाव के समय अज्ञात कायाकल्प एवं अज्ञात सी0एस0सी0 हेतु भुगतान पर उपरोक्त व्यय 779455.00 रूपये के व्यय प्रमाणक और कार्य की पुष्टि में व्यय पत्रावलियां जिसमें कायाकल्प के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2706/33-3-2019 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 की गाइड लाइन के अनुरूप कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं किस कार्य में भुगतान किया गया है आात रहा। कोटेशन, मजदूरी एवं उसके मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों पर कायाकल्प कार्य किया गया एवं कितनी संख्या में किस दर से सामग्री क्रय की गई है कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति एवं ईट क्रय के व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। उक्त की पुष्टि में भुगतानित माप पुस्तिका एवं उक्त कार्यो को मजदूरी का विवरण भी प्रस्तुत नहीं की गयी, केवल कार्य का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि 779455.00 रू का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से समानुपातिक बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 779455.00 रू में से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राजेश चौधरी ए0डी0ओ0 (पंचायत) से रू 389727.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष शर्मा से रू 389727.50 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आडिट आपत्ति की अनुपालन आख्या के साथ यदि व्यय प्रमाणक एवं रसीदे प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें संबंधित फर्म एवं व्यापार कर विभाग से सत्यापित कराने पश्चात ही समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है। (आ0सं0-23)

ग्राम पंचायत का नाम - नेठिया विकास खण्ड -विशेश्वरगंज

प्रस्तर 13.वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय रू0-302883.00 का भुगतान राज्य वित्त/15 वा वित्त आयोग के मार्गदर्शक सिद्घांतों के विपरीत कार्ययोजना प्रस्तुत ना कर एवं हैंडपंप रिबोर कार्य व मरम्मत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु काल्पनिक सामग्री हेतु भुगतान पर व्यय कर एवं व्यय के सापेक्ष बिल/एस्टीमेट/एम0बी0/मस्टर रोल/त्रिस्तरीय फोटो आदि व्यय प्रमाणक प्रस्तुत ना कर अपहरण किया गया। ग्राम पंचायत-नेठिया, वि0ख0-विशेश्वरगंज की 2021-22 की प्राप्त कैशबुक एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम पंचायत में रनिंग वाटर सप्लाई एवं हैंडपंप रिबोर कार्य व मरम्मत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु ग्रामपंचायत निर्वाचन कार्यकाल में भुगतान किया गया। व्यय का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान धनराशि	फर्म का नाम	कैश रिकार्ड	आपत्तियां
1.	25.04.2021	प्राथमिक विद्यालय छोकड़िया में बाटर सप्लाई निर्माण	60899.00	श्री लक्ष्मी ब्रदर्स	43141183.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
2.	25.04.2021	प्राथमिक विद्यालय में रनिंग बाटर सप्लाई निर्माण	60899.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	43141183.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
3.	25.04.2021	ग्रामसभा में हैंड़पम्प मरम्मत कार्य	25790.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	43141183.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
4.	25.04.2021	ग्रामसभा में भवनपुरवा में पंड़ित के घर के पास	28400.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	43141183.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत

		हैंड़ पम्प रिबोर कार्य				
5.	25.04.2021	ग्रामसभा में भोरे तिवारी के घर के सामने हैंड़ पम्प रिबोर कार्य	28335.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	43141183.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
6.	25.04.2021	ग्रामसभा में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	98560.00	श्री बालाजी इंटरप्राइजेज	37029177.00	व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत
		योग	302883.00			

ग्राम पंचायत नेठिया में ग्राम पंचायत चुनाव के समय उक्त विवरण अनुसार उपरोक्त मद पर व्यय 302883.00 रूपये के व्यय प्रमाणक और कार्य की पुष्टि में व्यय पत्रावलियां जिसमें कार्ययोजना की प्रमाड़ित प्रति किस कार्य में भुगतान किया गया है व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य, रनिंग वाटर सप्लाई एवं हैंडपंप रिबोर कोटेशन, मजदूरी एवं हैंड़पप रिबोर सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि उक्त दर्शित स्थलों पर कार्य किया गया अथवा नहीं एवं कितनी संख्या में किस दर से सामग्री क्रय की गई है कार्ययोजना की प्रमाणित प्रति अप्रस्तुत रही। उक्त की पुष्टि में भुगतानित माप पुस्तिका एवं उक्त कार्यो को मजदूरी का विवरण भी प्रस्तुत नहीं की गयी, केवल कार्य का विवरण कैश बुक में दर्ज किया गया, जिन पर उपर्युक्त धनराशि 302883.00 रू का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि अनियमित भुगतान कर धन का अपहरण किया गया। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि 302883.00 रू में से ग्राम पंचायत प्रशासक श्री राजेश चौधरी ए0डी0ओ0 (पंचायत) से रू 151441.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सतवंत सिंह से रू 151441.50 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आडिट आपत्ति की अनुपालन आख्या के साथ यदि व्यय प्रमाणक एवं रसीदे प्रस्तुत की जाती है तो उन्हें संबंधित फर्म एवं व्यापार कर विभाग से सत्यापित कराने पश्चात ही समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है। (आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम -ढकिया विकास खण्ड -शिवपुर

प्रस्तर 14.ग्राम पंचायत ढकिया की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 26.07.2021 में रूपये 126000.00 की धनराशि आहरित कर उक्त घन व्यय हैडवाश कार्य में दर्शाया गया है। जिससे संबंधित व्यय प्रमाणक उपयोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। बिना प्रमाणक के धन का व्यय दर्शाना धन का सीधा अपहरण किया जाना है। दर्शाया गया यह हैंडवाश कार्य कौन सा था, किस प्रकार का यह और इसका क्या प्रयोजन था। लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं कराया जा सका। इस व्यय से सम्बंधित ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व ग्राम सचिव से की जायेगी। उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। अतः काल्पनिक ढग से किये गए दर्शित व्यय रू0 126000.00.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मैना देवी और तत्कालीन सचिव श्री विजय कुमार पाण्डेय से वसूली तिथि तक नियमानुसार ब्याज लगाकर समस्त आगणित धनराशि उत्तरदायी व्यक्तियों से आधी-आधी रू0-63000.00 प्रधानसे एवं रू0-63000.00 सचिव से वसूल कर शीध्र राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-01)

प्रस्तर 15. लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 26.07.2021 को रूपये 19700.00 की धनराशि आहरित कर इसे मास्क वितरण एवं सैनेटाइजेशन पर व्यय दर्शाया गया। इस मास्क का कहॉ प्रयोग हुआ, कहॉ से क्रय किया गया से संबंधित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक, उपयोग प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी की अनुमति आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। बिना प्रमाणक के धन का व्यय दर्शाया जाना काल्पनिक है, जोकि अपहरण है। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध

हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान/प्रशासक व ग्राम सचिव से की जायेगी। उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। अतः व्यय दर्शित धनराशि रू0 19700.00.00 में वसूल किये जाने की तिथि तक का नियमानुसार ब्याज आगणित कर समस्त धनराशि रू0-19700.00 की वसूली प्रधान श्री विजय कुमार पाण्डेय से रू0- 9850.00 की एवं रू0- 9850.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती मैना देवी से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-02)

ग्राम पंचायत का नाम-सोबतिया विकास खण्ड-शिवपुर

प्रस्तर 16.लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलेच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सोबतिया की इंडियन बैंक इमामगंज शिवपुर शाखा से दिनांक 08.06.2021 को रू0-3540.00 और दिनांक 19.07.2021 को रू0-5900.00 कुल रू0- 9440.00 आहकरित करके फर्जी व्यय आनलाइन डाटा फीडिंग कर दर्शाया गया दिनांक 08.06.2021 को रू0-65000.00 आहरित कर फर्जी एवं काल्पनिक व्यय प्रशासनिक व्यय मद में दर्शाया गया। इस प्रकार कुल रूपये 74440.00 लेखा परीक्षा में उपरोक्त मदों पर किए गए व्यय के संबंध में किसी सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रति प्रमाणक एवं संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अभिलेख और व्यय प्रमाणकों के अभाव में धन निकासी कर लेखा धन का अपहरण किया जाना है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत एवं ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से की जाएगी। उ0प्र0पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। अतः व्यय दर्शित धनराशि रू0 74440.00.00 में वसूल किये जाने की तिथि तक का नियमानुसार ब्याज सहित आगणित कर समस्त धनराशि रू0-74440.00 की वसूली आधी-आधी प्रधान श्री हनुमंत सिंह से रू0- 37220.00 की एवं रू0- 37220.00 की धनराशि ग्राम प्रधान श्रीमती गुलशन जहां से किया जाना अपेक्षित है। (आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-शाहपुर जोत युसुफ विकास खण्ड-चित्तौरा

प्रस्तर 17.ग्राम पंचायत-शाहपुर जोत युसुफ विकास खण्ड-चित्तौरा में वर्ष 2021-22 ग्राम विकास के पत्रांक 290/38-5-9921 (म) दिनांक 29-7-99 के प्रस्तर के संख्या 5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति के भुगतान न किये जाय। लेकिन ग्राम पंचायत में इनका पालन न करते हुए आलोच्य वर्ष में रू0-32770.00 का भुगतान दिनांक 15.05.2021 को किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) क से (ड) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन रू0-32770. की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा प्रशासक ए.डी.ओ. आई.एस.बी. से आधी धनराशि रू0-16385.00 तथा दीनानाथ मिश्रा ग्राम विकास अधिकारी से रू0-16385.00 से आधी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम-महोली **विकास खण्ड-कैंसरगंज**

प्रस्तर 18. आलोच्य वर्ष 2021-22 में रू0- 174840.00 हैंडपम्प रीबोर के मद पर व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	20.09.2021	29540.00	रामजी टेडर्स
2.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	20.10.2021	28500.00	राजीमुल्ला इंडिया मार्का हैंडपंप रिपेयर्स
3.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	27.11.2021	29600.00	रामजी टेडर्स
4.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	27.11.2021	28900.00	रामजी टेडर्स
5.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	21.12.2021	29400.00	रामजी टेडर्स
6.	इंडिया मार्का हैंडपम्प रीबोर	21.12.2021	28900.00	रामजी टेडर्स
		योग	174840.00	

उक्त रू. 174840.00 हैडपम्प रीबोर के मद पर व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है।

क- पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैंडपंप रीबोर गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर के सन्दर्भ में प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

ख- हैडपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैडपंप खराब होने की सूचना एवं उसके रीबोर की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग- तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई/आर ई डी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। संगत अभिलेख के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

घ- इस्टीमेट और माप पुस्तिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी।

ङ- पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी.आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओं और नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है। आगे पंचायत राज अनुभाग 1 मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 4992/33-1-99-538/99 दिनांक 16 अगस्त 1999 के आदेश के क्रम में ग्राम निधि से भुगतान ना किए जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन रू0 174840.00 का व्यय गबन है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान सुश्री अशोक कुमारी और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी हैं।

नियमानुसार इस धनराशि की वसूल ग्राम प्रधान सुश्री अशोक कुमारी से रू. 87420.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार से रू. 87420.00 मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-बलभद्दरपुर विकास खण्ड-रिसिया

प्रस्तर 19. आलौच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक 290/38-5-99-21(एम) दि0 29.07.99 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। लेकिन ग्राम पंचायत में इसका पालन न करते हुए कैशबुक में रू. 328056.00 का व्यय/भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	मद	धनराशि
19.04.2021	9	हैण्डपम्प रिबोर	37883.00
19.04.2021	10	हैण्डपम्प रिबोर	37883.00
19.05.2021	24	हैण्डपम्प रिबोर	31500.00
19.05.2021	25	हैण्डपम्प रिबोर	29500.00
19.05.2021	27	हैण्डपम्प रिबोर	30500.00
19.05.2021	28	हैण्डपम्प मरम्मत	28000.00
19.05.2021	29	हैण्डपम्प रिबोर	30800.00
03.07.2021	31	हैण्डपम्प रिबोर	30340.00
03.07.2021	32	हैण्डपम्प रिबोर	29960.00
03.07.2021	33	हैण्डपम्प मरम्मत	25940.00
03.07.2021	34	हैण्डपम्प मरम्मत	15750.00
		योग	328056.00

आडिट दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रू. 328056.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 328056.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रू. 164028.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 164028.00 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर 20.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में कैशबुक अनुसार प्रा0वि0 इमामनगर में फर्श व टाइल्स निर्माण हेतु निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निमनवत है।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	मद	धनराशि
19.04.2021	1	फर्श व टाइल्स निर्माण	64541.00
19.04.2021	2	फर्श व टाइल्स निर्माण	107022.00
19.04.2021	3	फर्श व टाइल्स निर्माण	85761.00

19.04.2021	4	फर्श व टाइल्स निर्माण	54534.00
19.04.2021	5	फर्श व टाइल्स निर्माण	43971.00
19.04.2021	20	फर्श व टाइल्स निर्माण	28848.00
		योग	384677.00

इस प्रकार प्रा0वि0इमामनगर में फर्श व टाइल्स निर्माण पर रू0-384677.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 384677.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रू. 192338.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 192338.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर 21.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0 में फर्श व इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।विवरण निमनवत है।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	मद	धनराशि
28.08.2021	37	इण्टरलाकिंग निर्माण	48112.00
28.08.2021	38	इण्टरलाकिंग निर्माण	123085.00
28.08.2021	39	इण्टरलाकिंग निर्माण	46060.00
28.08.2021	40	इण्टरलाकिंग निर्माण	49434.00
28.08.2021	41	इण्टरलाकिंग मजदूरी	27192.00
28.08.2021	42	इण्टरलाकिंग निर्माण	49484.00
28.08.2021	43	इण्टरलाकिंग निर्माण	130484.00
28.08.2021	44	इण्टरलाकिंग मजदूरी	25116.00
10.09.2021	46	इण्टरलाकिंग निर्माण	28198.00
10.09.2021	47	इण्टरलाकिंग निर्माण	73784.00
10.09.2021	48	इण्टरलाकिंग निर्माण	28664.00
10.09.2021	49	इण्टरलाकिंग निर्माण	16500.00
		योग	646113.00

इस प्रकार प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0 इण्टरलाकिंग निर्माण पर रू0-646113.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक

एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 646113.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रू. 323056.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 323056.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर 22.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था 15 वे वित्त से कैलाशपुर में जिम आदि पर कैशबुक में निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निमनवत है।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	मद	धनराशि
21.12.2021	32	वयस्को हेतु जिम आदि	35791.00
21.12.2021	33	वयस्को हेतु जिम आदि	37974.00
21.12.2021	34	वयस्को हेतु जिम आदि	20929.00
21.12.2021	35	वयस्को हेतु जिम आदि	44029.00
21.12.2021	36	वयस्को हेतु जिम आदि	24492.00
21.12.2021	37	वयस्को हेतु जिम आदि	28906.00
21.12.2021	38	वयस्को हेतु जिम आदि	29569.00
21.12.2021	39	वयस्को हेतु जिम आदि	29575.00
		योग	251265.00

इस प्रकार 15 वें वित्त से कैलाशपुर में जिम आदि पर रू0-251265.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 251265.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रू. 125632.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 125632.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

प्रस्तर 23.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था 15 वे वित्त से नाली निर्माण, पुलिया निर्माण एवं नाला निर्माण पर कैशबुक में निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निमनवत है।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	मद	धनराशि
22.01.2022	44	नाली निर्माण	91770.00
22.01.2022	45	नाली निर्माण	52057.00
22.01.2022	46	नाली निर्माण मजदूरी	30732.00
22.01.2022	47	पुलिया निर्माण	99881.00
22.01.2022	48	पुलिया निर्माण	71726.00
22.01.2022	49	पुलिया निर्माण मजदूरी	54768.00
22.01.2022	50	पुलिया निर्माण	49647.00
22.01.2022	51	पुलिया निर्माण	54590.00
22.01.2022	52	नाली निर्माण	99397.00
22.01.2022	53	नाली निर्माण	64903.00
22.01.2022	54	नाली निर्माण मजदूरी	31752.00
		योग	701223.00

इस प्रकार 15 वें वित्त से नाली निर्माण, पुलिया निर्माण एवं नाला निर्माण आदि पर रू0-701223.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 701223.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश से रू. 350611.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 350611.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

ग्राम पंचायत का नाम-बरईपारा विकास खण्ड-रिसिया

प्रस्तर 24. आलौच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक 290/38-5-99-21(एम) दि0 29.07.99 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। लेकिन ग्राम पंचायत में इसका पालन न करते हुए कैशबुक में रू. 308333.00 का व्यय/भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
16.05.21	हैण्डपम्प रिबोर	62300.00
16.05.21	हैण्डपम्प मरम्मत	25500.00
13.07.21	हैण्डपम्प रिबोर	30940.00

13.07.21	हैण्डपम्प रिबोर	30911.00
13.07.21	हैण्डपम्प रिबोर	30840.00
13.07.21	हैण्डपम्प रिबोर	30942.00
16.05.21	हैण्डपम्प मरम्मत	25752.00
08.01.22	हैण्डपम्प रिबोर	30631.00
08.01.22	हैण्डपम्प रिबोर	30707.00
08.01.22	हैण्डपम्प मजदूरी	9810.00
	योग	308333.00

आडिट के दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रू. 308333.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। ।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 308333.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती बटकुन्नी से रू. 154166.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 154166.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

प्रस्तर 25.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट कैशबुक अनुसार प्रा0वि0 में बेंच आदि क्रय हेतु रू. 392000.00 का व्यय निम्नाकित तिथियों में दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
26.10.20	बैंच आदि खरीद	49000.00
26.10.20	बैंच आदि खरीद	49000.00
26.10.20	बैंच आदि खरीद	49000.00
26.10.20	बैंच आदि खरीद	49000.00
26.03.22	बैंच आदि खरीद	98000.00
26.03.22	बैंच आदि खरीद	98000.00
	योग	392000.00

इस प्रकार प्रा0वि0 बेन्च आदि खरीद पर रू0-392000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 392000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती बटकुन्नी से रू. 196000.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 196000.00 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर 26. आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट कैशबुक में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु रू. 95599.00 का व्यय निम्नाकित तिथियों में दर्शाया गया है। विवरण निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
03.02.22	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	30000.00
03.02.22	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	34292.00
03.02.22	आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण	31307.00
	योग	95599.00

इस प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण पर रू0-95599.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 95599.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती बटकुन्नी से रू. 47799.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 47799.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

प्रस्तर 27.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट कैशबुक में जिम झूला पर रू. 157429.00 का व्यय नहीं किये गये। विवरण निम्नाकित तिथियों में दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
02.02.22	बच्चों हेतु जिम झूला	64958.00
02.02.22	बच्चों हेतु जिम झूला	92471.00
	योग	157429.00

इस प्रकार जिम झूला पर रू0-157429.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 157429.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती बटकुन्नी से रू. 78714.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 78714.50

मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-10)

प्रस्तर 28.आलौच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा नाली निर्माण, पुलिया निर्माण एवं नाला निर्माण पर कैशबुक में निम्नांकित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। विवरण निमनवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
12.03.22	नाली निर्माण	55103.00
12.03.22	नाली निर्माण मजदूरी	6120.00
12.03.22	नाली निर्माण	20430.00
	योग	81653.00

इस प्रकार नाली निर्माण पर रू0-81653.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 81653.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमती बटकुन्नी से रू. 40826.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 40826.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-11)

ग्राम पंचायत का नाम-भोपतपुर चौकी विकास खण्ड-रिसिया

प्रस्तर 29.आलौच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव ग्राम विकास के पत्रांक 290/38-5-99-21(एम) दि0 29.07.99 के प्रस्तर के संख्या-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। लेकिन ग्राम पंचायत में इसका पालन न करते हुएरू. 333489.00 का व्यय/भुगतान दर्शाया गया है। विवरण निमनवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
10.04.21	हैण्डपम्प मरम्मत	24500.00
10.04.21	हैण्डपम्प मरम्मत	22700.00
17.05.21	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	117050.00
04.08.21	विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत	108131.00
10.04.21	हैण्डपम्प रिबोर	61108.00
	योग	333489.00

आडिट के दौरान उपरोक्त व्यय धनराशि रू. 333489.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा

निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। ।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 333489.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 166744.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 166744.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-04)

प्रस्तर 30.आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में प्रियासाफ्ट फीडिंग अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
23.05.2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42930.00
23.05.2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण	273957.00
24.05.2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण	40000.00
24.05.2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण	131172.00
24.05.2021	सामुदायिक शौचालय में टाइल्स	53992.00
28.07.2021	सामु0 शौचा0 में सेनेटरी नैपकीन	65608.00
28.07.2021	सामु0 शौचा0 में केबल, बल्ब आदि	12400.00
	योग	620059.00

इस प्रकार सामुदायिक शौचालय निर्माण पर रू0-620059.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 620059.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 310029.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 310029.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-05)

प्रस्तर 31.आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में इंटरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

दिनांक मद धनराशि

07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	47643.00
07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	34933.00
07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	23295.00
07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	40356.00
07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	38114.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	34048.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	25727.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	40356.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	38114.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	40356.00
07.10.2021	खुरचली के घर से सरफुदीन के तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	38069.00
07.10.2021	मस्जिद से हारून के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	38069.00
20.10.2021	शंकर के घर से नियामत के धर तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	116539.00
20.10.2021	शंकर के घर से नियामत के धर तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	4541.00
20.10.2021	शंकर के घर से नियामत के धर तक इ0 लाकिंग निर्माण कार्य	4305.00
	योग	564465.00

इस प्रकार इण्टरलांकिंग निर्माण पर रू0-564465.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 564465.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 282232.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 282232.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-06)

प्रस्तर 32.आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में इंटरलाकिंग निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
18.10.2021	पंचायत भवन में रंगाई-पुताई, विद्युत कार्य आदि	124618.00
18.10.2021	पंचायत भवन में रंगाई-पुताई, विद्युत कार्य आदि	14232.00
18.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	14720.00
18.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	6700.00
18.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	11540.00
18.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	136676.00
18.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	19800.00
20.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	19800.00

20.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य		32960.00
20.10.2021	पंचायत भवन में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य		136676.00
		योग	517722.00

इस प्रकार पंचायत भवन में इण्टरलांकिंग निर्माण एवं अन्य कार्य पर रू0-517722.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 517722.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 258861.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 258861.00 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-07)

प्रस्तर 33.आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था द्वारा ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

दिनांक	मद		धनराशि
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		96775.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		96775.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		46452.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		46452.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		46452.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		46452.00
21.01.2022	स्ट्रीट लाइट की स्थापना		7742.00
		योग	387100.00

इस प्रकार स्ट्रीट लाइट की स्थापना पर रू0-387100.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के

अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 387100.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 193550.00 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 193550.00 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-08)

प्रस्तर 34.आलोच्य वर्ष 2021-22 में संस्था ग्रा0पं0 में ओपन जिम एवं कायाकलप के अन्तर्गत बेन्च आपूर्ति पर कैशबुक में निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शाया गया है। जबकि लेखा परीक्षा में तत्सम्बंधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। व्यय का विवरण तिथि वार निम्नवत है।

दिनांक	मद	धनराशि
02.12.2021	व्यस्कों हेतु ओपन जिम आदि	96775.00
02.12.2021	व्यस्कों हेतु ओपन जिम आदि	65549.00
02.12.2021	व्यस्कों हेतु ओपन जिम आदि	71673.00
11.12.2021	कायाकल्प के अन्तर्गत बेन्च आपूर्ति	98000.00
11.12.2021	कायाकल्प के अन्तर्गत बेन्च आपूर्ति	98000.00
	योग	393317.00

इस प्रकार ओपन जिम एवं कायाकल्प के अन्तर्गत बेन्च आपूर्ति पर रू0-393317.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त संम्बधी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलतः यह व्यय पूर्णतः काल्पनिक एवं अपहरित है। वित्तीय औचित्य के नियमों के विपरीत निविदा/कोटेशन न लेकर कोई बिल वाउचर, वित्तीय स्वीकृति, डिलीवरी चालान, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टाक पंजिका, एम0बी0 बुक, कार्य योजना, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। बार-बार पत्राचार किये जाने एवं जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं गया। जोकि ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकद्मा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है।

इस प्रकार प्रमाणक विहीन धनराशि रू0 393317.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री मुजीबुर रहमान से रू. 196658.50 ग्राम विकास अधिकारी श्री दुर्रे हसन से रू. 196658.50 मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम-खैरा विकास खण्ड-तेजवापुर

प्रस्तर 35. सचिव ग्राम विकास के पत्रांक-290/38-5-99-(एम) दिनांक 29.07.1999 के प्रस्तर के सं0-5 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर बिना जल प्रबन्धन समिति से भुगतानादेश प्राप्त किये भुगतान न किया जाये। लेकिन ग्राम पंचायत खैरा में इसका पालन न करते हुए आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्थानों रू0 148512.00 व्यय/भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	चैक संख्या/वाउचर नंम्बर	मद	धनराशि	भुगतानप्राप्तकर्ता
1.	29.07.21	5वॉ रा.वि.आ /2021-22/पी/1	हैण्डपम्प मरम्मत	18500.00	इंशाद अली मैके.
2.	09.11.21	5वॉ रा.वि.आ /2021-22/पी/11	हैण्डपम्प रिबोर	41878.00	श्रिद्वी कान्सट्रक्शन
3.	18.01.22	5वॉ रा.वि.आ /2021-22/पी/18	हैण्डपम्प रिबोर	29363.00	इंशाद अली मैके.
4..	18.01.22	5वॉ रा.वि.आ /2021-22/पी/19	हैण्डपम्प रिबोर	29483.00	इंशाद अली मैके.
5.	18.01.22	5वॉ रा.वि.आ /2021-22/पी/20	हैण्डपम्प रिबोर	29288.00	इंशाद अली मैके.
				योग 148512.00	

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग के पत्रांक1134/अड़तीस-5-11-58 एम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मरम्मत/रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों का सहायक विकास अधिकारी द्वारा समय से उचित प्र्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित था, किन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त आदेश का परिपालन नहीं किया गया है जो आपत्तिजनक है।
2. हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य में कौन-कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना व उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।
4. उक्त कार्य के मरम्मत के दौरान बदली गयी सामग्री/पुरानी सामग्री का विवरण स्टाॅक रजिस्टर में अंकित होना चाहिए। लेखा परीक्षा में स्टाॅक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।
5. ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर हेतु प्रस्ताव एवं स्थान के चयन के सापेक्ष कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. लेखा परीक्षा के दौरान उपरोक्त धनराशि रू0-148512.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय रू0 148512.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजितराम सहाय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती नूरजहां से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। आडिट आपतित की अनुपालन आख्या के साथ यदि व्यय प्रमाणक एवं रसीदे प्रस्तुत की जाती है उन्हें सम्बन्धित फर्म एवं व्यापार कर विभाग से सत्यापित कराने के पश्चात ही समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

ग्राम पंचायत का नाम-पातूपुर विकास खण्ड-हुजूरपुर

प्रस्तर 36.ई-स्वराज पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत पातूपुर के वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य के सापेक्ष विभिन्न तिथ्यिों में निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित किया गया है-

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	कार्य आई डी	आहरणकर्ता	वाउचर नं0	दिनांक	धनराशि
1	साफ सफाई	उपलब्ध नहीं	नरेश,अजय,राधेश्याम, कमलेश कुमार,ननकू, नरेश,विद्याराम,बराती एवं नीरज	15वॉ वि./202122/ पी /15	07.08.2021	20100.00
2	साफ सफाई	उपलब्ध नहीं	अजय कुमार,राधेश्याम, कमलेश कुमार,ननकू, नरेश,विद्याराम,बराती एवं नीरज	5वॉ.रा.वि.आ./202122/पी/28	13.09.2021	10050.00
3	साफ सफाई	उपलब्ध नहीं	ननकू,ननके, अजय कुमार,नरेश	15वॉ वि./2021-22/ पी /33	23.10.2021	19392.00
4	साफ सफाई	उपलब्ध नहीं	वसीम ट्रेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ./202122/पी/40	23.10.2021	17580.00
5	साफ सफाई	उपलब्ध नहीं	नरेश	15वॉ वि.//2021-22/ पी /37	28.10.2021	7560.00

					योग	74682.00

उक्त कार्य से संबंधित निम्न न्यूवताएं पाई गयी-

(क) निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि संरक्षित करेगी परंतु लेखा परीक्षा में चरणबद्ध फोटो समेत कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख) लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा से अनुमादित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। जबकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य आरंभ करने पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम पंचायत से स्वीकृत होगा।

(ग) सफाई कार्य दैनिक मजदूरी के आधार पर कराया गया होगा परंतु लेखा परीक्षा में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं करने से कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकती।

(घ) क्या पंचायत में सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है, यह लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं हो सका।

(ड़) कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्यप्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।

(च) व्यय प्रमाणको में बाॅउचर सं. 5वॉ.रा.वि.आ./2021-22/पी/40 के अनुसार रू. 17580.00 का भुगतान वसीम ट्रेडर्स को किया गया है। ये भुगतान साफ सफाई के तहत किस लिए दिया गया है, अज्ञात रहा।

उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 74682.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण है। तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) क से ड़ के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या तथा ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 74682.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. 37341.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या से तथा रू. 37341.00 ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-08)

प्रस्तर 37. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थलों पर आलोच्य वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	कार्य आई डी	आहरणकर्ता	वाउचर नं0	दिनांक	धनराशि
1	06 ट्राली अद्धा छति-ग्रस्त रास्ते पर डालने हेतु	उपलब्ध नहीं	प्रभात टेड़िंग कंपनी	5वॉ.रा.वि.आ./2021-22/पी/31	27.09.2021	30000.00
2	05 ट्राली अद्धा छति-ग्रस्त रास्ते पर डालने हेतु	उपलब्ध नहीं	प्रभात टेड़िंग कंपनी	5वॉ.रा.वि.आ./2021-22/पी/32	27.09.2021	24500.00
3	बरसात से से छतिग्रस्त रास्ते पर मि-ट्टी पटाई	उपलब्ध नहीं	ननकू	15वॉवि./2021-22/पी/38	12.11.2021	9500.00

4	बरसात से से छतिग्रस्त रास्ते पर मि-ट्टी पटाई	उपलब्ध नहीं	ननकू	5वॉ.रा.वि.आ./2021-22/पी/43	12.11.2021	8000.00
5	बरसात से से छतिग्रस्त रास्ते पर मि-ट्टी पटाई	उपलब्ध नहीं	प्रभात टेड़िंग कंपनी	5वॉ.रा.वि.आ./2021-22/पी/59	11.03.2022	18500.00
					योग	90500.00

उक्त विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थलों पर बरसात से छतिग्रस्त रास्ते पर मिट्टी पटाई कार्य पर वर्ष 2021-22 में रू0-90500.00 व्यय किया गया, जिसके संबंध में लेखा परीक्षा की निम्न आपत्तियॉ है।-

1. लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा से अनुमादित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। जबकि पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य आरंभ करने पूर्व कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम पंचायत से स्वीकृत होगा।
2. उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय≤ पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशो के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा, परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से संबंधित माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।
3. लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तो के अनुसार हुआ है या नहीं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तो के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है।
4. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ के अभाव में यह पता नहीं चल पाया कि उस मार्ग पर क्या लगा था वो कि सिथति में था।
5. उक्त तीनो कार्य का भुगतान बिना आई डी बनाए किया गया जो अनियमित है
6. उक्त कार्य में एक ही श्रमिक श्री ननकू को कुल रू 17500.00 का भुगतान किया गया है। क्या ठेके पर कराया गया या एक ही श्रमिक ने सारा कार्य सम्पन्न किया। इस प्रकार ये कार्य संदेहास्पद है।
7. इस कार्य के संबंध में पहला भुगतान दिनांक 27.09.2021 को किया गया एवं अंतिम भुगतान 11.03.2022 को किया गया यह स्पष्ट नहीं हो सका की कार्य इतना लंबा चला या भुगतान विलंबित रहा।

उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 90500.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण है। तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) क से ड़ के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या तथा ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 90500.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. 45250.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्या से तथा रू. 45250.00 ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-09)

ग्राम पंचायत का नाम-गुदुवापुर विकास खण्ड-हुजूरपुर

प्रस्तर 38. रू. 325000.00 ग्राम पंचायत गुदुवापुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि स्ट्रीट लाइट के क्रय पर व्यय दर्शित है। निम्न विवरणानुसार धनराशि का आहरण दर्शित है

क्र.सं	कार्यक्रम का नाम	आहरणकर्ता	वाउचर नं0	दिनांक	धनराशि
1	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट	ओम नमः शिवाय टेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ /2021-22/पी/29	24.03.2022	65000.00
2	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट	ओम नमः शिवाय टेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ /2021-22/पी/30	24.03.2022	65000.00
3	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट	ओम नमः शिवाय टेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ /2021-22/पी/31	24.03.2022	65000.00
4	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट	ओम नमः शिवाय टेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ /2021-22/पी/32	26.03.2022	65000.00
5	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट	ओम नमः शिवाय टेडर्स	5वॉ.रा.वि.आ /2021-22/पी/33	26.03.2022	65000.00
				योग	325000.00

(क) लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित ग्राम सभा से अनुमादित कार्य योजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय किये गये स्ट्रीट लाइट की गुणवत्ता, जीवनकाल, क्षमता इत्यादि की स्थिति क्या रही। स्थलवार्य स्थापना की सूची भी अनुपलबध रही, जबकि उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य आरंभ करने पूर्व कार्ययोजना,प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम पंचायत से स्वीकृत होगा।

(ख) ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर काॅरपोरेशन के मध्य निद्युत कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रही। एल0ई0डी स्टीट लाइट के संदर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डी एम की समिति के द्वारा किया जाने सम्बन्धी पत्रावली भी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं रही, यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गयी या नहीं ।

(ग) स्ट्रीट लाइट क्रय पर कुल व्यय रू. 325000.00 दर्शित है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 4 एवं शासनदेश संख्या-ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.08 के अनुसार रू. 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमं.ित करके किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिक1त विक्रेता निर्माता होनी चाहिए।

उक्त कार्य सुसंगत अभिलेख/व्यय प्रमाणक न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क)यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी। इस प्रकार पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक अधिभार योग्य है। इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू0 325000.00 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अन्तर्गत अपहरण है। तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) क से ड़ के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रू. 325000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. 162500.00 ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार पाण्डेय से तथा रू. 162500.00 ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-07)

जनपद- बलरामपुर

परिशिष्ट-3

जनपद- बलरामपुर **मण्डल- देवीपाटन**

ग्राम पंचायतों के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

1-ग्राम पंचायत- कंचनपुर विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत कंचनपुर की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1292478.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1292478.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 646239.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार एवं धनराशि रू0 646239.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अब्दुल वहीद तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2- ग्राम पंचायत- मलमलिया विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत मलवलिया की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 878104.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 878104.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख

प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 439052.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा एवं धनराशि रू0 439052.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अरुण पटेल तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

3- ग्राम पंचायत- गैडास बुजुर्ग विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम पंचायत **गैडास बुजुर्ग** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 3734476.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 3734476.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 1867238.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं धनराशि रू0 1867238.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राजेश कुमार सिंह तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

4- ग्राम पंचायत- शाहपुर तप्पाबांक विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या- 4 ग्राम पंचायत **शाहपुर तप्पाबांक** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 2182081.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 2182081.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टर रोल, एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 1091040.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं धनराशि रू0 1091040.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अब्दुल वहीद तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

5- ग्राम पंचायत- मस्जिदिया विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-5 ग्राम पंचायत **मस्जिदिया** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1522349.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1522349.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टर रोल, एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की

धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 761174.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दुखी एवं धनराशि रू0 761174.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अब्दुल वहीद तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

6- ग्राम पंचायत- टेढ़वानवाबाद विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-6 ग्राम पंचायत **टेढ़वानवाबाद** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1931650.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1931650.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 965825.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हकीकुननिशा एवं धनराशि रू0 965825.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अरुण पटेल तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

7- ग्राम पंचायत- सिसहना विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-7 ग्राम पंचायत **सिसहना** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1522455.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1522455.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक), मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 761227.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अफ़साना बेगम एवं धनराशि रू0 761227.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री अब्दुल वहीद तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

8- ग्राम पंचायत- भरतपुर ग्रिंट विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-8 ग्राम पंचायत भरतपुर ग्रिंट की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में विधिक कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में भुगतान रु० 1217071.00 दर्शित है।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तिया हैं-

क- लेखा परीक्षा में विधिक कार्य पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, टेण्डर/ कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- लेखा परीक्षा में भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, स्थानों की सूची, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन विविध व्यय रू0 1217071.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 1217071.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती महरून निशा से रू0 608536.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 608536.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 ग्राम पंचायत भरतपुर ग्रिंट की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर पर दिनांक 01.10.2021 को वंश ट्रेडर्स को रू0 62265.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- लेखा परीक्षा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक, एवं एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- हैण्ड रिबोर के पूर्व उसके खराब होने की रिर्पोट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

ग- रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गयी हैण्डपम्प की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी । जिसके व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुर्नव्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैण्डपम्प रिबोर की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उनकी वैद्यता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पायी।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन व्यय रू0 62265.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 62265.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती महरून निशा से रू0 31133.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 31133.00 किया जाना अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत- एलरा विकास खण्ड- गैडास बुजुर्ग

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत एलरा द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर रू0 461329.00 भुगतान दर्शित है।लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपतिया हैं-

क- लेखा परीक्षा में विधिक कार्य पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय वाउचर, डिलीवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण-पत्र, टेण्डर/ कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- हैण्ड रिबोर के पूर्व उसके खराब होने की रिर्पोट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है।

ग- रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत में विगत वर्षों में मरम्मत की गयी हैण्डपम्प की सूची प्रस्तुत नहीं की गयी । जिसके व्यय की पुष्टि एवं एक ही व्यय का पुर्नव्ययन की जांच नहीं हो सकी। हैण्डपम्प रिबोर की कार्यदायी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उनकी वैधता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे तत्सम्बन्धी समीक्षा नहीं हो पायी।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन विविध व्यय रू0 461329.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 461329.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती अखतीरी बेगम से रू0 230664.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 230664.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत एलरा की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि हयूम पाइप क्रय पर भुगतान रू० 267475.00 का भुगतान दर्शित है। लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- लेखा परीक्षा में हयूम पाइप क्रय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक, एवं एम0बी0 प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- हयूम पाइप की स्थापना किन स्थानों पर किया गया है इसकी सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूम पाइप क्रय रू0 267475.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 267475.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती अखतीरी बेगम से रू0 133737.50 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 133737.50 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 लेखा परीक्षा में विभिन्न कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में रू0 484940.00 का भुगतान दर्शित है।

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

लेखा परीक्षा में विविध कार्य पर व्यय का स्टीमेट, वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक, एवं डिलीवरी चालान, एम0बी0, कार्यपूर्ती एवं उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर /कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- लेखा परीक्षा में भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, स्थानों की सूची, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूम पाइप क्रय रू0 484940.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 484940.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती अखतीरी बेगम से रू0 242470.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 242470.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत ऐलरा द्वारा दिनांक 28-11-2021 में जय माँ वैष्णो फर्म को धनराशि रु० 38970.00 प्राशासनिक व्यय के रूप में भुगतान दर्शित है

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- लेखा परीक्षा में प्रशासनिक व्यय का वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृत, व्यय प्रमाणक, एवं कोटेशन प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर कंज्यूमर रजिस्टर अप्राप्त रहा |

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूम पाइप क्रय रू0 38970.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 38970.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती अखतीरी बेगम से रू0 19485.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 19485.00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ग्राम पंचायत ऐलरा द्वारा दिनांक 29-11-2021 में जय माँ वैष्णो फर्म को धनराशि रु० 94150.00 साफ़-सफाई के रूप में भुगतान दर्शित है

लेखा परीक्षा में दिखाये गये इस व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

क- लेखा परीक्षा में साफ़-सफाई का व्यय वाउचर /मस्टर रोल, कोटेशन इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के खण्ड-7, खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 का उल्लंघन किया गया है।

ख- लेखा परीक्षा में भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण आख्या, त्रिस्तरीय फोटो, स्थानों की सूची, स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

अतः व्यय प्रमाणक एवं विवरण विहीन हयूम पाइप क्रय रू0 38970.00 ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 07 एवं 08 (क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 अधिभार नियम 256 के अन्तर्गत अपहरण के रूप में आंकलित किया जाता है।

अतः रू0 94150.00 की वसूली अद्यावधि व्याज सहित बराबर हिस्सों में ग्राम प्रधान श्रीमती अखतीरी बेगम से रू0 47075.00 तथा ग्राम सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से रू0 47075.00 किया जाना अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत- चीती विकास खण्ड- उतरौला

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत **चीती** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1343596.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1343596.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में

कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 671798.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सलामत एवं धनराशि रू0 671798.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार गौतम तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है |

11- ग्राम पंचायत- रेहरामाफी विकास खण्ड- उतरौला

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत **रेहरामाफी** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1464180.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1464180.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 732090.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कर्ताराम एवं धनराशि रू0 732090.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार गौतम तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

12- ग्राम पंचायत- देवरिया जंगली विकास खण्ड- उतरौला

प्रस्तर संख्या-17 ग्राम पंचायत **देवरिया जंगली** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1322402.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1322402.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 661201.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुमैदा एवं धनराशि रू0 661201.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार गौतम तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

13- ग्राम पंचायत- देवरिया मैनहा विकास खण्ड- उतरौला

प्रस्तर संख्या-18 ग्राम पंचायत **देवरिया मैनहा** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1598100.00 के अपहरण का लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल धनराशि 1598100.00 (राज्य वित्त चतुर्थ एवं पंचम एवं केन्द्रीय वित्त चौदहवां, पन्द्रहवां) का भुगतान / व्यय किया गया है | लिखित एवं मौखिक प्रयास के बावजूद उक्त किये गए भुगतान /व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कैशबुक ,बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावलियां तथा अन्य पुष्टिपरक अभिलेख यथा बिल वाउचर (व्यय प्रमाणक) , मस्टर रोल, ,एम० बी० (माप-पुस्तिका) तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उक्त भुगतान /व्यय धनराशि विवरण विहीन तथा प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः धनराशि रू0 799050.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी वर्मा एवं धनराशि रू0 799050.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार गौतम तत्कालीन सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

14 - ग्राम पंचायत- सिरिया विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत सिरिया, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद बलरामपुर की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 455775.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 455775.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। । जैसे-

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	20.07.2021	209615.00
2	चेयर एंड टेबल	,,	9800.00
3	सोख्ता गड्ढा	,,	14560.00
4	जू० स्कूल में मिट्टी पटाई	,,	10000.00
5	पोलिंग बूथ क्रय	27.01.2022	18500.00
6	बैठक आयोजन	,,	10000.00
7	ठेला मरम्मत	,,	5000.00
8	कंप्यूटर चेयर आदि	,,	178300.00
योग			455775.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3

-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये। टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से

2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से

5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और

10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 455775.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 455775.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती बड़का देवी** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 455775.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

-15ग्राम पंचायत- नरायनपुर मझारी विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम पंचायत नरायनपुर मझारी, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद बलरामपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार रू० 642046.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 642046.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। **जैसे-**

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	योग
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	04.09.2021	276096.00

2	ह्यूम पाइप	05.09.2021	105600.00
3	हैंडपम्प मरम्मत	28.09.2021	10400.00
4	पंचायत भवन निर्माण	12.03.2022	180000.00
5	फर्नीचर क्रय	,,	69950.00
योग			642046.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।
टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनु अल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उप लब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 642046.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय

धनराशि रू0 642046.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री शक्तिवेश मौर्या** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती शांति देवी** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 642046.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

16- ग्राम पंचायत- गैजहवां विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत गैजहवां, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद बलरामपुर की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू0 1426176.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 1426176.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। **जैसे-**

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	योग
1	जिब्राइल के घर से संग्राम के घर तक सीसी रोड	23.05.2021	192425.00
2	उदय प्रताप के खेत से रोड तक मिट्टी पटाई	,,	174941.00
3	हैंडपम्प मरम्मत	,,	57075.00
4	सामग्री और मजदूरी	10.09.2021	591974.00
5	सीसी रोड निर्माण	11.09.2021	397684.00
6	सफाई सामग्री	15.09.2021	12077.00
योग			1426176.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित

धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति
2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
१० लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 1426176.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1426176.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री डी० पी० सिंह** से एवं ग्राम प्रधान **श्री तिलकराम** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 1426176.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत- सकरी कुइआं विकास खण्ड- पचपेड़वा

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत सकरी कुइआं, विकास खण्ड **पचपेड़वा**, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू0 1038667.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष **बैंक स्टेटमेंट**, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 1038667.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	सामाग्री	श्रमांश	योग
1	पंचायत भवन मरम्मत	03.01.2022	424655.00	25422.00	450077.00
2	सामुदायिक शौचालय निर्माण	20.01.2022	328660.00	33330.00	361990.00
3	कंप्यूटर सीसी टीवी आदि क्रय	21.01.2022	94000.00	0.00	94000.00
4	पंचायत भवन रोड के लिए ह्यूम पाइप क्रय	28.01.2022	132600.00	0.00	132600.00
				योग	1038667.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4(क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीयवित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।
टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
१० लाख से ऊपर जिला पंचायत से
वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 1038667.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण

करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1038667.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवधेश कुमार यादव, श्री विनोद कुमार यादव व श्री नीलेश कुमार श्रीवास्तव से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती सायरा जैतुन्निशा** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 1038667.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

18- ग्राम पंचायत- नौबस्ता **विकास खण्ड-** पचपेड़वा

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत नौबस्ता, विकास खण्ड **पचपेड़वा**, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 705796.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 705796.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	सामाग्री	श्रमांश	योग
1	ग्राम पंचायत में सभी खम्भों पर बल्ब लगवाई	05.12.2021	14960.00	--	14960.00
2	ग्राम पंचायत में बल्ब, होल्डर, वायर, कटोरी, तार आदि	09.12.2021	17520.00	--	17520.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	13.12.2021	416620.00	90490.00	507110.00
4	चबूतरा से नेता के घर से इंटरलाकिंग तक नाली निर्माण	,,	114760.00	--	114760.00
5	ग्राम पंचायत के नालियों में चूना छिड़काव	21.12.2021	6990.00	--	6990.00
6	हैंडपंप प्लास्टिक पाइप	26.12.2021	44456.00	--	44456.00
				योग	705796.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये। टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 705796.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 705796.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री महेंद्र कुमार यादव** से एवं ग्राम प्रधान **श्री अखिलेश यादव** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 705796.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत- पिपरा जमुनी विकास खण्ड- पचपेड़वा

प्रस्तर संख्या-24 ग्राम पंचायत पिपरा जमुनी, विकास खण्ड **पचपेड़वा**, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार मई 2021 में रू० 1123045.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं। उक्त व्यय के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट, कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई डी, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति

प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्य पर किये गए रू0 1123045.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	सामाग्री	श्रमांश	योग
1	इंटरलाकिंग सामग्री	04.05.2021	66998	12588	79586
2	इंटरलाकिंग सामग्री	04.05.2021	137104	0.00	137104
3	हैंडपम्प मरम्मत	04.05.2021	48435	0.00	48435
4	फागिंग मशीन	04.05.2021	36889	0.00	36889
5	आर.सी.सी. पुलिया	08.05.2021	249265	46476	295741
6	आर.सी.सी. पुलिया	,,	280621	55566	336187
7	सामुदायिक शौचालय निर्माण	10.05.2021	189103	0.00	189103
				योग-	1123045

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 01 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध न हीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्र धान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव मैं व्यय धनराशि रू0 1123045.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1123045.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी **श्री संजीव कुमार कैराती** से एवं **प्रशासक श्री सत्यप्रकाश मालवीय** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 1123045.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

20 - ग्राम पंचायत-इटई अब्दुल्ला विकास खण्ड- रेहरा बाजार

प्रस्तर संख्या-25 ग्राम पंचायत इटई अब्दुल्ला में पंचम राज्यवित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.10.2021 को इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत, सामग्री आदि हेतु आर0सी0 वर्मा जनरल आर्डर एंड सप्लायर्स को भुगतान धनराशि रू0 64300.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 64300.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1-मरम्मत कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 64300.00 में से धनराशि रू0 32150.00 की वसूली

ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला देवी एवं धनराशि रू0 32150.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री सुरेश कुमार मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

21- ग्राम पंचायत- विजयपुर ग्रिंट विकास खण्ड- रेहरा बाजार

प्रस्तर संख्या-26 ग्राम पंचायत विजयपुर ग्रिन्ट में पंचम राज्यवित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.10.2021 को इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प रिबोर, (सामग्री सहित) हेतु देव ट्रेडर्स को भुगतान धनराशि रू0 30050.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 30050.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1-मरम्मत कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 30050.00 में से प्रशासक श्री सुरेश कुमार चौधरी से धनराशि रू0 15025.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुरेश कुमार मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 15025.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत विजय पुर ग्रिन्ट में पंचम राज्यवित आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.04.2021 को इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर, हेतु देव ट्रेडर्स को भुगतान धनराशि रू0 96600.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 96600.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं ।

1- रिबोर कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 96600.00 में से धनराशि रू0 48300.00 की वसूली प्रशासक श्री सुरेश कुमार चौधरी से एवं धनराशि रू0 48300.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार मौर्या से संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 ग्राम पंचायत विजय पुर ग्रिन्ट में पंचम राज्यवित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 17.05.2021 को इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर, हेतु देव ट्रेडर्स को भुगतान धनराशि रू0 17100.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 17100.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं ।

1- रिबोर कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टि पूरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 17100.00 में से धनराशि रू0 8550.00 की वसूली प्रशासक श्री सुरेश कुमार चौधरी से एवं धनराशि रू0 8550.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश कुमार मौर्या से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

22- ग्राम पंचायत- जुवारा विकास खण्ड- रेहरा बाजार

प्रस्तर संख्या-29 ग्राम पंचायत जुवारा में पंचम राज्यवित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.08.2021 को इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प रिबोर, (सामग्री सहित) हेतु आर०सी०वर्मा जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान धनराशि रू0 96300.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 96300.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1-मरम्मत कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं संबंधित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 96300.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश चन्द्र वर्मा से धनराशि रू0 48150.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुरेश कुमार मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 48150.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30 ग्राम पंचायत जुवारा में पंचम राज्यवित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की कैशबुक के अनुसार दिनांक 29.08.2021 को इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प रिबोर, (सामग्री सहित) हेतु आर०सी०वर्मा जनरल आर्डर सप्लायर्स को भुगतान धनराशि रू0 45000.00 दर्शित है। अतः उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 45000.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1-मरम्मत कराये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की संख्या एवं सम्बन्धित स्थलों की सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

2-उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 45000.00 में से ग्राम प्रधान श्री दिनेश चन्द्र वर्मा से धनराशि रू0 22500.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुरेश कुमार मौर्या तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 22500.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

23 - ग्राम पंचायत- तेंदुआ भानपुर विकास खण्ड- रेहरा बाजार

प्रस्तर संख्या-31 ग्राम पंचायत तेंदुआ भानपुर में धनराशि रू0 80020.00 के अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसका विवरण निम्नवत है -

पंचम राज्यवित्त आयोग की कोशबही वर्ष 2021-22 के अनुसार दिनांक 07.03.2022 को पटेल ट्रेडर्स एवं ऑटोमोबाईल सोल्यूशन को पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर सामग्री हेतु भुगतान धनराशि रु०

32200.00 एवं दिनांक 28.03.2022 को पंचायत भवन मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान एम०आर० पर दर्शित व्यय रु० 47820.00 है | अत: उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 80020.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1- उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बिल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 80020.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां बेगम से धनराशि रू0 40010.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री शहाबुद्दीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 40010.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत तेंदुआ भानपुर में धनराशि रू0 72300.00 के अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसका विवरण निम्नवत है -

पंचम राज्यवित्त आयोग की कोशबही वर्ष 2021-22 के अनुसार दिनांक 28.03.2022 को सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु भुगतान धनराशि रु० 72300.00 अत: उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 72300.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1- उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 72300.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां बेगम से धनराशि रू0 36150.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री शहाबुद्दीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 36150.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 ग्राम पंचायत तेंदुआ भानपुर में धनराशि रू0 147500.00 के अपहरण का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसका विवरण निम्नवत है -

पंचम राज्यवित्त आयोग की कोशबही वर्ष 2021-22 के अनुसार दिनांक 28.03.2022 को ए०के०टेडर्स एंड सप्लायर्स को हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य पर सामग्री हेतु भुगतान धनराशि रु० 77200.00, दिनांक 28.03.2022 मजदूरी ,एम०आर० भुगतान हेतु धनराशि रु० 21600.00, दिनांक 28.03.2022 ए०के०टेडर्स एंड सप्लायर्स को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु भुगतान हेतु धनराशि रु० 38500.00 एवं दिनांक 28.03.2022 उपरोक्त कार्य पर मजदूरी ,एम०आर० भुगतान हेतु धनराशि रु० 10200.00 का व्यय दर्शित है| अत: उक्त कार्य पर कुल भुगतान रू0 147500.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत हैं।

1- उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक (बल वाउचर), मस्टर रोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, डिलीवरी चालान,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है। उक्त मैनुअल के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 147500.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां बेगम से धनराशि रू0 73750.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री शहाबुद्दीन तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से धनराशि रू0 73750.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत- उदईपुर गनवरिया विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-34 ग्राम पंचायत **उदईपुर गनवरिया** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1299742.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां केंद्र वित्त आयोग के बैंक एकाउंट स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेषन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरण विहीन/प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 1299742.00 में से धनराशि रू0 649871.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नाथूराम एवं धनराशि रू0 649871.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम राही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

25- ग्राम पंचायत- सोनपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-35 ग्राम पंचायत **सोनपुर** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1288496.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां केंद्रवित्त आयोग के बैंक एकाउंट स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरण विहीन/प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 1288496.00 में से धनराशि रू0 644248.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजू एवं धनराशि रू0 644248.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम राही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

26- ग्राम पंचायत- उदईपुर खैरहनिया विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-36 ग्राम पंचायत **उदईपुर खैरहनिया** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 1739195.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां केंद्र वित्त आयोग के बैंक एकाउंट स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरण विहीन/प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 1739195.00 में से धनराशि रू0 869597.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शमशेद अली एवं धनराशि रू0 869597.50 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम राही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सूक्ष्म विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

27- ग्राम पंचायत- शंकरपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-37 ग्राम पंचायत **शंकरपुर** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 669260.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवां केंद्र वित्त आयोग के बैंक एकाउंट स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलियां तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः उक्त भुगतान/व्यय धनराशि विवरण विहीन/प्रमाणक विहीन होने के कारण अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज

नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 669260.00 में से धनराशि रू0 334630.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती खुशबू एवं धनराशि रू0 334630.00 की वसूली सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम राही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

28 - ग्राम पंचायत- सुग्गानगर लहेरी (सुगानगर) विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-38 ग्राम पंचायत **सुग्गानगर लहेरी (सुगानगर)** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 968019.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेंटस फार्मेट-1 (पंचम एवं पन्द्रहवां वित-ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर) के अनुसार पंचायत राज प्रोग्राम पर व्यय धनराशि रू0 315000.00, 2-ओ0एंड एम0 फार कम्यूनिटी मैनेज्ड सैनिटेशन कॉप्लेक्स (एस0बी0एम0-जी) पर व्यय धनराशि रू0 99500.00, 3-पंचायत भवन मेंटीनेंस पर व्यय धनराशि रू0 345519.00, 4- अन्य व्यय पर व्यय धनराशि रू0 27000.00, 5- पंचायत सहायक सर्विस पर व्यय धनराशि रू0 6000.00 एवं 6- पंचायत भवन ऑफिस उपकरण पर व्यय धनराशि रू0 175000.00 है। अतः उक्त कुल व्यय धनराशि रू0 968019.00 है।

ग्राम पंचायत सुग्गानगर लेहरी (सुगानगर) में ऐनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेंटस अकाउन्टस फार्मेट-1 (ई ग्राम स्वराज पोर्टल) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय धन धनराशि 968019.00 के सापेक्ष बैंक खाता स्टेटमेंट, कैशबुक, कार्यपत्रावलियॉ तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेषन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: उक्त व्यय अपुष्ट रहा|

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 968019.00 में से ग्राम प्रधान श्री ओमकार नाथ से धनराशि रू0 484009.50 की वसूली ,एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से धनराशि रू0 484009.50 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सामान्य आपत्ति सं० 01 सन्निहित धनराशि- 968019.00

29- ग्राम पंचायत- सिंहपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-39 ग्राम पंचायत **सिंहपुर** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 350664.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

अतः कुल भुगतान रू0 350664.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है-

उक्त व्यय से सम्बन्धित पंचायत राज वित्त आयोग के बैंक एकाउन्ट स्टेटमेंट (खाता संख्या-50075086365) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय में दिनांक 26.04.2021 दिनांक धनराशि 200000.00, दिनांक 15.05.2021 को धनराशि रू0 21105.00,दिनांक 15.05.2021 को धनराशि रू0 93691.00, दिनांक 15.05.2021 केा धनराशि 12000.00 एवं दिनांक 15.05.2021 को धनराशि रू0 23868.00 आहरित/व्यय) के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलिया तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा-व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या,डिलीवरी चालान,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गए।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 350664.00 में से प्रशासक श्री विनीत राम से धनराशि रू0 1753.72 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से धनराशि रू0 175332.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-40 ग्राम पंचायत **सिंहपुर** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 38000.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

अतः कुल भुगतान रू0 38000.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है-

उक्त व्यय से सम्बन्धित पंचायत राज वित्त आयोग के बैंक एकाउन्ट स्टेटमेंट (खाता संख्या-50075086365) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय में दिनांक 30.07.2021 दिनांक धनराशि 27000.00, दिनांक 30.07.2021 को धनराशि रू0 11000.00 आहरित/व्यय) के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलिया तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेषन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गए ।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 38000.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से धनराशि रू0 19000.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से धनराशि रू0 19000.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-41 ग्राम पंचायत **सिंहपुर** की लेखा परीक्षा में धनराशि रु० 489416.00 के अपहरण का प्रकरण लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आया है | आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है|

अतः कुल भुगतान रू0 38000.00 है। उक्त व्यय के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है-

उक्त व्यय से सम्बन्धित पन्द्रहवां केंद्र वित्त आयेाग के बैंक एकाउन्ट स्टेटमेंट (खाता संख्या-50075086365) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में दर्शित व्यय में दिनांक 06.09.2021 दिनांक धनराशि 37080.00, दिनांक 06.09.2021 को धनराशि रू0 101752.00, दिनांक 10.09.2021 को धनराशि रू0 27948.00, दिनांक 10.09.2021 को धनराशि रू0 55175.00, दिनांक 14.09.2021 को धनराशि रू0 27948.00, दिनांक 05.10.2021 को धनराशि रू0 36924.00, दिनांक 05.10.2021 को धनराशि रू0 24480.00 एवं दिनांक 05.10.2021 को धनराशि रू0 178109.00 आहरित/व्यय) के सापेक्ष कैशबुक, कार्य पत्रावलिया तथा पुष्टिपरक अभिलेख यथा- व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन निविदा सम्बन्धी प्रपत्र, उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन, निरीक्षण आख्या, डिलीवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर/कर कटौती एवं जमा रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, त्रिस्तरीय फोटो आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गए ।

अतः उक्त व्यय अपुष्ट रहा । स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दर्शित व्यय ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 की ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत है।

उक्त मैनुअल के खण्ड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उक्त कुल धनराशि रू0 489416.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से धनराशि रू0 244708.00 की वसूली एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय यादव तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से

धनराशि रू0 244708.00 की वसूली संयुक्त रूप से अद्यावधि तक व्याज सहित किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

30 ग्राम पंचायत- मोतीपुर कलां विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-42 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1981488.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मान्गोपरांत प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.023.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा| जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री धनश्याम मौर्या व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-43 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2122219.60 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन/पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का

आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री धनश्याम मौर्या व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

31 - ग्राम पंचायत- सहिजना विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-44 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2904181.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.023.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-45 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा**

वेबसाइट पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 3570607.54 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन/पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ "के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार'' यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

32 - ग्राम पंचायत- हिन्डूली कला विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-46 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2255588.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी| उक्त के क्रम में दिनांक 23.023.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा| जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास

अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1188584.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन/पी0-43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है|

33 - ग्राम पंचायत- मदार गढ़ विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-48

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 3980616.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी| उक्त के क्रम में दिनांक 23.023.2023 को सहायक विकास

अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा| जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनल चौधरी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अनूप सैनी से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-49

निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2002308.30 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम

प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनल चौधरी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अनूप सैनी से की जानी अपेक्षित है|

34 - ग्राम पंचायत- विशुनपुर बढईपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-50 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 964331.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.023.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा| जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार चौधरी व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-51 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 897939.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन/पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत

कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री जीतेन्द्र कुमार चौधरी व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

35- ग्राम पंचायत- रतनपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-52 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 4354399.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 31-01-2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी "के अंतर्गत अधिभार योग्य

है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है| स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री जगराम सोनकर से की जानी अपेक्षित है|

36- ग्राम पंचायत-देवपुरा विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-53 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2785074.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी| उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.23.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा| जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-54 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 200144.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त

लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

37- ग्राम पंचायत-परसिया गोसाई विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या- 55 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1381109.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.23.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज प्रकाश व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमर नाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-56 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 745824.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री तेज प्रकाश व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमर नाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

-38 ग्राम पंचायत- महादेव बांकी विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-57 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1627259.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा

यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-58 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1905139-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है|

39- ग्राम पंचायत-टेंगनावार विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-59 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1275274.00 का व्यय किया गया है जिसके

सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-60 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2268532-88 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16-03.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य

है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

40- ग्राम पंचायत- परसपुर कमदा विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-61 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 104856.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 31-01-2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री जगतराम व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती ममता मल्ल से की जानी अपेक्षित है|

41- ग्राम पंचायत- रामनगर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-62

निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की

धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1767360.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 31-01-2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल व सचिव ग्राम पंचायत श्री राजेंद्र यादव से की जानी अपेक्षित है|

42- ग्राम पंचायत-कटकुइयां विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-63 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2107479.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री मेही लाल व सचिव ग्राम पंचायत श्री ओमप्रकाश दुबे से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-64 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 3030624.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16-03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं| अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री मेही लाल व सचिव ग्राम पंचायत श्री ओमप्रकाश दुबे से की जानी अपेक्षित है|

43 - ग्राम पंचायत- धामाचौरी विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-65 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2531599.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण

पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-66 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1519119.83 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर

सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बिट्टा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से की जानी अपेक्षित है|

44- ग्राम पंचायत- ललिया विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-67 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 3233952.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ “ के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार “ यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी “ के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सौरभ श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-68 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1748563.52 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख

मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सौरभ श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है|

45- ग्राम पंचायत- भटपुरवा विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-69 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1967869.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री मिलन व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-70 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 779856.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री मिलन व सचिव ग्राम पंचायत श्री राम अंचल से की जानी अपेक्षित है|

46- ग्राम पंचायत- हसनापुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-71 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 664736.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा

यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला व सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-72 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2006423.84 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला व सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम से की जानी अपेक्षित है|

47- ग्राम पंचायत- मंगराकोहल विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-73 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स

की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1119154.37 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 31.01.2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गौतम चौधरी व सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज वर्मा से की जानी अपेक्षित है|

48- ग्राम पंचायत- फटवा विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-74 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1650474.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी

ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रवि कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-75 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1278477-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रवि कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

49- ग्राम पंचायत- भितवरिया कलां विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-76 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 2013967.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं

पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती पाठक व सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबास राम से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-77 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2402068.77 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति

पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती पाठक व सचिव ग्राम पंचायत श्री गुलबासराम राही से की जानी अपेक्षित है|

50- ग्राम पंचायत- मध्यनगर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-78 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2280401.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 31.01.2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम जागे व सचिव ग्राम पंचायत श्री अंकित मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

51- ग्राम पंचायत- गनवरिया लक्ष्मणपुर विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-79 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 688687.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा

31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूबी सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-80 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2921023.44 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम

प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रूबी सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालजी मिश्रा से की जानी अपेक्षित है|

52- ग्राम पंचायत- महादेव अतरपरी विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-81 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1664973.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता मिश्रा व सचिव ग्राम पंचायत श्री ओम प्रकाश दुबे से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-82 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2704899.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.02.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता मिश्रा व सचिव ग्राम पंचायत श्री ओम प्रकाश दुबे से की जानी अपेक्षित है|

53- ग्राम पंचायत- कोडरी विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-83 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 4199746.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 16.03.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी वर्मा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-84 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1753937.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख

के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 23.02.2023 तथा दिनांक 28.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिंकी वर्मा व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से की जानी अपेक्षित है|

54- ग्राम पंचायत- इटवा विकास खण्ड- हरैया सतघरवा

प्रस्तर संख्या-85 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रु० 1348320.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम०बी० बुक तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर तथा 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा | जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शित करता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने

की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामजी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर संख्या-86 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 945882-50 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.03.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री रामजी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अमरनाथ राय से की जानी अपेक्षित है|

55 - ग्राम पंचायत- भगवतपुर विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या-87 ग्राम पंचायत भगवतपुर, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद बलरामपुर की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 917911.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 917911.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि

1	कंप्यूटर कुर्सी मेज आलमारी क्रय	06.02.2022	163150.00
2	हैंडपंप रिबोर	08.02.2022	152275.00
3	पंचायत भवन मीटिंग हाल निर्माण	13.03.2022	411458.00
4	एल०ई०डी० लाईट लगवाई	13.03.2022	66958.00
5	हैंडपंप मरम्मत	26.03.2022	104160.00
6	साफ़-सफाई	,,	9810.00
7	दवा छिडकाव	,,	10100.00
8	हैंडपंप रिबोर	26.06.2022	100890.00
योग			917911.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 917911.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 917911.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **संजीव कुमार श्रीवास्तव** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती राधा देवी** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 917911.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

56 - ग्राम पंचायत- अडार पाकर विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या- 88 ग्राम पंचायत अडार पाकर, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 746983.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 746983.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	शौचालय मरम्मत कार्य	02.10.2021	185629.00
2	कुर्सी मेज आलमारी क्रय	02.10.2021	48200.00
3	हैण्डपम्प चबूतरा कार्य	02.10.2021	124422.00
4	हैंडपंप मरम्मत	22.10.2021	56616.00
5	साफ़-सफाई	22.10.2021	40188.00
6	अन्य कार्य	26.10.2021	10200.00
7	प्राथमिक विद्यालय में इंटर लोकिंग	30.10.2021	166978.00
8	उ० प्राथमिक विद्यालय में शौचालय कार्य	30.10.2021	114750.00
योग			746983.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक

लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 01 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 746983.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 746983.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **विनीत भास्कर** से एवं ग्राम प्रधान **श्री सर्वानंद मिश्रा** से वसूल करते हुए

ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 746983.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

57 - ग्राम पंचायत- कान्दभारी विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या-89 ग्राम पंचायत **कान्दभारी**, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 1349242.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 746983.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। जैसे-

क्र०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सामग्री और मजदूरी	18.04.2021	196426.00
2	सामग्री और मजदूरी	22.04.2021	105680.00
3	सामग्री और मजदूरी	28.04.2021	54654.00
4	हैंडपम्प मरम्मत	25.08.2021	5400.00
5	हैंडपम्प चबूतरा निर्माण	25.08.2021	14400.00
6	सामुदायिक शौचालय	25.08.2021	147000.00
7	सामग्री और मजदूरी	29.08.2021	178397.00
8	आजाद के घर से पंचायत भवन तक इंटर लोकिंग	13.03.2022	385918.00
9	ह्यूम 50 पीस	14.03.2022	184375.00
10	सफीक सेठ के घर से भगोला के घर तक भूबिगत नाली	24.03.2022	76992.00
योग			1349242.00

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित

धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मै नुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उ पलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 1349242.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1349242.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **अजय कुमार यादव** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती पार्वती देवी** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 1349242.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

58- ग्राम पंचायत- कटरा शंकरनगर विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या- 90 ग्राम पंचायत **कटरा शंकरनगर**, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 3395651.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 3395651.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से

2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से

5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और

10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मै नुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उ पलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 3395651.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 3395651.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **संजीव कुमार श्रीवास्तव** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती साबिस्ता** से बराबर हिस्से में वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि

रू० 3395651.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

59- ग्राम पंचायत- फत्तेजोत विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या- 91 ग्राम पंचायत **फत्तेजोत**, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में कैशबुक के अनुसार रू० 676101.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 676101.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग 01 के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से

2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से

5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और

10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मै नुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उ

पलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 676101.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 676101.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **संजीव कुमार श्रीवास्तव** से एवं ग्राम प्रधान **मो० फैसल हुसैन** से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 676101.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

60- ग्राम पंचायत- झौहना विकास खण्ड- बलरामपुर सदर

प्रस्तर संख्या- 92 ग्राम पंचायत **झौहना**, विकास खण्ड बलरामपुर सदर, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार रू० 278255.00 व्यय किया गया हैउक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टीमेट, ,एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 278255.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 278255.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अतः लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 278255.00 को उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 व 257 के अंतर्गत अधिभार की कार्यवाही की संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दण्डनीय ब्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री **विनीत भास्कर** से एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रभा गिरी** से बराबर हिस्से में वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रू० 278255.00 से पहुंचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है। साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

61- ग्राम पंचायत- बनकटवा कला **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-93 ग्राम पंचायत बनकटवा कला में लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1607423.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली,स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 19.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी, के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री मुईद खान व सचिव ग्राम पंचायत श्री ब्रजेश अम्बानी से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-94 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1370088.98 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक सी० 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.01.2023 तथा दिनांक 31.01.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री मुईद खान** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री ग्रजेश अम्बानी** से की जानी अपेक्षित है|

62- ग्राम पंचायत- महादेव हरिहर नगर **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-95 ग्राम पंचायत महादेव हरिहर नगर में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 2076359.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा

कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 19.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री राम सूरत वर्मा व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-96 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 3926930.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.01.2023 तथा दिनांक 31.01.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य

है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री राम सूरत वर्मा** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री प्रदीप वर्मा** से की जानी अपेक्षित है|

63- ग्राम पंचायत- विशुनपुर खैरहानिया विकास खण्ड- तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-97

ग्राम पंचायत विशुन पुर खैरहानिया में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 2694380.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 19.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-98 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 876296.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत

कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.01.2023 तथा दिनांक 31.01.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री ओम प्रकाश यादव** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री प्रदीप वर्मा** से की जानी अपेक्षित है|

64- ग्राम पंचायत- रामगढ़ मैटहवा **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-99

निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 602200.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2023 तथा दिनांक 14.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री तुलाराम यादव** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री प्रवीण गुप्ता** से की जानी अपेक्षित है|

65- ग्राम पंचायत- हडपुर जनकपुर **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-100

ग्राम पंचायत हडपुर जनकपुर में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1422719.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 19.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर पत्राचार व दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री इरशाद अहमद व सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रदीप वर्मा से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-101 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा**

वेबसाइट पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1773849.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन/पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 19.01.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **इरशाद अहमद** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री प्रदीप वर्मा** से की जानी अपेक्षित है|

66- ग्राम पंचायत- धनौडा **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-102 ग्राम पंचायत **धनौडा** में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1852711.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 16.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार तथा दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम

256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री जमील अहमद व सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार विमल से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-103 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1340587.06 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 16.01.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान जमील अहमद व सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार विमल से की जानी अपेक्षित है|

67- ग्राम पंचायत- गुलहरिया **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-104 ग्राम पंचायत गुलहरिया में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1892076.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति

प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार तथा दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना व सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार विमल से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-105 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1590266.27 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती अमीना** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री अजय कुमार विमल** से की जानी अपेक्षित है|

68- ग्राम पंचायत- मैंनहवा **विकास खण्ड-** तुलसीपुर

प्रस्तर संख्या-106 ग्राम पंचायत मैंनहवा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित/पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 426504.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमानकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 23.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार तथा दिनांक 31.01.2023 को पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। साथ ही उक्त व्यय उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में पस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचाई गयी | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार विमल से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-107 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018.8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1359339.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। तत्सम्बन्धी मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिसमें किये गये भुगतान की पुष्टि न हो सकी। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक

270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0.43.एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 12.01.2023 तथा दिनांक 23.02.2023 को जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री शिवकुमार** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री अजय कुमार विमल** से की जानी अपेक्षित है|

69- ग्राम पंचायत- लखमा **विकास खण्ड-** श्रीदत्तगंज

प्रस्तर संख्या- 108 ग्राम पंचायत **लखमा**, विकास खण्ड श्रीदत्त गंज, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कैशबुक के अनुसार रू० 222879.00 व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई०डी०, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 222879.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क)कार्य के सापेक्ष सम्बंधित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा दौरान अप्रस्तुत रहीं |

(ख)सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान का बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा | वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हूए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प की मरम्मत कराई गयी और कितने रिबोर कराये गए |

(घ)जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 222879.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है जो एक प्रभूत धनराशि है |

स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चेन, नट बोल्ट,राड, सिलेंडर पाइप बदले गए होंगे | डेड स्टाक रजिस्टर में न तो बदले गए कंडम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कंडम पार्ट /कबाड़ विक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी |

(ड)ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब है |

(च)दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने की पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा |

(छ)सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |

(ज)इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है |

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से करते हुए रु० 222879.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से

2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से

5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और

10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 222879.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दंडनीय व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह से एवं ग्राम प्रधान श्री रोहित सिंह से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 222897.00 से पहुचाई गयी हानि की क्षतिपूर्ती किया जाना अपेक्षित है | साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

70- ग्राम पंचायत- नन्दमहरा **विकास खण्ड-** श्रीदत्त गंज

प्रस्तर संख्या- 109 ग्राम पंचायत **नन्दमहरा** , विकास खण्ड श्रीदत्त गंज, जनपद **बलरामपुर** की वित्तीय वर्ष 2021 -22 में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कैशबुक के अनुसार रू० 234199.00 व्यय किया गया है। जिस पर लेखा परीक्षा को आपत्ति हैं, उक्त व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली, कार्ययोजना, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, वर्क आई०डी०, स्टीमेट, एम0 बी0, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, बिल-बाउचर, मस्टर रोल. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सामग्री का टेण्डर पत्रावली, अभिलेख आदि भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किये गये। जिससे उक्त कार्यों पर किया गया व्यय रू0 234199.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त अंकित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं-

(क)कार्य के सापेक्ष सम्बंधित कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा दौरान अप्रस्तुत रहीं |

(ख)सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान का बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा | वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) के प्राविधानानुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी

(ग) दौरान लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प की मरम्मत कराई गयी और कितने रिबोर कराये गए |

(घ) जैसा कि दौरान लेखा परीक्षा पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में आलोच्य वर्ष में कुल धनराशि रु० 234199.00 का व्यय होना कैशबुक में अंकित किया गया है जो एक प्रभूत धनराशि है | स्पष्ट है कि रिबोर एवं मरम्मत में चेन, नत बोल्ट,राड, सिलेंडर पाइप बदले गए होंगे | डेड स्टाक रजिस्टर

में न तो बदले गए कंडम पार्ट का अंकन किया गया है और न ही कंडम पात /कबाड़ विक्री से प्राप्त धनराशि खाते में जमा की गयी है और न ही प्राप्त धनराशि का सीधे अंकन कैशबुक में की गयी |
(ड) ग्राम पंचायत/कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से किंटने खराब है |
(च)दौरान लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरान्त मरम्मत कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत कराये जाने के बाद ठीक होने की पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा |
(छ) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |
(ज) इस आशय का कोई प्रमाण पत्र दौरान लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कि कार्य कुशल श्रमिक से ही कराया गया है |

अस्तु उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में लेखा परीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि उक्त अंकित व्यय धनराशि का अंकन कैशबुक पर आधारहीन एवं फर्जी तरीके से करते हुए रु० 234199.00 से ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

सामग्री मद के सापेक्ष टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। जबकि नियमानुसार रू० 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय की दशा में टेण्डर कराया जाना अनिवार्य है। वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0ए-1 864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने के क्रम में कोटेशन (रू० बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू० एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबकि टेण्डर की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03 /2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 (क) में यह स्पष्ट है कि 50 हजार की सीमा तक की कार्ययोजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जायेगा। बाद में पंचायतराज अनुभाग १ के आदेश संख्या 3 -2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2 (ब) के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दी गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारित धनराशि के अनुसार वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये जा रहे हैं ताकि इसे 2 लाख की सीमा के अंदर ही रखा जाये।

टेक्निकल परीक्षण 2 से 2.5 लाख तक जेई आर.इ.एस /जेई एम.आई./जेई जिला पंचायत /जेई मण्डी परीषद के द्वारा किया जायेगा।

वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति

2 लाख से 2.5 लाख तक ए0डी0ओ0 (पं0) से
2.5 लाख से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 से
5 लाख से ऊपर डी0एम0 से और
10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 प्रस्तर 316 और 317 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रशानिक और वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु एक प्रशासनिक एवं वित्तीय पंजिका रखे जाने के प्रावधान है लेकिन इसका यथोचित पालन नहीं किया गया है।

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय8 की धारा 8(क) में प्रावधान है की"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उक्त नियम के आलोक में स्पष्ट है कि समुचित व्यय प्रमाणकों के अभाव में व्यय धनराशि रू0 234199.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण करते हुए ग्राम पंचायत को क्षति/हानि पहुंचायी गयी है। अधिभारित धनराशि की वसूली अद्यावधि दंडनीय व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सों में तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह से एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी से वसूल करते हुए ग्राम पंचायत को कुल धनराशि रु० 234199.00 से पहुचायी गयी हानि की क्षतिपूर्ती किया जाना अपेक्षित है | साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

71- ग्राम पंचायत- नचौरी **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-110 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 942245.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है| अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री निरहू व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-111

निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 710212.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री निरहू** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

72- ग्राम पंचायत- केवलपुर **विकास खण्ड-** गैसड़ी

प्रस्तर संख्या- 112 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 864002.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के

प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-113 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 03 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 961672-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य

है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री शिवकुमार** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

73- ग्राम पंचायत- जानकी नगर विकास खण्ड- गैसड़ी

प्रस्तर संख्या-114

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त में से धनराशि रू0 4326794.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-115 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 806388.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक

270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती पूनम देवी** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री** साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

74- ग्राम पंचायत- बिलोहा बनकसिया **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-116 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 3045809.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण

कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गंगोत्री जायसवाल व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-117 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1029972.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती गंगोत्री जायसवाल** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

75- ग्राम पंचायत- सूरत सिंह डीह **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-118 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1609392.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-119 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 992256.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का

आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती सरिता** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

76- ग्राम पंचायत- चमर बोझिया **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-120 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1068109.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री इमरान अहमद व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-121 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1153823-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री इमरान अहमद** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

77- ग्राम पंचायत- लक्ष्मी नगर नि० **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-122 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 2838060.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली

और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री आदित्य प्रसाद व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-123 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 1410983-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस

अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री आदित्य प्रसाद** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

78- ग्राम पंचायत- तुरकौलिया **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-124 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1421349.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला व सचिव ग्राम पंचायत श्री साहेब राम से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-125 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 2026427-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है।

जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती शीला** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री साहेब राम** से की जानी अपेक्षित है |

79- ग्राम पंचायत- नगई **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-126 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 520000.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ़ पुष्प लता व सचिव ग्राम पंचायत श्री संदीप शिल्पकार एवं मो. असफाक अंसारी से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-127 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 882963-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती पुष्पा देवी उर्फ़ पुष्पलता** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री संदीप शिल्पकार एवं मो. असफाक अंसारी** से की जानी अपेक्षित है |

80- ग्राम पंचायत- लैबुड़वा भोजपुर **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-128 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 1189000.00 का व्यय किया गया है

जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी| उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है| व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुक्मणी व सचिव ग्राम पंचायत श्री संदीप शिल्पकार एवं मो असफाक अंसारी से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-129 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 428779.00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यों की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यों के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती रुक्मणी** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री संदीप शिल्पकार एवं मो असफाक अंसारी** से की जानी अपेक्षित है |

81- ग्राम पंचायत- लठावर **विकास खण्ड- गैसड़ी**

प्रस्तर संख्या-130

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय विवरण के अनुसार राज्य वित्त /पन्द्रहवां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि रू0 583000.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष कैशबुक,व्यय प्रमाणक ,निर्माण कार्य पत्रावली, स्टाक रजिस्टर, एम0बी0, तथा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में मांगोपरांत प्रस्तुत नहीं किया गया है । जिससे कार्य पर हुए व्यय पुष्टि प्रमाणकों एवं पत्रावलियों के आधार पर नहीं की जा सकी | उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा 31.01.2023 को को सहायक विकास अधिकारी के स्तर पर व दिनांक 06.02.2023 एवं 28.02.2023 को सचिव ग्राम पंचायत स्तर से पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा जो की लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है | व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये'' यह भी है कि खंड 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुचायी गयी है |

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(2) के प्राविधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम 256(1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख न उपलब्ध कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान श्री इंद्रा कुमार व सचिव ग्राम पंचायत श्री संदीप शिल्पकार एवं श्री अश्वनी प्रताप वर्मा से की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर संख्या-131 निदेशक महोदय पंचायती राज उ0प्र0 के पत्र संख्या 8/3739/2018-8/90 /2020-21 दिनांक 30 जुलाई के क्रम में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं वित आयोग व मनरेगा कन्वरजेन्स की धनराशि से पंचायत भवन निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में आलोच्य वर्ष में मनरेगा योजना की पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । **मनरेगा वेबसाइट** पर मनरेगा से मजदूरी मद में रू0 756394-00 का भुगतान किया जाना आनलाइन अभिलेख के अनुसार दर्शित है। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय परिपत्रांक 270/ले0प0दो0/आडिट आनलाइन /पी0-43-एक्स दिनांक 19.10.2022 द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृत कार्यो की भी लेखा परीक्षा करने एवं आनलाइन आब्जरवेशन रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में पत्राचार/व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी मनरेगा योजना से अन्य कराये गये कार्यो के अभिलेख मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उक्त के क्रम में दिनांक 17.11.2022 तथा दिनांक 31.01.2023 को सहायक विकास अधिकार (पंचायत) के स्तर पर पत्राचार तथा दिनांक 06-06-2023 एवं दिनांक 28-02-2023 को सचिव ग्राम पंचायत के स्तर पर पत्राचार के बाद भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा। जो लेखा परीक्षा के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। व्यय प्रमाणक /उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएँ " के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार " यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी " के अंतर्गत अधिभार योग्य है | इसप्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है | जो उ० प्र० पंचायती राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (1) दस अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर मात्रा में वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार हैं | अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ग्राम प्रधान **श्री इंद्र कुमार** व सचिव ग्राम पंचायत **श्री संदीप शिल्पकार एवं अश्वनी प्रताप वर्मा** से की जानी अपेक्षित है |

जनपद-गोण्डा

प्रारूप 04

ग्राम पंचायत महुवा पाकर **विकास खंड बभनजोत**

प्रस्तर संख्या- 01

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर जल निकासी हेतु दिनांक 04/02/2022 को ह्यूम पाइप क्रय पर क्रमशः रू० 63542.00, रू० 96093.00 एवं रू० 49608.00, कुल रू० 209243.00 का शिवशक्ति कन्स्ट्रक्शन एंड जनरल ऑर्डर फर्म को भुगतान किया गया है | प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार (हस्तलिखित केशबूक) उक्त स्टॉक का वर्ष में उपभोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसके सापेकछ कोई मजदरी भुगतान नहीं हुआ है और न ही उक्त स्टॉक का स्टॉक बुक में अकंन ही देखने को मिला| ह्यूम पाइप किन किन स्थानों पर लगवाना है इसका विवरण /दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासिनक स्वीकीर्ति, मापन प्रमाण पत्र, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नहीं रहा, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा|

पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की व्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दाइत्तों का निर्वहन नहीं किया गया। जबिक पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखंड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्था अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू० 209243.00 अपहरित रहा जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सतीराम एवं सचिव श्री श्याम सुंदर से की जानी अपेक्षित है|

ग्राम पंचायत मरगूबपूर **विकास खंड बेलसर**

प्रस्तर संख्या- 02

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **1954021-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ

ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **1954021-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार हैः-

आईडी सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
51051501	हैण्ड पम्प रीबोर	23500
52485661	पीडब्लूडी रोड से जगन्नाथ के धर तक इण्टरलाकिंग कार्य	220311
52533348	प्रधान मानदेय	34500
52534667	ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य	84456
52485996	विभिन्न मजरों में हैण्ड पम्प रीबोर	23487
52486111	विभिन्न मजरों में हैण्ड पम्प रीबोर	22900
52486070	विभिन्न मजरों में हैण्ड पम्प रीबोर	23959
52486035	विभिन्न मजरों में हैण्ड पम्प रीबोर	23396
52532938	प्रा0 पाठशाला में दिव्यांग शौचालय निर्माण	130145
52534222	कोविड-19 अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय	41719
52486238	प्रा0 पाठशाला मरगूबपुर का कायाकल्प	190513
52486171	विभिन्न मजरों में हैण्डप म्पम रम्मत	63805
53730020	विभिन्न मजरों में हैण्ड पम्प रीबोर	23500
53718828	पंचायत भवन मरगूबपुर में इण्टरलाकिंग	226245
53718215	प्रा0 विध्यालय मरगूबपुर में टाइल्स कार्य	90160
53718588	प्रशासनिक मद	164571
53718485	प्रा0 विध्यालय मरगूबपुर रंगाई पुताई व मरम्मत कार्य	146409
55197152	सुनीलपथरकट के धर से समयदीन के धर तक इण्टरलाकिंग	420045
	योग	**1954021**

उपर्युक्त कार्यों की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती रेखा ग्राम प्रधान तथा श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और

सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है। और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

प्रस्तर संख्या- 03

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 **1833522-00** की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमती रेखा ग्राम प्रधान एवं श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारीगण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत नियाँवा **विकास खंड बेलसर**

प्रस्तर संख्या- 04

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर स्वीकार करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **1171943-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी हैः-

आईडीसं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
50629835	प्रा0 वि0 कायाकल्प	177795
55105654	प्रा0 वि0 नियावां में दिव्यांग शौचालय निर्माण	131554
55196148	शीतला माता मन्दिर का वाउन्ड्री वाल व टाइल्स कार्य	89932
55196010	तुलसीरामपुरवा सम्पर्क मार्ग पर ईंट रोडा कार्य	134125
55196273	कोविड-19 अन्तर्गत व्यय	60132
56466655	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण	156850
66481135	कम्युनिटी सेनेटरी काम्प्लेक्स निर्माण	142500
66481080	सामुदायिक शौचालय निर्माण	279055
	योग	**1171943**

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **1171943-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री माता प्रसाद ग्राम प्रधान तथा श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

प्रस्तर संख्या- 05

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 **1132428-00** की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री माता प्रसाद ग्राम प्रधान एवं श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत पकड़ी **विकास खंड बेलसर**

प्रस्तर संख्या- 06

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस-फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **2883125-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस-फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **2883125-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

आई0 डी0 सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
48052885	दिव्यांग शौचालय निर्माण	129000
48053053	हैण्ड पम्प मरम्मत	31070
48001169	हैण्ड पम्प रिबोर	23110
48001291	हैण्ड पम्प रीबोर	22908
48000977	प्रशासनिक व्यय	312156
52480154	प्रा0 वि0 पकडीडीहा में बाउन्ड्री वाल निर्माण	244653
52480244	प्रा0 वि0 पकडीडीहा में शौचालय निर्माण	127500

52963921	कोविड-19 के अन्तर्गत व्यय	179900
54996382	पंचायत भवन मरम्मत एवं रंगाई पुताई	140300
66358999	सामुदायिक शौचालय निर्माण	249574
66358964	सामुदायिक शौचालय निर्माण	362212
54996175	पंचायत भवन में वाटर सप्लाई, विघुत व टाइल्स कार्य	129348
54996083	पी0एच0सी0 परिसर में इण्टर लाकिंग	238684
54996406	पक्की सडक से प्रा0 वि0 पकडी तक इण्टर लाकिंग	129360
-	विवरणविहीन व्यय	545532
	योग	**2883125.00**

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **2883125-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री विवेक कुमार ग्राम प्रधान तथा श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

प्रस्तर संख्या- 07

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 **715632-00** की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री विवेक कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री शिशिर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत बहिराडीहा **विकास खंड छपिया**

प्रस्तर संख्या- 08

ग्राम पंचायत बहिराडीहा, विकास खण्ड छपिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है-

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	दिनांक	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	प्रा०वि० सोनहवा में चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय निर्माण	55984251	22.12.2021 ,,	ओम ट्रेडर्स ,,	85601.00 30149.00
योग					115750.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(द) टेण्डर नियमावली का पालन नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 115750.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भूपेश मिश्रा एवं सचिव श्री अरविन्द चौधरी से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 115750.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रानीजोत **विकास खंड छपिया**

प्रस्तर संख्या- 09

ग्राम पंचायत रानीजोत, विकास खण्ड छपिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	दिनांक	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	पंचायत भवन में कर्मचारी आवास मरम्मत कार्य	45472410	14.04.2021	माँ लक्ष्मी कम्प० एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	73315.00
2	ऐश मो के घर से राम आधार के घर के पीछे तक खड़ंजा	20783422	,,	,,	53457.00

3	प्रा०वि० में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50832561	23.04.2021	वी के पाण्डेय कम्प० एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	109860.00
4	जू०हाई में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50832658	,,	,,	103750.00
5	करिया के घर से सलील के घर होते हुए तालाब तक खुली नाली	51450662	,,	माँ लक्ष्मी कम्प० एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	209750.00
योग					550132.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 550132.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री नन्द कुमार एवं सचिव श्री कुंवर विजय गौतम से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 550132.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 10

ग्राम पंचायत रानीजोत, विकास खण्ड छपिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	दिनांक	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	रानीजोत में सामुदायिक शौचालय पर खड़ंजा	44499123	31.07.2021	एस के कम्प० एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	120600.00
2	सामुदायिक शौचालय का अवशेष कार्य	53376906	,,	नारायण कम्प० एंड जनरल आर्डर सप्लायर्स	141700.00
योग					262300.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के

प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 262300.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्याम बाबू गुप्ता एवं सचिव श्री कुंवर विजय गौतम से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 262300.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिसई रानीपुर **विकास खंड छपिया**

प्रस्तर संख्या- 11

ग्राम पंचायत सिसई रानीपुर, विकास खण्ड छपिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	दिनांक	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	पंचायत कार्यालय स्थापना	56150584	26.12.2021 31.12.2021 25.12.2021	जायसवाल कांट्रैक्टर्स ,, सिद्धार्थ साइबर कैफे	63840.00 42560.00 89600.00
योग					196000.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(द) टेण्डर नियमावली का पालन नहीं किया गया।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 196000.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चंद्रमोहन एवं सचिव श्री अरविन्द चौधरी से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 196000.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तेंदुवा रानीपुर **विकास खंड छपिया**

प्रस्तर संख्या- 12

ग्राम पंचायत तेंदुआ रानीपुर, विकास खण्ड छपिया की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**दिनांक**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	प्रा०वि०रनियापुर में दिव्यांग शौचालय कार्य	50833775	23.04.2021	तिवारी टेडर्स	121632.00
2	प्रा०वि० नियाजी में दिव्यांग शौचालय कार्य	50833608	,,	,,	121632.00
3	गौ आश्रम तेंदुआ रानीपुर में लेबर रूम निर्माण	44674505	,,	,,	148765.00
योग					392029.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपतियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8 (क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 392029.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री नन्द कुमार राय एवं सचिव श्री कुंवर विजय गौतम से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 392029.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बसेहिया **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 13

ग्राम पंचायत बसेहिया, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**दिनांक**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	उच्च०प्रा०वि० में दिव्यांग शौचालय नि0	50780432	06.4.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	116000.00

2	जू० हाई स्कूल का टाइल्स कार्य	45181572	,,	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	38200.00
3	सोकपिट निर्माण	37007722	10.04.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	199959.00
4	मटेरियल परचेज	51419055	21.04.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	220000.00
5	मटेरियल परचेज	51419109	,,	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	135000.00
6	प्रा० वि० बसेहिया डीहा के प्रांगण	51419149	,,	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	220000.00
योग					929159.00

उक्त अंकित व्यय/भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 929159.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री दिनेश चंद्र पासवान से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 929159.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बुधवलिया **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 14

ग्राम पंचायत बुड़वलिया, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	टायलेट	14913015	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	72000.00
2	मार्ग मरम्मत	42672056	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	101083.00
3	सोकपिट निर्माण	42673206	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	90000.00 126000.00
4	ह्यूम पाइप	44043281	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	171600.00 145500.00
योग				706183.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 706183.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री आदित्य प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 706183.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत करनैलगंज रूलर **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 15

ग्राम पंचायत कर्नलगंज ग्रामीण, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	टाईल्स कार्य	18308619	अमन का० एंड सप्लायर्स ,,	200000.00 202935.00
2	शौचालय	5245134	अमन का० एंड सप्लायर्स	199600.00
3	कायाकल्प कार्य	48650351	अमन का० एंड सप्लायर्स ,, ,,	126400.00 199800.00 199800.00
4	इंटरलाकिंग कार्य	42611359	अमन का० एंड सप्लायर्स	32600.00
योग				1161135.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 1161135.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री आदित्य प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 1161135.00 की आधी आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दूदी **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 16

ग्राम पंचायत दूदी, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**फर्म का नाम**	**धनराशि**
1	नाली निर्माण	4510120	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	57651.00
2	खड़ंजा निर्माण	4510125	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	28604.00
3	ह्यूम पाइप नाली निर्माण	44044786	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	180500.00
योग				266755.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 266755.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री आदित्य प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 266755.00 की आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 17

ग्राम पंचायत दूदी, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 163700.00 का व्यय किया जाना कैशबुक के विवरणानुसार दर्शित है।

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	**फर्म का नाम**	**योग**
1	हैण्डपम्प रिबोर	48318475	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	163700.00
योग				163700.00

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(ख) सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ग) लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितन हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कराये गये।

(घ) ग्राम पंचायत /कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(ड.) लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरांत मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रही।

(च) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 163700.00 का अंकन कैशबुक में आधारहीन एवं फर्जी तरीके से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरण है। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री आदित्य प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 163700.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत फतेहपुर कोटहना **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 18

ग्राम पंचायत फतेहपुर कोटहना, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में तथा ह्यूम पाइप स्थापना पर कुल धनराशि रु० 300900 का व्यय किया जाना कैशबुक के विवरणानुसार दर्शित है।

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	हैण्डपम्प मरम्मत	52948215	15.07.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स	91200.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	52548220	,,	,,	111200.00
3	ह्यूम पाइप स्थापना	52948225	,,	,,	98500.00
योग					300900.00

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(ख)सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल / वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ग)लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितने हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कराये गये।

(घ) ग्राम पंचायत /कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(ड.) लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरांत मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रही।

(च) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 300900 का अंकन कैशबुक में आधारहीन एवं फर्जी तरीके से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रामनाथ से एवं सचिव श्री शिशिर सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 300900 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गुरवलिया **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 19

ग्राम पंचायत गुरवलिया, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है।

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	गौ आश्रम केंद्र में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कंडम पार्ट 2	51638986	13.05.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	275000.00
2	गौ आश्रम केंद्र में बाउण्ड्रीवाल निर्माण	51638975	13.05.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	212000.00
3	मटेरियल परचेज	42982036	13.05.2021	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	90000.00
योग					577000.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 577000.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्रीमती बीना सिंह से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 577000.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंजेमऊ **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 20

ग्राम पंचायत कंजेमऊ, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में कुल धनराशि रु० 164134.00 का व्यय किया जाना कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार दर्शित है-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनांक	फर्म का नाम	योग
1	हैण्डपम्प रिबोर	47784954	30.06.2021 ,,	पीयूष हाईटेक ट्रेडर्स ,,	78362.00 25360.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	52542870	30.06.2021 ,,	पीयूष हाईटेक ट्रेडर्स ,,	49412.00 11000.00
योग					164134.00

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(क) कार्य से सम्बंधित कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

(ख)सामग्री क्रय के सापेक्ष किये गए भुगतान का बिल /वाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी।

(ग)लेखा परीक्षा ग्राम पंचायत स्तर से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि कुल कितन हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर कराये गये।

(घ) ग्राम पंचायत /कार्यालय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से इस आशय की सूचना नहीं प्राप्त हो सकी कि कितने हैण्डपम्प स्थापित है और उसमें से कितने खराब हैं। इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र भी दौरान लेखा परीक्षा प्राप्त नहीं हुआ।

(ड.) लेखा परीक्षा हैण्डपम्प खराब होने के उपरांत मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने का प्रार्थना पत्र और मरम्मत एवं रिबोर कराये जाने के बाद ठीक होने का पुष्टि प्रमाण पत्र अप्राप्त रही।

(च) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) का कार्य प्रमाण/ स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रु० 164134 का अंकन कैशबुक में आधारहीन एवं फर्जी तरीके से किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) (से(ड.) तक के अंतर्गत अपहरण है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राहुल सिंह से एवं सचिव श्री योगेश द्विवेदी समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 164134 की आधी- आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत काशीपुर **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 21

ग्राम पंचायत काशीपुर, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	फर्म का नाम	धनराशि
1	दिव्यांग शौचालय निर्माण	50855422	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	116000.00
2	सोकपिट निर्माण	50855717	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	199959.00
3	मटेरियल परचेज	50855912	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	240000.00
योग				555959.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 555959.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री दिनेश चंद्र पासवान से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 555959.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रेक्साडिया **विकास खंड करनैलगंज**

प्रस्तर संख्या- 22

ग्राम पंचायत रेक्सड़िया, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	फर्म का नाम	धनराशि
1	प्रा०वि० रेक्सड़िया में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50855422	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	116000.00
2	प्रा०वि० रेक्सड़िया में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50855717	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	116000.00

3	उच्च० प्रा०वि० झौलहन पुरवा में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50855912	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	116000.00
4	सोकपिट निर्माण	37021934	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	178000.00
5	मटेरियल परचेज	51419624	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	240000.00
6	कम्पोजिट विद्यालय रेक्सड़िया के उत्तर में बाउंड्रीवाल का अवशेष कार्य	51419718	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	220000.00
7	ह्यूम पाइप स्थापना	37021984	सिंह ट्रेडर्स एंड आर्डर सप्लायर्स	210000.00
योग				1196000.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय / भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 1196000.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री दिनेश चंद्र पासवान से समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 1196000.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सकरौर रुरल विकास खंड करनैलगंज

प्रस्तर संख्या- 23

ग्राम पंचायत सकरौरा ग्रामीण, विकास खण्ड कर्नलगंज की वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार भुगतान दर्शित है-

क्र0	**कार्य का नाम**	**कार्य आई0डी0**	दिनांक	**फर्म का नाम**	**धनराशि**	**योग**
1	कायाकल्प कार्य	42629604	30.04.2021 ,, ,,	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	233600.00 213800.00 240800.00	688200.00
2	इंटरलाकिंग कार्य	42623841	30.04.2021 ,,	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	217500.00 217500.00	435000.00

			,,			
3	सीसी रोड निर्माण	42624687	30.04.2021 ,,	अमन का० एंड जनरल सप्लायर्स	67500.00 197500.00	265000.00
योग						1388200.00

उक्त अंकित व्यय / भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियां हैं -

(अ) कैशबुक में कृत कार्यों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया।

(ब) लेखा परीक्षा में निर्माण समिति की संस्तुति पत्र अप्राप्त रहा। सामग्री क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत /अप्राप्त रहा, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के प्रविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से बराबर बराबर हिस्सों में की जाएगी।

(स) उक्त व्यय/भुगतान से सम्बंधित कार्यादेश, वित्तीय स्वीकृत, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तीन स्टेप की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

इससे स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणक के धनराशि रु० 1388200.00 का व्यय / भुगतान उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड.) तक के अंतर्गत अपहरित रही। जिसके लिए प्रशासक श्री विजय मिश्रा एवं सचिव श्री आदित्य प्रताप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी से व्यय की धनराशि रु० 1388200.00 की आधी - आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अखडेरा **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 24

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अखडेरा के विभिन्न स्थानों पर मिट्टी/ राविस पटाई पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही की गई विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	विन्डर्स
1	मिट्टी /राबिस पटाई	53649361	23-10-2021	72434-00	राविस	राज ट्रेडर्स
			03-02-2022	6120-00	मजदूरी	--
		53649442	16-11-2021	57310-00	राविस	राज ट्रेडर्स
			03-02-2021	3672-00	मजदूरी	--
	योग = 139536-00					

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त व्यय धनराशि रू0- 139536-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया। इससे यह पुष्टि नही की जा सकी कि ग्राम पंचायत कितनी ट्राली राँविस क्रय किया गया तथा किन स्थानो पर पटाई कराई गई। लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर, इस्टीमेट, मस्टर रोल तथा विल /वाउचर आदि प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17 वाँ संशोधन- 2011 के

नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 139536-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नूरसबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 25

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत अखडेरा द्वारा प्रशासनिक मद पर व्यय धनराशि रू0- 35400-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्यआई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रशासनिक मद	53649821	27-12-2021	9800-00	तसला /फाँवडा	राज ट्रेडर्स
			27-12-2021	17000-00	कुर्सी/मेज	राज ट्रेडर्स
			27-12-2021	8600-00	आलमारी	राज ट्रेडर्स
योग = 35400-						

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 35400-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक ,विल/ वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 35400-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नूरसबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 26

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अखडेरा द्वारा रू0- 124558-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्यआई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रा0 वि0 मे दिव्यांग शौचालय निर्माण	53609972	28-11-2021	58878-00	सामाग्री	भारत कां0
			03-02-2022	56320-00	सामाग्री	भारत कां0
			03-02-2022	9360-00	मजदूरी	--
योग = 124558-00						

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 124558-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 124558-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नूरसबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 27

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत अखडेरा द्वारा रू0- 171875-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्यआई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
	ग्राम पंचायत सचिवालय इक्वीमेंट	53649821	14-02-2022	171875-00	--	राज ट्रेडर्स
				योग= 171875-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 171875-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक , विल/वाउचर्स लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 171875-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नूरसबा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत भरसड़ा **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 28

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत भरसड़ा द्वारा प्रशासनिक मद पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रशासनिक मद	52019787	27-12-2021	9800-00	साफ सफाई	राज ज0 आ0
			27-12-2021	17000-00	कुर्सी,मेज	राज ज0 आ0
			27-12-2021	8600-00	आलमारी	राज ज0 आ0
				योग =	35400-00	

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 35400-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक ,विल/ वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 35400-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार पाण्डे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश चन्द्र दिवेदी द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 29

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत भरसड़ा द्वारा निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	इ0 लाँ0 रोड निर्माण आर सी. सी. से खण्डजा तक	53710339	27-12-2021 08-01-2022	136331-00 11400-00	सामाग्री मजदूरी	राज ज0 आ0 --
2	इ0 लाँ0 रोड निर्माण गाँव के बीच से आनन्द के घर तक	53704382	18-01-2022 18-01-2022	38889-00 3324-00	सामाग्री मजदूरी	राज ज0 आ0 --
					योग =	189944-00

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 189944-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 189944-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार पाण्डे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश चन्द्र दिवेदी द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत चौरी **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 30

वित्तीय 2021-22 में लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत चौरी में रू0- 109509-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया ।विवरण निम्न प्रकार हैं-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रा0 वि0 में दिव्यांग शौचालय निर्माण	50955570	29-04-2021	20709-00	सामाग्री	गणेश ट्रेडर्स
2	पू0 मा0 वि0 में समरसेबुल स्थापना	50955719	29-04-2021	44400-00	सामाग्री	गणेश ट्रेडर्स
3	प्रा0 वि0 में समरसेबुल स्थापना	50955630	29-04-2021	44400-00	सामाग्री	गणेश ट्रेडर्स
			योग=	109509-00		

लेखा परीक्षा में उपर्युक्त व्यय धनराशि रू0- 109509-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण पत्रावली कार्यवाही रजि0 इस्टीमेट ,वित्तीय स्वीकृति,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, मस्टररोल आदि प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार

तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 109509-00 का अपहरण प्रशासक श्री राम प्रकाश मौर्य एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत देवी तिलमहा विकास खंड हलधरमऊ

प्रस्तर संख्या- 31

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत देवी तिलमहा द्वारा कोषबही के अनुसार खडण्जा मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	कटरा रोड से बैसनपुरवा सम्पर्क मार्ग तक	54674632	21-10-2021	74970-00	ईट	माँ बराही ट्रेडर्स
2	मेन कटरा रोड से लल्लन के खेत तक	54592571	21-10-2021 12-12-2021	124180-00 7203-00	ईट ईट	माँ बराही ट्रेडर्स माँ बराही ट्रेडर्स
3	राजेश के घर से रामसरन मास्टर के घर तक	54592586	01-11-2021	80281-00	ईट	माँ बराही ट्रेडर्स
4	भट्ठा से गनेसुई के घर तक	54592558	25-01-2022	100693-00	ईट	अनमोल ट्रेडर्स
				योग =		387372-00

उपर्युक्त धनराशि रू0- 387372-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन- 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 387372-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत देवी तिलमहा द्वारा इण्टर लाँकिंग रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	रामअवतार के घर से खडण्जा तक	54592643	01-11-2021	65495-00 83260-00 16934-00	सामाग्री	माँ बराही ट्रेडर्स

2	बुद्धू के घर से नानमून पण्डित के घर तक	54593222	01-11-2021 05-11-2021 05-11-2021	60681-00 93668-00 15241-00	सामाग्री	माँ बराही ट्रेडर्स
3	अहिरनपुरवा मे	54593235	01-11-2021 02-11-2021 05-11-2021	83260-00 57202-00 13548-00	सामाग्री	माँ बराही ट्रेडर्स
4	दूधे के घर से खडण्जा तक	54593255	01-11-2021 01-11-2021 05-11-2021	62446-00 44826-00 11854-00	सामाग्री	माँ बराही ट्रेडर्स
				योग = 608415-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 608415-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 608415-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत झौनहा **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 33

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत झौनहा द्वारा सोख्ता निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	मनोज के घर के पास	52992000	16-07-2021	14439-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
2	ओमप्रकाश के घर के पास	52991968	16-07-2021	14439-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
3	हीरालाल के घर के पास	52991909	23-07-2021	14439-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
4	उमेश के घर के पास	52991866	23-07-2021	14439-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
5	राजकुमार के घर के पास	52991950	23-07-2021	14439-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
				योग = 72195-00		

उपर्युक्त धनराशि रू0- 72195-00 -00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011

के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 72195-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू तिवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 34

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत झौहना द्वारा निर्माण / मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	अप्राप्त	54520925	29-01-2022	26100-00	सामाग्री	आयुष ट्रेडर्स
2	अप्राप्त	54520596	29-01-2022	76670-00	सामाग्री	आयुष ट्रेडर्स
3	अप्राप्त	54516144	29-01-2022	59291-00	सामाग्री	श्रीराम इ0प्रा0
4	अप्राप्त	45035440	23-03-2022	37100-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स
5	अप्राप्त	54519460	31-01-2022	245101-00	सामाग्री	श्रीराम इ0प्रा0
6	अप्राप्त	45516181	31-01-2022	153466-00	सामाग्री	श्रीराम इ0प्रा0
7	अप्राप्त	54519522	31-01-2022	122864-00	सामाग्री	आयुष ट्रेडर्स
8	अप्राप्त	54515587	31-01-2022	64687-00	सामाग्री	श्रीराम इ0प्रा0
			योग =	785279-00		

उपर्युक्त धनराशि रू0- 785279-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 785279-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू तिवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 35

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत झौहना द्वारा समरसेबुल स्थापना पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रा0 वि0 बरइनपुरवा में	52992113	23-07-2021 01-01-2022	30000-00 52820-00	सामाग्री	मैहर ट्रेडर्स आयुष ट्रेडर्स
2	पूर्व मा0 वि0 पाण्डेपुरवा मे	52992113	23-07-2021	30000-00	सामाग्री	मैहर ट्रेडर्स

			01-01-2022	52820-00		आयुष ट्रेडर्स
3	प्रा0 वि0 पाण्डेपुरवा मे	52992137	28-08-2021 01-01-2022	61000-00 21800-00	सामाग्री	अनमोल ट्रेडर्स आयुष ट्रेडर्स
योग = 248440-00						

उपर्युक्त धनराशि रू0- 248440-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है।

अतः रू0- 248440-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू तिवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कौड़हा जगदीशपुर **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 36

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कौरहा जगदीशपुर की कोषबही में दर्शित सामुदायिक शौचालय पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	42575351	10-05-2021 10-05-2021	316181-00 213792-00	सामाग्री सामाग्री	गौरी इ0 प्रा0 गौरी इ0 प्रा0
योग = 529973-00						

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 529973-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 529973-00 का अपहरण प्रशासक रामप्रकाश मौर्य एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 37

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कौरहा जगदीशपुर की कोषबही में दर्शित निर्माण / मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स

1	पंचायत भवन मरम्मत	53552449	07-08-2021 28-09-2021 14-12-2021	133163-00 37585-00 38856-00	सामाग्री सामाग्री मजदूरी	अस्फीक अहमद कां0 अस्फीक अहमद कां0 --
योग = 209604-00						

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 209604-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 209604-00-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 38

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कौरहा जगदीशपुर की कोषबही में दर्शित हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	ग्रा0 पं0 विभिन्न स्थान पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य	53552304 53552241	18-03-2022 18-03-2022	125180-00 125180-00	सामाग्री सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
योग = 250360-00						

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत सालपुर धौताल की कोषबही में ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य आई0 डी0 53552304 पर (05) रू0- 125180-00 एवं कार्य आई0 डी0 53552241 (05) रू0- 125180-00 अस्फीक अहमद ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है । समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर निदेसक पंचायती राज उ0 प्र0 के पत्रांक संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनाँक -02 मई 2019 का उलंघन किया गया है । जिसके अनुसार प्रत्येक रिबोर हेतु अलग- अलग कार्य आई0 डी0 बनाये जाने एवं अच्क्षांस / देसान्तर का उल्लेख किय जाना निर्देशित है लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय धनराशि रू0- 250360-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 250360-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 39

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कौरहा जगदीशपुर की कोषबही में दर्शित इ0 ला0 रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	सलीम के घर से मुनवर के घर तक	52174425	07-08-2021 03-09-2021	55532-00 23813-00	सामाग्री सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
2	फुरसीद के घर से मुनीर के घर तक	52174409	07-08-2021 03-09-2021	33014-00 15978-00	सामाग्री सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
3	इन्तयाज के घर से कटरा सम्पर्क मार्ग तक	53890040	29-09-2021	71652-00	सामाग्री	आदिव ट्रेडर्स
4	सहरआर के घर से हैदर के घर तक	53889792	29-09-2021	73000-00	सामाग्री	आदिव ट्रेडर्स
5	प्रा0 वि0 मोहम्मदपुर प्रागंण में	53548663	03-12-2021	98503-00	सामाग्री	आदिव ट्रेडर्स
योग = 371492-00						

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 371492-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (इ) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 371492-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पप्पू यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 40

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कौरहा जगदीशपुर की कोषबही में दर्शित आर सी0 सी0 रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्रस	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	पीयूष के घर से थान तक	52174237	03-01-2022	208299-00	सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
2	जुमई के घर से नावनपुरवा	52174313	03-01-2022	213483-00	सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
3	पुत्ते के घर से पुल तक	53549375	18-03-2022	78151-00	सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
4	पुत्ते के घर से पुल तक	52174535	18-03-2022 19-03-2022	56448-00 159865-00	सामाग्री सामाग्री	अस्फीक अहमद ट्रेडर्स अस्फीक अहमद ट्रेडर्स
		योग =	716246-00			

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 716246-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 716246-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत कोंचा कासिमपुर **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 41

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कोचा कासिमपुर द्वारा निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1	पू0 मा0 वि0 मे टाइल्स कार्य	53011300	23-07-2021	95500-00	सामाग्री
2	प्रा0 वि0 में दिग्यांग शौचालय निर्माण	53010619	19-07-2021	104000-00	सामाग्री
			योग= 199500-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 199500-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011

के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 199500-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश श्री एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेकानन्द द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 42

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कोचा कासिमपुर द्वारा आर सी0 सी0 रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	काली माता मन्दिर से आनन्द के घर तक	53011181	16-07-2021	80500-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
2	रामकुमार के घर से शिवकुमार के घर तक	53011251	23-07-2021	150500-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
3	नवरत्न के घर से सर्वेश के घर तक	53010658	23-07-2021	152000-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
				योग= 383000-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 383000-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 383000-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री श्री दुर्गेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेकानन्द द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 43

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कोचा कासिमपुर द्वारा इ0 ला0 रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	पाँचू के घर से ओमप्रकाश के खेत तक	56506713	19-01-2022	171484-00	सामाग्री	मौर्या ट्रेडर्स
2	क्रिपाल के घर से बबलू के घर तक	56506997	19-01-2022	172626-00	सामाग्री	मौर्या ट्रेडर्स
3	मस्जिद से विजय यादव के घर तक	56507444	19-01-2022 19-01-2022	170088-00 170088-00	सामाग्री सामाग्री	मौर्या ट्रेडर्स मौर्या ट्रेडर्स

4	जहूरअली के घर से मस्जिद तक	74507157	19-01-2022 19-01-2022	160567-00 160567-00	सामाग्री सामाग्री	मौर्या ट्रेडर्स मौर्या ट्रेडर्स
				योग=	1005420-00	

उपर्युक्तु धनराशि रू0-1005420-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन- 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 1005420-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदम्बिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राघवेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत कुँवरपुर अमरहा **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 44

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कुँवरपुर अमरहा द्वारा प्रशासनिक मद पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	ग्रा0 पं0 में साफ-सफाई	52874887	14-07-2021	42000-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
2	प्रशासनिक	52874815	15-07-2021 27-07-2021	52300-00 12800-00	सामाग्री सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स सम्राट ट्रेडर्स
			योग =	107100-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 107100-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन- 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 107100-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदम्बिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेकानन्द द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 45

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कुँवरपुर अमरहा द्वारा निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स

1	अप्राप्त	59965847	19-02-2022	44155-00	सामाग्री	हिन्द ज0 आ0
2	अप्राप्त	58904938	19-02-2022	9031-00	सामाग्री	हिन्द ज0 आ0
3	अप्राप्त	58903911	19-02-2022	38468-00	सामाग्री	हिन्द ज0 आ0
4	अप्राप्त	55946943	19-02-2022	41820-00	सामाग्री	हिन्द ज0 आ0
				योग = 133474-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 133474-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन- 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।
अतः रू0- 133474-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदम्बिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राघवेन्द्र मिश्रा द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-
बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 46

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत कुँवरपुर अमरहा द्वारा निर्माण / मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	नाली निर्माण राजकुमार के घर से रेलवे तालाब तक	52874652	31-12-2021	80015-00	सामाग्री	प्रतिभा इ0 प्रा0
2	नाली निर्माण द्वारिका बाबा के घर से तालाब तक	52874781	16-07-2021 31-12-2021	95500-00 23100-00	सामाग्री ह्यूम पाइप	सम्राट ट्रेडर्स
3	नाला मरम्मत लौटन के घर से तालाब तक	52874711	27-07-2021	162300-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
4	मिट्टी/ खडण्जा निर्माण सौकतअली के घर से नहर पुलिया तक	52874608	27-07-2021	143200-00	सामाग्री	सम्राट ट्रेडर्स
				योग = 504115-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 504115-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के

नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 504115-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जगदम्बिका प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेकानन्द द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत नगवा कलाँ **विकास खंड- हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 47

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत नगवा कला द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रा0 वि0 में शौचालय निर्माण	52633495	03-07-2021	185000-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
2	प्रा0 वि0 दिग्यांग शौचालय निर्माण	51228298	03-07-2021	85500-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
योग = 270500-00						

उपर्युक्त धनराशि रू0- 270500-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 270500-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 48

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत- नगवा कला द्वारा पुलिया निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	किशोर को घर के पास	52633558	12-07-2021	92000-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
2	टिकरी गाँव में	0052633700	12-07-2021	88500-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
योग = 180500-00						

उपर्युक्त धनराशि रू0- 180500-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 180500-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 49

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत नगवा कला द्वारा खडण्जा निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	छुट्टन के घर से टिकरीसम्पर्क मार्ग तक	52633464	12-07-2021	155500-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
2	यादव के घर से रोहित के घर तक	52633599	23-07-2021	144600-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
योग = 300100-00						

उपर्युक्त धनराशि रू0- 300100-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 300100-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 50

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत नगवा कला द्वारा मरम्मत कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स

1	प्रा0 स्वाथ्य केन्द्र मरम्मत कार्य	52633197	28-03-2022	196000-00	सामाग्री	गोस्वामी ट्रेडर्स
				योग = 196000-00		

उपर्युक्त धनराशि रू0- 196000-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 196000-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत पड़रिया **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 51

वित्तीय 2021-22 में लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत पडरिया की कोषबही में प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में 02 नग हैण्डपम्प रिबोर कार्य आई0- डी0 53577725 दिनाँक 11-12-2021 रू0- 48934-00 माँ सावित्री देवी ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है । एक ही कार्य आई0 डी0 पर 02 नग हैण्डपम्प रिबोर कराकर निदेशक पंचायती राज उ0 प्र0 के पत्रांक - आर जी एस ए/ 197 /2019-4/379 /2015 लखनऊ , दिनाँक - 02 मई 2019 का उल्लघन किया गया है । जिसके अनुसार हैण्डपम्प रिबोर हेतु प्रत्येक की अलग-अलग कार्य आई0 डी0 बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय धनराशि रू0- 48934-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय की गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 48934-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विवेक सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 52

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत पड़रिया द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये निर्माण कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	इ0 ला0 रोड निर्माण कोटेदार के घर से संस्कार के घर तक	53578491	17-03-2022 17-03-2022	89043-0 39740-00	सामाग्री सामाग्री	माँ सावित्री ट्रेडर्स
2	इ0 ला0 रोड निर्माण काली सड़क से मास्टर के घर तक	53576852	27-12-2021 12-01-2022 18-03-2022 18-03-2022 18-03-2022	101763-00 65917-00 11001-00 32726-00 1693-00	सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री	माँ सरस्वती ट्रेडर्स माँ सावित्री ट्रेडर्स
				योग =		341883-00

उपर्युक्त धनराशि रू0- 341883-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, बिल/वाउचर्स, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन-2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 341883-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विवेक सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 53

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत पड़रिया द्वारा कराये गये निर्माण कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	प्रा0 वि0 बाउड्रीवाल निर्माण (1)	53577311	20-08-2021 21-08-2021	42171-00 89000-00	सामाग्री सामाग्री	मां वारही कां0 मां वारही कां0
2	प्रा0 वि0 बाउड्रीवाल निर्माण (2)	53781746	15-10-2021 15-10-2021 15-10-2021 27-12-2021	112887-00 45324-00 29805-00 12373-00	सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री	मां वारही कां0 मां वारही कां0 मां वारही कां0 मां वारही कां0
				योग =		331560-00

उपर्युक्त धनराशि रू0- 331560-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका, मस्टर रोल, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति,बिल/ वाउचर्स , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8

के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 331560-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विवेक सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगजीत सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत रोवारी **विकास खंड हलधरमऊ**

प्रस्तर संख्या- 54

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत रोवारी द्वारा कूप मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्रसं	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	फारुख के घर के पास	52944608	15-07-2021	36286-00	सामाग्री	अमन कां0
2	महादेव ,तसब्बुर ,देबीशंकर के घर के पास	55630026	15-12-2021	114341-00	सामाग्री	अमन कां0
3	बबलू सिंह, त्रिवेनी ,प्रमोद के घर के पास	55620681	28-11-2021	114341-00	सामाग्री	अमन कां0
			योग =	264968-00		

उपर्युक्त धनराशि रू0- 264968-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट, माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 264968-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजपति एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 55

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत रोवारी द्वारा सोख्ता निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	वानरजी ,अटलकुमार ,जब्बीर ,घनश्याम के घर के पास	52944713	23-07-2021	109176-00	सामाग्री	अमन कां0
2	राजनसिंह के घर के पास	55630062	28-11-2021	21178-00	सामाग्री	अमन कां0

3	पुत्तीलाल, खन्नू, प्रमोद,नान्हू के घर के पास	55630052	28-11-2021	63272-00	सामाग्री	अमन कां0
				योग =	193626-00	

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 193626-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 193626-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजपति एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 56

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत रोवारी द्वारा खड़ण्जा निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	सबुर के घर से फारुख के घर तक	52944326	15-07-2021	47256-00	सामाग्री	अमन कां0
2	गुरूबक्स सिंह के घर से छिलाही के खेत तक	52944207	15-07-2021	196154-00	सामाग्री	अमन कां0
3	नव्वापुरवा से खडण्जा तक	52944450	30-08-2021	70124-00	सामाग्री	अमन कां0
4	घनश्याम के घर से श्यामलाल के घर तक	52944300	16-10-2021	49028-00	सामाग्री	अमन कां0
				योग =	362562-00	

उपर्युक्त धनराशि रू0- 362562-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0-362562-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजपति एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 57

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत रोवारी द्वारा इण्टर लाँकिंग रोड निर्माण पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	इण्टर लाँकिंग रोड निर्माण ओमप्रकाश के घर से हरहा के घर तक	52944274	16-10-2021	62445-00 53935-00 11854-00	सामाग्री	अमन कां0
					योग =	128234-00

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 128234-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 128234-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती राजपति एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत तेलियानी कानूनगो **विकास खंड इंटियथोक**

प्रस्तर संख्या- 58

वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे ग्राम पंचायत तेलियानी कानूनगो मे सफाई कर्मी किट का क्रय किया गया । जिसका भुगतान रु 36725.00 किया गया । तिथि- 20-12-2021 को भुगतनित।

सफाई कर्मी किट से संबंधित कार्य से संबंधित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / वाउचर, बिल, मस्टर रोल0, एम0बी0, स्टीमेट, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि प्रस्तुत न करके धन का अपहरण किया गया है । कार्य id 47861599 है।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण व्यय की गई धनराशि रु0 36725.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 36725 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव-श्री पंकज मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल यादव से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खिराभा **विकास खंड झंझरी**

प्रस्तर संख्या- 59

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायत खिराभा में रामू के खेत से मसूद के घर तक खरंजा मरम्मत कार्य में हुए व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /वाउचर, बिल, स्टीमेट, कार्य योजना, पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

कार्य की आई डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतनित राशि	कुल व्यय
52631169	रामू के खेत से मसूद के घर तक खरंजा मरम्मत कार्य	पंचम राज्य वित्त आयोग	01-10-2021	#0 57990	रू० 57990
				योग	रू० 57990

रामू के खेत से मसूद के घर तक खरंजा मरम्मत कार्य पर कुल धनराशि रू० 57990.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे किया गया है । इस प्रकार प्रमाणक के अभाव में उक्त दर्शित धनराशि रू० 57990.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 (क) व 8 (ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय मे दर्शित्त धनराशि रू० 57990.00 गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की धनराशि कुल रू० 57990.00 की वसूली अद्यतन व्याज सहित आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव- श्री प्रसून राज श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्री बड़कैया से किया जाना अपेक्षित है। (सा०आप०सं०-17)

ग्राम पंचायत बंजरिया **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 60

ग्राम पंचायत- बंजरिया, विकास खण्ड -मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 10.11.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 की कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित है,तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02.11.2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय - ब्यय से सम्बंधित सूचना उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जाँच आफ लाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 1316260.00 ब्यय दर्शित है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 1316260.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायक के अभिलेख यथा - ब्यय प्रमाणक, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/

दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप- पुस्तिका, चरण बद्ध फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) की व्यवस्थानुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।

उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 य़था संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8(ख) के अनुसार रू0 1316260.00 अपहरित रही।

उक्त अपहरित धनराशि रू0 1316260.00 में से रू0 647769.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सुशीला मिश्रा व प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से एवं रू0 668491.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सुशीला मिश्रा व ग्राम प्रधान श्री केदार नाथ से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दलपतपुर **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 61

ग्राम पंचायत दलपतपुर ,विकास -खण्ड मनकापुर, जनपद -गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आन लाइन लेखा परीक्षा दिनांक 09.03.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022के कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है। परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02.11.2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0 प0 दो0/ पं0/ आडिट आनलाइन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20.11.2020 के बिन्दु-1 अनुसार बेबसाइट पर जो आय-ब्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जांच आफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के आनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभिन्न कार् पंचम वित्त एवं पंद्रहवें वित्त पर रू0 434914.00 ब्यय किया गया है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 434914.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/ दिनांक,माप पुस्तिका,चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की ब्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखंड 8(क) एवं 8 (ख) में दी गयी ब्यवस्थानुसार एवं उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई

ब्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः अपहरित धनराशि रू0 434914.00.00 की वसूली ग्रीम प्रधान श्रीमती कैलासा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय से बराबर -बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षीत है।

ग्राम पंचायत ज्ञानीपुर रामप्रसाद विकास खंड मनकापुर

प्रस्तर संख्या- 62

ग्राम पंचायत- ज्ञानीपुर रामप्रसाद विकास खण्ड -मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 16.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 की कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित है,परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी- 223 दिनांक 02.11.2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय- ब्यय से सम्बंधित सूचना उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जाँच आफ लाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 738438.00 ब्यय दर्शित है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 738438..00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायक के अभिलेख यथा -कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/ दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप- पुस्तिका,चरण बद्ध फोटो,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) की व्यवस्थानुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।

उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण8(क) एवं 8 (ख) के अनुसार रू0 738438.00 अपहरित रहा ।

उक्त अपहरित धनराशि में से रू0 320400.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम व प्रसासक श्री घनश्याम पाण्डेय से तथा रू0 418038.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री विजयधर व ग्रम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार गौतम से बराबर-बराबर अंशों में की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत हरना टायर विकास खंड मनकापुर

प्रस्तर संख्या- 63

ग्राम पंचायत- हरनाटायर , विकास खण्ड -मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022

की कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित है,तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमैंट भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02.11.2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय - ब्यय से सम्बंधित सूचना उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जाँच आफ लाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 1218170.00 ब्यय दर्शित है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 1218170.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायक के अभिलेख यथा - ब्यय प्रमाणक, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/ दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप- पुस्तिका,चरण बद्ध फोटो,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8(ख) की व्यवस्थानुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।

उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) के अनुसार रू0 1218170.00 अपहरित रही।

उक्त अपहरित धनराशि रू0 1218170.00 में से रू0 583272.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सुशीला मिश्रा व प्रशासक श्री घनश्याम पाण्डेय से एवं रू0 634898.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सुशीला मिश्रा व ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कलेनिया **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 64

ग्राम पंचायत कलेनिया ,विकास -खण्ड मनकापुर, जनपद -गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आन लाइन लेखा परीक्षा दिनांक 28.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022के कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है। परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02.11.2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0 प0 दो0/ पं0/ आडिट आनलाइन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20.11.2020 के बिन्दु-1 अनुसार बेबसाइट पर जो आय-ब्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जांच आफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के आनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश

बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभिन्न कार् पंचम वित्त एवं पंद्रहवें वित्त पर रू0 2257095.00 ब्यय किया गया है। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	कार्य का नाम	दिनांक	वर्क आई.डी.	फर्म का नाम	धनराशि		
					सामग्री	श्रम	योग
1	हैंड पम्प रिबोर	06.05..21	50408000	रजत कंस्ट्रक्शन एन्ड जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	130000.00	0.00	130000.00
		14.04.21	50408000	ए0क0 कंस्ट्रक्शन एन्ड जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	52000.00	0.00	52000.00
		01.01.22	50408000	दिवेदी जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	156000.00	0.00	156000.00
2	पंचायत भवन निर्माण	13.05.21	45315804	ए0क0 कंस्ट्रक्शन एन्ड जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	60000.00	0.00	60000.00
		16.11.21		दिवेदी जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	100000.00	0.00	100000.00
3	दिव्यांग शौचालय कलेनिया	19.07.21	51018389	मेसर्स नारायण कंट्रैक्टर जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	100000.00	0.00	100000.00
4	दिव्यांग शौचालय गोठिया	19.07.21	50407607	मेसर्स नारायण कंट्रैक्टर जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	100000.00	0.00	100000.00
5	प्रशासनिक ब्यय	14.04.21	39018269	मेसर्स नारायण कंट्रैक्टर जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	38000.00	0.00	38000.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	05.02.22		दिवेदी जनरल आर्डर एन्ड सप्लायर	56000.00	0.00	56000.00
				योग	792000.00	0.00	792000.00

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 792000.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/ दिनांक, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की ब्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखंड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी ब्यवस्थानुसार एवं उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई ब्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः अपहरित धनराशि रू0 792000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष तिवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय से बराबर -बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षीत है।

ग्राम पंचायत मछलीगाँव नानकार **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 65

दिनांक 24.11.2021 को बालाजी कंस्ट्रक्शन से रू0 120600.00 की हयूम पाइप क्रय की गयी दर्शित है। 31.03.2022 तक हयूम पाइप स्थापना की मजदूरी का भुगतान नहीं है, न ही स्टाक में होने की पुष्टि में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। अतः उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 य़था संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) के अनुसार रू0 120600.00 अपहरित रहा । जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवकुमार पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री मती सुमन से बराबर-बराबर हिस्सों में की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत मधईपुर **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 66

ग्राम पंचायत मधईपुर ,विकास -खण्ड मनकापुर, जनपद -गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आन लाइन लेखा परीक्षा दिनांक 21.01.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022के कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है। परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02.11.2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0 प0 दो0/ पं0/ आडिट आनलाइन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20.11.2020 के बिन्दु-1 अनुसार बेबसाइट पर जो आय-ब्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जांच आफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के आनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभिन्न कार् पंचम वित्त एवं पंद्रहवें वित्त पर रू0 1178268.00 ब्यय किया गया है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 1178268.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/ दिनांक,माप पुस्तिका,चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की ब्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखंड 8(क) एवं 8 (ख) में दी गयी ब्यवस्थानुसार एवं उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई ब्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः अपहरित धनराशि रू0 1178268.00 की वसूली ग्रीम प्रधान श्री शम्भूनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय से बराबर -बराबर हिस्सों में की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मरौचा **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 67

ग्राम पंचायत- मरौचा, विकास खण्ड -मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 20.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 की कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित है,तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02.11.2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय - ब्यय से सम्बंधित सूचना उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित महत्तवपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जाँच आफ लाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक तथा आफलाइन कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 340283.00 ब्यय दर्शित है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 340283.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायक के अभिलेख यथा - ब्यय प्रमाणक, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/ दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप- पुस्तिका,चरण बद्ध फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) की व्यवस्थानुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी। उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 य़था संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8 (ख) के अनुसार रू0 340283.00 अपहरित रही ।

उक्त अपहरित धनराशि रू0 340283.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव कुमार पटेल व ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत राजापुर **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 68

ग्राम पंचायत-राजापुर, विकास खण्ड -मनकापुर, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांक 14.02.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022 की कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित है,परन्तु आडिट आनलाईन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी- 223 दिनांक 02.11.2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय - ब्यय से सम्बंधित सूचना उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जाँच आफ लाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 602216.00 ब्यय दर्शित है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 602216.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायक के अभिलेख यथा-कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप- पुस्तिका, चरण बद्ध फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) की व्यवस्थानुसार यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।

उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) एवं पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) के अनुसार रू0 602216.00 अपहरित रहा ।

उक्त अपहरित धनराशि में से रू0 33680.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश कुमार व प्रसासक श्री घनश्याम पाण्डेय से तथा रू0 568536.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आलिदा बेगम व ग्रम पंचायत सचिव श्री शिव कुमार पटेल से बराबर-बराबर अंशों में की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत वीरपुर **विकास खंड मनकापुर**

प्रस्तर संख्या- 69

ग्राम पंचायत वीरपुर ,विकास-खण्ड मनकापुर, जनपद -गोंडा की वर्ष 2021-2022 की आन लाइन लेखा परीक्षा दिनांक 03.03.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-2022के कैश बुक एवं ब्यय प्रमाणकों का विवरण ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है। परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02.11.2020 एवं पत्रांक 3815/ ले0 प0 दो0/ पं0/ आडिट आनलाइन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20.11.2020 के बिन्दु-1 अनुसार बेबसाइट पर जो आय-ब्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित महत्तवपूर्ण सूचना / अभिलेखों की जांच आफलाईन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए के अनुपालन के क्रम में पंचायत के आनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में विभिन्न कार् पंचम वित्त एवं पंद्रहवें वित्त पर रू0 839744.00 ब्यय किया गया है।

वर्ष में दर्शित कुल ब्यय रू0 839744.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कैश बुक, ब्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टररोल, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/ दिनांक,माप पुस्तिका,चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 की ब्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखंड 8(क) एवं 8 (ख) में दी गयी ब्यवस्थानुसार एवं उ0 प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 यथा संशोधित 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए ब्यय के सापेक्ष कोई ब्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुए रू0 839744.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राहुल कुमार सिंह एवं ग्राम सचिव श्री अवधेश कुमार पाण्डेय से बराबर- बराबर हिस्सों में की जानी चाहिए।

ग्राम पंचायत बेलहरी **विकास खंड मुजेहना**

प्रस्तर संख्या- 70

ग्राम पंचायत- बेलहरी विकास खंड- मुजेहना जनपद गोंडा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन/ ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया । हस्तलिखित कैशबुक में विवरण विहीन सामग्री क्रय का भुगतान किया जाना दर्शित है पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । जिनका विवरण निम्नलिखित है-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	व्यय धनराशि		कुल योग
			सामग्री	मजदूरी	
1-	सामग्री क्रय (विवरण विहीन कार्य)	36969581	96000-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	96000-00
2-	सामग्री क्रय (विवरण विहीन कार्य)	47479413	40000-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	40000-00
3-	सामग्री क्रय (विवरण विहीन कार्य)	45217875	40000-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	40000-00
4-	सामग्री क्रय (विवरण विहीन कार्य)	59915236	30000-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	30000-00
5-	सामग्री क्रय (विवरण विहीन कार्य)	53729120	159443-00	कोई व्यय दर्शित नहीं	159443-00
	कुल योग		365443-00		365443-00

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 365443-00 अपहरित रहा। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रान प्यारी से रू0 182721-00 ग्राम पंचायत सचिव श्री सुधांशु वर्मा से रू0 182722-00 की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दुर्जनपुर **विकास खंड मुजेहना**

प्रस्तर संख्या- 71

ग्राम पंचायत- दुर्जनपुर विकास खंड- मुजेहना जनपद- गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः14.01.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । बार-बार पत्राचार एवं मौखिक अनुरोध के पश्चात भी ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, हस्तलिखित मूल कैश बुक ,राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के संचालन हेतु बैंक के खातों के स्टेटमेंट ,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका , त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नलिखित हैः-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि
1-	प्रशासनिक व्यय	42726836	39200-00
2-	प्रशासनिक व्यय	53573695	1000-00
3-	प्रशासनिक व्यय	53573695	10000-00
4-	दुर्जनपुर विद्यालय में समरसेबल व अन्य कार्य	53573647	83000-00
5-	छेदा जोत विद्यालय में समरसेबल व अन्य कार्य	53573995	45000-00
6-	विवरण विहीन	53710179	80000-00
7-	विवरण विहीन	5400874	35000-00
8-	आंगनवाड़ी केंद्र का मरम्मत कार्य	54200961	160203-00
9-	प्राथमिक विद्यालय छेदा जोत में दिव्यांग शौचालय निर्माण	54207210	88586-00
10-	प्राथमिक विद्यालय छेदा जोत में हैंड वॉश स्थापना कार्य	54208214	30707-00
11-	विवरण विहीन इंटरलॉकिंग कार्य	54203771	209040-00
12-	राम कुमार के घर से पारसनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य	54203227	96240-00
13-	रामबरन के घर से सुख गई कुम्हार के घर तक इंटरलॉकिंग	54203771	95480-00

14-	अमरनाथ के घर से व रामकुमार के घर से तालाब तक भूमिगत नाली निर्माण	42729924	78763-00
15-	पंचायत भवन में उपकरण सामग्री खरीद	35504817	48000-00
16-	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	42727008	105960-00
17-	प्रधान मानदेय	48700210	24500-00
18-	पंचायत सहायक मानदेय	54208235	18000-00
19-	निदेशक पंचायती राज को भुगतान	54208235	2631-00
	योग		1251310-00

उपरोक्त कार्य पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 389811-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती से रुपये 625655-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री सुधांशु वर्मा से रुपये 625655-00 किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मतवरिया विकास खंड मुजेहना

प्रस्तर संख्या- 72

ग्राम पंचायत- मतवरिया विकास खंड- मुजेहना जनपद- गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः28.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन / पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाईन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए, के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑफलाईन अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।ऑनलाईन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया गया । बार-बार पत्राचार एवं मौखिक अनुरोध के पश्चात भी ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों के अभिलेख यथा, हस्तलिखित मूल कैश बुक ,राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त योजना के संचालन हेतु बैंक के खातों के स्टेटमेंट ,स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, , मस्टर-रोल, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ,माप-पुस्तिका , त्रिस्तरीय चरणबद्ध फोटो ग्राफ ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नलिखित हैः-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि
1-	हैंडपंप मरम्मत	42564479	50190-00

2-	हैंडपंप मरम्मत	50969467	17000-00
3-	हैंडपंप रिबोर	55309790	25180-00
4-	हैंडपंप रिबोर	55309841	25180-00
5-	हैंडपंप रिबोर	53309829	25180-00
6-	हैंडपंप रिबोर	55065366	25483-00
7-	हैंडपंप रिबोर	55065387	25483-00
8-	फंड रिसीव इन बैंक	53083941	69551-00
9-	विवरण विहीन	53310552	47200-00
10-	स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में अवशेष कार्य	52469326	88752-00
11-	प्रशासनिक व्यय	48266068	39500-00
12-	प्रशासनिक व्यय	4604851	5345-00
13-	स्वास्थ्य केंद्र मतवरिया में बाउंड्री वाल का कार्य	29958907	223270-00
14-	स्वास्थ्य केंद्र मतवरिया में इंटरलॉकिंग कार्य	39959217	173484-00
15-	ह्यूम पाइप क्रय	55065337	75018-00
16-	सोख्ता निर्माण कार्य	55064434	16558-00
17-	अद्धा रॉबिश कार्य	53310552	5304-00
18-	सामुदायिक शौचालय निर्माण का अवशेष कार्य	53083941	12180-00
19-	प्रधान मानदेय	48266068	17500-00
20-	पंचायत भवन में सामग्री स्थापना	55065959	87384-00
21-	पंचायत सहायक मानदेय	48266068	6000-00
22-	राम लोटन के घर से तालाब तक नाली मरम्मत व आर० सी० सी० ढक्कन कार्य	57714083	59321-00
23-	राधिका के घर से तालाब तक नाली मरम्मत व आर० सी० सी० ढक्कन कार्य	57713076	48220-00
	योग		1168283-00

उपरोक्त कार्य पर बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 1168283-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान

श्री अरविंद कुमार से रुपये 584141-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री हरीश चंद्र शुक्ला से रुपये 584142-00 किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत परसिया पंडित **विकास खंड मुजेहना**

प्रस्तर संख्या- 73

आलोच्य वर्ष में हस्तलिखित कैश बुक एवं ई -ग्रामस्वराज पर विवरण विहीन व्यय अंकित पाया गया। जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण दर्शित व्यय अपुष्ट रहा । विवरण निम्नलिखित है

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आईडी नंबर	कुल व्यय धनराशि
1-	विवरण विहीन सामग्री पर व्यय (कार्य का उल्लेख नहीं)	53733880	41200-00
2-	विवरण विहीन सामग्री पर व्यय (कार्य का उल्लेख नहीं)	53733901	49800-00
	कुल योग		91000-00

उपरोक्त पर विवरण विहीन/ बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 91000-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री इंदर सेन से रुपये 45500-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार भारती से रुपये 45500-00 किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 74

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित कैश बुक में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ,जैसे कि इनके टेंडर /कोटेशन का विवरण, उपयोग स्थल की सूची, एस्टीमेट ,एम. बी., खरीद वाउचर इत्यादि जिसके कारण दर्शित व्यय की पुष्टि न की जा सकी। विवरण निम्नलिखित है

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	वर्क.आई.डी. नंबर	कुलव्यय धनराशि योग
1-	स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय (स्थल का उल्लेख नहीं)	53396946	80296-00

इसकी पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ,अन्यथा कि स्थिति में उपरोक्त दर्शित व्यय रुपये 80296-00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते

हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत समस्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में उक्त व्यय दर्शित धनराशि अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री इंदर सेन से रुपये 40148-00 एवं तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार भारती से रुपये 40148-00 किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत लोलपुर **विकास खंड नवाबगंज**

प्रस्तर संख्या- 75

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/उपभोग धनराशि कुल रू0 1225059-00 की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 1225059-00, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती उर्मिला सिंह ग्राम प्रधान तथा श्रीमती सुनीता मौर्या ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

आई0 डी0 सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
51257195	प्रधान मनदेय	38500
51257221	सामुदायिक शौचालय अवशेष निर्माण कार्य	70911
51257229	हैण्ड पम्प रिबोर	91004
52322133	कम्पोजिट विधालय लोलपुर में मार्ग निर्माण	240634
52325477	हयूम पाइप स्थापना कार्य	223295
52325783	सफाई कर्मी किट	24400
52315562	कम्पो0 विधालय लोलपुर में दिव्यांग शौचालय नि0	127495
52315399	कोविड-19 साफ सफाई व सेनेटाइजिंग कार्य	78625
54888451	इण्टरला0 अवशेष कार्य-जू0 हा0 स्कूल में	96445
58301493	काली माता स्थान सुन्दरीकरण	233750
	योग	1225059

प्रस्तर संख्या- 76

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 1269536-00 की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमति उर्मिला सिंह ग्राम प्रधान एवं श्रीमती सुनीता मौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत सेमरा शेखपुर **विकास खंड नवाबगंज**

प्रस्तर संख्या- 77

सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति

अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **2462407-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **2462407-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती मीना देवी ग्राम प्रधान तथा श्री पवन गुप्ता ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

आई0 डी0 सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
51033810	सामुदायिक शौचालय अवशेष कार्य	76680
51033533	प्रशासनिक व्यय	214000
51033828	हैण्ड पम्प रिबोर	205261
51033897	हैण्डपम्प मरम्मत	114513
53157180	मिटटी पटाई- कटरा पिचरोड से मेवालाल के धर तक	142020
53186014	खडंजा म0- संतोष चौहान के धर से सुशीला के खेत तक	203149
53185686	खडंजा म0- पेमनाथ के धर से पिचरोड तक	229157
53186717	सफाईकर्मी किट	24998
53185494	हयूमपाइप फिक्सिंग कार्य	199774
53184015	दिव्यांग शौचालय नि0- प्रा0 पाठशाला में	117272
55348942	आरसीसी0 बेंच स्थापना	166980
55348996	आरसीसी0 बेंच स्थापना	261228
55348852	मिटटी खडंजा- धीरेन्द्र के खेत से गुडडू के धर तक	188696
55348811	मिटटी खडंजा- बिरजू के धर से धीरेन्द्र के खेत तक	146866
53186556	कूप मरम्मत कार्य	138930

-	विवरण विहीन	32883
	योग	**2462407**

प्रस्तर संख्या- 78

शासनादेश स0 ऑडिट-201/दस-2008-101(43)/2009 टी० सी० दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 2308120.00 की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमती मीना देवी ग्राम प्रधान एवं श्री पवन गुप्ता ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत भदुवा सोमवंशी **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 79

ग्राम पंचायत- भदुआ सोमवंशी, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 21.10.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- भदुवा सोमवंशी				
क्र0	कार्य का नाम	आई0 डी0	सामग्री	श्रमांश
1-	हैंड पम्प मरम्मत।	54575231	44730.00	0.00
2-	प्रा0 वि0 प्रांगण में इण्टरलाकिंग।	54575164	239906.00	28716.00
3-	निविदा प्रकाशन	17419574	0.00	12043.00
4-	प्रधान मानदेय	48616791	0.00	39500.00
5-	प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्ष व किचेन में टाइल्स।	55238740	105620.00	42792.00

6-	पंचायत सहायक मानदेय।	48616791	0.00	18000.00
7-	स्वयं सहायता समूह को भुगतान।	48616827	0.00	15000.00
8-	प्रशा0 व्यय।	48616827	0.00	7625.00
9-	प्रा0 वि0 बाउण्ड्रीवाल नि0।	62246340	82478.00	0.00
10-	समर सेबुल स्थापना।	50231675	40980.00	0.00
11-	हैंड पम्प रिवोर।	54575201	103200.00	0.00
12-	प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्ष व किचेन में टाइल्स।	55238705	150345.00	13680.00
13-	प्रा0 वि0 प्रांगण में इण्टरलाकिंग।	54575164	33673.00	0.00
14-	दिव्यांग शौचालय निर्माण।	55464555	84280.00	0.00
15-	स्कूल में शौचालय मरम्मत।	55482338	45205.00	0.00
16-	हैंड पम्प रिवोर।	54575201	78204.00	0.00
17-	प्रा0 वि0 बाउण्ड्रीवाल नि0।	62246340	82478.00	0.00
	योग-		1091099.00	177356.00
	सकल योग-			1268455.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1268455.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप- विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण , मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1268455.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती चंदा देवी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मती सरिता शुक्ला उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती चंदा देवी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मती सरिता शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चोरसिहा **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 80

ग्राम पंचायत-चोरसिहा, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 03.02.2023 को निर्धारित थी।आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- चोरसिहा			
कार्य का नाम	आई0 डी0	सामग्री	श्रमांश
ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानो पर हैंडपम्प रिवोर	55499469	129,850.00	0.00
टैंडर हेतु व्यय	52037969	0.00	12043.00
माडल प्रा0वि0 चोरसिहा में बाउण्ड्रीवाल नि0	55499388	23,793.00	41,581.00
नाली मरम्मत कार्य	55500016	98,248.00	16,464.00
भूमिगत नाली निर्माण	55499757	28,910	2,712.00
सोकपिट निर्माण	55500099	111,318	15,036.00
पंचायत सहायक मानदेय	52037969	0.00	18,000
इण्टरलाकिंग मरम्मत कार्य	55499693	115,190	16,464.00
सी0सी0 रोड नि0	55499855	83,662	9,984.00
टैन रजि0 पर भुगतान	52037969	0.00	4,000
निदेशक पंचायतीराज को भुगतान	52037969	0.00	1,882.00
समरसेबल एवं रनिंगवाटर कार्य	52038036	48,216	6,456.00
प्रधान मानदेय	52037956	0.00	24,500
प्रशा0 व्यय	52037969	27,636	0.00
योग-		666,823.00	169122.00
सकल योग-			835945.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 835945.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप- विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण

कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका, फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 835945.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री नान्हू एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नान्हू एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत धनोहरी **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 81

ग्राम पंचायत- धनोहरी, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद- गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 04.02.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्रामं पंचायत धनोहरी			
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी0	सामग्री	श्रमांश
1-	प्रा0वि0 की मरम्मत रंगाई-पुताई	52905544	150,427.00	43,008.00
2-	प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण	52905367	215,730.00	27,216.00
3-	हैंड पम्प मरम्मत	52476223	15,798.00	5,640.00
4-	ग्राम पंचायत में हैंडपम्प रिवोर	52476327	38,910.00	12,996.00
5-	अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स कार्य	52905861	119,686.00	127,297.00
6-	प्रशा0 व्यय	52039974	26,018.00	2,500.00
7-	प्रशा0 व्यय	52039974	48,533.00	0.00
8-	टेंडर	52039974	8,998.00	0.00
9-	समर सेवल निर्माण	52039914	46,674.00	0.00
10-	प्रधान मानदेय	52040115	0.00	34,500.00

11-	पंचायत सहायक मानदेय	52039974	0.00	6,000.00
12-	टैक्स प्रो साल्यूशन को भुगतान वास्ते टैन रजिस्ट्रेशन	52039974	0.00	4,000.00
	योग-		670,774.00	263,157.00
	सकल योग-			933931.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 933931.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 933931.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती नूरी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती नूरी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खरहटिया **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 82

(क) ग्राम पंचायत-खरहटिया, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः23.11.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्राम पंचायत- खरहटिया			
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी0	सामग्री	श्रमांश

1-	दिव्यांग शौचा0 नि0	48813750	22,411.00	15,240.00
2-	समर सेबल स्थापना	48813884	47,860.00	0.00
3-	डोंगल हेतु भुगतान	36617315	0.00	2,000.00
4-	प्रा0 वि0 में दिव्यांग शौचालय	53304878	49,688.00	0.00
5-	प्राथमिक विद्यालय विश्वा गणेश के प्रांगण में इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य	52858762	119,196.00	10,752.00
6-	प्राथमिक विद्यालय विश्वा गणेश में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	53304803	114,895.00	33,240.00
7-	.....	52859449	47,668.00	3,792.00
8-	समर सेबल स्थापना	52859109	89,227.00	12,816.00
9-	सोकपिट निर्माण	52858843	30,187.00	9,984.00
10-	टेंडर	51438496	0.00	12,043.00
11-	.....	54728343	38,235.00	25,146.00
	.....	54728343	28,779.00	0.00
12-	.....	54728327	45,194.00	32,400.00
13-	प्रधान मानदेय	51438489	0.00	39,500.00
14-	प्रशा0 व्यय	51438496	51,100.00	0.00
15-	.....	55202214	43,702.00	5,220.00
16-	गौशाला में कक्ष निर्माण	55202099	43,702.00	5,220.00
17-	गौशाला में कक्ष निर्माण	55852384	118,473.00	0.00
	,,, ,,, ,,	55202099	15,275.00	0.00
,,	गौशाला में कक्ष निर्माण	55852384	37,456.00	21,912.00
18-	गौशाला में कक्ष निर्माण	55852337	113,676.00	0.00
,,	गौशाला में कक्ष निर्माण	55852337	40,174.00	0.00
19-	हैंड पम्प रिवोर	54728409	21,182.00	0.00
	,,, ,,, ,,	54728409	42,364.00	0.00
20-	पंचायत सहायक मानदेय	51438496	0.00	6,000.00
21-	डायरेक्टर पंचायत राज	51438496	0.00	3,000.00
22-	सामु0शौ0नि0 भाग-2	54728327	23,319.00	12,960.00
	,,, ,,, ,,	54728327	126,799.00	19,240.00
	योग-		1,310,562.00	270,465.00
	सकल योग-			1581027.00

(ख) आलोच्य वर्ष की आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि गौशाला में कक्ष निर्माण मद में लिए रू0 395888.00 का व्यय किया गया है। जबकि गौशाला के लिए पृथक खाता है, जिससे व्यय किया जाना अपेक्षित है। इस व्यय से सम्बंधित सक्षम अधिकारियों का कोई आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1581027.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा,माप- विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति / दिनांक , वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति,बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण , मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया।जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) में एवंउत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1581027.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनीष एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कुसुम वर्मा एवं श्रीमती शशिकला दूबे उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मनीष एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कुसुम वर्मा एवं श्रीमती शशिकला दूबे से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मलारी **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 83

(क)- ग्राम पंचायत-मलारी, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 29.11.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- मलारी			वर्ष-2021-22	
क्र0	कार्य का नाम	आई0 डी0	सामग्री	श्रमांश
1-	दिव्यांग शौचालय निर्माण।	50648679	30148.00	0.00
2-	पंचा0 भवन में कुर्सी-मेज क्रय।	56470012	171028.00	0.00
3-	सामुदायिक शौचालय निर्माण।	44033610	0.00	42840.00

4-	आंगनबाडी केन्द्र निर्माण।	44452717	0.00	56160.00
5-	सी0सी0 इण्टरलाकिंग।	56470104	211134.00	27816.00
6-	हैंडपम्प रिवोर कार्य।	54368374	128912.00	0.00
7-	हैंडपम्प रिवोर कार्य।	48047517	128252.00	0.00
8-	प्रा0 कन्या पाठशाला मरम्मत।	54026576	160739.00	39216.00
9-	प्रा0 कन्या पाठशाला में दि0 शौ0 नि0।	54026643	133832.00	19617.00
10-	प्रा0 कन्या पाठशाला में इण्टरलाकिंग।	54026691	222166.00	21168.00
11-	प्रा0 कन्या पाठशाला में कक्ष कार्य।	54026601	120191.00	27936.00
12-	समरसेवल स्थापना।	50648748	31518.00	0.00
13-	प्रशा0 व्यय	48047647	0.00	37851.00
14-	सी0सी0 नि0 कार्य।	56470138	986.00	0.00
15-	सी0सी0 नि0 कार्य।	56470261	986.00	0.00
16-	सी0सी0 नि0 कार्य।	56470174	986.00	0.00
17-	प्रधान मानदेय	48047791	0.00	24500.00
	योग		1340878.00	297104.00
	सकल योग-		1637982.00	

(ख) आलोच्य वर्ष में दिव्यांग शौचालय निर्माण, वर्क आई.डी.-50648679 की वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति दिनांकः04.01.2021 को प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में क्रमशः रू0 89500.00 तथा रू0 34148.00 आहरित किया गया है। इस कार्य में अभी तक कोई श्रमांश नहीं दिया गया है। स्टाक पंजिका अप्राप्त रही है। कार्य को आनगोइंग दर्शाया जा रहा है। जबकि उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।

(ग) आलोच्य वर्ष में हैंडपम्प रिवोर कार्य, आई.डी. 54368374 एवं 48047517 पर क्रमशः रू0 128912.00 एवं रू0 128252.00 आहरित किया गया है। इस कार्य के सापेक्ष कोई श्रमांश नहीं दिया गया है। निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के कार्यालय पत्रांकःआर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनांकः02 मई 2019 के शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक हैंड पम्प रिवोर का स्थान स्पष्टतः अंकित किया जाय। रूपया 20000.00 से अधिक की लागत के हैंडपम्प रिवोर की पृथक-पृथक आई.डी विकसित कर हैंडपम्प रिवोर करवाने का शासनादेश है। इससे स्पष्ट है कि सामूहिक आई.डी. बनाकर हैंडपम्प रिवोर करवाना तथा स्थानों उल्लेख न किया शासनादेश का उल्लंघन है।

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1637982.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक, धरोहर पंजिका, परसम्पति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका, फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256(2) में (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1637982.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती धूपा देवी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम सिंह उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती धूपा देवी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवम सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत परसा सोहंसा **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 84

ग्राम पंचायत- परसा सोहंसा, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 20.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेबसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्राम पंचायत- परसा सोहंसा			
क्र0	कार्य का नाम	आई0 डी0	सामग्री	श्रमांश
1-	नाली निर्माण कार्य।	45469436	54100.00	0.00
2-	,,, ,, ,, ,,	45469485	64500.00	0.00
3-	प्रा0 वि0 मरम्मत व रंगाई-पुताई।	54161336	191331.00	41524.00
4-	प्रा0 वि0 में टाइल्स कार्य।	54161202	206403.00	0.00
5-	रैन वाटर हार्वेस्टिंग व सोकपिट नि0।	54161092	21962.00	0.00
6-	हैंड पम्प रिवोर	54161467	130024.00	0.00
7-	हैंड पम्प मरम्मत।	54651789	25020.00	0.00
8-	प्रधान मानदेय	54651723	0.00	34500.00
9-	प्रशा0 व्यय	54651751	30000.00	16513.00
10-	सामु0 शौचा0 नि0।	44471561	57010.00	41700.00
11-	नाली निर्माण कार्य।	44468907	112560.00	0.00
12-	नाली निर्माण कार्य।	45468736	85200.00	0.00

13-	निविदा प्रकाशन।	546651751	0.00	5330.00
14-	प्रा0 वि0 में टाइल्स व खिडकी-दरवाजा कार्य	54161146	163781.00	63864.00
15-	पंचा0 सहा0 मानदेय	54651751	0.00	18000.00
	योग-		1141891.00	221431.00
	सकल योग-			1363322.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1363322.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1363322.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सूरज लाल एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मती सुनीता रानी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सूरज लाल एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मती सुनीता रानी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सालपुर सेमरा **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 85

ग्राम पंचायत-सालपुर सेमरा, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः03.01.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखापरीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्राम पंचायत सालपुर सेमरा			
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी	सामग्री	श्रमांश
1-	सी0सी0 रोड निर्माण	19684300	0.00	26,376.00
	,, ,,, ,, ,,	19684299	0.00	15,642.00
2-	प्रा0 वि0 चौबेपुरवा मरम्मत कार्य	15240337	0.00	52,752.00
3-	प्रा0 वि0 में सी0सी0 एवं सोख्ता	15240342	0.00	22,056.00
4-	सामु0 शौ0 के निर्माण कार्य पर मजदूरी	44764554	0.00	20,160.00
5-	नाली निर्माण	19684302	0.00	14,742.00
	,, ,,, ,, ,,	19684301	0.00	6,858.00
6-	इण्टरलाकिंग कार्य	51592405	115630.00	8,040.00
7-	सोख्ता निर्माण	36917391	42426.00	10,668.00
8-	हैंड पम्म मरम्मत	53761291	47080.00	0.00
9-	हैंड पम्म रिवोर	53761485	189000.00	0.00
10-	पंचायत भवन मरम्मत रंगाई-पुताई	53761572	173285.00	47,688.00
11-	टेंडर	49269432	0.00	5,330.00
	,, ,,, ,, ,,	49269432	0.00	3,668.00
	,, ,,, ,, ,,	49269432	0.00	3,045.00
12-	प्रधान मानदेय	36912933	0.00	34,500.00
13-	पंचायत भवन में शौचालय निर्माण	55671150	168316.00	0.00
14-	पंचायत भवन में कक्ष निर्माण	55671165	134184.00	0.00
	,, ,,, ,, ,,	55671165	40611.00	0.00
15-	पंचायत सहायक मानदेय	49269432	0.00	18,000.00
	योग-		910532.00	2,89,525.00
	सकल योग-			**12,00,057.00**

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1200057.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-

1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1200057.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अरूणिमा वर्मा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मुन्ना लाल एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अरूणिमा वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उकरा **विकास खंड पंडरी कृपाल**

प्रस्तर संख्या- 86

ग्राम पंचायत-उकरा, विकास खंड- पडरी कृपाल, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 15.02.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांक 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्राम पंचायत- उकरा			
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी	सामग्री	श्रमांश
1-	टैंडर हेतु व्यय	61440235	0.00	9,664.00
2	प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल नि0	66015261	83,919.00	0.00
3-	सामु0शौ0नि0	65271845	100380.00	0.00
4-	पंचायत सहायक मानदेय	61440270	0.00	96000.00
5-	पंचायत भवन निर्माण	65271860	691,938.00	0.00
6-	पंचायत भवन प्रांगण में मिट्टी पटायी एवं इण्टरलाकिंग	66015313	150,955.00	6288.00
7-	आई0पी0डी0 को भुगतान	61440235	0.00	1500.00
8	इण्टरलाकिंग कार्य	67249658	201,100.00	0.00
	पंचायत भवन इक्विपमेंट	65253905	59400.00	0.00
11-	प्रधान मानदेय	52041492	0.00	18500.00
	,, ,, ,,	61440212	0.00	30000.00
	,, ,, ,,	61440235	0.00	30,000.00
	योग-		1287692	191,952
	सकल योग-			1479644.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1479644.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 1479644.00 अपहरित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अरूणिमा वर्मा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं तत्कालीन प्रशासक श्री आनन्द श्रीवास्तव तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अरूणिमा वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बेलमतथर **विकास खंड परसपुर**

प्रस्तर संख्या- 87

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत बेलमत्थर की कोषबही में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थान पर हैण्डपम्प रिबोर	48663170	05-07-2021	104033-00	सामाग्री	दिनेश ट्रेडर्स
				योग =	104033-00	

वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत बेलमत्थर की कोषबही में ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य आई0 डी0 48663170 पर (05) रू0- 104033-00 दिनेश ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है। समस्त धनराशि एक ही कार्य आई0 डी0 पर करा कर निदेशक पंचायती राज उ0 प्र0 के पत्रांक संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ, दिनाँक -02 मई 2019 का उलंघन किया गया है । जिसके अनुसार प्रत्येक रिबोर हेतु अलग- अलग कार्य आई0 डी0 बनाये जाने एवं अच्क्षांस / देसान्तर का उल्लेख किय जाना निर्देशित है लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय धनराशि रू0-104033-00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक / निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज

नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 104033-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदुम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 88

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत बेलमत्थर की कोषबही में निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण (अवशेष)	54028330	02-09-2021	25000-00	सामाग्री	ए के कास्ट्रक्सन
			02-09-2021	26200-00	सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स
			28-11-2021	6144-00	मजदूरी	---
		41913405	21-05-2021	96796-00	सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स
			25-05-2021	49612-00	सामाग्री	राकेश एण्ड ब्रदर्स
			05-07-2021	7844-00	सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स
			06-07-2021	60016-00	सामाग्री	मिश्रा ईट उधोग
					योग =	271612-00

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 271612-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वितीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , स्टाक रजि0 , परिसम्पत्ति रजी0 , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 271612-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदुम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यप्रकाश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 89

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत बेलमत्थर की कोषबही में निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	पंचायक भवन कायाकल्प	54027279	27-10-2021	116004-00	सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स

2	पंचायत भवन टाइल्स कार्य	54027297	27-10-2021 18-12-2021 18-12-2021 18-12-2021 18-12-2021	172650-00 9979-00 12972-00 20571-00 65840-00	सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स मिश्रा ईट उधोग अमृत ट्रेडर्स अमृत ट्रेडर्स एन के इ0 प्रा0
3	पंचायत भवन मे शौचालय मरम्मत	52250053	02-01-2022 02-01-2022 02-01-2022 02-01-2022	24161-00 12510-00 94107-00 83745-00	सामाग्री सामाग्री सामाग्री सामाग्री	अमृत ट्रेडर्स मिश्रा ईट उधोग एन के इ0 प्रा0 एन के इ0 प्रा0
				योग = 612539-00		

उपर्युक्त धनराशि रू0- 612539-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , स्टाक रजि0 , परिसम्पत्ति रजी0 , कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 612539-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री पदुम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्यप्रकाश यादव द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत दुल्लाहपुर तरहर **विकास खंड परसपुर**

प्रस्तर संख्या- 90

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत दुल्लापुर तरहर की कोषबही में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थानो पर हैण्डपम्प मरम्मत	52864055	06-10-2021	103683-00	सामाग्री	अंश कां0
				योग = 103683-00		

उपर्युक्तु धनराशि रू0- 103683-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में स्पष्ट हुआ कि ग्राम पंचायत में एक ही कार्य आई0 डी0 पर रू0-103683-00 से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया है । जबकि निदेशक पंचायती राज उ0 प्र0 के पत्रांक संख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनाँक 02 मई 2019 के अनुसार रू0- 20000-00 या उससे कम लागत के कई हैण्डपम्प मरम्मत एक ग्रुप आई0 डी0 बनाकर किया जाना

है । इस प्रकार रू0- 103683-00 एक ही कार्य आई0 डी0 पर मरम्मत कराकर उक्त शासनादेश का पालन नही किया गया है । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (ड़) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 103683-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर संख्या- 91

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मे ग्राम पंचायत दुल्लापुर तरहर की कोषबही में निर्माण / मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	दिनाँक	धनराशि	विवरण	वेन्डर्स
1	पंचायत भवन कायाकल्प	52863615	02-11-2021 11-11-2021	176411-00 64524-00	सामाग्री मजदूरी	अंश कां0 --
2	पंचायत भवन में विद्युतीकरण	53706933	02-11-2021 11-11-2021	189787-00 51444-00	सामाग्री मजदूरी	अंश कां0
3	पंचायत भवन शौचालय मरम्मत	52863601	10-11-2021 10-11-2021 10-11-2021 10-11-2021 08-12-2021	18754-00 121066-00 70062-00 9773-00 21576-00	ईट सामाग्री सामाग्री सामाग्री मजदूरी	वी0 के0 ईट अंश कां0 अंश कां0 अंश कां0 --
4	पंचायत भवन कार्यालय स्थापना	52864171 52864332	12-01-2022 12-01-2022 27-01-2022 27-01-2022 27-01-2022 05-02-2022 08-02-2022	30784-00 156368-00 37137-00 26387-00 2931-00 58638-00 19546-00	सामाग्री सामाग्री सामाग्री फर्नीचर सामाग्री कम्प्यूटर कम्प्यूटर	अंश कां0 अंश कां0 मन्सारी इं प्राइजेज गुप्ता फर्नीचर अंश कां0 गोयल कम्प्यूटर गोयल कम्प्यूटर
5	पंचायत भवन टाईल्स कार्य	52994444	07-12-2021 07-12-2021 08-12-2021	13019-00 192438-00 37536-00	ईट सामाग्री मजदूरी	वी0 के0 ईट अंश कां0 --
6	पंचायत भवन सचिवालय के रंगाई - पोताई	55422093	08-12-2021 08-12-2021 25-01-2025	1380-00 3909-00 184029-00	मजदूरी मजदूरी सामाग्री	-- -- अंश कां0
7	पंचायत भवन सचिवालय मे इंटर लॉकिंग	52863549	02-11-2021 10-11-2021	177405-00 30217-00	सामाग्री ईट	अंश कां0 वी0 के0 ईट

			08-12-2021	5040-00	मजदूरी	--
			05-02-2022	8887-00	मजदूरी	--
8	पंचायत भवन बाउन्ड्री निर्माण	53706865	07-12-2021	34377-00	ईट	वी0 के0 ईट
			07-12-2021	15752-00	मजदूरी	--
			07-12-2021	157462-00	सामाग्री	अंश कां0
			07-12-2021	26552-00	ईट	वी0 के0 ईट
			07-12-2021	188788-00	सामाग्री	अंश कां0
			08-12-2021	32832-00	मजदूरी	--
			08-12-2021	5040-00	मजदूरी	--
योग = 2169851-00						

उपर्युक्त धनराशि रू0- 2169851-00 की पुष्टी में व्यय प्रमाणक /निर्माण कार्य पत्रावली कार्यवाही रजि0, इस्टीमेट ,माप पुस्तिका ,मस्टर रोल ,वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , स्टाक रजि0 ,परिसम्पत्ति रजि0, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं (ख) के अनुसार तथा उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के 17वाँ संशोधन - 2011 के नियम 256 (2) के (क) से (इ) तक के तहत बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया गयी धनराशि अपहरण है ।

अतः रू0- 2169851-00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा कर लिया गया है जिसकी वसूली व्याज सहित बराबर-बराबर हिस्सो मे ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बलहीजोत **विकास खंड रुपईडीह**

प्रस्तर संख्या- 92

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस-फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **947840-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **947840-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती उर्मिला अवन्तिका प्रधान तथा श्री विनय कुमार ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

आई0 डी0 सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
53902866	प्रधान मनदेय	39500
53902628	नाली नि0- फूलचन्द के धर से तालाब तक	162186
53902532	नाली नि0- सूरज के धर से तालाब तक	37843
53902819	विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण	49075
53902854	प्रशासनिक कार्य	90080
53892400	समय माता परिसर में है0 प0 रीबोर	23550
53892314	झारखण्डी के धर में है0 प0 रीबोर	23550
53892457	प्रा0 विधालय में है0 प0 रीबोर	23550
53892521	जू0 हा0 स्कूल में है0 प0 रीबोर	23550
54878525	इद्रीस के धर सोकपिट निर्माण	18069
54878488	बालक राम के धर सोकपिट निर्माण	18069
54878454	शिवपूजन के धर सोकपिट निर्माण	18069
54878560	गणेशदत्त के धर सोकपिट निर्माण	15485
54878288	इ0ला0कार्य- कालीमाता मन्दिर से गणेशदत्त के धर तक	110504
54878313	इ0ला0कार्य- देवता वावा धर से शान्ती के धर तक	101890
54878255	इ0ला0कार्य- सत्ते के धर से काली मन्दिर तक	91850
54878403	इ0ला0कार्य- लालू के धर से डिवहार वावा मन्दिर तक	101020
	योग	**947840**

प्रस्तर संख्या- 93

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 **426776-00** की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमति अवन्तिका ग्राम प्रधान एवं श्री विनय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत कमरावां **विकास खंड रुपईडीह**

प्रस्तर संख्या- 94

ग्राम पंचयत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एसेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वितत व केन्द्रीय वित्त के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली आदि जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित रहीं, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस-फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **349106-00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायती राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी " की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **349106-00**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

पर एक्टिविटीवाइज एक्सपेंडीचर डिटेल रिपोर्ट पर दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती नीलम ग्राम प्रधान तथा श्री यमुना प्रसाद ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा किया जाना चाहिये है और विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये है-

आई0 डी0 सं0	कार्य	कुल व्यय धनराशि रू0
48307057	प्रधान मानदेय	34500
48305555	हैण्डपम्प मरम्मत	77017
48307217	प्रशासनिक व्यय	89568
54891133	हैण्डपम्प रीबोर हनुमान के धर पास	23685
54891052	हैण्डपम्प रीबोर मुन्ना लाल के धर पास	23568
54891026	हैण्डपम्प रीबोर प्रा0 विधालय में	23726
54891119	हैण्डपम्प रीबोर जटाशंकर के धर पास	23658
60806184	पंचायत सहायक मानदेय	6000
60806128	हैण्डपम्प रीबोर विजय शंकर तिवारी के धर पास	23726
60806167	हैण्डपम्प रीबोर द्वारिका यादव के धर पास	23658
	योग	**349106**

प्रस्तर संख्या- 95

शासनादेश सं0- आडिट-201/दस-2008-101(43) /09 टी0सी0 दिनांक 04 फरवरी 2011 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अभिलेख अधतन रखे जाने तथा मनरेगा की अधतन कैशबुक भी पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने एवं इन समस्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा वर्षान्त तक मांग किये जाने के उपरान्त भी मनरेगा खाता के मूल अभिलेख यथा- कार्य की मांग एवं दिये जाने के अभिलेख, कैशबुक, कार्ययोजना, निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक, एम0बी0 बुक, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में मनरेगा साइट पर दर्शित (फाइनेन्शियल पर्फार्मेंस रिपोर्ट अनुसार) कुल व्यय रू0 **540812-00** की मूल अभिलेखों से जांच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। आडिट हेतु मूल अभिलेख आडिट में प्रस्तुत न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्रीमती नीलम ग्राम प्रधान एवं श्री यमुना प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: दर्शित उक्त व्यय की मूल अभिलेखों से जांच कराने तथा अनियमितता के दोषी प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रति अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु उच्च अधिकारी गण का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

ग्राम पंचायत बिसुनपुर बेलभरिया **विकास खंड रुपईडीह**

प्रस्तर संख्या- 96

वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्रामपंचायत विशुनपुर बेलभरिया में हयूम पाइप के कार्य में हुए व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावली यथा- व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक /वाउचर, बिल, मस्टर रोल0, एम0बी0, स्टीमेट, कार्य योजना पत्रावलियाँ आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।

कार्य की आई डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	भुगतान की तिथि बैंक से	भुगतनित राशि	कुल व्यय
53317746	हयूम पाइप का कार्य	पंचम राज्य वित्त आयोग	23/08/2021 24/08/2021	84682 83975	168657
				योग	168657

ई ग्रामस्वराज के अनुसार तथा बैंक से कुल धनराशि रुपये 168657.00 का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-2022 मे किया गया है ।

इस प्रकार अभिलेखों के अभाव में उक्त सम्पूर्ण दर्शित धनराशि रुपये 168657.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड (7) एवं खंड 8 क) 8 ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 अंतर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उक्त प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय मे दर्शित्त धनराशि रुपये 168657.00 गबन की श्रेणी में आती है उक्त गबन की धनराशि रुपये 168657.00 की वसूली आधी-आधी उत्तरदायी पंचायत सचिव- श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान मो. कलीम से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत असरथा **विकास खंड तरबगंज**

प्रस्तर संख्या- 97

ग्राम पंचायत- असरथा, विकास खंड- तरबगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 28.12.2022 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु-1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना/अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- असरथा वर्षः 2021-22				
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी)	सामग्री	श्रमांश
1-	नाली निर्माण कार्य।	40171108	109270.00	0.00
,,	,, ,, ,, ,,	45366690	85000.00	0.00

,,	,, ,, ,, ,,	45182721	82000.00	0.00
2-	इण्टरलाकिंग कार्य।	52717840	176204.00	0.00
4-	निविदा पर व्यय।	52750313	0.00	3000.00
5-	एम0आई0एस0 फीडिंग।	52750313	0.00	3000.00
6-	हैंडपम्प मरम्मत।	52718312	99640.00	0.00
	हैंड पम्प रिवोर।	40243489	27865.00	0.00
7-	इण्टरलाकिंग कार्य।	52717803	156667.00	0.00
8-	प्रशासनिक व्यय।	52750313	15000.00	0.00
9-	पंचायत सहायक मानदेय।	52750313	0.00	12000.00
10-	डायरेक्टर पंचायती राज को भुगतान।	52750313	0.00	3255.00
11-	सैनीटाइजेशन।	52750313	25000.00	0.00
12-	प्रा0 वि0असरथा में दिव्यांग शौचालय नि0	53770063	79881.00	0.00
	योग-		856527.00	21255.00
	सकल योग-			877782.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 877782.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 877782.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती पिंकी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती पिंकी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चिवरहा **विकास खंड तरबगंज**

प्रस्तर संख्या- 98

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों में से निम्नलिखित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में गंभीर प्रकरण पाया गयाः-

क्र0	कार्य का नाम	आई.डी.	सामग्री	श्रमांश	आपूर्ति कर्ता फर्म का नाम
-1	हयूम पाइप स्थापना	52330027	27965.00	0.00	सतगुरू ट्रेडर्स
-2	सैनीटाइजेशन	52330334	73000.00	0.00	अनन्त ट्रेडर्स
-3	नाली निर्माण	55791330	172015.00	0.00	हनुमत कृपा मशीनरी
-4	सोकपिट निर्माण	52323532	157060.00	0.00	अनन्त ट्रेडर्स
	योग	-	430040.00	0.00	

उपर्युक्त तालिका में दर्शित कार्यों की निर्माण कार्य पत्रावलियों की जांच में निम्न आपत्तियां पायी गईः-

1-क्रमांकः1,2,3,4 पर दर्शित कार्यों के सापेक्ष कोई श्रमांश नही दिया गया है। मनरेगा व ग्राम निधि खातों के आनलाइन भुगतान के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपर्युक्त कार्यों पर अभी तक कोई श्रमांश नही दिया गया है। बिना श्रमांश उपर्युक्त कार्य सम्भव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त कार्यों पर दर्शित व्यय का अपहरण किया गया है।

2- हयूम पाइप स्थापना कार्य की निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न नजरी नक्शा, इस्टीमेट की जांच से यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त हयूम पाइप कहां-कहां स्थापित की गई है। उस कार्य की त्रि-स्तरीय फोटोग्राफ निर्माण कार्य पत्रावली में अप्राप्त रही।

3- सैनीटाइजेशन कार्य की पत्रावली में इस्टीमेट, माप-पुस्तिका, छिडकाव का फोटोग्राफ,मजदूरी आदि के प्रमाणक नहीं पाये गये।

4- सोकपिट निर्माण कार्य पत्रावली में संलग्न माप-पुस्तिका मे 64 बोरी सीमेंट उपभोग दर्शित है जबकि पत्रावली में केवल 08 बोरी सीमेंट क्रय का बिल संलग्न पाया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि तालिका में दर्शित कार्य काल्पनिक हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार व्यय रू0 430040.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मती ललिता एवं सचिव श्री दिनेश कुमार उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती ललिता एवं सचिव श्री दिनेश कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चौबेपुर **विकास खंड तरबगंज**

प्रस्तर संख्या- 99

ग्राम पंचायत- चौबेपुर, विकास खंड- तरबगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 16.01.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- चौबेपुर 22		वर्ष--2021-		
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी)	सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य।	52445873	46300.00	0.00
2-	,,, ,, ,, ,,	52445848	220000.00	0.00
3-	,,, ,, ,, ,,	52445868	115000.00	0.00
4-	,,, ,, ,, ,,	52445881	149399.00	0.00
5-	खडंजा निर्माण कार्य	52471713	96012.00	15504.00
5-	,,, ,, ,, ,,	52511158	79380.00	0.00
6-	,,, ,, ,, ,,	52471707	63315.00	13912.00
7-	,,, ,, ,, ,,	52471723	132300.00	0.00
8-	,,, ,, ,, ,,	52511158	16821.00	21624.00
9-	,,, ,, ,, ,,	52445907	86751.00	13872.00
10-	,,, ,, ,, ,,	52471735	64165.00	18360.00
11-	,,, ,, ,, ,,	52445914	126819.00	2040.00
12-	सोकपिट निर्माण।	52420377	120860.00	0.00
13-	प्रशा0 व्यय।	52420463	10290.00	0.00
14-	पंचायत सहायक मानदेय	52420463	0.00	18000.00
14-	पंचायत भवन पर आवश्यक सामान क्रय	64148031	100000.00	0.00
15-	सामु0शौ0 रखरखाव पर व्यय।	52420454	0.00	9000.00
1-	दिव्यांग शौचालय नि0।	52373188	116006.00	23320.00
17-	दिव्यांग शौचालय नि0।	52373162	116006.00	23320.00
18-	दिव्यांग शौचालय नि0।	52373212	116006.00	0.00
20-	मिट्टी पटायी।	52471735	12474.00	0.00
21-	एडजेस्टमेंट आफ ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस इ्यू टू साइट एरर।	.....	676957.00	0.00
	योग-		2464861.00	158952.00

	सकल योग-			2623813.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 2623813.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 2623813.00 अपहरित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शाहजहां एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शाहजहां एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दुफेडिया **विकास खंड तरबगंज**

प्रस्तर संख्या- 100

ग्राम पंचायत- दुफेडिया, विकास खंड- तरबगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 20.01.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- दुफेडिया		वर्ष--2021-22		
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी)	सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य।	53641226	93400.00	17340.00
2-	इण्टरलाकिंग कार्य।	55649991	173396.00	16932.00
3-	इण्टरलाकिंग कार्य।	53641226	80000.00	0.00
4-	दिव्यांग शौचालय नि0।	49685450	145260.00	0.00

5-	दिव्यांग शौचालय नि0।	53641196	108894.00	25908.00
6-	समरसेबुल स्थापना।	53641183	49256.00	0.00
7-	हैंडपम्प मरम्मत।	49690608	74210.00	0.00
8-	विद्युत कार्य।	53641176	34300.00	0.00
9-	पंचायत सहायक मानदेय	55002763	0.00	18000.00
10-	निविदा पर व्यय।	55002763	0.00	3454.00
11-	हैंड पम्प रिवोर।	53641078	27500.00	0.00
12-	हैंड पम्प रिवोर।	53641072	27500.00	0.00
13-	हैंड पम्प रिवोर।	53641061	27500.00	0.00
14-	हैंड पम्प रिवोर।	53641044	27500.00	0.00
15-	हैंड पम्प रिवोर।	53641052	27500.00	0.00
16-	सामु0शौ0 रखरखाव पर व्यय।	52683283	0.00	9000.00
17-	डायरेक्टर पंचायती राज को भुगतान।	55002763	0.00	3520.00
18-	प्रशा0 व्यय।	55002763	3040.00	873.00
	योग-		899256.00	95027.00
	सकल योग-			994283.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 994283.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 994283.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री कुन्ना सिंह एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कुन्ना सिंह एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गभौरा विकास खंड तरबगंज

प्रस्तर संख्या- 101

ग्राम पंचायत- गभौरा, विकास खंड- तरबगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 03.03.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की

कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

	ग्राम पंचायत- गभौरा	वर्ष-2021-22		
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी)	सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य।	54509470	196055.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	53640973	99621.00	14140.00
2-	सामु0 शौचालय निर्माण।	53640575	50140.00	8400.00
3-	हैंडपम्प मरम्मत।	51996290	45070.00	0.00
4-	कुर्सी-मेज व अन्य प्रशासनिक व्यय।	54194414	49840.00	0.00
5-	नाली निर्माण कार्य।	53641115	152058.00	21280.00
6-	,,, ,,, ,,,	53641142	88287.00	6120.00
7-	दिव्यांग शौचालय नि0।	53640694	120939.00	0.00
8-	पंचायत सहायक मानदेय	54194414	0.00	12000.00
9-	प्रशा0 व्यय।	54194414	1722.00	0.00
10-	निविदा पर व्यय।	54194414	0.00	3454.00
	योग-		803732.00	65394.00
	सकल-			869126.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 869126.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक,धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका,फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 (क) एवं 8 (ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 869126.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम राजी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री

दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम राजी एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री घनश्याम से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत परास मझवार **विकास खंड तरबगंज**

प्रस्तर संख्या- 102

ग्राम पंचायत- परास मझवार, विकास खंड- तरबगंज, जनपद-गोंडा की वर्ष 2021-22 की आनलाइन लेखा परीक्षा दिनांकः 17.02.2023 को निर्धारित थी। आनलाइन लेखा परीक्षा में पाय़ा गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइन के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक सी-223 दिनांक 02-11-2020 एवं पत्रांक 3815/ले0प0दो0/पं /आडिट ऑनलाईन/पी0-46 (एक्स) दिनांकः 20-11-2020 के बिन्दु -1 के अनुसार वेवसाईट पर जो आय-व्यय से संबंधित सूचना उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना /अभिलेखों की जांच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाए। उक्त के अनुपालन के क्रम में पंचायत के ऑनलाइन उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करते की हुए लेखा परीक्षा सम्पन्न किया ।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैशबुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न कार्यों पर किया गया व्यय निम्नवत हैः-

ग्राम पंचायत- परास मझवार		वर्ष--2021-22		
क्र0	कार्य का नाम	आई0डी)	सामग्री	श्रमांश
1-	इण्टरलाकिंग कार्य।	54493443	126907.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374109	158553.00	0.00
		52374072	117924.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	55324628	117924.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54493378	152387.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54493393	152387.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54069784	184652.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54069806	329197.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54493421	126907.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54069599	171523.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54069641	168361.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374187	210199.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374103	191902.00	0.00
2-	हैंडपम्प मरम्मत।	52373965	33300.00	0.00
3-	ग्रा0पं0 में सीमेंटेड बेंच निर्माण।	52403480	189000.00	0.00
4-	नाव क्रय।	54070104	121500.00	0.00
5-	सैनीटाइजेशन।	52374030	72856.00	0.00
6-	प्रशा0 व्यय।	52374053	67789.00	0.00
7-	ह्यूम पाइप स्थापना।	54857926	102729.00	0.00
9-	पंचायत भवन पर आवश्यक सामग्री क्रय।	55324651	174000.00	0.00
10-	हैंडपम्प रिवोर।	54090924	27500.00	0.00

	,, ,, ,, ,,	54090902	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090909	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090914	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090867	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090878	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090885	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374196	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374194	27500.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54090933	27500.00	0.00
11-	दिव्यांग शौचालय नि0।	52374145	102936.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374180	66194.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374170	66194.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52374177	66194.00	0.00
12-	सोकपिट निर्माण।	54070452	152041.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	52373987	108904.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54070325	145746.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54070337	145746.00	0.00
13-	नाली निर्माण कार्य।	55005324	45877.00	0.00
	,, ,, ,, ,,	54069676	149158.00	0.00
		56005261	133631.00	0.00
		56005280	133631.00	0.00
		56005272	133631.00	0.00
		56005307	133631.00	0.00
14-	पंचायत सहायक मानदेय	52374053	0.00	6000.00
	योग-		4828511.00	6000.00
	सकल योग-			4834511.00

वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 4834511.00 की आफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से ग्राम पंचायत के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव/प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख यथा कार्यबाही पंजिका ,नजरी नक्शा, माप-विवरण, इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति/दिनांक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति/दिनांक, बिल और बाउचर जैसे व्यय प्रमाणक, टेंडर व कोटेशन से सम्बंधित प्रमाण, मस्टर-रोल, माप-पुस्तिका ,चरणबद्ध फोटो ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,स्टाक पंजिका, डेड स्टाक, धरोहर पंजिका, परसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका,प्रधान एवं पंचायत सहायक की मानदेय पंजिका, फर्मों का इनकम टैक्स क्लीरेंस सर्टीफिकेट, कैश-बुक आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेख् मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8(क) एवं 8(ख) और उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम 256 (2) के (क) से (ड.) तक दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध

में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी। इस प्रकार बिना प्रमाणक किया गया व्यय रू0 4834511.00 अपहरित रहा । जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री नेबकू एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नेबकू एवं तत्कालीन प्रशासक श्री दिनकर विद्यार्थी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बभनी **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 103

ग्राम पंचायत बभनी विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1553755 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बभनी विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1553755.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान बृजनाथ, सचिव मो0 आफाक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बड़कुइयाँ **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 104

ग्राम पंचायत बड़कुइयां विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020

के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1582253 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बड़कुइयां विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1582253 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान मीरा देवी, सचिव मो0 आफाक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बाल्हाराय **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 105

ग्राम पंचायत बाल्हाराय विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1553828 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत बाल्हाराय विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1553828 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गणेशपुर ग्रांट **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 106

ग्राम पंचायत गणेशपुर ग्रंट विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1006727 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत गणेशपुर ग्रंट विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1006727 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान निर्मला, सचिव रीतू भारती से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत करौंदा **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 107

ग्राम पंचायत करौंदा विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 951528 की ऑफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत करौंदा विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 951528 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान राम प्रकाश, सचिव मो0 आफाक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत करनीपुर **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 108

ग्राम पंचायत करनीपुर विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 2754244 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत करनीपुर विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 2754244 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खिरिया **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 109

ग्राम पंचायत खिरिया विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1151740 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत खिरिया विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1151740 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अम्बेश्वर एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खैरीडीह **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 110

ग्राम पंचायत खीरीडीह विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1293689 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय

प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत खीरीडीह विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1293689 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री घनश्याम एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मझगवां **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 111

ग्राम पंचायत मझगवां विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1765213 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत मझगवां विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1765213 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान रेनू सिंह एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत माथेपुर **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 112

ग्राम पंचायत माथेपुर विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 2651783 की ऑफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत माथेपुर विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 2651783 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अजय एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नगवा **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 113

ग्राम पंचायत नगवां विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 3568451 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत नगवां विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 3568451 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान अन्जू सिंह एवं सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नौबस्ता **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 114

ग्राम पंचायत नौबस्ता विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1796930 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत नौबस्ता विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1796930 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान जनार्दन, सचिव मो0 आफाक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नियामतपुर **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 115

ग्राम पंचायत नियामतपुर विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 1725667 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत नियामतपुर विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 1725667 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान विमलेश, सचिव मो0 आफाक से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पूरे ढ़ाढ़ू **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 116

ग्राम पंचायत पूरे ढ़ाढ़ू विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 3119357 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का

निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत पूरे ढ़ाढू विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 3119357 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री महेश एवं सचिव श्री कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सहिबापुर विकास खंड वजीरगंज

प्रस्तर संख्या- 117

ग्राम पंचायत सहिबापुर विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच ऑफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 3259420 की आॅफ लाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256 (2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सहिबापुर विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 3259420 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान दिनेश प्रताप सिंह, सचिव श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सोहना **विकास खंड वजीरगंज**

प्रस्तर संख्या- 118

ग्राम पंचायत सोहना विकासखण्ड वजीरगंज, जनपद गोण्डा की वर्ष 2021-22 की आन लाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैश बुक एवं व्यय प्रमाणकों का विवरण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रदर्शित तो है परन्तु आडिट आनलाइल के अन्तर्गत जारी निर्देशों पत्रांक-सी-223 दिनांक 02-11-2020 के अनुसार वेबसाइट पर जो आय-व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है उसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाओं की जाँच आॅफलाइन करते हुए लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाय।

अतः ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध कैश बुक में वर्ष में दर्शित कुल व्यय रू0 2092514 की ऑफलाइन आडिट हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ए0डी0ओ0 पंचायत से अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु बारम्बार पत्राचार किया गया। किन्तु ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख -व्यय प्रमाणक, बैंक स्टेटमेंट, मस्टर रोल, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 की व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया गया। जबकि पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के उपखण्ड 8 क एवं 8 ख में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256, 256(2) के (क) से (ड.) तक के तहत बिना प्रमाणक किया गया व्यय अपहरण है।

अतः ग्राम पंचायत सोहना विकासखण्ड वजीरगंज के वर्ष 2021-22 के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित कुल व्यय रू0 2092514 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान सरस्वती देवी, सचिव कृष्ण बहादुर यादव से की जानी अपेक्षित है।

जनपद - श्रावस्ती **सम्भाग - देवीपाटन,गोण्डा**

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन (पंचायत अनुभाग), वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायत - गिलौला **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 1 ग्राम पंचायत गिलौला को वर्ष 2021-22 में दिनांक 28.04.2022 को वास्ते जलपान पोलिंग पार्टी पर रु० 48250.00 का भुगतान आर० डी० आर्डर सप्लायर को किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक बाउचर उपलब्ध नहीं पाया गया एवं इस व्यय को किये जाने के सम्बन्ध में कोई विभागीय / शासकीय आदेश अथवा सक्षम स्तर की स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायतीराज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार व्यय प्रमाणक / बाउचर एवं व्यय किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय / शासकीय आदेश एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु० 48250.00 के व्यय जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 48250.00 गबन / अपहरण में आंकलित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (२) क से इ. तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि०अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 48250.00 की वसूली मय व्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर -2 ग्राम पंचायत गिलौला की कोष बही वर्ष 2021-22 में दिनांक 03.05.2022 को अड्डा एवं काले के घर के पास सोकपिट निर्माण पर रु० 213610.00 का भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में कार्य एवं भुगतान की पुष्टि में कार्य से सम्बंधित स्टीमेट, माप पुस्तिका तथा तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र क्रय प्रमाणक बाउचर उपलब्ध नहीं पाया गया। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज विभाग उ0प्र0 के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार बिल/बाउचर, मस्टररोल, स्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं पाए जाने के कारण रु० 213610.00 के व्यय जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः रु० 213610.00 लेखा परीक्षा अनुसार गबन / अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (२)क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि०एवं (पंचायत) तत्कालीन सचिव श्री मनीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 213610.00 की वसूली मय व्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री मनीष कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हुसैनपुर खुरहरी विकास खण्ड –गिलौला

प्रस्तर - 3 ग्राम पंचायत हुसैनपुर खुरहुरी, विकास खण्ड गिलौला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में अप्रैल / मई 2021 में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	प्रा०वि०. उ०प्रा०वि० में वाल पेटिंग कार्य	35140.00
2	हैंडपम्प रिबोर	147500.00
3	उ०पा०वि० में वाटर सप्लाई मोटर आदि कार्य	48230.00
4	हैंडपम्प मरम्मत	62330.00
5	ननमून के घर से तीरथ के घर तक इंटरलाकिंग	197403.00
6	सालिक के घर से ननमून के घर तक इंटरलाकिंग	147532.00
7	प्रा०वि० में रनिंग वाटर सप्लाई कार्य	28000,00
8	प्रहलाद के घर से राजेंद्र के घर तक इंटरलाकिंग	198077.00
9	पंचायत चुनाव व्यवस्था	13200.00
10	वाल पैंटिंग कार्य	12000.00
11	प्रा०वि० उ०प्रा०वि० में टाइल्स कार्य	72716.00
	योग	962128.00

इस प्रकार रु० 962128.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियों तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, बिल/बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे। ग्राम पंचायतों के वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ0प्र0 के अध्याय 8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गवन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार बिल वाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 962128.00 के व्यय की जाँच / पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 962128.00 को गवन / अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि(पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 962128.00 की वसूली मय व्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत - नेवरिया **विकास खण्ड –गिलौला**

प्रस्तर - 4 ग्राम पंचायत नेवरिया, विकास खणा गिलौला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुतः कोष बही में अप्रैल / मई 2021 में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	85245.00
2	हैण्डपम्प रिबोर	144750.00
3	सामुदायिक शौचालय निर्माण	563148.00
4	प्रा०वि० में वाटर सप्लाई कार्य	45000.00
5	चुनाव में बूथ एवं टैंट पर भुगतान	43865.00
6	प्रा०वि० में रंगाई पुताई कार्य	60000.00
7	हयूम पाइप का भुगतान	80000.00
8	राम गोपाल के घर से नरेश के घर तक इंटरलाकिंग	206791.00
9	मुशी के घर से प्रेम के घर तक इंटरलाकिंग	88833.00
10	कायाकल्प के अंतर्गत प्रा०वि० में टाइल्स निर्माण	46282.00
11	कायाकल्प के अंतर्गत प्रा०वि० प्रानपुर में टाइल्स निर्माण	72716.00
12	कायाकल्प के अंतर्गत उ०प्रा०वि० नेवरिया में टाइल्स निर्माण	70500.00
13	कायाकल्प के अंतर्गत प्रा०वि० रामगढ़ी में टाइल्स निर्माण	70500.00
14	कायाकल्प के अंतर्गत प्रा०वि० दुर्गापुर में टाइल्स निर्माण	23838.00
15	वाल पेंटिंग कार्य	12000.00
	योग	1613468.00

इस प्रकार रु० 1613468.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियाँ तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, बिल/बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहें। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार बिल बाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 1613468.00 के

व्यय की जाँच / पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 1613468.00 को गवन / अपहण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) क से ङ तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 1613468.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत - गिलौली **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 5 ग्राम पंचायत गिलौली, विकास खण्ड गिलौला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में अप्रैल / मई 2021 में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	342080.00
2	वाल पेंटिंग कार्य	12000.00
3	बब्लू के खेत के पास डीप निर्माण	52401.00
4	चिरई के खेत के पास डीप निर्माण	59488.00
5	ग्राम पंचायत में बगल मैत्री शौचालय मरम्मत	68946.00
6	हैंडपम्प रिबोर	113000.00
7	हैंडपम्प मरम्मत	49250,00
8	प्रा०वि० उ०प्रा०वि० में वाल पेंटिंग कार्य	39245.00
9	प्रा०वि० में वाटर सप्लाई कार्य	27755.00
10	पंचायत चुनाव पर व्यय	25000.00
	योग	789165.00

इस प्रकार रु० 789165.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियाँ तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, विलवाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ0प्र0 के अध्याय 8 के बिंदु (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। "इस प्रकार बिल बाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 789165.00 के व्यय की जॉच पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 789165.00 को गबन/अपहरण की श्रेणी में आकलित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (२) क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० एवं (पंचायत) तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 789165.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिखारीपुर **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 6 ग्राम पंचायत भिखारीपुर मसड़ी की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में माह अप्रैल एवं मई में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	दिनांक	व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत में आकस्मिक कार्य पर व्यय	12.01.2022	46550.00
2	ग्राम पंचायतों में ट्रेनी आई.ए.एस.के ठहरने हेतु व्यय	18.01.2022	14850.00
	योग		61400.00

उक्त दर्शित रु० 61400.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक/बाउचर उपलब्ध नहीं पाया गया एवं इन व्ययों के किये जाने के सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश अथवा सक्षम स्तर की स्वीकृति भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायतीराज विभाग उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस प्रकार व्ययः प्रमाणक बाउचर एवं व्यय किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय/शासकीय आदेश एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रु० 61400.00 के व्यय जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 61400,00 गबन/ अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (२) क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पं०) एवं तत्कालीन सचिव श्री राकेश मौर्या ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रू० 61400.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधिकारी (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री राकेश मौर्या पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मनिकापुर खुर्द **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 7 ग्राम पंचायत मानिकापुर खुर्द, विकास खण्ड गिलौला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में अप्रैल/मई 2021 में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण	354050.00

2	हैंडपम्प मरम्मत	45359.00
3	हैंडपम्प रिबोर	113000.00
4	सुखी के घर से ननकू के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	92798.00
5	पक्की सड़क से अजय के घर तक इंटरलाकिंग	213185.00
6	उ० प्रा०वि० में वाटर सप्लाई कार्य	54500.00
7	वाल पेटिंग कार्य	12000.00
8	पंचायत चुनाव पर व्यय	20200.00
	योग	905092.00

योग इस प्रकार रु० 905092.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियाँ तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, बिल/बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। " इस प्रकार बिल बाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 905092.00 के व्यय की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 905092.00 को गबन/अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पं)) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 905092.00 की वसूली मय व्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचात - रामपुर पैडा **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 8 ग्राम पंचायत रामपुर पैड़ा. विकास खण्ड गिलौला की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोष बही में अप्रैल / मई 2021 में निम्नानुसार कार्यों पर व्यय दर्शित है -

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	खड़ंजा से लाल बाबा मौर्या के घर तक खंड़जा निर्माण	104736.00
2	प्रा०वि० उ०प्रा०वि० में वाटर सप्लाई कार्य	45000.00
3	बरकत बाबा के घर से तालाब तक नाली निर्माण	46329.00
4	पक्की सड़क से आंबेकर मूर्ति तक खंडजा निर्माण	86175.00
5	हैण्डपम्प रिबोर	149750.00
6	हैण्डपम्प मरम्मत	62860.00

7	दूबे के घर से तालाब तक नाली निर्माण	152435.00
8	अन्य व्यय का भुगतान	22210.00
9	खंइंजा से भीम पति के घर तक खडंजा निर्माण	36315.00
10	नरेश के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा मरम्मत	105509.00
	योग	811319.00

योग इस प्रकार रु०811319.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियों तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, बिल/बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी " इस प्रकार बिल बाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 811319.00 के व्यय की जांच पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 811319.00 को गवन/अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) क से 0 तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 811319,00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत - भवानीनगर **विकास खण्ड - गिलौला**

प्रस्तर - 9 ग्राम पंचायत भवानीनगर विकास खण्ड गिलौला की लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में प्रस्तुत कोष बही में माह अप्रैल एवं मई 2021 में निम्न कार्यों पर विभिन्न तिथियों में व्यय दर्शित है, तथा दर्शित व्यय के सापेक्ष कार्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही।

क्र०सं०.	कार्य का नाम	व्यय धनराशि
1	हैंडपम्प रिबोर	176000.00
2	हैंडपम्प मरम्मत	74200.00
3	काया कल्प हेतु भुगतान	39000.00
4	प्रा०वि० एवं उ०प्र० वि० में वाल पैंटिंग	30000.00
5	पंचायत चुनाव पर व्यय	15000.00
6	प्रा०वि० में वाटर सप्लाई एवं अन्य कार्य	35000.00
	योग	369200.00

इस प्रकार रु० 369200.00 के व्यय से सम्बंधित कार्य पत्रावलियाँ तथा पुष्टि कारक अभिलेख यथा प्राक्कलन, बिल/बाउचर, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे। ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल पंचायती राज उ०प्र० के अध्याय 8 के बिंदु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" इस प्रकार बिल बाउचर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका कार्य के तीनों चरणों की फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, नैतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण रु० 369200.00 के व्यय की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः लेखा परीक्षा अनुसार रु० 369200.00 को गबन / अपहण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जो उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम 256 (२) क से ड तक के अंतर्गत अधिभार योग्य है जिसके लिए प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं।

अस्तु रु० 369200.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री रमेश कुमार सिंह सहा०वि० अधि० (पंचायत) एवं तत्कालीन सचिव श्री नागेन्द्र, ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत - अलीनगर **विकास खण्ड- इकौना**

प्रस्तर - 10 ग्राम पंचायत अलीनगर की कैशबुक वर्ष 2021-22 में दिनांक 28-07-2021 को पंचायत भवन हेतु कुर्सी- मैज क्रय हेतु रु.24700.00 का भुगतान स्टार स्टील फर्नीचर किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल पंचायती राज उत्तर प्रदेश के अध्याय 8 की धारा (क) में निहित प्रावधान के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शाए/आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी " उक्त नियम के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय रु.24700.00 की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आहरित/व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है । अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से तक (ड) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु.24700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती खैरुला तथा पंचायत सचिव श्री राजकुमार तिवारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लक्ष्मणपुर गोडपुरवा **विकास खण्ड- इकौना**

प्रस्तर - 11 ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर गोडपुरवा की केशबुक वर्ष 2021-22 में दिनांक 19-12-2021 को प्राथमिक जूनियर विद्यालय में मिट्टी /पटाई कार्य हेतु रु.30000.00 श्री प्रमोद को ट्राली हेतु किया जाना दर्शित है, किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गय । स्टीमेट, प्राक्कलन तथा माप पुस्तिका के आभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितनी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता थी तथा उसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था। ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल पंचायती राज उत्तर प्रदेश के

अध्याय 8 की धारा 8(क) में निहित प्रावधान के अनुसार यदि 'दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शाए/आहरित की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जाएगी।' उक्त नियम के आलोक में एवं वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता में उक्त दर्शित व्यय रु. 30000.00 की पुष्टि न कराये जाने के कारण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा आहरित/व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली- 1947 के नियम 256(2) (क) से तक (ङ) के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः रु.30000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी तथा पंचायत सचिव श्री राजकुमार तिवारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रेहली विशुनापुर विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी

प्रस्तर - 12 ग्राम पंचायत- रेहली विशुनापुर में वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प मरम्मत मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है :-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि
1.	हैण्डपम्प मरम्मत	11.09.2021	15750.00
2.	हैण्डपम्प मरम्मत	22.03.2022	24000.00
	योग -		39750.00

ग्राम पंचायत में उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 39750.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य की स्वीकृति, सामाग्री क्रय के बिल, माप-पुस्तिका, मस्टर रोल एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख हैण्डपम्प के मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल सूची तथा हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मांग से सम्बन्धित प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का या संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय - 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा तथा सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उपयुक्त व्यय धनराशि 39750.00 उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 256 (2) क से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी उत्तरदायी हैं।

अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 39750.00 समान रूप से ग्राम विकास अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 13 ग्राम पंचायत रेहली विशुनापुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण, ग्राम पंचायत के बहुउद्देशीय भवन के कायाकल्प, नाली निर्माण, दिव्यांग शौचालय एवं स्वच्छता कार्य के निर्माण पर मात्र सामग्री क्रय मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	17.06.2021	118545.00	50811.00
2	ग्राम पंचायत बहुउद्देशीय भवन कायाकल्प	17.06.2021	244061.00	26344.00
3	दिव्यांग शौचालय	10.01.2021	39932.00	3360.00

4	स्वच्छता कार्य	11.09.2021	-	21420.00
	योग -		402538.00	101935.00
	कुल योग -		504473.00	

ई-ग्राम स्वराज साईट पर उपलब्ध कैशबुक में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 504473.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 504473.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 504473.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 14 ग्राम पंचायत रेहली विशुनापुर में निर्माण कार्य एवं कायाकल्प मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
.1	प्राइमरी स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग	25.10.2021	49271.00	-
.2	ग्राम पंचायत के ददवा में भल्लर के खेत से उत्तर गोकर्ण के खेत तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	15.02.2021	18412300.	94896.00
.3	ग्राम पंचायत के ददवा में सुन्दर के खेत से मोलहे के खेत तक खड़ंजा मरम्मत कार्य	15.02.2021	24148200.	12084000.
.4	ग्राम पंचायत में क्षतिग्रस्त मार्ग पर अद्धा पटाई कार्य	11.09.2021	5400000.	-
5.	प्राइमरी स्कूल रेहली विशुनापुर बरामदा ऑफिस एवं अतिरिक्त कक्ष का कायाकल्प	25.10.2021	16602300.	662400.
	योग -		69489900.	.22236000
कुल योग -:				917259.00

ई-ग्राम स्वराज साईट पर उपलब्ध कैशबुक में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 917259.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण

हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 917259.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 917259.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री फौजदार आर्या तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जरकुशहा **विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर - 15 ग्राम पंचायत जरकुशहा में शौचालय निर्माण के निर्माण पर सामग्री क्रय मद में कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
.1	प्राइमरी स्कूल पाण्डेयपुरवा में शौचालय निर्माण	16.10.2021	63923.00	5112.00
कुल योग -:				69035.00

कैशबुक में निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 69035.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 69035.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बद्री प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 69035.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बद्री प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 16 ग्राम पंचायत-जरकुशहा में वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि
1.	हैण्डपम्प रिबोर	19.07.2021	63367.00
2.	हैण्डपम्प मरम्मत	19.07.2021	30590.00
3.	हैण्डपम्प मरम्मत	21.10.2021	12640.00
	योग -		106597.00

ग्राम पंचायत में उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 106597.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य की स्वीकृति, सामाग्री क्रय के बिल, माप-पुस्तिका, मस्टर रोल एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख हैण्डपम्प

के मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल सूची तथा हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मांग से सम्बन्धित प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का या संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा तथा सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उपयुक्त व्यय धनराशि 106597.00 उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 256 (2) क से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री बद्री प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी हैं।

अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 106597.00 समान रूप से ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बद्री प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रेवलिया **विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर - 17

ग्राम पंचायत रेवलिया में सामुदायिक शौचालय निर्माण सामग्री क्रय एवं मजदूरी मद में कैशबुक में निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनांक	धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1.	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	20.08.2021	138358.00	-
2.	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	31.08.2021	-	50913.00
	योग -		138358.00	50913.00
कुल योग :-				189271.00

कैशबुक में निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 189271.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 189271.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के0के0भारती तथा ग्राम प्रधान श्री राम कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 189271.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री के0के0भारती तथा ग्राम प्रधान श्री रामकुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमवा **विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर - 18 ग्राम पंचायत अमवा में निर्माण कार्य एवं कायाकल्प मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	सामग्री	मजदूरी
1	प्राइमरी स्कूल आनन्दीपुरवा में कायाकल्प	21.05.2021	63037.00	6478.00
2	प्राइमरी स्कूल दत्तनगर में कायाकल्प	21.05.2021	103153.00	11310.00
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय दत्तनगर में अतिरिक्त कक्ष का कायाकल्प	09.03.2022	219596.00	51528.00
4	प्राइमरी स्कूल दत्तनगर में बालक बालिका शौचालय-निर्माण	14.03.2022	117510.00	23520.00
योग-			503296.00	92836.00
कुल योग-:				596132.00

कैशबुक में निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 596132.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 596132.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 596132.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राममनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती राधा देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -परशुरामपुर **विकास खण्ड - हरिहरपुर रानी**

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत-परशुरामपुर में वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	28.08.2021	15100.00
2	हैण्डपम्प मरम्मत	28.08.2021	61100.00
3	हैण्डपम्प रिबोर	19.11.2021	9836.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत	19.11.2021	14524.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	19.11.2021	14014.00
	योग -		114574.00

ग्राम पंचायत में उपरोक्त दर्शित व्यय रू0 114574.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य की स्वीकृति, सामाग्री क्रय के बिल, माप-पुस्तिका, मस्टर रोल एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख हैण्डपम्प के मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल सूची तथा हैण्डपम्प के लाभार्थी के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मांग से सम्बन्धित प्रपत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव का या संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें एवं अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा तथा सचिव से की जायेगी। इस प्रकार उपयुक्त व्यय धनराशि 114574.00 उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 की नियम 256 (2) क से (इ) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी उत्तरदायी हैं।

अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 114574.00 समान रूप से ग्राम विकास अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 20 ग्राम पंचायत परशुरामपुर में सामुदायिक शौचालय निर्माण, पंचायत भवन कायाकल्प, स्कूल कायाकल्प, ए0एन0एम0 सेण्टर कायाकल्प, आयुष्मान भारत सेण्टर कायाकल्प एवं स्वच्छता कार्य के निर्माण पर मात्र सामग्री क्रय मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1	03.08.2021	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण	134422.00	-
	04.09.2021		57120.00	-
	11.09.2021		69866.00	-
	17.11.2021		14653.00	-
	19.11.2021		221023.00	72360.00
	27.11.2021		-	62760.00
	07.12.2021		-	17280.00
	28.02.2022		64439.00	-
	12.03.2022		31500.00	-
	15.03.2022		24633.00	-
	15.03.2022		-	35982.00
2	15.05.2021	पंचायत भवन कायाकल्प	361498.00	23580.00
	31.10.2021		359647.00	118848.00
	15.03.2022		58033.00	-
3	31.10.2021	प्राथमिक स्कूल अवधूतनगर में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य	119543.00	36192.00
4	31.10.2021	ए०एन०एम० सेंटर अवधूतनगर कायाकल्प	171999.00	49668.00
	15.03.2021		47717.00	-

5	31.10.2021	आयुष्मान भारत सेंटर कायाकल्प	48608.00	14052.00
6	15.05.2021	उच्च विद्यालय अवधूतनगर कायाकल्प	18675.00	3048.00
	16.05.2021		34500.00	-
7	15.05.2021	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवबालक पुरवा कायाकल्प	161345.00	20052.00
	16.05.2021		69000.00	-
8	15.05.2021	प्राथमिक विद्यालय अवधूतनगर कायाकल्प	22286.00	3651.00
	16.05.2021		34550.00	-
		योग -	2125057.00	457473.00
		कुल योग -		2582530.00

ई-ग्राम स्वराज साईट पर उपलब्ध कैशबुक में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 2582530.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 2582530.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (ड़) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 2582530.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 21 ग्राम पंचायत परशुरामपुर में निर्माण कार्य मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित हैः-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1	22.09.2021	जगतराम पासी के घर से गुड्डे पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	107728.00	15072.00
	07.11.2021		-	2651.00
2	22.09.2021	अगेश्वर के हाते से अनन्त राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	121190.00	17184.00
	31.10.2021		48427.00	5760.00
	07.11.2021		-	11063.00
3	22.09.2021	धनीराम के घर से उदय राज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	82010.00	11388.00
	07.11.2021		-	2040.00
4	22.09.2021	नेवास पासी के घर से वंशराज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	185375.00	25368.00
	07.11.2021		-	2856.00
5	31.10.2021	प्राथमिक स्कूल नौशारा में वाटर हार्वेस्टिंग	28102.00	4980.00
6	31.10.2021	पंचायत भवन शिवालापुरवा में वाटर हार्वेस्टिंग	28102.00	4980.00

7	19.01.2022	पंचायत भवन शिवालापुरवा में वाउंड्रीवाल उच्चीकरण	209213.00	39423.00
8	19.01.2022	सिद्धनाथ के खेत से उदयराज के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	167274.00	13320.00
	16.03.1011		-	10608.00
9	15.05.2021	प्राथमिक स्कूल परशुरामपुर नौशारा मरम्मत कार्य	55235.00	5214.00
10	05.09.2021	प्राथमिक स्कूल नौशारा में अतिरिक्त कक्ष में मरम्मत कार्य	242307.00	26040.00
		योग -:	1274963.00	197947.00
		कुल योग -:		1472910.00

ई-ग्राम स्वराज साईट पर उपलब्ध कैशबुक में उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु मात्र सामग्री एवं मजदूरी पर उपरोक्त व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत में उपर्युक्त दर्शित व्यय रू0 1472910.00 से सम्बन्धित अनुमोदित कार्य-योजना, कार्य की स्वीकृति, स्वीकृत स्टीमेट सामग्री क्रय के बिल, मस्टर रोल, माप-पुस्तिका एवं निविदा/कोटेशन से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उपरोक्त दर्शित व्यय प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि, वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एवं अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय धनराशि का 1472910.00 उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256(2) (क) से (इ) तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी उत्तरदायी हैं। अतः गबन/अपहरण की कुल धनराशि रू0 1472910.00 की वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित ग्राम पंचायत अधिकारी राम मनोहर जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 22 ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता कार्य, साफ-सफाई कार्य एवं साउडं सिस्टम मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्न व्यय दर्शाया गया हैः -

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	स्वच्छता कार्य, साफ-सफाई कार्य एवं साउंड सिस्टम	19.11.2021	34381.00
	योग-		34381.00

उपर्युक्त मद के अन्तर्गत एकमुश्त धनराशि का भुगतान किया गया है । भुगतान किये जाने के औचित्य पर संदेह उत्पन्न करता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना स्वच्छता कार्य एवं साफ-सफाई तथा कितना साउंड सिस्टम पर व्यय किया गया है ।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8'क' में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की

जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 34381.00 में ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मनोहर जायसवाल से रू० 34381.00 की वसूली व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 23 आलोच्य वर्ष 2021-22 में विभिन्न तिथियों में निम्न सामग्री, नियमों का उल्लंघन करके इस प्रकार क्रय दर्शित है:-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	ग्राम पंचायत भवन में कुर्सी, कम्पयूटर मेज, अलमारी, दरी क्रय	16.01.2022	51000.00
	ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर एवं सी०सी०टी०वी० क्रय	27.03.2022	80000.00
	योग-		131000.00

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है दिनांक 16.01.2022 एवं 27.03.2022 को उक्त सामग्री क्रय की गयी, परन्तु क्रय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर, टेण्डर, कोटेशन, क्रय सामग्री के उपभोग में स्थलीय सत्यापन प्रमाण-पत्र, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । इस प्रकार उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अत: रू० 131000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम मनोहर जायसवाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 24 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में गौशाला वैरिकेटिंग एवं मजदूरी मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न व्यय दर्शाया गया हैः -

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1	16.05.2021	गौशाला वैरिकेटिंग एवं मजदूरी		59426.00
	03.08.2021			29274.00
	31.08.2021			6324.00
	04.09.2021		197003.00	-
	05.09.2021			29952.00
	01.11.2021			30600.00
			197003.00	155576.00

	योग-		352579.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 'क' में प्राविधान है कि-"यदि दर्षाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्षायी गयी व्यय की धनराषि को गबन मानते हुए इस धनराषि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटशन/निविदा, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 352579.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मनोहर जायसवाल से रु.352579.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 25 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परशुरामपुर में गौशाला में गऊ आश्रय निर्माण कार्य मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्न व्यय दर्शाया गया है :-

क्र0 सं0	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय की धनराशि	
			सामग्री	मजदूरी
1	12.03.2022	गौशाला में गऊ आश्रय निर्माण कार्य	577502.00	114552.00
	योग-			692054.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है,"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 'क' में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटशन/निविदा, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रू० 692054.00में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मनोहर जायसवाल से रु. 692054.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 26 आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत परशुरामपुर में ह्यूम पाईप मद में ई-ग्राम स्वराज पर निम्नानुसार व्यय दर्शाये गया हैः-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	दिनांक	व्यय की धनराशि
1	ह्यूम पाईप कार्य पर भुगतान	07.11.2021	77520.00
	योग-		77520.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्य योजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, "ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 'क' में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों /डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु० 77520.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम मनोहर जायसवाल से रू० 77520.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बहोरवा **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 27 ग्राम पंचायत बहोरवा में दिनांक 27.10.2021 को मूर्ति विसर्जन हेतु रू० 20700.00 का भुगतान राकेश कुमार को दिया गया है, लेकिन इसके लिए ग्राम पंचायत को कोई अलग से धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी तथा ग्राम पंचायत के सक्षम समिति से इसका कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं हुआ था । फिर स्वेच्छानुसार अनुदान की धनराशि का इस तरह व्यय दर्शाना निजी स्वार्थ की पूर्ति की ही पुष्टि करता है । जिसके औचित्य की पुष्टि हेतु न तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पारित थे और न ही इसका कोई प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया। अत: उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार निमय 256(2) 'क' से 'इ' तक अधिभार योग्य है । अत: उक्त भुगतान उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शाई गयी धनराशि रू० 20700.00 को अपहरण मानते हुए मय ब्याज की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नान बाबू यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 28 ग्राम पंचायत बहोरवा में दिनांक 11.12.2021 को एस.के.ह्यूम पाइप को रू० 50248.00 का भुगतान ह्यूम पाइप क्रय दर्शाते हुए किया गया है । लेकिन प्रमाणक के आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि कितने एम.एम.

अर्थात् लं०-चौ० का यह पाइप कहां से लिया गया तथा अभिलेखों में इसके उपयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही इसे क्रय करने के पूर्व न तो कोई कोटेशन लिये जाने की पुष्टि होती है और न ही स्टॉक बुक में अंकित किये जाने की पुष्टि होती है । ग्राम पंचायत की कार्य समिति से अनुमोदन भी नहीं प्राप्त किया गया । अत: बिना नियमों के पालन किये, वित्तीय औचित्य के नियम के विपरीत इस तरह के भुगतान करके, स्वेच्छानुसार बिना उचित साक्ष्य के निजी स्वार्थ की पूर्ति किये जाने की ही पुष्टि होती है, जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256(2) 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है तथा उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गई धनराशि रू० 50248.00 को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नानबाबू यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - खजुरी **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 29 ग्राम पंचायत खजुरी वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त खाता संख्या 81018 से दिनांक 29.03.2022 को रू० 18130.00 की निकासी दर्शित है, जिसको कैशबुक में कहीं भी अंकन नहीं किया गया है । बैंक स्टेटमेंट से उक्त धनराशि का आहरण किया जाना स्पष्ट है । फलत: आहरित धनराशि को कैशबुक में अंकन न करके धन का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर उत्तरदायी हैं। जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256 (2) (क) से (ड़) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है । अत: रू० 18130.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - बैजनाथपुर **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 30 ग्राम पंचायत बैजनाथपुर में दिनांक 03.07.2021 को गुलाब स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक शौचालय के रख-रखाव हेतु रू० 36000.00 मानदेय के रूप में कैशबुक में दर्शाया गया है, किन्तु वह मानदेय किस दर से एवं किस माह से दिया गया, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका। इसके साथ ही भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कोई धनराशि प्राप्त करने का प्रमाणक भी संलग्न नहीं है। उक्त शौचालय भुगतान स्वयं सहायता समूह को कब हस्तगत कराया गया, यह भी साक्ष्य के अभाव में अपुष्ट रहा । अत: प्रमाणक विहीन उक्त भुगतान रू० 36000.00 उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256 (2) (क) से (ड़) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है और उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार यदि किसी भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, उसे गबन मानते हुए वसूली अपेक्षित है। अत: धनराशि रू० 36000.00 की ग्रामप्रधान श्रीमती अली मुन्निशा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नानबाबू यादव पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित समान रूप से निर्धारण करके वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 31 आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत बैजनाथपुर में विभिन्न तिथियों में निम्न सामग्री, नियमों का उल्लंघन करके इस प्रकार क्रय दर्शित हैं -

तिथि	नाम फर्म	नाम मद	भुगतान राशि	टिप्पणी
24.05.2021	इलियास ट्रेडर्स	सामग्री	152225.00	बिना टेण्डर व प्रमाणक के भुगतान
24.05.2021	एम०एस०ट्रेडर्स	सामग्री	105827.00	बिना टेण्डर व प्रमाणक के भुगतान
26.01.2021	दिया ब्रिकफील्ड	ईंट	108171.00	बिना टेण्डर व प्रमाणक के भुगतान
26.01.2021	दिया ब्रिकफील्ड	ईंट	121558.00	बिना टेण्डर व प्रमाणक के भुगतान

11.02.2022	श्री ट्रेडर्स	कुर्सी, मेज	51000.00	बिना कोटेशन व प्रमाणक के भुगतान
11.02.2022	गणपति ऑर्डर सप्लायर	कम्प्यूटर	60000.00	बिना कोटेशन व प्रमाणक के भुगतान
योग			598781.00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कैशबुक में दिनांक 24.05.2021 को क्रय सामग्री का कोई विवरण अंकित नहीं है तथा क्रय के सम्बन्ध में कोई बिल वाउचर, टेण्डर, कोटेशन, क्रय सामग्री के उपभोग में स्थलीय सत्यापन प्रमाण-पत्र, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अली मुन्निशा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नानबाबू यादव मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं । इस प्रकार उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 'क' के अन्तर्गत रू० 598781.00 को गबन मानते हुए तथा उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत वसूली योग्य है। अत: रू० 598781.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अली मुन्निशा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नानबाबू यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 32 ग्राम पंचायत बैजनाथपुर में दिनांक 26.07.2021 को आसिफ अहमद नामक व्यक्ति को प्रधान प्रशिक्षण हेतु रू० 13500.00 का भुगतान किया गया दर्शित है। लेकिन इसके लिए न तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश प्रस्तुत किया गया और न ही इसके लिए ग्राम पंचायत को कोई अलग से धनराशि ही प्राप्त हुई है। लेखा परीक्षा में इसका कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। फलत: भुगतान की सत्यता एवं औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अत: उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत तथा उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार गबन मानते हुए उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती अली मुन्निशा एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नानबाबू यादव पर अधिभार की कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित समान रूप से निर्धारण करके वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तेन्दुआबरांव विकास खण्ड - जमुनहां

प्रस्तर - 33 ग्राम पंचायत तेन्दुआबरांव में दिनांक 11.02.2022 को कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्म्त पर रू० 37510.00 एवं दिनांक 14.02.2022 को रू० 11328.00, कुल रू० 48838.00 का भुगतान दर्शित है, किन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित न तो कोई वाउचर प्रस्तुत किया गया और न ही जल प्रबन्धन समिति से इसका अनुमोदन प्राप्त किया गया है। हैण्डपम्प मरम्मत के पूर्व कोई तकनीकी रिपोर्ट हैण्डपम्प खराब होने की प्रस्तुत नहीं थी। किस स्थल का हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया, इसका स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: ग्राम निधि खाते से उक्त आहरित धनराशि का हैण्डपम्प मरम्मत दर्शाकर फर्जी समायोजन कर दिया गया है, जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार निमय 256(2) 'क' से 'ड़' तक अधिभार योग्य है। उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के के खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार भी बिना प्रमाणक भुगतान गबन की श्रेणी में आता है। अत: रू. 48838.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जाफरी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर से समान रूप से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 34 ग्राम पंचायत तेन्दुआबरांव में दिनांक 23.03.2022 को प्रशासनिक मद अंकित कर रू० 16580.00 का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन इसका कोई प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त भुगतान किस मद में क्यों किया गया है। बिना किसी प्रमाणक/साक्ष्य के इस तरह के भुगतान का कोई औचित्य नहीं है। अत: उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार निमय 256(2) 'क' से 'ड़' तक अधिभार योग्य है। उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार भी बिना प्रमाणक भुगतान गबन की श्रेणी में आता है। अत: रू.16580.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जाफरीएवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम किशोर से समान रूप से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरवंशपुर **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 35 ग्राम पंचायत हरवंशपुर में निम्न तिथियों में सामग्री क्रय दर्शाकर इस प्रकार भुगतान दर्शित है :-

क्र०सं०	तिथि	मद	धनराशि	टिप्पणी
1	25.05.2021	सामग्री	70612.00	कोटेशन एवं वाउचर अनुपलब्ध
2	25.05.2021	सामग्री	126978.00	निविदा/कोटेशन एवं वाउचर अनुपलब्ध
3	25.05.2021	सामग्री	113662.00	निविदा/कोटेशन एवं वाउचर अनुपलब्ध
4	26.05.2021	सामग्री	63885.00	कोटेशन एवं वाउचर अनुपलब्ध
5	26.05.2021	सामग्री	335411.00	निविदा/कोटेशन एवं वाउचर अनुपलब्ध
योग : -			710548.00	

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आयीं -

I. सामग्री क्रय करने के पूर्व ग्राम पंचायत के सक्षम समिति (निर्माण कार्य समिति) से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और न ही ग्राम पंचायत द्वारा उससे सम्बन्धी कार्य कराये जाने का प्रस्ताव पारित था।

II. बिना कोटेशन/निविदा प्राप्त किये इस तरह का भुगतान कर देने से ग्राम पंचायत के सरकारी क्रय सिद्धांत का लाभ नहीं मिल सका।

III. बिना प्रमाणक के मात्र सामग्री क्रय अंकित कर भुगतान किया जाना नियमों का उल्लंघन एवं फर्जी व्यय की पुष्टि करता है। सामग्री का विवरण भी नहीं ज्ञात हो सका ।

IV. आलोच्य वर्ष में न तो स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया और न ही कोई कार्य कराने की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्य योजना इत्यादि प्रस्तुत किया गया।

अत: उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है तथा उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान को गबन मानते हुए रू० 710548.00 उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री उमाशंकर जैसवार से मय ब्याज के समान रूप से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 36 दिनांक 22.05.2021 को कैशबुक में क्रमश: रू० 31005.00, रू० 36444.00, रू० 31271.00 एवं 31055.00 कुल रू० 129775.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया दर्शित है, किन्तु न तो इसका कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया, न हैण्डपम्प रिबोर का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और न ही शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-17-46/2015 का पालन किये जाने की ही पुष्टि होती है। जिसके अनुसार बिना तकनीकी कर्मी जैस- जे० ई०एम० आई० एवं जे०ई०आर०ई०डी० अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किये तथा जल निगम के मार्गनिर्देशिका का शतप्रतिशत अनुपालन किये बिना न किया जाय। हैण्डपम्प की रिबोरिंग में जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किये जाने की पुष्टि भी नहीं होती। उक्त शासनादेश के अनुसार रिबोर किये गये हैण्डपम्पों की फोटों एवं जी०ओ०टैगिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि नहीं होती।

अत: बिना प्रमाणक एवं नियमों के विपरीत इस तरह का भुगतान किया जाना फर्जी है, जो उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है तथा उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार गबन मानते हुए वसूली योग्य है। अत: रू० 129775.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शबनम एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री उमाशंकर जैसवार से मय ब्याज के बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -लक्ष्मणपुर सेमरहनिया **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 37

ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर सेमरहनिया में दिनांक 02.09.2021 को ग्राम निधि खाता संख्या 2811 से रू० 2000.00 की निकासी की गयी। लेकिन इसका अंकन कैशबुक में न करके ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा अपहरण कर लिया गया है। यह उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार नायक एवं ग्राम प्रधान श्री कैलाश नाथ से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 38 ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर सेमरहनिया में दिनांक 02.09.2021 को रू० 22910.00 का भुगतान साफ-सफाई अंकित कर कैशबुक में खारिज किया जाना दर्शित है। पुन: दिनांक 01.12.2021 को रू० 4848.00 दो बार और साफ-सफाई पर व्यय दर्शाया गया है। जबकि प्रदत्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में सरकारी वेतन पर सफाई कर्मी की तैनाती है। जो ग्राम पंचायत सफाई हेतु ही नियुक्त है । ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कार्य पर अलग भुगतान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त कुल भुगतान रू० 32606.00 से सम्बन्धित कोई प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: कुल रू० 32606.00 मनमाने ढंग से आहरित करके फर्जी समायोजन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया, जो उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 'क' का उल्लंघन है। जिसके अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की जानी अपेक्षित है। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य नियमावली 1947 के अधिभार निमय संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' तक में अधिभार योग्य है। अत: ग्राम प्रधान श्री कैलाशनाथ एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार नायक से रू० 32606.00 की वसूली मय ब्याज के की जानी अपेक्षित है।

अत: उपरोक्त आपत्तियों की कुल धनराशि रू० 34606.00 की वसूली मय ब्याज के ग्राम प्रधान श्री कैलाशनाथ एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप कुमार नायक से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - दोदीपुरवा **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 39 ग्राम पंचायत दोदीपुरवा में दिनांक 29.07.2021 को ग्राम सफाई दर्शाते हुए कैशबुक में रू० 38760.00 का भुगतान किया गया है, लेकिन प्रदत्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में सरकारी वेतन भोगी कर्मचारी सफाईकर्मी के रूप में तैनात है तथा उक्त भुगतान के औचित्य की पुष्टि में न तो कोई प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित कराया गया। अत: मनमानें ढंग से खाते से धन का आहरण करके सफाई के नाम पर फर्जी समायोजन दर्शाते हुए धन का अपहरण कर लिया गया है, जो उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम 256(2) के 'क' से 'ड़' तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। साथ ही उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष यदि कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से समान रूप में मय ब्याज की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 40 ग्राम पंचायत दोदीपुरवा में दिनांक 14-08-2021 को क्रमश: तीन बार, रू० 31300.00, रू० 31500.00 एवं रू० 31200.00 कुल रू० 94000.00 का भुगतान आर०डी०ऑर्डर सप्लायर के नाम से कैशबुक में हैण्डपम्प रिबोर हेतु किया गया है, किन्तु न तो इसका कोई प्रमाणक/वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया और न ही स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट ही प्रस्तुत रहा। प्रस्तुत अभिलेखों से निर्माण कार्य समिति द्वारा उक्त कार्य कराये जाने का कोई प्रस्ताव भी पारित किये जाने की पुष्टि नहीं हेाती। हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने सम्बन्धी किसी टेक्नीशियन/जे०ई०, एम०आई० जल निगम द्वारा कोई रिबोर सम्बन्धी रिपोर्ट भी किये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में इस भुगतान को उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' तक में अधिभार योग्य माना जायेगा तथा प्रमाणक विहीन भुगतान होने के कारण उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के

अध्याय 8 के खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार गबन मानते हुए वसूली अपेक्षित है। जिसे उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल एव ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से मय ब्याज के वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 41 ग्राम पंचायत दोदीपुरवा में दिनांक 24-03-2022 को कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय दर्शाकर कैशबुक में रू० 51000.00 का भुगतान सांईं ट्रेडर्स के नाम से किया गया है। इसे क्रय करने के पूर्व न तो कोई कोटेशन प्राप्त किया गया और न ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित था। इसे स्टॉक रजिस्टर बनाकर उसमें तिथिवार अंकित किया जाना चाहिए था। किन्तु स्टॉक रजिस्टर बनाया ही नहीं गया है और क्रय सम्बन्धी उक्त फर्म का कोई बाउचर/कैशमैमों भी प्रस्तुत नहीं किया गया। फलत: ग्राम पंचायत के हित में उक्त क्रय सामग्री की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी। डेड स्टॉक पंजिका न बनाये जाने से डेड स्टॉक का कोई विवरण भी प्राप्त नहीं हो सका। अत: बिना नियमों के पालन किये ही मनमाने ढंग से धन का आहरण करके फर्जी समायोजन कर दिया गया है। जो उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 के बिन्दु 'क' के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान को गबन माना जायेगा तथा उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' तक के अन्तर्गत अधिभार योग्य है ।

अत: रू० 51000.00 की वसूली मय ब्याज के समान रूप से ग्राम प्रधान श्री राम गोपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - आलागांव **विकास खण्ड - जमुनहां**

प्रस्तर - 42 ग्राम पंचायत आलागांव वर्ष 2021-22 में बिना प्रमाणक के निम्न तिथियों में सामग्री क्रय दर्शाकर कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है -

क्र०सं०	तिथि	मद	धनराशि	टिप्पणी
1	18.02.2021	सामग्री	21970.00	बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान
2	07.02.2022	सामग्री	42373.00	बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान
3	07.02.2022	ईंट	40880.00	बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान
4	21.03.2022	स्ट्रीट लाईट	96500.00	बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान
5	21.03.2022	स्ट्रीट लाईट	96500.00	बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान
योग : -			298223.00	

उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न गम्भीर आपत्तियां प्रकाश में आयीं -

I. बिना प्रमाणक एवं कोटेशन के भुगतान नियमानुसार स्वत: फर्जी है।
II. ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य समिति एवं ग्राम सभा की खुली बैठक में इसका अनुमोदन व प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिसकी अभिलेखों से पुष्टि नहीं होती।
III. सामग्री का प्रयोग कहां किया गया, इसका कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
IV. नियमानुसार स्ट्रीट लाइट सरकारी फर्म यूपीनेडा से क्रय किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रमाणक अनुपलब्ध रहने से अज्ञात रहा, इसको कहां लगाया गया, स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो नहीं प्रस्तुत रहा।
V. स्टॉक रजिस्टर में उपरोक्त क्रय सामग्री को आमद प्रयुक्त व अवशेष का विवरण अंकित नहीं होने से सामग्री क्रय एवं अवशेष की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के अधिभार नियम संख्या 256(2) के 'क' से 'ड़' के अन्तर्गत अधिभार योग्य है तथा उ०प्र० पंचायती राज वित्त एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8 'क' के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली अपेक्षित है।

अत: उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री इस्राइल खान एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री उमाशंकर जैसवार से रू० 298223.00 की बराबर-बराबर वसूली ब्याज सहित निर्धारण करके की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पूरे प्रसाद **विकास खण्ड - सिरसिया**

प्रस्तर - 43 वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत पूरे प्रसाद की ग्राम निधि-1 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में केशबुक (राजवित) में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
16/02/2	10	हयूम पाइप सम्बन्धी	13860.0
व्यय			13860.0

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक के अभाव में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नन्द किशोर उत्तरदायी है ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश प्रचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड) के अंतर्गत उक्त धनराशि अधिभार योग्य है। अतः रुपया 13860.00 की वसूली व्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री घसीटे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नन्द किशोर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जमुनी कला **विकास खण्ड - सिरसिया**

प्रस्तर - 44 वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत जमुनी कला की ग्राम निधि-1 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में कैशबुक (राजवित) में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

दिनांक	प्रमाणक संख्या	विवरण	धनराशि
22/01/2	22	हैंडपंप रिबोर सम्बन्धी	93600.0
व्यय			93600.0

उपरोक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक एवं हैंडपंप खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट प्राकलन स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि के अभाव में व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक हैंडपंप खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट प्राकलन स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट आदि के अभाव में व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम हर्ष तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रक्षाराम गुप्ता उत्तरदायी हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 (2) (क) से (ड) के अंतर्गत उक्त धनराशि अधिभार योग्य है। अतः रुपया 93600.00 की वसूली ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम हर्ष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रक्षाराम गुप्ता से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम-देवरिया **मण्डल का नाम-गोरखपुर**

प्रारुप - 04

वार्षिक प्रतिवेदन-2021-2022

ग्राम पंचायत के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरणः-

ग्राम पंचायत- रेवली विकास खण्ड- भागलपुर जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-01- दिनांक 05.04.2021 को कुल निकासी रू0 267848.00 की गयी है, किन्तु उक्त निकासी की पुष्टि में व्यय, प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः रू० 267848.00 अपहरित है, जिसके लिए प्रशासक/खण्ड विकास अधिकारी श्रीमती मीना सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह उत्तरदायी है।आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
267848.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत- बंसहिया विकास खण्ड- गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-02- ग्राम पंचायत बंसहिया के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण निम्नवत् है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण/कार्य का नाम	धनराशि
1.	23.04.2021	इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	56412.00
2.	23.04.2021	सामग्री क्रय	210374.00
3.	23.04.2021	मजदूरी भुगतान	39861.00
		योग	**306647.00**

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कार्ययोजना, व्यय प्रमाणकः मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, परिसंपति पंजिका आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत

रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इकाई द्वारा उक्त व्यय के साक्ष्य में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही व्यय के विवरण का किसी साक्ष्य से पुष्टि करायी गयी। स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती प्रियंका मल्ल् एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर कुल रू0 306647.00 की निकासी दर्शाकर मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए व्याज सहित वसूली मय ब्याज सचिव श्रीमती प्रियंका मल्ल एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
306647.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत- ककवल विकास खण्ड- गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-03- वर्ष लेखा परीक्षा 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक बचत खाता संख्या-150700010264110 (राज्य वित्त योजना) पंजाब नेशनल बैंक,शाखा देवरिया से धनराशि आहरित की गयी है। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण/कार्य का नाम	धनराशि
1.	13.05.2021	सामग्री क्रय	125288.00
2.	24.05.2021	सफाई कार्य	5712.00
3.	24.05.2021	मजदूरी भुगतान	6732.00
		योग	**137732.00**

उपरोक्त निकासी से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या-202), व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या-209) आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 137732.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संजय पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती प्रियंका मल्ल से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
137732.00	**00.00**	**00.00**

प्रस्तर संख्या-04- ग्राम पंचायत ककवल के वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	दिनांक	विवरण/कार्य का नाम	धनराशि
1.	07.05.2021	मजदूरी भुगतान	102014.00
2.	10.05.2021	इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर	42500.00
		योग	**144514.00**

(क) क्रम संख्या 1 पर मजदूरी भुगतान भगवान दास पी.जी. महाविद्यालय ककवल पर कायाकल्प के अन्तर्गत कार्य पर मजदूरी हेतु रू0 102014.00 दर्शित है। उक्त संस्था ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति नहीं होती है। उक्त व्यय की पुष्टि में मस्टररोल, कार्ययोजना एस्टीमेन्ट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। लेखा परीक्षा में उक्त बाबत संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही किसी साक्ष्य से पुष्टि करायी गयी।

(ख) क्रम संख्या 2 पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर पर रू0 42500.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त भुगतान की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक परिसंपत्ति पंजीका त्रिस्तरीय फोटोग्राफी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः रू0 42500.00 अपहरित है। कुल धनराशि रू0 144514.00 अपहरित है। अतः रू0 144514.00 की वसूली मय ब्याज सचिव श्रीमती प्रियंका मल्ल एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
144514.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत- धनौती विकास खण्ड- गौरी बाजार जनपद-देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-05-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक बचत खाता सं0-5004873853 (राज्य वित्त योजना) इण्डियन बैंक शाखा विकास भवन देवरिया से धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नही किया गया है। विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	17-05-2021	6160.00
2.	17-05-2021	13272.00
3.	24-05-2021	20000.00
	योग	**39432.00**

उपरोक्त निकासी से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154) स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र (नियम संख्या 209) आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 39432.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संजय पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबरबराबर- किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
39432.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-06-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक बचत खाता सं0-50521758153 (केन्द्रिय वित्त योजना) इण्डियन बैंक शाखा विकास भवन देवरिया से धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	03.05.2021	14260.00

उपरोक्त निकासी से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 14260.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्री संजय पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबरबराबर- किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
14260.00	00.00	**00**.00

<u>प्रस्तर संख्या-07-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक बचत खाता संख्या 5004873853 (राज्य वित्त योजना) इण्डियन बैंक शाखा विकास भवन देवरिया से धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
1.	02.11.2021	20000.00
2.	05.11.2021	20000.00
3.	15.11.2021	208300.00
4.	25.11.2021	110000.00
5.	25.11.2021	115000.00
6.	08.12.2021	124500.00
7.	08.12.2021	12500.00
8.	14.12.2021	86500.00
9.	22-12-2021	13464.00
10.	12-01-2022	179000.00
11.	12-01-2022	6000.00
12.	21-01-2022	30396.00
13.	21-01-2022	46000.00
14.	29-01-2022	64668.00
15.	19-02-2022	21000.00
	योग	**1057328.00**

उपरोक्त निकासी से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण

पत्र (नियम संख्या 209) आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 1057328.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री जमालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबरबराबर- किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1057328.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-08-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-2022 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक बचत खाता संख्या 5004873853 (राज्य वित्त योजना) इण्डियन बैंक शाखा विकास भवन देवरिया से धनराशि आहरित की गयी है, जिसका विस्तृत विवरण कोषवही में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	**दिनांक**	**धनराशि**
1.	08-11-2021	60000.00
2.	10-11-2021	80000.00
3.	14-12-2021	70000.00
4.	14-12-2021	109000.00
5.	22-12-2021	33456.00
6.	12-01-2021	4307.00
7.	18-01-2021	35496.00
8.	18-01-2011	70400.00
9.	26-01-2022	26724.00
10.	26-01-2022	96000.00
11.	28-01-2022	20000.00
12.	31-01-2022	175000.00
13.	04-02-2022	60000.00
14.	15-02-2022	60000.00
15.	15-02-2022	102000.00
16.	15-02-2022	14688.00
17.	15-02-2022	8000.00
18.	28-03-2022	12000.00
	योग	**1037071.00**

उपरोक्त निकासी से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 एवं 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209) आदि अभिलेख लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त निकासी को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 1037071.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री जमालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1037071.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत- लवकनी विकास खण्ड- गौरी बाजार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-09- ग्राम पंचायत लवकनी के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा के राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	07.05.2021	सामग्री क्रय	79764.00
2	07.05.2021	प्रशासनिक मद में व्यय	28550.00
3	07.05.2021	सामग्री क्रय	19017.00
4	12.05.2021	सामग्री क्रय	61929.00
5	21.05.2021	सामग्री क्रय	142500.00
6	29.05.2021	सामग्री क्रय	85120.00
		योग	**416880.00**

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, परिसंपत्ति पंजिका आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। ईकाई द्धारा उक्त व्यय के साक्ष्य में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है और न ही व्यय के विवरण का किसी साक्ष्य से पुष्टि करायी गयी। स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती अपराजिता यादव एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर कुल रू0 416880.00 की निकासी दर्शाकर से अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
416880.00	**00.00**	**00.00**

प्रस्तर संख्या-10- ग्राम पंचायत लवकनी के वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा के केन्द्रीय वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण निम्नलिखित है।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	धनराशि
1.	15-04-2021	मजदूरी भुगतान	39879.00
2.	15.05.2021	सामग्री क्रय	25977.00
3.	17-04-2021	सामग्री क्रय	169665.00
4.	17-04-2021	मजदूरी भुगतान	57822.00
5.	17-04-2021	सामग्री क्रय	29114.00
6.	17-04-2021	इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रीबोर	142500.00
7.	17-04-2021	सामग्री क्रय	105549.00
8.	17-04-2021	इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प रीबोर	36450.00
9.	17-04-2021	सामग्री क्रय	170000.00
10.	21-04-2021	सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान	212475.00
11.	21-04-2021	मजदूरी भुगतान	33099.00
12.	01-05-2021	मजदूरी भुगतान	20100.00

13.	01-05-2021	हयूम पाइप क्रय	91750.00
14.	29-06-2021	सामग्री क्रय	121600.00
15.	29-06-2021	सामग्री क्रय	97280.00
		योग	**1353260.00**

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, माप पुस्तिका, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, परिसंपत्ति पंजिका आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। उक्त व्यय की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। ईकाई द्धारा उक्त व्यय के साक्ष्य में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है और न ही व्यय के विवरण का किसी साक्ष्य से पुष्टि करायी गयी। स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती अपराजिता यादव एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर कुल रू0 1353260.00 की निकासी दर्शाकर मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली सचिव श्रीमती अपराजिता यादव एवं प्रशासक श्री संजय पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1353260.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत- कुण्डौली विकास खण्ड- लार जनपद-देवरिया

प्रस्तर संख्या-11- ग्राम पंचायत कुण्डौली में ग्राम निधि प्रथम इंडियन) बैंक, देवरिया के खाते से निम्न प्रकार व्यय किया गया है -

(1)राज्य वित्त -

क्र० स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	21-04-2021	80000.00
2.	21-04-2021	125000.00
3.	21-04-2021	14450.00
4.	21-04-2021	38500.00
5.	03-05-2021	140000.00
6.	03-05-2021	81000.00
7.	03-05-2021	14000.00
	योग	**492950.00**

2. केन्द्रीय वित्त -

क्र०स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	21-04-2021	132000.00

राज्य वित्त के खाता स०50048864475 से दिनांक 21-04-2021 को रु० 257950.00 एवं दिनांक 03-05-2021 को रु० 235000.00 आहरित किया गया है | कुल मिलाकर रु० 492950.00 की धनराशि आहरित किया गया है | केन्द्रीय वित्त के खाता स०50521761891 से दिनांक 21-04-2021 को रु०132000.00 की धनराशि आहरित की गयी है , राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त को मिलाकर रु०624950.00 की धनराशि आहरित किया गया है |उक्त व्यय किस मद में किया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं है, और न ही वाउचर क्रमांक अंकन किया गया है | उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर, प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,मस्टररोल ,माप पुस्तिका एवं चरण बद्ध फोटो, निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए |उक्त व्यय पंचायत चुनाव 2021 के दौरान नियुक्त प्रशासक एवं पंचायत सचिव द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है | इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु० 624950.00 की वसूली श्रीमती सुधा सिंह (प्रशासक) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव कुमार सिंह से तातारित ब्याज सहित बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है|

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
624950.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - नदौली विकास खण्ड - लार जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-12- ग्राम पंचायत नदौली में सोख्ता (20अदद) निर्माण कार्य हेतु दिनांक 05-11-2021 को रु० 80000.00 आहरण किया गया है | उक्त व्यय ग्राम निधि प्रथम के (केन्द्रीय वित्त) खाता स० 50529167694 इंडियन बैंक देवरिया से किया गया है |उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947के नियम स०152 एवं 154), कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ,माप पुस्तिका, मस्टररोल एवं चरणबद्ध फोटो,निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये | ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए | इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु० 80000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामानंद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव कुमार सिंह से तातारित ब्याज सहित बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
80000.00	00.00	00.00

<u>ग्राम पंचायत - पिण्डी विकास खण्ड - लार जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-13-</u> ग्राम पंचायत पिण्डी में ग्रामनिधि प्रथम (इंडियन बैंक ,देवरिया) के खाते से निम्न प्रकार व्यय किया गया है -

(1) राज्य वित्त -

क्र० स०	**दिनांक**	**आहरित धनराशि**
1.	05-04-2021	12000.00
2.	05-04-2021	29800.00
3.	05-04-2021	70000.00
4.	05-04-2021	12000.00
5.	05-04-2021	29800.00
6.	05-04-2021	7800.00
7.	05-04-2021	7800.00
8.	05-04-2021	86900.00
9.	05-04-2021	7800.00
10.	05-04-2021	22000.00
11.	05-04-2021	50000.00
12.	05-04-2021	11000.00
13.	05-04-2021	24000.00
14.	05-04-2021	52000.00
15.	05-04-2021	43000.00
16.	05-04-2021	43100.00
17.	05-04-2021	34700.00
18.	05-04-2021	19400.00
19	05-04-2021	14000.00
20.	05-04-2021	40000.00
21.	05-04-2021	90000.00
22.	07-04-2021	19400.00
	योग	**726500.00**

(2) केन्द्रीय वित्त -

क्र०स०	**दिनांक**	**आहरित धनराशि**

1.	05-04-2021	230000.00
2.	05-04-2021	10000.00
3.	05-04-2021	25000.00
4.	05-04-2021	140000.00
5.	05-04-2021	40000.00
6.	05-04-2021	230000.00
7.	30-04-2021	225000.00
8.	30-04-2021	20000.00
	योग	**920000.00**

राज्य वित्त के खाता स० 50048849774 से दिनांक 05-04-2021 को रु० 707100.00 एवं दिनांक 07-04-2021को रु० 19400.00 आहरित किया गया है ,कुल मिलाकर रु०726500.00 आहरित किया गया है | केन्द्रीय वित्त के खाता स०50521762216 से दिनांक 05-04-2021 को रु० 675000.00 एवं दिनांक 30-04-2021 को रु०245000.00 आहरित किया गया है ,कुल मिलाकर रु०920000.00 की धनराशि आहरित की गयी है | राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त को मिलाकर रु०1646500.00 आहरित किया गया है | उक्त व्यय किस मद में किया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं है ,और न ही वाउचर क्रमांक अंकन किया गया है | उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154), कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,मस्टररोल ,माप पुस्तिका एवं चरण बद्ध फोटो,निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए | उक्त व्यय पंचायत चुनाव 2021 के दौरान नियुक्त प्रशासक एवं पंचायत सचिव द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है | इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु० 920000.00 एवं 726500.00 (कुल रु० 1646500.00) की वसूली श्रीमती सुधा सिंह (प्रशासक) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव कुमार सिंह से तातारित ब्याज सहित बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1646500.00	00.00	**00**.00

<u>ग्राम पंचायत - रुच्चापार विकास खण्ड - लार जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-14-</u> ग्राम पंचायत रुच्चापार में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक ,देवरिया) के खाते से निम्न प्रकार व्यय किया गया है -

(1) केन्द्रीय वित्त

क्र०स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	03-05-2021	20000.00
2.	03-05-2021	5000.00
3.	03-05-2021	5000.00
4.	03-05-2021	245000.00
5.	03-05-2021	49500.00
6.	12-05-2021	31700.00
7.	12-05-2021	10300.00
8.	12-05-2021	64400.00
9.	12-05-2021	11100.00
10.	12-05-2021	90000.00
11.	12-05-2021	10000.00
	योग	**542000.00**

(2) राज्य वित्त -

क्र० स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	03-05-2021	100000.00
2.	03-05-2021	7000.00
	योग	**107000.00**

राज्य वित्त के खाता स० 50048859238 से दिनांक 03-05-2021 को रु० 107000.00 एवं केन्द्रीय वित्त के खाता स०50521761653 से दिनांक 03-05-2021 को रु०324500.00 एवं दिनांक 12-05-2021 को रु०217500.00 आहरित किया गया है, कुल मिलाकर रु०542000.00 की धनराशि आहरित की गयी है | राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त को मिलाकर रु०649000.00 आहरित किया गया है | उक्त व्यय किस मद में किया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं है ,और न ही वाउचर क्रमांक अंकन किया गया है | उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154), कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,मस्टररोल ,माप पुस्तिका एवं चरण बद्ध फोटो, निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए | उक्त व्यय पंचायत चुनाव 2021 के दौरान नियुक्त प्रशासक एवं पंचायत सचिव

द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है | इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है ,अतः रु० 649000.00 की वसूली श्रीमती सुधा सिंह (प्रशासक) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव कुमार सिंह से तातारित ब्याज सहित बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
649000.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - सुतावर विकास खण्ड - लार जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-15- ग्राम पंचायत सुतावर में ग्राम निधि प्रथम (इंडियन बैंक ,देवरिया) के खाते से निम्न प्रकार व्यय किया गया है-

(1) राज्य वित्त -

क्र० स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	05-04-2021	235000.00

(2) केन्द्रीय वित्त -

क्र०स०	दिनांक	आहरित धनराशि
1.	05-04-2021	84000.00
2.	05-04-2021	82000.00
3.	05-04-2021	51500.00
	योग	**217500.00**

राज्य वित्त के खाता स० 50048857435 से दिनांक 05-04-2021 को रु० 235000.00 आहरित किया गया है | केन्द्रीय वित्त के खाता स०50521763300 से दिनांक 05-04-2021 को कुल मिलाकर रु०217500.00 की धनराशि आहरित किया गया है | राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त को मिलाकर रु०452500.00 की धनराशि आहरित किया गया है | उक्त व्यय किस मद में किया गया है कैशबुक में दर्शित नहीं है ,और न ही वाउचर क्रमांक अंकन किया गया है | उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर ,प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 152 एवं 154) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र मस्टररोल माप पुस्तिका एवं चरण बद्ध फोटो निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली प्रशासक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए | उक्त व्यय पंचायत चुनाव 2021 के दौरान नियुक्त प्रशासक एवं पंचायत सचिव द्वारा मनमाने ढंग से किया गया है | इस

प्रकार स्पष्ट है कि बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से खर्च कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है अतः रु० 452500.00 की वसूली श्रीमती सुधा सिंह (प्रशासक) एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वैभव कुमार सिंह से तातारित ब्याज सहित बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है | **(आपत्ति संख्या 01)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
452500.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - तारा सारा विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-16- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया शाखा रुद्रपुर के खाता संख्या 305002010026355 द्वारा दिनांक 17.02.2022 को रुपया 8000.00 व्हील चेयर पर भुगतान कैशबुक में दर्शाए गये है,जिस पर निम्न आपत्तिया है -

क्रमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1.	17.02.2022	व्हील चेयर पर भुगतान	8000.00
		योग	**8000.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 8000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए |

अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 8000.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धनन्जय यादव एवं प्रधान श्री प्रेमचन्द से किया जाना अपेक्षित है |

सा०आ०सं० - 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
8000.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - धरमपुर विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-17- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से पंजाब नेशनल बैंक,स्टेशन रोड देवरिया के खाता संख्या 1507000102646642 द्वारा दिनांक 07.05.2021 को रुपया 23653.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह पता नही चल सका की किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प ख़राब थे ,जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया | निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही |डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया |

2. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही | तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचयत /डी०एम० द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा|

3. ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम /2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा ,लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी | परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प स्थापित है |

4. उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा|

अत: रुपया 23653.00 की धनराशि दुरुपयोगित है,जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर गौतम एवं प्रधान श्री सच्चिदानन्द संयुक्त रूप से उत्तरदायी है| आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है **| सा०आ०सं० - 01**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	23653.00	00.00

ग्राम पंचायत - बेलवा दुबौली विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-18- वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से इंडियन बैंक देवरिया शाखा विकास भवन के खाता संख्या 50521757182 द्वारा 15वा वित्त की धनराशि दिनांक 23.08.2021 को रुपया 224000.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह पता नही चल सका की किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प ख़राब थे ,जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया | निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही |डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया |

2. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही | तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचयत /डी०एम० द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा|

3. ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम /2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा ,लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी | परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प स्थापित है |

4. उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा|

अत: रुपया 224000.00 की धनराशि दुरुपयोगित है,जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मदन मोहन पाठक एवं प्रधान श्रीमती सरिता देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है |आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है **|**

सा०आ०सं० 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**224000.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - मदनपुर विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-19- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से इंडियन बैंक देवरिया शाखा विकास भवन के खाता संख्या 50521758801 द्वारा कैशबुक में निम्नांकित पर ब्यय दर्शाए गये है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

क्र०	कार्य का नाम	दिनांक	मद	धनराशि
1.	बनकट में बहादुर के घर से माधो के घर तक नाली कार्य	19.07.2021	मजदूरी	30240.00
		22.07.2021	सामग्री	70795.00
		22.07.2021	गिट्टी क्रय	52271.00
		22.07.2021	ईट क्रय	59755.00
	योग			**213061.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 213061.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए

गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए | अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 213061.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलवीर कुमार यादव एवं प्रधान श्री अली आजम से किया जाना अपेक्षित है | **सा०आ०सं० - 01**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
213061.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-20-</u> लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से इंडियन बैंक देवरिया शाखा विकास भवन के खाता संख्या 50048868991 द्वारा कैशबुक में निम्नांकित पर ब्यय दर्शाए गये है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

क्र०	कार्य का नाम	दिनांक	मद	धनराशि
1.	समीम शाह के घर से नसीम शाह के घर तक इंटरलाकिंग कार्य	16.10.2021	सामग्री क्रय	82832.00
		16.10.2021	मजदूरी भुगतान	8330.00
2.	छन्ने के घर से मस्जिद तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	16.10.2021	सामग्री क्रय	163061.00
		16.10.2021	मजदूरी भुगतान	15580.00
3.	रव्वुल के घर से गुड्डू दीवान के घर तक इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	16.10.2021	मजदूरी भुगतान	12490.00
		17.10.2021	सामग्री क्रय	121710.00
4.	प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर विद्युत बिल पर व्यय	13.12.2021	बिल	15000.00
5.	प्राथमिक विद्यालय (2) पर विद्युत बिल पर व्यय	13.12.2021	बिल	15000.00
	योग			**434003.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी पत्रावली/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 434003.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए | अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 434003.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलवीर कुमार यादव एवं प्रधान श्री अली आजम से किया जाना अपेक्षित है **(सा०आ०सं० - 02)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
434003.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - महदहा विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-21- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से इंडियन बैंक देवरिया शाखा विकास भवन के खाता संख्या 50048869665 द्वारा दिनांक 11.05.2021 को रुपया 23400.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह पता नही चल सका की किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प ख़राब थे ,जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया | निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही |डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया |

2. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही | तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचयत /डी०एम० द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा|

3. ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम /2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा ,लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी | परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प स्थापित है

4. उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा| अत: रुपया 23400.00 की धनराशि दुरुपयोगित है,जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मदन मोहन पाठक एवं प्रधान श्रीमती शब्या देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है| आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

सा०आ०सं० - 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	23400.00	00.00

ग्राम पंचायत - रामचक विकास खण्ड - रुद्रपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-22- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त से इंडियन बैंक देवरिया शाखा विकास भवन के खाता संख्या 50048931001 द्वारा कैशबुक में निम्नांकित ब्यय दर्शाए गये है,जिस पर निम्न आपत्तिया है -

क्रमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1.	30.09.2021	स्टेशनरी पर ब्यय	20000.00
2.	30.09.2021	विधान सभा चुनाव हेतु ब्यय	20000.00
3.	30.09.2021	प्रशासनिक मद पर ब्यय	35000.00
		योग	**75000.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 75000.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए |

अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 75000.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बलवीर कुमार यादव एवं प्रधान श्रीमती इसरावती देवी से किया जाना अपेक्षित है |

सा०आ०सं० - 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
75000.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत-टीकमपार विकास खण्ड - भाटपाररानी जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-23- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त के इंडियन बैंक के खाता संख्या 50048813963 द्वारा कैशबुक में पंचायत भवन मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर निम्नांकित ब्यय दर्शाए गये है -

क्रमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1.	26.04.2021	सामग्री क्रय	45500.00
2.	10.05.2021	सामग्री क्रय	44640.00
		योग	**90140.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 90140.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि

को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए |

अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 90140.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मानवेन्द्र शाह एवं ग्राम प्रधान श्री रामनारायण से किया जाना अपेक्षित है |

सा०आ०सं० - 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
90140.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत- बखरी विकास खण्ड - बनकटा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या- 24- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त के सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बंगरा बाजार भाटपाररानी के झट संख्या 3832979940 द्वारा कैशबुक में मुन्ना के घर से रामप्रीत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर निम्नांकित ब्यय दर्शाए गये है :-

क्रमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1.	25.09.2021	मजदूरी	14052.00
2.	25.09.2021	ईट क्रय	23711.00
3.	25.09.2021	ईट क्रय	83418.00
4.	25.09.2021	सामग्री क्रय	28028.00
		योग	**149209.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 149209.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए | अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 149209.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज प्रताप एवं प्रधान श्री धनश्याम से किया जाना अपेक्षित है **सा०आ०सं० - 01**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
149209.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत-सिरसिया पवार विकास खण्ड-बनकटा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-25- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त के इंडियन बैंक के खाता संख्या 50521690476 द्वारा कैशबुक में प्रभु गौंड के घर के सामने से उत्तर की तरफ बिहार सिवान तक इंटरलाकिंग कार्य पर निम्नांकित ब्यय दर्शाए गये है -

क्रमांक	दिनांक	मद	धनराशि
1.	07.06.2021	सामग्री क्रय	13668.00
2.	07.06.2021	ईट क्रय	92512.00
3.	07.06.2021	मजदूरी	27577.00
4.	07.06.2021	सामग्री क्रय	25374.00
		योग	**159131.00**

उक्त ब्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है | अत: रुपया 159131.00 की निकासी कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार ब्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ब्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए | अत: बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से समायोजित कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अत: रू० 159131.00 की वसूली तातारित ब्याज सहित बराबर बराबर ग्राम पंचायत अधिकारी श्री तेज प्रताप एवं प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से किया जाना अपेक्षित है **सा०आ०सं० - 01**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
159131.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - दोहनी विकास खण्ड - भलुअनी जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-26- वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया,खुखुन्दू देवरिया के खाता संख्या 3833701826 द्वारा 15वा वित्त की धनराशि दिनांक 25.03.2022 को रुपया 98000.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है, जिस पर निम्न आपत्तिया है -

1. हैण्डपम्प मरम्मत में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग पत्र सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह पता नही चल सका की किन किन स्थलों पर हैण्डपम्प ख़राब थे ,जिन पर उक्त धन का व्यय किया गया | निष्प्रयोजित सामग्री की बिक्री से आय भी अज्ञात रही |डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया |

2. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही | तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई/जिला पंचयत /डी०एम० द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, परन्तु उक्त का पालन नही किया गया है,जो आपत्तिजनक रहा

3. ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम /2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नये इण्डिया मार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेय जल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा ,लेकिन परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी | परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि ग्राम पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प स्थापित है |

4. उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इण्डिया मार्का -2 हैण्डपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा|अत: रुपया 98000.00 की धनराशि दुरुपयोगित है,जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लल्लन पाण्डेय एवं प्रधान श्री दीनानाथ संयुक्त रूप से उत्तरदायी है | आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

सा०आ०सं० - 01

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
00.00	**98000.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - अम्मा पाण्डेय विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-27-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048843998 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	23.04.21	45000.00
02	26.04.21	4920.00
03	03.05.21	20000.00
04	03.05.21	70000.00
	योग	**139920.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 139920.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
139920.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-28-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521719511 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	23.04.21	160000.00
02	23.04.21	55000.00
03	23.04.21	20000.00
04	23.04.21	60000.00
	योग	**295000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू० 295000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
295000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - अजयपुरा विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-29-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 01 दिनांक 19.04.21 द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर पर रू0 126000.00 एवं प्रमाणक संख्या 06 दिनांक 26.04.21 द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 28800.00 कुल रू0 154800.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली एवं हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना, मरम्मत हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं हैण्ड पम्प रिबोर एवं मरम्मत उपरान्त सत्यापन रिर्पोट एवं चरणबद्ध फोटो लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए।

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 154800.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
154800.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-30-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से प्रशासनिक मद पर निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	02	19.04.21	स्टेशनरी	10000.00
02	03	19.04.21	कुर्सी, मेज आदि	24000.00
03	04	21.04.21	विभिन्न सामग्री	20000.00
योग				**54000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उ0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अधयाय 07 के प्रस्तर 07 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूपपत्र 25 पर रखी जायेगी जिसमे क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 54000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
54000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-31-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से प्रमाणक संख्या 05 दिनांक 21.04.21 को स्वच्छता कार्य पर रू0 56800.00 का व्यय दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की मौजूदगी होने पर भी उक्त मद में व्यय दर्शाना औचित्य रहित है। यदि विशेष परिस्थिति में सफाई कराना अनिवार्य था तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं फोटो लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए रू0 56800.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 13)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
56800.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-32-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 01 दिनांक 21.04.21 को पंचायत भवन अवशेष कार्य पर रू0 171500.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मावचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154) प्रस्तुत नहीं

किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है | अतः रू0 171500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 14)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
171500.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-33-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 02 दिनांक 21.04.21 को एक अदद आर0 ओ0 प्लाण्ट स्थापना पर रू0 197000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निविदा नहीं निकाली गयी है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 04 एवं शासनादेश ए-1-864/ दस - (08)-1586 दिनांक 23-09-08 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक का सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जायगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता / निर्माता होना चाहिए। आर0 ओ0 स्थापना की पुष्टि में फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए।

उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 197000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 15)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
197000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-34-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 03 दिनांक 21.04.21 को लोंग ब्रैंच की स्थापना बिना स्थान दर्शित किए रू0 45000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में फोटो एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 45000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 16)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
45000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - बढ़या हरदो विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-35-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048852812 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	21.04.21	30000.00
02	21.04.21	76000.00
03	21.04.21	60000.00
04	26.04.21	8245.00
05	26.04.21	35000.00
06	20.05.21	30000.00
	योग	**239245.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू० 239245.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
239245.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-36-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521716076 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	**दिनांक**	**धनराशि**
01	26.04.21	7437.00
02	26.04.21	205000.00
03	30.04.21	180000.00
	योग	**392437.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 392437.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
392437.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - बरांव विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-37- वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048866585 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	17.04.21	12500.00
02	17.04.21	25000.00
03	17.04.21	126000.00
04	17.04.21	60000.00
05	17.04.21	195000.00
	योग	**418500.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 418500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 11)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
418500.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-38-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521721858 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक, विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	21.04.21	42000.00
02	21.04.21	122500.00
03	21.04.21	198000.00
04	21.04.21	155000.00
05	21.04.21	59500.00
	योग	**577000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 577000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
577000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - भदीला अव्वल विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-39-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048852652 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	21.04.21	60000.00
02	21.04.21	25000.00
03	21.04.21	45000.00
04	26.04.21	6647.00
05	03.05.21	55000.00
	योग	**191647.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त

व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 191647.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
191647.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-40-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521719248 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	21.04.21	110000.00
02	21.04.21	20000.00
03	22.04.21	15000.00
04	22.04.21	140000.00
05	24.05.21	80000.00
	योग	**365000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 365000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
365000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - भदीला दोयम विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-41-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048842837 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, विकास भवन शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	48000.00
02	26.04.21	18000.00
03	04.05.21	60000.00

04	04.05.21	28000.00
05	04.05.21	6432.00
	योग	**160432.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 160432.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
160432.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - देवपार वीर सिंहपुर विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-42-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 01 दिनांक 19.04.21 द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर पर रू0 43500.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली एवं हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना, मरम्मत हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं हैण्ड पम्प रिबोर एवं मरम्मत उपरान्त सत्यापन रिर्पोट एवं चरणबद्ध फोटो लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए।

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 43500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
43500.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-43-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से प्रशासनिक मद पर निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	02	19.04.21	स्टेशनरी	10000.00

02	03	19.04.21	विभिन्न सामग्री	17000.00
योग				**27000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उ0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अधयाय 07 के प्रस्तर 07 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूपपत्र 25 पर रखी जायेगी जिसमे क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 27000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
27000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-44-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्राथमिक विद्यालय में डाइनिंग हॉल निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	04	21.04.21	सामग्री एवं मजदूरी	60000.00
02	08	26.04.21	सामग्री एवं मजदूरी	24225.00
03	09	26.04.21	सामग्री	40000.00
04	10	26.04.21	सामग्री	65000.00
योग				**189225.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से
जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 189225.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 13)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
189225.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-45-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 05 दिनांक 21.04.21 को प्रधान को मानदेय रू0 28000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। वर्ष के शुरूआत में माह अप्रैल के मध्य में मानदेय का भुगतान कर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। अतः रू0 28000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 14)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
28000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-46-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 06 दिनांक 21.04.21 को स्वच्छता कार्य पर रू0 58500.00 का व्यय दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की मौजूदगी होने पर भी उक्त मद में व्यय दर्शाना औचित्य रहित है। यदि विशेष परिस्थिति में सफाई कराना अनिवार्य था तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं फोटो लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए रू0 58500.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 15)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
58500.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-47-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 07 दिनांक 21.04.21 को प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत पर रू0 32000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है। अतः व्ययित

धनराशि रू0 32000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 16)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
32000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-48-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 01 दिनांक 19.04.21 को एक अदद आर0 ओ0 प्लाण्ट स्थापना पर रू0 198000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निविदा नहीं निकाली गयी है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 04 एवं शासनादेश ए-1-864/ दस - (08)-1586 दिनांक 23-09-08 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक का सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमंत्रित करके किया जायगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता / निर्माता होना चाहिए। आर0 ओ0 स्थापना की पुष्टि में फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए।

उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 198000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 17)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
198000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-49-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्राथमिक विद्यालय काया कल्प के अवशेष भाग का निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	धनराशि
01	02	19.04.21	121861.00
02	03	19.04.21	75997.00
योग			**197858.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र

के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 197858.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 18)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
197858.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-50-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 04 दिनांक 19.04.21 को लोंग ब्रैंच की स्थापना बिना स्थान दर्शित किए रू0 107000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय की पुष्टि में फोटो एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 107000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 19)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
107000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-51-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 05 दिनांक 22.04.21 को प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग हेतु रैम्प निर्माण पर रू0 60000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय कर ग्राम पंचायत के धन का अपरहण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 60000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 20)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
60000.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - कपरवार विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-52- वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से प्रशासनिक मद पर निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	01	26.04.21	विभिन्न सामग्री	48500.00
02	02	26.04.21	विभिन्न सामग्री	10000.00
03	03	26.04.21	स्टेशनरी	24500.00
योग				**83000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उ0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूपपत्र 25 पर रखी जायेगी जिसमे क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू० 83000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
83000.00	**00.00**	**00.00**

प्रस्तर संख्या-53- वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 04 दिनांक 26.04.21 को सफाई किट पर रू0 24000.00 का व्यय दर्शाया गया है। सफाई किट की माँग से संबंधित सफाई कर्मी का माँगपत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 24000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
24000.00	**00.00**	**00.00**

प्रस्तर संख्या-54- वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से पूर्व माध्यमिक विद्यालय नं0 - 02 में टाइल्स कार्य हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	01	22.04.21	सामग्री	114103.00
02	02	22.04.21	सामग्री	224650.00
03	07	03.05.21	मजदूरी	4110.00
04	08	03.05.21	मजदूरी	7312.00
योग				**350175.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 350175.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 13)**

अपहरण	**दुरूपयोग**	**अनियमितता**
350175.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-55-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से नाली निर्माण हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	सामग्री एवं मजदूरी	धनराशि
01	03	22.04.21	राजेश के दुकान से सुभाष के घर तक	सामग्री	160000.00
02	04	22.04.21	सुभाष गुप्ता के घर से भोला गुप्ता के घर तक	सामग्री	162000.00
03	14	03.05.21	राजेश के दुकान से सुभाष के घर तक	मजदूरी	27897.00
04	17	03.05.21	सुभाष गुप्ता के घर से भोला गुप्ता के घर तक	मजदूरी	28299.00

योग					**378196.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 378196.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 14)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
378196.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-56-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से सामुदायिक भवन में टाइल्स लगाना एवं मरम्मत कार्य हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	05	23.04.21	सामग्री	238600.00
02	09	03.05.21	सामग्री	172000.00
03	10	03.05.21	मजदूरी	18807.00
04	11	03.05.21	सामग्री	174600.00
05	12	03.05.21	मजदूरी	17854.00
06	15	03.05.21	मजदूरी	8927.00
योग				**630788.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08

के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 630788.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 15)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
630788.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-57-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्राथमिक विद्यालय नं0 - 02 के अतिरिक्त कक्ष के टाइल्स लगाने हेतु निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	06	23.04.21	सामग्री	172000.00
02	16	03.05.21	मजदूरी	6269.00
योग				**178269.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मानचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 एवं 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 178269.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 16)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
178269.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-58-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्राथमिक विद्यालय परसिया में पेय जल व्यवस्था पर रू0 246905.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निविदा नहीं निकाली गयी है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 04 एवं शासनादेश ए-1-864/ दस - (08)-1586 दिनांक 23-09-08 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक का सामग्री क्रय हेतु सार्वजनिक निविदा आमंत्रित कर के किया जायगा तथा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्म सामग्री

की अधिकृत विक्रेता / निर्माता होना चाहिए। उक्त कार्य की पुष्टि में चरणबद्ध फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 246905.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 17)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
246905.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - करायल शुक्ल विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-59- वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 2266439519 (राज्य वित्त) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, करायल शुक्ल शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	12.04.21	200000.00
02	12.04.21	200000.00
03	12.04.21	200000.00
04	12.04.21	100000.00
05	26.04.21	100000.00
06	18.05.21	85000.00
07	18.05.21	106000.00
08	18.05.21	191000.00
09	19.05.21	50000.00
10	24.05.21	80000.00
11	24.05.21	30000.00
	योग	**1342000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 1342000.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं

ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 11)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1342000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-60-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 3833719969 (केन्द्रीय वित्त) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, करायल शुक्ल शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	84000.00
02	26.04.21	20000.00
	योग	**104000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 104000.00 की वसूली मय ब्याज प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
104000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - करायल उपाध्याय विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-61-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 2266426566 (राज्य वित्त) सी0बी0आई0, शाखा करायल शुक्ल से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	80000.00
02	26.04.21	30000.00
03	26.04.21	112000.00
	योग	**222000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 222000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती

शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
222000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-62-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 3833714723 (केन्द्रीय वित्त) सी0बी0आई0, शाखा करायल शुक्ल से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	180000.00
02	03.05.21	150000.00
	योग	**330000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 330000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
330000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - खोड़ी विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-63-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048844391 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, विकास भवन देवरिया शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	28.04.21	73500.00
02	28.04.21	45000.00
03	28.04.21	20000.00
04	28.04.21	10280.00
05	03.05.21	60000.00
06	03.05.21	56000.00
	योग	**264780.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 264780.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
264780.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-64-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521711205 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक विकास भवन देवरिया शाखा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	17.04.21	100000.00
02	17.04.21	165000.00
03	19.04.21	80000.00
04	24.05.21	99000.00
	योग	**444000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 444000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
444000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - लक्ष्मीपुर विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-65-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 1507000102645670 (राज्य वित्त) पंजाब नेश्नल बैंक शाखा स्टेशन रोड़, देवरिया से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	07.05.21	20000.00
02	07.05.21	20000.00

03	07.05.21	95000.00
	योग	**135000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 135000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
135000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-66-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में दिनांक 07.05.21 को बैंक खाता संख्या 1507000102681928 (केन्द्रीय वित्त) पंजाब नेश्नल बैंक शाखा स्टेशन रोड़, देवरिया द्वारा धनराशि रू0 110000.00 का आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 110000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रजेश सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
110000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - नदुआ छपरा विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-67-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 10967760162 (राज्य वित्त) एस.बी.आई, शाखा नदुआ छपरा से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	25000.00
02	26.04.21	10000.00
	योग	**35000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त

व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 35000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
35000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-68-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में दिनांक 26.04.21 को केन्द्रीय वित्त मद बैंक खाता संख्या 39476178392, एस.बी.आई, शाखा नदुआ छपरा द्वारा धनराशि रू0 304000.00 का आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 304000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूर्णिमा यादव से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
304000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - नेतवार विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-69-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से प्रशासनिक मद पर निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है -

क्रमांक	प्रमाणक संख्या	दिनांक	विवरण	धनराशि
01	01	04.05.21	स्टेशनरी	12000.00
02	02	04.05.21	विभिन्न सामग्री	48000.00
योग				**60000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उ0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अधयाय 07 के प्रस्तर 07 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूपपत्र 25 पर रखी जायेगी जिसमे क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 60000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 11)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
60000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-70-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में राज्य वित्त मद से प्रमाणक संख्या 03 दिनांक 17.05.21 को पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रू0 174000.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मावचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अतः रू0 174000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 12)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
174000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-71-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 01 दिनांक 16.04.21 को पंचायत भवन निर्माण कार्य पर रू0 265000.00 व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित प्राक्कलन एवं मावचित्र (उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 152 व 154) प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, माप पुस्तिका एवं चरणबद्ध फोटो प्रस्तुत नहीं किए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 209 के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र कार्य के प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तों के अनुसार पूर्ण होने पर सक्षम स्तर से जारी होता है। अतः कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में कार्य का सम्पादित होना संदिग्ध है। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है | अतः रू0 265000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 13)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
265000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-72-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त से प्रमाणक संख्या 02 दिनांक 26.04.21 को स्वच्छता कार्य हेतु सामग्री पर रू0 60000.00 का व्यय दर्शाया गया है। सफाई सामग्री हेतु सफाई कर्मी की माँगपत्र, स्टॉक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए। उ0 प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम 1947 के नियम 202 एवं ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अधयाय 07 के प्रस्तर 07 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूपपत्र 25 पर रखी जायेगी जिसमे क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि होगी। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 60000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 14)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
60000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-73-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 03 दिनांक 26.04.21 द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 72000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से संबंधित पत्रावली एवं हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना, मरम्मत हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं हैण्ड पम्प मरम्मत उपरान्त सत्यापन रिर्पोट एवं चरणबद्ध फोटो लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराए गए।

उपरोक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में सुलभ नहीं कराए गए। वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। अतः व्ययित धनराशि रू0 72000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 15)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
72000.00	00.00	00.00

<u>प्रस्तर संख्या-74-</u> वर्ष लेखा परीक्षा में केन्द्रीय वित्त मद से प्रमाणक संख्या 04 दिनांक 26.04.21 को सफाई कर्मी किट पर रू0 48000.00 का व्यय दर्शाया गया है। सफाई किट की माँग से संबंधित सफाई कर्मी का माँगपत्र एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जाँच में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क' के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना चाहिए। बैंक से आहरित धनराशि को मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया है। अतः व्ययित धनराशि रू0 48000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित विक्रम से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 16)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
48000.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - पैना विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-75- वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 22220348534 (राज्य वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा पैना से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	26.04.21	4750.00
02	19.05.21	80000.00
03	19.05.21	150000.00
04	19.05.21	196000.00
05	24.05.21	40000.00
	योग	**470750.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 470750.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
470750.00	**00.00**	**00.00**

प्रस्तर संख्या-76- वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521719690 (केन्द्रीय वित्त) इण्डियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	19.04.21	95660.00
02	19.04.21	19899.00
03	19.04.21	50000.00
04	19.04.21	60000.00
05	19.04.21	147000.00

06	26.04.21	180000.00
07	26.04.21	96000.00
08	26.04.21	196000.00
09	19.05.21	181400.00
10	19.05.21	19899.00
11	19.05.21	93700.00
12	19.05.21	193800.00
13	19.05.21	14070.00
14	24.05.21	50000.00
	योग	**1397428.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 1397428.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1397428.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - समोगर विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-77-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50048866744 (राज्य वित्त) इंडियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	03.05.21	20000.00
02	03.05.21	94000.00
03	03.05.21	80000.00
04	03.05.21	104000.00
05	03.05.21	40000.00
	योग	**338000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 338000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती

शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप शाही से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
338000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-78-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 50521721462 (केन्द्रीय वित्त) इंडियन बैंक, शाखा विकास भवन से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	23.04.21	190282.00
02	23.04.21	175250.00
03	23.04.21	6917.00
04	23.04.21	19909.00
05	04.05.21	45000.00
06	04.05.21	112000.00
07	24.05.21	161500.00
	योग	**710858.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 710858.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप शाही से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
710858.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - ससराव विकास खण्ड - बरहज जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-79-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में निम्नांकित तिथियों में बैंक खाता संख्या 1507000102645661 (राज्य वित्त) पंजाब नेश्नल बैंक शाखा स्टेशन रोड देवरिया से धनराशि आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। विवरण निम्नांकित हैः-

क्रमांक	दिनांक	धनराशि
01	03.05.21	40000.00
02	03.05.21	30000.00
	योग	**70000.00**

उपरोक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 70000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 11)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
70000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-80-</u> वर्ष लेखा परीक्षा 2021-22 में दिनांक 03.05.21 को बैंक खाता संख्या 1507000102681919 (केन्द्रीय वित्त) पंजाब नेश्नल बैंक शाखा स्टेशन रोड देवरिया द्वारा धनराशि रू0 200000.00 का आहरण दर्शाया गया है जिसका विस्तृत विवरण कैश बुक में अंकित नहीं किया गया है। उक्त व्यय से संबंधित कार्ययोजना, प्राक्कलन एवं मानचित्र (नियम संख्या 152 व 154), स्टॉक रजिस्टर (नियम संख्या 202), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (नियम संख्या 209), एवं व्यय प्रमाणक (वित्त एवं लेखा मैन्युल के अध्याय 08 के प्रस्तर 08 'क') लेखा परीक्षा जाँच में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त व्यय को अपहरण मानते हुए धनराशि रू0 200000.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम पंचायत प्रशासक श्रीमती शशि पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्दन कुमार से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **(आपत्ति सं0 12)**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
200000.00	**00.00**	**00.00**

<u>ग्राम पंचायत - पडरी झिल्लिपार विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया</u>

<u>प्रस्तर संख्या-81-</u> ग्राम पंचायत पडरी झिल्लिपार के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक में निम्न्वत्त है :-

क्र0सं0	दिंनाक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता	श्रमांश
1	29-6-2021	51161898	सामग्री पर व्यय	7200.00	ऐ.आर.डी. इण्टरप्राइजेज	-
2	01-07-2021	37311519	फागिंग मशीन	40000.00	ओम कंस्ट्रक्शन	-
3	01-07-2021	52253634	ठेला क्रय	28000.00	ओम कंस्ट्रक्शन	-
4	11-08-2021	53712244	भूमिगत नाली हेतु हयूम पाइप	131600.00	श्री नव दुर्गाइण्टरप्राइजेज	-
			योग	**206800.00**		

आपत्ति निम्न्वत्त है-

1-क्रम सं0-1 व 4 पर वर्ष दौरान श्रमांश पर व्यय नही होने से भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है | भूमिगत नाली का निर्माण केवल हयूम पाइप की खरीद से कर लिया जाना व्यय को संदिग्ध बनाता है | क्रम सं0-1 पर सामग्री पर व्यय किस कार्य के सापेक्ष किया गया लेखा परीक्षा में इस बाबत कोई जानकारी संस्था द्वारा नही दिया गया |

2-क्रम सं0-2 व 4 पर व्यय एक ही फर्म को किया गया है | कंस्ट्रक्शन फर्म द्वारा उक्त फागिंग मशीन व ठेला संस्था को दिया जाना भुगतान को संदिग्ध बनाता है |

पुनः लेखा परीक्षा में कार्य का इस्टीमेट/स्वीकृति/व्यय प्रमाणक ,एम0बी0रजिस्टर, मस्टररोल, तथा यदि सामग्री ही केवल संस्था द्वारा क्रय किया गया तो उसका स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहे | इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा में कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी | स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती रीना भारती व प्रधान श्री अरविन्द सिंह द्वारा धनराशि रु0 206800.00 की निकासी कर फर्म की मिलिभगत से अपहरण कर लिया गया है | स्पष्टिकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
206800.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - गौरी ठाकुर विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-82- ग्राम पंचायत गौरी ठाकुर के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	10-5-2021	37425910	प्रशासनिक मद	21594-00	अज्ञात
2	20-5-2021	37425910	प्रशासनिक मद	29980-00	रूद्र ट्रेडर्स
3	20-5-2021	37425910	स्टेशनरी	7410-00	मोनू
4	20-5-2021	37425910	फर्नीचर	5990-00	ए०आर०डी०इण्टरप्राइजेज
			योग-	**64974.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

क्रम सं0 -1पर भुगतानित धन किसे प्रदत्त है ई ग्राम स्वराज पर इस हेतु कोई विवरण न भरकर वहां भी तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ही अंकित कर दिया गया ।

क्रम सं0 -2 पर हुए भुगतान के बाबत लेखा परीक्षा मे यह पूछने पर कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर भुगतान रू0 29980-00रूद्र ट्रेडर्स को क्यों किया गया तथा प्राप्तकर्ता द्वारा पंचायत का प्रशासन किस हैसियत से चलाया जा रहा है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

क्रम सं0-3 व 4 पर भुगतान भी एक ही एक्टिवीटी कोड पर कर दिया गया है। पुन: उक्त व्यय की आवश्यकता क्यों पडी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

चूंकि भुगतानित व्यय के समय पंचायतों का गठन नही हुआ था, व तत्समय प्रशासक को केवल आवश्यक भुगतान ही करने की अनुमति थी न की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद आदि पर ।पुन: जब पंचायत का गठन ही नही हुआ तो इन व्ययों का औचित्य संदिग्ध है। इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।स्पष्ट है कि पंचायत के गठन से पूर्व सचिव श्री अश्वनी मल्ल व तत्कालीन प्रशासक अनिल कुमार चौबे(स0वि0अ0पं0)द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर धनराशि रू0 64974.00 की निकासी कर अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
64974.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - चोरडीहा विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-83- ग्राम पंचायत चोरडीहा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	20-5-2021	36671238	तकनीकी एवं प्रशासनिक मद	13854-00	अज्ञात
			योग-	**13854.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

1-क्रम संख्या-1 पर भुगतानित धनराशि के समय पंचायतों का गठन नही हुआ था, चंकि तत्समय प्रशासक को केवल आवश्यक भुगतान ही करने की अनुमति थी न की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर ।पुन: जब पंचायत का गठन ही नही हुआ तो इस व्यय का औचित्य संदिग्ध है। इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।पुन: यह धन किसे प्रदत्त है ई ग्राम स्वराज पर इस हेतु कोई विवरण न भरकर वहां भी तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ही अकित कर दिया गया । स्पष्ट है कि पंचायत के गठन से पूर्व सचिव श्रीमती अदिती दुबे व तत्कालीन प्रशासक अनिल कुमार चौबे(स0वि0अ0पं0)द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर धनराशि रू0 13854.00 की निकासी कर अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
13854.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-84-</u> ग्राम पंचायत चोरडीहा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

1	28-7-2021	53365385	तकनीकी एवं प्रशासनिक मद	30000-00	शिवांश ट्रेडर्स
			योग-	**30000.00**	

2-क्रम सं0 -2 पर हुए भुगतान के बाबत लेखा परीक्षा मे यह पूछने पर कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर भुगतान रू0 30000-00 शिवांश ट्रेडर्स को क्यों किया गया तथा प्राप्तकर्ता द्वारा पंचायत का प्रशासन किस हैसियत से चलाया जा रहा है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती अदिती दुबे व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर धनराशि रू0 30000-00 की निकासी कर फर्म की मिलिभगत से अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	**दुरूपयोग**	**अनियमितता**
30000.00	**00.00**	**00.00**

<u>प्रस्तर संख्या-85</u> ग्राम पंचायत चोरडीहा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे 15वां वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	**दिनांक**	**एक्टिवीटी कोड**	**कार्य का नाम**	**सामग्री हेतु**	**प्राप्तकर्ता**	**श्रमांश हेतु**
1	13-10-2021	54694474	प्रा0वि0 अतिरिक्त कक्ष मरम्म्त एवं टाईल्स कार्य	63415-00	शिवांश ट्रेडर्स	-
2	13-10-2021	54694474	प्रा0वि0 अतिरिक्त कक्ष मरम्म्त एवं टाईल्स कार्य	77473-00	शिवांश ट्रेडर्स	-
			योग-	**140888.00**		

ईस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्प्ष्ट है कि वर्ष दौरान उक्त कार्य पर श्रमांश का कोई भुगतान नही किया गया है । अत:परियोजना पर भुगतान संदिग्ध प्रतित होता है।पुन: लेखा परीक्षा मे कार्य का इस्टीमेट/ स्वीकृति/व्यय प्रमाणक ,एम0बी0रजिस्टर, मस्टररोल, तथा यदि सामग्री ही केवल संस्था द्वारा क्रय किया गया तो उसका स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहे ।इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी । ।स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती अदिती दुबे व प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा धनराशि रू0 140888-00 की निकासी कर फर्म

की मिलिभगत से अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
140888.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - धनपुरवा विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-86- ग्राम पंचायत धनपुरवा के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि राज्य वित्त से प्रा0वि0टाईल्स कार्य पर दिनांक 31-7-2021 को रू0 95000-00 केस रिकार्ड सं0 53190056 के सापेक्ष सूरज ट्रेडर्स को सामग्री क्रय हेतु किया है। वर्ष दौरान उक्त कार्य पर श्रमांश पर तथा अन्य कोई और भुगतान नही किया गया है । अत:परियोजना पर भुगतान संदिग्ध प्रतित होता है।पुन: लेखा परीक्षा मे कार्य का इस्टीमेट/ स्वीकृति/व्यय प्रमाणक ,एम0बी0रजिस्टर, मस्टररोल, तथा यदि सामग्री ही केवल संस्था द्वारा क्रय किया गया तो उसका स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहे ।इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी । ।स्पष्ट है कि सचिव श्री जय प्रकाश गौड व प्रधान श्री दीपक कुमार द्वारा धनराशि रू0 95000-00 की निकासी कर फर्म की मिलिभगत से अपहरण कर लिया गया है।स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
95000.00	00.00	00.00

प्रस्तर संख्या-87- ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि संस्था द्वारा 15वां वित्त से दिनांक 13-10-2021 को रू0 167500-00 केस रिकार्ड सं0 52969856 के सापेक्ष लक्ष्मी ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु भुगतान किया गया है।उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा एक निर्माण सामग्री सप्लायर्स से स्ट्रीट लाईट स्थापना कैसे कराई ।पुन: क्रय किया ही जाना था तो किसी अधिकृत फर्म से किया जाना था। इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।लेखा परीक्षा मे स्थापना सम्बन्धित सक्षम स्तर से स्वीकृति,न्युनतम दर,टेण्डर पत्रावली,सत्यापन रिर्पोट आदि भी अनुपलब्ध रहा । अत: परियोजना पर भुगतान संदिग्ध प्रतित होता है।अपुष्ट व्यय व अनधिकृत फर्म को भुगतान से स्पष्ट है कि सचिव श्री जय प्रकाश गौड व प्रधान श्री दीपक कुमार द्वारा धनराशि रू0 167500.00 की निकासी कर फर्म की अपहरण कर लिया गया है।स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
167500.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - पकड़ी लाला विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-88- ग्राम पंचायत पकडी लाला के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	19-5-2021	37436844	फर्नीचर	29980-00	रूद्र ट्रेडर्स
2	19-5-2021	37436844	स्टेशनरी	7410-00	श्री किशुन
3	19-5-2021	37436844	सामग्री पर व्यय	5990-00	ए०आर०डी०इण्टरप्राइजेज
4	19-5-2021	37436844	प्रशासनिक मद	22297-00	अज्ञात
			योग-	**65677.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

क्रम सं0 -1 पर हुए भुगतान के बाबत लेखा परीक्षा मे यह पूछने पर कि फर्नीचर पर भुगतान रू0 29980.00 रूद्र ट्रेडर्स को क्यों किया गया ,संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का औचित्य तथा विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

क्रम सं0 -2 व 3 के भुगतान प्राप्तकर्ताओं के बाबत औचित्य व तात्कालिक आवश्यकता के बाबत संस्था द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया । क्रम सं0 -4पर भुगतानित धन किसे प्रदत्त है ई ग्राम स्वराज पर इस हेतु कोई विवरण न भरकर वहां भी तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ही अंकित कर दिया गया ।

समस्त भुगतान भी एक ही एक्टिवीटी कोड पर कर दिया गया है। पुन: उक्त व्यय की आवश्यकता क्यों पडी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

चूंकि भुगतानित व्यय के समय पंचायतों का गठन नही हुआ था, व तत्समय प्रशासक को केवल आवश्यक भुगतान ही करने की अनुमति थी न की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद आदि पर ।पुन: जब पंचायत का गठन ही नही हुआ तो इन व्ययों का औचित्य संदिग्ध है। इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।स्पष्ट है कि पंचायत के गठन से पूर्व सचिव श्री अश्वनी मल्ल व तत्कालीन प्रशासक अनिल कुमार चौबे(स0वि0अ0पं0)द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर धनराशि रू0 65677-00 की निकासी कर अपहरण कर लिया गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
65677.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - रजवल विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-89- ग्राम पंचायत रजवल के वर्ष 2021-22 में भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	03-9-2021	51112344	प्रशासनिक मद	10000.00	प्रभुनाथ सिंह
2	03-9-2021	54000804	मैटेरियल पर व्यय	53600.00	गुप्ता ब्रिक
3	03-9-2021	54000804	मैटेरियल पर व्यय	50000.00	सिंह बि0मैटेरियल
4	25-11-2021	54000804	मैटेरियल पर व्यय	23000.00	सिंह बि0मैटेरियल
5	26-03-2022	54000967	स्ट्रीट लाईट क्रय	96000.00	श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स
6	26-03-2022	54000967	स्ट्रीट लाईट क्रय(केन्द्र वित्त)	160000.00	श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स
			योग-	**392600.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

1-संस्था द्वारा वर्ष मे प्रथम भुगतान ही प्रशासनिक मद पर दर्शित कर प्रधान द्वारा प्राप्त किया गया है।लेखा परीक्षा मे औचित्य के बाबत संस्था द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया न ही विवरण स्पष्ट कर साक्ष्यों से इसकी पुष्टि करायी गई।स्पष्ट है कि उक्त आहरण केवल धनराशि की निकासी कर स्वयं के लिए ही हुआ है।

2-क्र0सं0 -2,3,4 पर मैटेरियल पर व्यय के बाबत संस्था द्वारा सोख्ता निर्माण हेतु सामग्री क्रय किया जाना बताया गया । किन्तु वर्ष दौरान उक्त परियोजना पर श्रमांश पर व्यय नही किया जाना परियोजना पर हुए उक्त व्यय को संदिग्ध बनाता है।पुन: लेखा परीक्षा मे उक्त के बाबत कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नही हुआ और न ही किसी साक्ष्य से व्यय की पुष्टि ही कराई गई

3 स्ट्रीट लाईट क्रय पर भुगतान अनधिकृत फर्म को किया गया है।बिल्डिंग मैटेरियल आपूर्ति करने वाले फर्म से स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति कैसे कराई गयी संस्था द्वारा इसका कोई उत्तर नही दिया गया।न ही लेखा परीक्षा मे कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया कि क्या वास्तव मे लाईट को प्राप्त कर उनकी स्थापना कराई गयी अथवा नही ।पुन: एक ही परियोजना पर राज्य व केन्द्र वित्त दोनों से भुगतान प्राप्त किया गया है।

ईस प्रकार उक्त भुगतानों को देखने से स्पष्ट होता है कि वास्तव मे उक्त धनराशि से संस्था मे किसी भी परिसम्पत्ति का सृजन नही किया गया है। तथा केवल भुगतान को दर्शित करने के निमित्त फर्जी तरीके ई ग्राम स्वराज पर कार्य दर्शित कर दिया गया है। तथा निकासी द्वारा रू0 392600-00 आहरण कर फर्म की मिलीभगत से अपहरण कर लिया गया है।जांचोपरान्त इसकी वसूली सचिव श्री जय प्रकाश गौड तथा प्रधान श्री प्रभुनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
392600.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - सोहनाग विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-90- ग्राम पंचायत सोहनाग के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	20-5-2021	45110948	प्रशासनिक मद	29980.00	रूद्र ट्रेडर्स
2	20-5-2021	45110948	स्टेशनरी	7410.00	मोनू
3	20-5-2021	45110948	सामग्री	5990.00	ए०आर०डी०इण्टरप्राइजेज
4	20-5-2021	45110948	तकनिकी एवं प्रशासनिक मद	24479.00	अज्ञात
			योग-	**67859.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

क्रम सं0 -1 पर हुए भुगतान के बाबत लेखा परीक्षा मे यह पूछने पर कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर भुगतान रू0 29980-00रूद्र ट्रेडर्स को क्यों किया गया तथा प्राप्तकर्ता द्वारा पंचायत का प्रशासन किस हैसियत से चलाया जा रहा है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

क्रम सं0-2 व 3 पर भुगतान भी एक ही एक्टिवीटी कोड पर कर दिया गया है। क्रम सं0 -3 पर क्रय सामग्री का उपभोग किस परियोजना के सापेक्ष किया गया व श्रमांश पर भुगतान क्यों नही किया गया । पुन: उक्त व्यय की आवश्यकता क्यों पडी संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

क्रम सं0 -4पर भुगतानित धन किसे प्रदत्त है ई ग्राम स्वराज पर इस हेतु कोई विवरण न भरकर वहां भी तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ही अंकित कर दिया गया ।

चूंकि भुगतानित व्यय के समय पंचायतों का गठन नही हुआ था, व तत्समय प्रशासक को केवल आवश्यक भुगतान ही करने की अनुमति थी न की तकनीकी एवं प्रशासनिक मद आदि पर ।पुन: जब पंचायत का गठन ही नही हुआ तो इन व्ययों का एक ही एक्टिवीटी कोड पर भुगतान होना व्यय को संदिग्ध घोषित करता है। इस बाबत संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।स्पष्ट है कि पंचायत के गठन से पूर्व सचिव श्री अश्वनी मल्ल व तत्कालीन प्रशासक अनिल कुमार चौबे(स0वि0अ0पं0)द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर धनराशि रू0 67859-00 की निकासी कर अपहरण कर लिया गया है।स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
67859.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - हिचौराकला विकास खण्ड - सलेमपुर जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-91- ग्राम पंचायत हिचौरालाला के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा मे राज्य वित्त से भुगतानित कतिपय व्ययों का विवरण ई ग्राम स्वराज पर फीड आंकडों के आलोक मे निम्नवत है-

क्र0सं0	दिनांक	एक्टिवीटी कोड	कार्य का नाम	भुगतान	प्राप्तकर्ता
1	01-6-2021	45424825	प्रशासनिक मद	13622.00	अज्ञात
2	15-7-2021	45424825	प्रशासनिक मद	30000.00	शिवांश ट्रेडर्स
			योग-	**43622.00**	

आपत्ति निम्नवत है-

लेखा परीक्षा मे उक्त व्ययों के सापेक्ष न ही व्यय का विवरण व न ही किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।पुन: यह धन किसे प्रदत्त है ई ग्राम स्वराज पर क्रम सं0 -1 हेतु कोई विवरण न भरकर वहां भी तकनीकी एवं प्रशासनिक मद ही अकित कर दिया गया है। क्रम सं0 -2 पर हुए भुगतान के बाबत लेखा परीक्षा मे यह पूछने पर कि तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर भुगतान रू0 30000-00 शिवांश ट्रेडर्स को क्यों किया गया तथा प्राप्तकर्ता द्वारा पंचायत का प्रशासन किस हैसियत से चलाया जा रहा है। संस्था द्वारा लेखा परीक्षा मे कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया व न ही व्यय का विवरण व किसी साक्ष्य से उक्त व्यय की पुष्टि कराई गयी ।

स्पष्ट है कि सचिव श्रीमती अदिती दुबे व प्रधान श्रीमती माया देवी द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर कुल धनराशि रू0 43622-00 की निकासी कर मिलिभगत से अपहरण कर लिया गया है।स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
43622.00	**00.00**	**00.00**

ग्राम पंचायत - कमधेनवा विकास खण्ड - तरकुलवा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-92- ग्राम पंचायत कमधेनवा के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू0-- 512151.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 512151.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 512151.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8

(क) के अनुसार रू0- 512151.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती दुलारी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 512151.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री दुलारी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या 01)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
512151.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - मठिया रत्ती विकास खण्ड - तरकुलवा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-93- ग्राम पंचायत मठिया रत्ती के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू0-- 1023818.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 1023818.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 1023818.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 1023818.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री शकुन्तल प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 1023818.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री शकुन्तल प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत कुमार संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1023818.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - सिरसिया पट्टी हुसैन विकास खण्ड - तरकुलवा जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-94- ग्राम पंचायत सिरसिया पटटी हुसैन के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू0-- 1206743.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 1206743.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 1206743.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 1206743.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 1206743.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुशवाहा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिषेक कुमार संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1206743.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत -करनपुर एवं पंचपेडवा विकास खण्ड -रामपुर कारखाना जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-95- ग्राम पंचायत करनपुर उर्फ पचपेडवा के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू0-- 2049432.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 2049432.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 2049432.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 2049432.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद इस्त्याक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अनुराधा गौड संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू0- 2049432.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद इस्त्याक एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अनुराधा गौड संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
2049432.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - समीपट्टी विकास खण्ड - रामपुर कारखाना जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-96- ग्राम पंचायत समीपट्टी के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू० 1665724.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 1665724.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक(कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू0- 1665724.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू0- 1665724.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू० 1665724.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती राजकिशोर यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामप्रकाश सिंह संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1665724.00	00.00	00.00

ग्राम पंचायत - मेहरौना विकास खण्ड - रामपुर कारखाना जनपद - देवरिया

प्रस्तर संख्या-97- ग्राम पंचायत मेहरौना के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक अनुसार दर्शित रू० 1435204.00 व्यय/भुगतान किया गया है-

परन्तु लेखा परीक्षा समय दर्शित व्यय/भुगतान किये गये कुल धनराशि रू0- 1435204.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक कार्य के प्रस्ताव एवं स्वीक़ति के मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम0बी0 रजिस्टर स्टाक रजिस्टर सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि अभिलेख मांगोपरान्त भी प्रस्तुत नहीं कर व्यय/भुगतान की गयी धनराशि रू० 1435204.00 की उपयोगिता की पुष्टि नहीं करायी गयी व्यय/भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाना पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 (क) के अनुसार रू० 1435204.00 अपहरण के श्रेणी में आता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है

अतएव अपहरण की गयी धनराशि रू० 1435204.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भूपेन्द्र राय सिंह संयुक्त रूप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता
1435204.00	00.00	00.00

जनपद का नाम - गोरखपुर

परिशिष्ट 'ग'

ग्राम पंचायत

जनपद का नाम - गोरखपुर मण्डल का नाम - गोरखपुर

ग्राम पंचायत - अमडीहा विकास खण्ड- ब्रहमपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-01 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत अमडीहा के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 28/10/2021 को रुपया 29698.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में रिबोर पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 29698.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 29698.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री उमेश एवं सचिव श्रीमती अंजली यादव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - परसौनी विकास खण्ड- ब्रह्मपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-02 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत परसौनी के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 22/09/2021 को रुपया 37860.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव एवं फागिंग पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है | इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 37860.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 37860.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री ब्रह्मानन्द एवं सचिव श्री सुनील शुक्ला से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - भैसही नरेश विकास खण्ड- ब्रह्मपुर जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-03

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भैसही नरेश के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 18/10/2021 को रुपया 29098.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में रामलखन सिंह के घर के पास इंडिया मार्का हैंडपंप रिबोर पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत :रुपया 29098.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8क में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 29098.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सतीश एवं सचिव श्रीमती अंजली यादव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - कोटवा विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-04 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोटवा के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 13/10/2021 को रुपया 35900.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 35900.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 35900.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कविता एवं सचिव श्री कृष्णमोहन यादव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - पतरैठा विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-05 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पतरैठा के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 06/12/2021 को रुपया 37350.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत हेतु सामग्री पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 37350.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है

अस्तु सकल धनराशि रु० 37350.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कुमारी एवं सचिव श्री लाल बहादुर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पतिसा विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-06 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पतिसा के ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 11/10/2021 को रुपया 27000.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 27000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 27000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रघुनाथी एवं सचिव श्री लाल बहादुर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बंजरिया खाखर विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-07 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बंजरिया खाखर के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 09/08/2021 को रुपया 32050.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 32050.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 32050.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री आनन्द यादव एवं सचिव श्री उमेश प्रसाद से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरथरी विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-08 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भरथरी के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 05/01/2022 को रुपया 35000.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में आगनबाड़ी मरम्मत हेतु सामग्री पर भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 35000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 35000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत एवं सचिव श्री उमेश प्रसाद से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महुई बुजुर्ग विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-09 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत महुई बुजुर्ग के ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 28/03/2022 को रुपया 29480.00 की निकासी की गयी है। जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में कूप मरम्मत पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 29480.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं

लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 29480.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अशोक एवं सचिव श्री लाल बहादुर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - मुबारकपुर विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-10 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मुबारकपुर के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 29/09/2021 को रुपया 48000.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में सामग्री क्रय पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 48000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 48000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सोनू खान एवं सचिव श्री उमेश प्रसाद से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - रानीपुर विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-11 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत रानीपुर के ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 04/02/2022 को रुपया 17440.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में आरसीसी बेंच के निर्माण पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक पत्रावली / लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत :रुपया 17440.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(कमें दिए गये प्रावधानों (के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 17440.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रविप्रताप भारती एवं सचिव श्री अनीस कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - रामपुर सनाथ विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-12 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत रामपुर सनाथ विकासखंड उरुवा के ग्राम निधि प्रथम खाते से दिनांक 08/10/2021 को रु० 56850.00 की निकासी की गयी है| जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में इंडिया मार्का -2 हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर ब्यय हेतु दर्शाया गया है जिस पर निम्न गंभीर आपत्तिया है –

1- **हैंडपंप मरम्मत** के सन्दर्भ में स्थल की सूची और हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन- किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय किया गया |डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया |

2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम/ 2010 दिनांक 29.06.2011 के बिंदु 1 के अनुसार नए इंडिया मार्का हैंडपंप और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख- रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद बिंदु 3 के अनुसार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा |लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी | परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में यह ज्ञात नही हो सका की ग्राम पंचायत में कुल कितने इंडिया मार्का 2 हैंडपंप स्थापित है |

3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी, त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र की इंडिया मार्का – 2 हैंडपम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |

अत: रुपया 56850.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुचायी गयी है,जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र एवं सचिव श्री गंगा प्रसाद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - हमीदपुर विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-13 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हमीदपुर के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 07/02/2022 को रुपया 19780.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 19780.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु०19780.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती महजबीन एवं सचिव श्री उमेश प्रसाद से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - हर्रेडांड बुजुर्ग विकास खण्ड- उरूवा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-14 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत हरेडाड़ बुजुर्ग के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 28/10/2021 को रुपया 35900.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में स्वच्छता सामग्री पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 35900.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 35900.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं सचिव श्री कृष्णमोहन यादव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - औरंगाबाद विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-15 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान दिनांक 09 मार्च 2022 को कोषबही मे ग्राम प्रधान को मानदेय रु 91000.00 भुगतान किया गया है, जिसमे बकाया मानदेय रूपया 70000.00 04/2019 से 11/2020 तक भुगतान दर्शित है, जिसके संबंध में निम्न आपत्तियाँ है -

1 लेखा परीक्षा मे मानदेय पंजिका एवम लेखा परीक्षा के पूर्व वर्ष के कोषबही प्रस्तुत नही रहने से बकाये मानदेय देने की पुष्टि न की जा सकी है

2- एक साथ इतना पूर्व बकाया मानदेय देना नियमतः सही नही है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते है एवम किस कारण से मानदेय बकाया रहा है, प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है |

3 - मानदेय बकाया दिये जाने के सापेक्ष पत्रावली अप्रस्तुत रहा है-

लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवम पूर्व वर्ष के कोषबही अप्रस्तुत रहने से पूर्व बकाया मानदेय मानदेय रूपया 70000.00 के भुगतान से इस धन के दुरुपयोग / अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता , जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय के नियम संख्या 256 13 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु

उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय के नियम संख्या 256 (1) के अधीन ग्राम प्रधान श्रीमती मांडवी देवी एवं सचिव श्री अमरेन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - करमहा बुजुर्ग विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-16 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान दि0 15-09-2021 को कोषबही मे ग्राम प्रधान का बकाया मानदेय रु0 38500-00 जनवरी 2020 से नवम्बर 2020 तक भुगतान दर्शित है! हैजिसके संदर्भ मे निम्न आपतिया है----

1 लेखा परीक्षा मे मानदेय पंजिका एवम लेखा परीक्षा के पूर्व वर्ष के कोषबही प्रस्तुत नही रहने से बकाये मानदेय देने की पुष्टि न की जा सकी है

2- एक साथ इतना पूर्व बकाया मानदेय देना नियमत सही नही है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते है एवम किस कारण से मानदेय बकाया रहा है- प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है

3 -मानदेय दिये जाने के सापेक्ष पत्रावली अप्रस्तुत रहा है-

लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवम पूर्व वर्ष के कोषबही अप्रस्तुत रहने से पूर्व बकाया मानदेय रु0 38500.00 के भुगतान से इस धन के दुरूपयोग/अनियमितता की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता| जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुद्दी देवी एवं सचिव फिरदौश जहां से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पोखरभिंडा उर्फ चकदहा विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-17 ग्राम पंचायत में दिनांक 02-12-2021 को कार्तून एवम स्लोगन लिखाई हेतु रु. 8000.00 का व्यय भुगतान कोष वही में दर्शित है | इस व्यय भुगतान की धनराशि रु. 8000.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव (ग्राम पंचायत) का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षक को किये गए व्यय के सापेक्ष समस्त व्यय वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराएँ , लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलव्ध नहीं कराने के कारण लेखा मैन्युअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शायी गयी सम्पूर्ण धनराशि को ग़बन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है | अतएव किये गए भुगतान रुपये 8000.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीब्रह्मजीत यादव एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री अभय पासवान से बराबर-बराबर व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - बैलो विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-18 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान दि0 04-08-2021 को कोषबही मे ग्राम प्रधान का बकाया मानदेय रु0 31500-00 मार्च 2020 से नवम्बर 2020 तक भुगतान दर्शित है! हैजिसके संदर्भ मे निम्न आपतिया है----

1 लेखा परीक्षामे मानदेय पंजिका एवम लेखा परीक्षा के पूर्व वर्ष के कोषबही प्रस्तुत नही रहने से बकाये मानदेय देने की पुष्टि न की जा सकी है

2- एक साथ इतना पूर्व बकाया मानदेय देना नियमत सही नही है जिससे विकास कार्य प्रभावित होते है एवम किस कारन से मानदेय बकाया रहा है- प्रधान एवं सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है

3 -मानदेय दिये जाने के सापेक्ष पत्रावली अप्रस्तुत रहा है-

लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवम पूर्व वर्ष के कोषबही अप्रस्तुत रहने से पूर्व बकाया मानदेय रु0 31500-00के भुगतान से इस धन के दुरूपयोग/अनियमितता की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता| जो उत्तर प्रदेश

पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री उदयभान सिंह एवं सचिव श्री अमरेंद्र सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - हरपुर विकास खण्ड- भटहट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-19 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान दि0 24-07-2021 से 29-07-21 मे कोषबही मे पोखरी के पट्टे से आय रु 92250-00 के सापेक्ष बैंक खाते मे दि0 3-08-21 को रु 62600-0 जमा किया गया है एवम् रु 29650-00 को दि० 24-07-2021 को नगद चुनाव एवम फार्गिंग मद मे खर्च किया गया है जो नियमतः सही नही है। नगद खर्च न कर डोंगल विधि से बैंक खाते से भुगतान किया जाना अपेक्षित है इस ओर विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। नगद रु0 29650-00 के भुगतान से इस धन के दुरूपयोग/अनियमितता की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता| जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री मती कुसुमावती देवी एवं सचिव श्री नागेंद्र देव पांडेय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है

ग्राम पंचायत - ज0 सुभान अली विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-20 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान ग्राम प्रधान मानदेय निम्नतिथियो मे दिनांक 06.10.2021 को 10500.00 दिनांक 08.02.2022 को क्रमशः रुपया 21000.00 व 10000.00 कोशबही में दिया जाना दर्शित है | कुल रुपया 41500.00 दिया गया | अतः जून 2021 से जनवरी 2022 तक मानदेय रुपया 29500.00 के सापेक्ष रुपया 41500.00 का मानदेय भुगतान कर रुपया 12000.00 से अधिक भुगतान किया गया है| लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवं पत्रावली अप्रस्तुत रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन धनराशि 12000.00 को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर यादव एव सचिव श्री अरविंद कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर यादव एव सचिव श्री अरविंद से अधिक भुगतान रु0 12000.00 की बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ध्ग्राम पंचायत - जगदीशपुर विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-21 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मे निधि प्रथमकोषबही मे दिनाँक 28.07.2021 को इंडिया मार्का हैंड पम्प मरम्मत पर रुपया 27340.00 व्यय किया गया है, जिसमे स्थल की सूची एवं हैंडपंप मरम्मत का विवरण दर्शित नहीं किया गया है| व्यय के सापेक्ष व्यय बाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नही किया गया है| लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं सचिव लेकिन उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध नहीँ कराने के कारण लेखा मैन्युअल के खंड 8 (क) के अनुसार दर्शाई गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्री गौरव यादव एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री संजय सिंह की निर्धारित की जाती है| अतएव किये गए भुगतान रुपये 27340-00.00 की सम्पूर्ण वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गौरव यादव एवं सचिव (ग्राम पंचायत) श्री संजय सिंह से व्याज सहित बराबर-बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - बहरामपुर विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-22 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान ग्राम प्रधान मानदेय निम्न तिथि मे दिनांक 01.01.2022 को रुपया 40000.00 बिना अवधि विवरण के दिया जाना दर्शित है | कुल दिया गया धनराशि रुपया 40000.00 है | जून 2021 से दिसंबर 2021 तक मानदेय रुपया 24500.00 के सापेक्ष रुपया 40000.00 मानदेय का भुगतान कर रुपया 15500.00 अधिक भुगतान किया गया है | लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवं पत्रावली अप्रस्तुत रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत

राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन धनराशि 15500.00 को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं सचिव श्री शैलेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है ।
संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं सचिव श्री शैलेंद्र कुमार से अधिक भुगतान रु0 15500.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मटिहनिया जनूबी विकास खण्ड- पिपराईच जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-23 लेखा परीक्षा अवधि 2021-22 के दौरान ग्राम प्रधान मानदेय निम्न तिथि मे दिनांक 06.11.2021 को रुपया 17500.00 व 16.03.2022 को रुपया 23500.00 दिया जाना दर्शित है | कुल दिया गया धनराशि रुपया 41000.00 है | अतः जून 2021 से फरवरी 2022 तक मानदेय रुपया 34500.00 के सापेक्ष रुपया 41000.00 मानदेय का भुगतान कर रुपया 6500.00 अधिक का भुगतान किया गया है | लेखा परीक्षा में मानदेय रजिस्टर एवं पत्रावली अप्रस्तुत रहा, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(2) के प्रावधानों के विपरीत रहा जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256(1) के अधीन धनराशि 6500.00 को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं सचिव श्री अवनिंद्र तिवारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है ।
संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे ग्राम प्रधान श्री अनिल सिंह एवं सचिव श्री अवनिंद्र तिवारी से अधिक भुगतान रु0 6500.00 की वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - झुडिया बाबू विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-24 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत झुडिया बाबू के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 17/10/2021 को रुपया 48500.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में सफाई किट पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 48500.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 48500.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं सचिव श्री आकाशदीप से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - पल्हीपार बाबू विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-25 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पल्हईपार बाबु के ग्राम निधि 1 खाते से निम्नलिखित निकासी दर्शित है –

क्रम सं०	दिनांक	मूल्य	कैशबुक में वर्णित कृत कार्य का विवरण
1	03.01.2022	10295.00	रामनरेश के घर के सामने हैंडपंप मरम्मत कार्य पर भुगतान
2	03.01.2022	5930.00	रामभजन के घर के सामने हैंडपंप मरम्मत कार्य पर भुगतान
3	03.01.2022	7790.00	रामप्रीत के घर के सामने हैंडपंप मरम्मत कार्य पर भुगतान
	योग	24015.00	

इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 24015.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु०

24015.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती फुलवा देवी एवं सचिव श्री सतीश यादव से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - पाकडघाट विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-26 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पाकड़घाट के ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 15/12/2021 को रुपया 10000.00 की निकासी की गयी है , परन्तु इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 10000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 10000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुशील एवं सचिव श्री शिवेन्द्र सिंह से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - बेलडांड विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-27 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बेलडाड़ के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 21/12/2021 को रुपया 30000.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 30000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 30000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री चन्द्रिका एवं सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - मऊधरमंगल विकास खण्ड- खजनी जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-28 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मउधर मंगल के ग्राम निधि के राज्यवित्त खाते से दिनांक 05/02/2022 को रुपया 10000.00 की निकासी की गयी है जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ब्लाक तकनीकी एवं प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 10000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 10000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती साफिया एवं सचिव श्री बलराम शर्मा से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - कोडर नीलकंठ विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-29 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोडरनीलकंठ के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 10/05/2021 को रुपया 14200.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव एवं फागिंग पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 14200.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है

अस्तु सकल धनराशि रु० 14200.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गंगोत्री देवी एवं सचिव श्री विकास राय से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - कोल्हुआ विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-30 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कोल्हुआ के ग्राम निधि 1 खाते से निम्नलिखित निकासी दर्शित है –

क्रमसं०	दिनांक	मूल्य	कैशबुक में वर्णित कृत कार्य का विवरण
1	14.10.2021	18885.00	ब्रह्मस्थान कोल्हुआ में चबूतरा निर्माण कार्य पर ईट कार्य का भुगतान
2	14.10.2021	14241.00	ब्रह्मस्थान कोल्हुआ में चबूतरा निर्माण कार्य पर सामग्री कार्य का भुगतान
3	04.12.2021	5256.00	ब्रह्मस्थान कोल्हुआ में चबूतरा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान
4	योग	38382.00	

इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/ पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 38382.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 38382.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती देवी एवं सचिव श्री विरेन्द्र मिश्रा से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - पटना विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-31 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पटना के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 11/08/2021 को रुपया 43500.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव एवं फार्गिंग पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 43500.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 43500.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रानी एवं सचिव श्री विरेन्द्र प्रकाश मिश्रा से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है|

ग्राम पंचायत - पौहरिया विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-32 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत पौहरिया के ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 10/02/2022 को रुपया 19300.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में पंचायत भवन पर फर्नीचर सामग्री पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 19300.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 19300.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मोतीलाल एवं सचिव श्री दिवाकर से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - बगहा विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-33 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बगहा के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 24/08/2021 को रुपया 30000.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में दवा छिडकाव एवं फार्गिंग पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित

है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 30000.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 30000.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुभाष एवं सचिव श्री योगेन्द्र सरोज से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - भीटीवाल विकास खण्ड- बडहलगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-34 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भीटीवाल के ग्राम निधि 1 खाते से दिनांक 28/07/2021 को रुपया 17850.00 की निकासी की गयी है | जिसका विवरण कैशबुक के व्यय पक्ष में ग्राम पंचायत में दवा छिडकाव पर व्यय हेतु भुगतान दर्शित है| इस व्यय से सम्बंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है| अत: रुपया 17850.00 की निकासी कर इसका अपहरण किया गया है | पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 8(क) में दिए गये प्रावधानों के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी संयुक्त जिम्मेदारी ग्राम प्रधान एवं सचिव की निर्धारित की जाती है अस्तु सकल धनराशि रु० 17850.00 की वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं सचिव श्री राम दुलारे से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

ग्राम पंचायत - बसंतपुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-35 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	मशीन क्रय	राज्य वित्त	04.08.2021	34000.00	सुर्याश इंटरप्राईजेज
2	स्ट्रीट लाईट स्थापना	राज्य वित्त	30.10.2021	154840.00	लछ्मी इंटरप्राईजेज
3	प्रशासनिक मद	राज्य वित्त	17.03.2022	25000.00	-
4	फागिंग मशीन क्रय	केंद्रीय वित्त	29.07.2021	49800.00	के एस बी ट्रेडर्स
			कुल = 263640.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 263640.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256

(2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विजय नाथ दुबे व सचिव ग्राम पंचायत श्री उमेश प्रसाद से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिसिया खुर्द विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-36 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	दवा छिड्काव व साफ सफाई पर व्यय	राज्य वित्त	20.11.2021	29200.00	भारत बिल्डिंग मैटेरिअल
2	छिड्काव मशीन क्रय	केंद्रीय वित्त	30.09.2021	59000.00	भारत बिल्डिंग मैटेरिअल
3	उपरोक्त पर पार्ट व मजदूरी	केंद्रीय वित्त	30.09.2021	93000.00	-
4	आरसीसी ब्रेंच स्थापना	केंद्रीय वित्त	29.11.2021	168000.00	-
5	आरसीसी ब्रेंच स्थापना	केंद्रीय वित्त	30.11.2021	126000.00	-
			कुल = 475200.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 475200.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान मैदुननिशा व सचिव ग्राम पंचायत श्री उमेश प्रसाद से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सोमवापुर विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-37 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये

गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है -

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	हैंडपम्प मरम्मत कार्य	राज्य वित्त	22.09.2021	45000.00	रंजू ट्रेडर्स
2	हैंडपम्प रिबोर कार्य	राज्य वित्त	22.09.2021	90000.00	रंजू ट्रेडर्स
3	कार्य विवरण अज्ञात	केंद्रीय वित्त	01.11.2021	200000.00	राज लछ्मी ट्रेडर्स
4	कार्य विवरण अज्ञात	केंद्रीय वित्त	07.12.2021	70000.00	राज लछ्मी ट्रेडर्स
			कुल= 405000.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 405000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री उमेश प्रसाद से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरसी विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-38 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	सफाई उपकरण	राज्य वित्त	08.09.2021	48500.00	-
2	फर्नीचर व कम्प्यूटर क्रय	राज्य वित्त	30.10.2021	57000.00	-
3	इंवर्टर क्रय	राज्य वित्त	16.11.2021	39000.00	-
4	फर्नीचर व कम्प्यूटर क्रय	राज्य वित्त	10.01.2022	60000.00	-
5	प्रशासनिक मद	राज्य वित्त	28.01.2022	25000.00	-

6	स्ट्रीट लाईट स्थापना	केंद्रीय वित्त	29.07.2021	141600.00	
			कुल = 371100.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 371100.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है। जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सोना देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार वर्मा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिपरसंडी विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-39 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	पंचायत भवन मे फर्नीचर कार्य हेतु	राज्य वित्त	07.09.2021	57000.00	-
2	कम्प्यूटर क्रय	राज्य वित्त	10.01.2022	60000.00	-
3	सेनिटाईजर मशीन क्रय	केंद्रीय वित्त	02.08.2021	34000.00	-
			कुल = 151000.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 151000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर

ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अर्जुन व सचिव ग्राम पंचायत श्री राजकुमार वर्मा से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिधनापार विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-40 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	सफाई,वर्मी कीट आदि	राज्य वित्त	07.10.2021	48500.00	-
2	दवा छिडकाव व फागिंग	राज्य वित्त	01.11.2021	22500.00	-
3	स्ट्रीट लाईट स्थापना	राज्य वित्त	18.03.2022	66080.00	-
4	कम्प्यूटर, प्रिंटर क्रय	केंद्रीय वित्त	24.01.2022	60000.00	-
5	फर्नीचर व कम्प्यूटर क्रय	केंद्रीय वित्त	04.02.2022	31000.00	
			कुल= 228080.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 228080.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती किशमती व सचिव ग्राम पंचायत श्री रामनिधान निषाद से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ढकवा बाज़ार विकास खण्ड- बेलघाट जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-41 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	पंचायत भवन मे टाईल्स बिजली निर्माण	राज्य वित्त	20.08.2021	134047.00	-
2	सफाई किट का भुगतान	राज्य वित्त	24.08.2021	97000.00	-
3	पंचायत भवन मे टाईल्स बिजली निर्माण	राज्य वित्त	20.09.2021	50000.00	-
4	हैंड्पम्प मरम्मत पर व्यय	राज्य वित्त	11.10.2021	60000.00	-
5	स्कूल के टाईल्स का भुगतान	केंद्रीय वित्त	18.10.2021	190300.00	-
6	स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	केंद्रीय वित्त	28.12.2021	200000.00	-
7	स्ट्रीट लाईट पर भुगतान	केंद्रीय वित्त	04.02.2022	180000.00	-
			कुल = 911347.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 911347.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।

जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनुअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इष्ट्देव शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री नतेलाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इष्ट्देव शुक्ला व ग्राम प्रधान श्री नतेलाल से बराबर- बराबर मात्रा मे वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भिटनी विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-42 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से दिनांक 09.12.2021 को रु0 60000.00 की धनराशि ग्राम पंचायत मे सफाई व्यवस्था व सामग्री क्रय हेतु व्यय किया गया है, परंतु बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो

में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नजरूल इस्लाम व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभय कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - घुनघुनकोठा विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-43 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	प्रा0वि0 मे डेस्क, ब्रेंच स्थापना	केंद्रिय वित्त	18.02.2022	198220.00	शिवा ग्रुप को
2	प्रा0 वि0 पर आर ओ स्थापना	केंद्रिय वित्त	16.03.2022	159220.00	शिवा ग्रुप को
			कुल = 357440.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 **357440.00** के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती भावना यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रिया साहनी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मंझरिया विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-44 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से दिनांक 26.10.2021 को रु0 160000.00 की धनराशि ग्राम पंचायत मे आर ओ स्थापना हेतु व्यय किया गया है, परंतु बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा

सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती जयवास देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभय कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-45 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	प्रा0 वि0 पर आर ओ स्थापना	राज्य वित्त	31.01.2022	160000.00	शिवा ग्रुप को
2	जनार्दन यादव के घर के पास हाई मास्ट लाईट स्थापना	राज्य वित्त	01.02.2022	216155.00	शिवा ग्रुप को
			कुल= 376155.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 **376155.00** के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती जयवास देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रिया साहनी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुशहरा **विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-46 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से निम्न विवरणानुसार व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है

क्रम संख्या	कार्य विवरण	योजना का नाम	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	स्ट्रीट लाईट स्थापना	राज्य वित्त	17.01.2022	91170.00	सक्षम ट्रेडिंग
2	स्ट्रीट लाईट स्थापना	राज्य वित्त	18.01.2022	105830.00	सक्षम ट्रेडिंग
			कुल = 197000.00		

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 197000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामभोला सिंह व सचिव ग्राम पंचायत श्री विजय प्रताप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुहम्मदपुर माफी विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-47 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार राज्य वित्त ग्राम प्रधान मानदेय मद मे दिनांक 17.02.2022 को रु0 42000.00 का भुगतान माह अप्रैल से मार्च तक किया गया गया है। जबकि वर्तमान कार्यकाल हेतु पंचायत चुनाव माह अप्रैल मे कराये गये और शपथ ग्रहण मई माह के अन्तिम सप्ताह मे हुआ, इस प्रकार ग्राम प्रधान मानदेय माह जून से देय होगा। पंचायती राज, अनु० 3 के शासनादेश संख्या 58/2021/2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16 दिसम्बर 2021 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय प्रति माह रूपया 3500.00 से बढाकर दिनांक 16.12.2021 से रूपया 5000.00 किया गया है। अत: निम्न विवरणानुसार मानदेय दिया जाना चाहिये:-

1. माह जून 2021 से दिसम्बर 2021 तक 7 माह दर 3500 = 24500.00
2. माह जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 3 माह दर 5000 = 15000.00

वास्तविक मानदेय कुल = 39500.00
कुल भुगतान = 42000.00

इस प्रकार ग्राम प्रधान मानदेय मद मे रु0 2500.00 अधिक भुगतान कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अभिमन्यु यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री विजय प्रताप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - शेरपुर चमराह विकास खण्ड- जंगल कौडिया जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-48 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त से दिनांक 20.11.2021 को रु0 248700.00 की धनराशि ग्राम पंचायत मे विभिन्न स्थानो पर सीमेंट ब्रेंच स्थापना हेतु सक्षम ट्रेडिंग क0 को भुगतान किया गया है, परंतु बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति अनुरुप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा मे किये गये भुगतान की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री धर्मराज यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री विजय प्रताप से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोठा विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-49

लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	53688444	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	पंचम वित्त	146100	14/12/2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/38 5वाँ	34800.0
					14/12/2021	राज्य वित्त/2021-22/पी/39 5वाँ राज्य	17700.0
					26/08/2021	वित्त/2021-22/पी/8 5वाँ राज्य	15200.0
					26/08/2021	वित्त/2021-22/पी/7 5वाँ राज्य	43000.0
					04/12/2021	वित्त/2021-22/पी/31	35400.0

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 146100.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने

हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुनीता यादव व सचिव ग्राम पंचायत श्री नन्द किशोर यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तिघरा खुर्द विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-50 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्रम	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि		
1	54123048	प्रशासनिक मद	15 वां वित्त	25309.00	26/03/2022 31/03/2022 31/01/2022	15वाँ/2021-22/पी/27 15वाँ/2021-22/पी/28 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/9	12000.00	3309.00	10000.00

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 25309.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री श्रीराम व सचिव ग्राम पंचायत श्री मत्स्य कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मलौली विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-51 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

योजना वर्ष : 2021-2022 राज्य : उत्तर प्रदेश ग्रा0 प0 : मलौली							
क्र स0	कोड	कार्य का नाम	योजना	व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	
12	53647493	पंचायत भवन निर्माण कार्य	15 वां वि0	63377.00	25/08/2021 25/08/2021 13/11/2021	15वाँ/2021-22/पी/2 15वाँ/2021-22/पी/3 15वाँ/2021-22/पी/7	

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 63377.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नर्मदा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बस्तूपार विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-52

लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	50801327	प्रशासनिक मद	15 वां वित्त	88933.00	06/07/2021 26/10/2021 16/11/2021 16/11/2021 13/12/2021 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021	15वाँ/2021-22/पी/1 15वाँ/2021-22/पी/7 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/16 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/17 15वाँ/2021-22/पी/8 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/8 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/9 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/10	18000.0 9000.0 11400.0 9033.0 12000.0 18000.0 10500.0 1000.0
				88933			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 88933.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर

ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कंचन दुबे व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सोनाई खुर्द विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-53 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	
1	53578553	पंचायत भन में अलमीरा चेयर,टेबल सी0सी0टी0 वी0 कैमरा पर व्यय	15 वां वि0	110860.00	21/01/2022 09/02/2022	15वाँ/2021-22/पी/19 15वाँ/2021-22/पी/22	
2	53578377	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य	पंचम वित्त	18000.00	07-09-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/15	

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 128860.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गोविन्द गुप्ता व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सलारपुर विकास खण्ड- कौडीराम जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-54 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51218056	फागिंग कार्य	पंचम वित्त	26000	02/11/2021 22/11/2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/3 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4	25000.0 1000.0

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 26000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद व सचिव ग्राम पंचायत श्री अनुज कुमार राय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नरौहा विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-55

लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	कोड	कार्य का नाम	योजना	व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	
1	52667452	अन्य कार्य	पंचम राज्य वित्त	48000	13-08-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/1	48000

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 48000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री उषा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरूण कुमार पाण्डेय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नारायणपुर खुर्द विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-56

लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	कोड	कार्य का नाम	योजना	व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	प्रमाणक की धनराशि
1	53292289	साफ सफाइ एंव दवा छिडकाव कार्य	पंचम वित्त	25000.00	26-03-2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/22	25000
2	53291625	ग्राम पंचायत में सीमेन्ट बेन्च	15 वां वि0	244350.00	06-12-2021	15वाँ/2021-22/पी/12	244350
3	53292196	कूडा कचरा निस्तारण कार्य	पंचम वित्त	48500.00	13-10-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/3	48500
4	53291935	प्रशासनिक मद	15 वां वि0	49925.00	13-10-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/5	49925
5	53292242	फागिंग मशीन	पंचम वित्त	54980.00	13-10-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4	54980
6	53291494	डस्टबीन	15 वां वि0	189120.00	29-09-2021	15वाँ/2021-22/पी/4	189120
7	53292018	स्वच्छता किट कार्य	पंचम वित्त	41800.00	02-09-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/1	41800
8	53292045	इण्डिया मार्का2 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पंचम वित्त	176664.00	08/09/2021 07/01/2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2, 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/7	90200.0 86464.0
9	53292093	इण्डिया मार्का2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	15 वां वि0	185100.00	13-09-2021	15वाँ/2021-22/पी/3	185100
		योग		1015439.00			

1-कोषबही की जांच में पाया गया कि एक ही वर्क आई डी पर 01 से अधिक हैण्डपम्प का मरम्मत कार्य कराया गया है जो अनियमित रहा। नियमानुसार प्रत्येक हैण्डपम्प हेतु पृथक पृथक वर्क आई डी तैयार किया जाना चाहिये था। पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 51/2017/ 1211/33-3-2017-46/2015 दिनाक 19 जून 2017 के अनुसार प्रत्येक हैंडपम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग अलग वर्क आई डी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए है। जिसका पालन नहीं किया है। जो अनियमित रहा।

2- स्टीट लाईट कार्य के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नही करायी गयी जो अपेक्षित रहा।

3-डस्टबिन क्रय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक राजकीय निर्धारित दर व टेण्डर पत्रावली उपलब्ध नही करायी गयी जो अपेक्षित रहा।

4- ग्राम पंचायत में सीमेन्टेड बेन्च कार्य का टेण्डर व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 1015439.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शीला गौतम व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालचन्द से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भैंसहा बुजुर्ग विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-57 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	कोड	कार्य का नाम	योजना	व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	
1	53691389	स्ट्रीट लाईट क्रय	पंचम राज्य वित्त	197421	17-01-2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/9	197421

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 197421.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भाष्कर तिवारी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अरूण कुमार पाण्डेय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बैकुंठपुर विकास खण्ड- गगहा जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-58 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	कोड	कार्य का नाम	योजना	व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	

1	50923535	इण्डिया मार्का 2 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	पंचम वित्त	62400	25-11-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4	62400

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 62400.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री श्रीराम व सचिव ग्राम पंचायत श्री लालचन्द से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - तेनुआ बिशम्भरपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-59 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	50835046	सफाई सामग्री व किट	पंचम वि0	75800	29/07/2021 30/07/2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/3	63800.0 12000.0
2	52811787	स्टेशनरी व प्रशासनिक मद	15 वां वित्त	169000	31/01/2022 06/02/2022	15वाँ/2021-22/पी/18 15वाँ/2021-22/पी/19	51000.0 118000.0
				244800			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 244800.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन

तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता व सचिव ग्राम पंचायत श्री दुर्गेश कुमार यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बरगदही विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-60 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

योजना वर्ष : 2021-2022 राज्य : उत्तर प्रदेश, ग्रा0 प0 : बरगदही							
क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51102728	प्रशासनिक मद	राज्य वित्त	239628	24/01/2022 15/07/2021 26/03/2022 13/09/2021 18/10/2021 26/03/2022 25/01/2022 27/12/2021 18/01/2022 18/01/2022	15वाँ/2021-22/पी/16 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/29 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/13 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/17 15वाँ/2021-22/पी/23 15वाँ/2021-22/पी/17 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/20 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/22 15वाँ/2021-22/पी/15	15000.0 3888.0 6000.0 40310.0 1500.0 5040.0 150000.0 4200.0 6000.0 7690.0
				239628			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 239628.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा।

जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री पवन कुमार नायक से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरवलिया विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-61 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

योजना वर्ष : 2021-2022 राज्य : उत्तर प्रदेश, ग्रा0 प0 : भरवलिया							
क्र स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51130651	प्रशासनिक मद	5वां रा0 वि0	170000	29/01/2022 29/01/2022	15वाँ/2021-22/पी/25 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/12	50000.0 120000.0
				170000			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 170000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला व सचिव ग्राम पंचायत श्री दुर्गेश कुमार यादव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बिशुनपुर-1 विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-62 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो

पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

योजना वर्ष : 2021-2022 राज्य : उत्तर प्रदेश, ग्रा0 प0 : बिशुनपुर-1							
क्र0स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51129429	प्रशासनिक मद	पंचम राज्य वि0	201000	27/10/2021 18/02/2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/8 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/14	27000.0 174000.0
2	51129332	सफाई सामग्री व किट	पंचम राज्य वि0	95600	17/09/2021 17/09/2021 18/09/2021 05/12/2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/1 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/5 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/11	25400.0 29050.0 19500.0 21650.0
				296600			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 296600.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कमलावती व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती बन्दिता साहनी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोपालगंज उर्फ हरनामपुर विकास खण्ड- कैम्पियरगंज जनपद – गोरखपुर

प्रस्तर सं०-63 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो

पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51178978	सफाई सामग्री व सफाई किट	पंचम राज्य वित्त	38400	09-12-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2	38400

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 38400.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश व सचिव ग्राम पंचायत श्री सुनील चौरसिया से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुर गरथौली **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-64 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त / केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
5	53737825	स्वच्छता किट	15 वां वित्त	97000	10-10-2021	15वाँ/2021-22/पी/5	97000
2	54597320	फार्गिंग मशीन	15 वां वित्त	49000	02-10-2021	15वाँ/2021-22/पी/4	49000
3	54597360	सैनिटायजर स्प्रे मशीन	पंचम राज्य	49370	12-10-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/1	49370
				195370			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 195370.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान

तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री गंगा प्रसाद व सचिव ग्राम पंचायत श्री भाग्य श्री से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरवल **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-65 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	53734731	प्रशासनिक मद	पंचम	40000	10/01/2022 15/03/2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/10	15000.0 25000.0
3	53734679	फार्गिंग मशीन	15 वां वित्त	49000	04-01-2022	15वाँ/2021-22/पी/9	49000
5	53734715	हैण्डपम्प-2 मरम्मत कार्य	14वां वित्त	107085	31/10/2021 02/01/2022	15वाँ/2021-22/पी/3 15वाँ/2021-22/पी/6	71390.0 35695.0
				196085			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 196085.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम

प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र व सचिव ग्राम पंचायत श्री सूरज कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामनगर **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-66 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	52980584	फाग्रिंग मशीन	राज्य वित्त	49000	08-08-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/1	49000
2	52981379	साफ सफाई किट व दवा	राज्य वित्त	48500	08-08-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/2	48500
3	58704645	सफाई कार्य	15 वां वित्त	70000	17-02-2022	15वाँ/2021-22/पी/26	70000
4	57280510	पंचायत भवन कम्प्यूटर व फर्नीचर सामग्री	15 वां वित्त	159799	10-02-2022	15वाँ/2021-22/पी/23	159799
				327299			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 327299.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा।

जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती व सचिव ग्राम पंचायत श्री अभय कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हरदी **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-67 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है

जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	52988923	स्वच्छता कार्यक्रम में ठेला व सफाई किट	राज्य वित्त	48500	04-08-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/5	48500
2	52988557	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	राज्य वित्त	177303	27/07/2021 28/10/2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/2 चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/7	140000.0 37303.0
3	52989150	इण्डिया मार्का रिबोर	राज्य वित्त	178340	27/07/2021 28/10/2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/3 चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/6	126200.0 52140.0
4	52989127	प्रशासनिक मद पर व्यय	राज्य वित्त	26200	18/07/2021 28/10/2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/1 15वाँ/2021-22/पी/4	25000.0 1200.0
				430343			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 430343.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा।

जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मन्नेलाल व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती दीपशिखा राय से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पकडी **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-68 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त/ केन्द्रिय वि0 के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	51204416	हैण्डपम्प रिबोर	चौदहवां वित्त	175190	07/10/2021 19/01/2022	14वाँ वित्त/2021-22/पी/1 15वाँ/2021-22/पी/6	87520.0 87670.0
2	53229280	हैण्डपम्प मरम्मत	राज्य वित्त	80340	07-10-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/3	80340
3	53229263	फागिंग मशीन	राज्य वित्त	49000	18-08-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/2	49000
2	58074453	प्रा0वि0 पकडी रंगाई पुताई	15 वां वित्त	20000	09-02-2022	15वाँ/2021-22/पी/9	20000
				324530			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 324530.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा।

जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रम्भा देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती भाग्य श्री से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - टेकुआपाती **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-69

लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	53457918	प्रशासनिक मद	पंचम राज्य वि0	44500	16/12/2021 04/02/2022 16/02/2022 21/04/2023	15वाँ/2021-22/पी/9 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/12 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/13 5वाँ राज्य वित्त/2023-24/पी/1	5000.0 4000.0 10500.0 25000.0

2	53457931	स्वच्छता किट	15 वां वित्त	97000	29-10-2021	15वाँ/2021-22/पी/7	97000
				141500			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 141500.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रामप्रसाद व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुषमा चौबे से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुचडेहरी **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-70 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	53339930	प्रशासनिक व्यय	राज्य वित्त	151480	20/08/2021 26/02/2022 26/02/2022	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/4 चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/8 चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/9	48500.0 61000.0 41980.0
2	53338963	फागिंग मशीन कार्य	राज्य वित्त	49000	20-08-2021	चतुर्थ रा0 वि0/2021-22/पी/3	49000
3	51234966	प्रशासनिक व्यय	15 वां वित्त	110000	16-03-2022	15वाँ/2021-22/पी/8	110000
				310480			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 310480.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री दीप नरायन व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती शिल्पी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बुदहट **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-71 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्दिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ डी	कार्य का नाम	योजना का नाम	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
1	53260704	सभी टोलो पर स्टीट लाईट कार्य	15 वां वित्त	731300	17/10/2021 27/11/2021 24/02/2022 17/03/2022	15वाँ/2021-22/पी/3 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/6 15वाँ/2021-22/पी/10 15वाँ/2021-22/पी/11	232200.0 249500.0 115200.0 134400.0
2	53261535	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत	पंचम वित्त	240000	28/08/2021 15/02/2022	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4 5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/22	150000.0 90000.0
3	53261518	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर	15 वां वित्त	169068	29-09-2021	15वाँ/2021-22/पी/2	169068
4	54036911	सैनिटायजर स्प्रे मशीन	पंचम वित्त	42500	26-08-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/1	42500
5	54036848	फागिंग मशीन	पंचम वित्त	49000	26-08-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/2	49000
6	54036805	सफाई किट	पंचम वित्त	97000	26-08-2021	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/3	97000

7	55517264	ग्राम पंचायत बुदहट के सभी टोली के सार्वजनिक स्थान पर आर सी सी बेंच लगाने का कार्य।	15 वां वित्त	245000	30-01-2022	15वाँ/2021-22/पी/9	245000
				1573868			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 1573868.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा।

जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्री संजय शुक्ला व सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती भाग्य श्री से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोरेडीह खास **विकास खण्ड-** सहजनवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-72 लेखा परीक्षा वर्ष 21-22 में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही व आनलाईन आंकडें / ई ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त तथा केन्द्रिय वित्त के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि से निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक व तकनीकी एंव वित्तीय स्वीकृति पत्रावली लेखा परीक्षा में मांगोपरान्त प्रस्तुत नही गये जिससे कार्यो पर हुये व्यय की पुष्टि प्रमाणकों के आधार पर नही की जा सकी। अभिलेखों के अनुसार व्यय का विवरण निम्नवत है –

क्र0 स0	वर्क आइ.डी.	कार्य का नाम	योजना	कुल व्यय	प्रमाणक तिथि	प्रमाणक सं0	धनराशि
23	53207398	प्रशासनिक मद	पंचम राज्य वित्त आयोग	47000	15/03/2022 16/12/2022 28/04/2023	5वाँ राज्य वित्त/2021-22/पी/4 5वाँ राज्य वित्त/2022-23/पी/15 5वाँ राज्य वित्त/2023-24/पी/7	35000.00 2000.00 10000.0
				47000			

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर व्यय पर कुल रू0 47000.00 के सापेक्ष पत्रावली व व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है।जो उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के प्रावधानों के विपरित रहा। जिस हेतु उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (1) के अधीन तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित रहा।अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गये भुगतान की सम्पूर्ण वसूली व्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विमला व सचिव ग्राम पंचायत श्री शिल्पी से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अमवा **विकास खण्ड-** चरगांवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-73

ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 05.05.2021 को रूपया 184000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री वकील कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री वकील कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-74 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 03.04.2021 को रूपया 29925.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें” का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क

के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री वकील कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री वकील कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - जंगल पकडी **विकास खण्ड-** चरगांवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-75 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 02.01.2022 को रूपया 82500.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा दुबे से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा दुबे से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-76 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 02.01.2022 को रूपया 193550.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा दुबे से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्रीमती सीमा शर्मा व ग्राम प्रधान श्री जगदम्बा दुबे से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - सोनबरसा **विकास खण्ड-** चरगांवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-77

ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 05.05.2021 को रूपया 184000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-78 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 24.12.2021 को रूपया 184000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व ग्राम प्रधान श्री मिठाईलाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व ग्राम प्रधान श्री मिठाईलाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-79 ग्राम निधि प्रथम खाता (केन्द्रीय वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 05.04.2021 को रूपया 3300.00 व दिनांक 03.05.2021 को रूपया 180700.00 कुल रूपया 184000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त

एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-80 ग्राम निधि प्रथम खाता (केन्द्रीय वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 28.12.2021 को रूपया 197400.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व ग्राम प्रधान श्री मिठाईलाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री हिमांशु सिंह सिसौदिया व ग्राम प्रधान श्री मिठाईलाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - ठाकुरपुर न0 1 **विकास खण्ड-** चरगांवा **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-81 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से कोशबही के अनुसार दिनांक 07.05.2021 व दिनांक 11.05.2021 को निम्न विवरनानुसार कुल रूपया 652721.00 की निकासी की गयी है ।

क्रम	दिनांक	धनराशि(रूपये में)	कोशबही के अनुसार विवरण
1	07.05.2021	62254.00	चेतन भगत के मकान से बनारसी मौर्या के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री ।
2		15120.00	बाबूलाल मौर्या के मकान से लक्ष्मीकान्त के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री ।
3		83921.00	
4		230784.00	

5		32620.00	चेतन भगत के मकान से बनारसी मौर्या के मकान तक इन्टरलाकिंग हेतु सामग्री, ईट साईनबोर्ड ।
6		89887.00	
7		42000.00	
8		3500.00	
9		22638.00	बाबूलाल मौर्या के मकान से लक्ष्मीकान्त के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री ।
10	11.05.2021	2613.00	चेतन भगत के मकान से बनारसी मौर्या के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान राजमिस्त्री 56*400= 22400.00 लेबर 147*210= 29547.00 योग = 51947.00
11	11.05.2021	1005.00	
12	11.05.2021	1005.00	
13	11.05.2021	1005.00	
14	11.05.2021	2814.00	
15	11.05.2021	2814.00	
16	11.05.2021	2000.00	
17	11.05.2021	1005.00	
18	11.05.2021	2814.00	
19	11.05.2021	1005.00	
20	11.05.2021	1005.00	बाबूलाल मौर्या के मकान से लक्ष्मीकान्त के मकान तक इन्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान राजमिस्त्री 20*400 = 8000.00 लेबर 50*201 = 10050.00 योग = 18050.00
21	11.05.2021	2613.00	
22	11.05.2021	402.00	
23	11.05.2021	5600.00	
24	11.05.2021	2814.00	
25	11.05.2021	5600.00	
26	11.05.2021	5600.00	
27	11.05.2021	2613.00	
28	11.05.2021	5600.00	

29	11.05.2021	2613.00	
30	11.05.2021	2613.00	
31	11.05.2021	2613.00	
32	11.05.2021	603.00	
33	11.05.2021	1005.00	
34	11.05.2021	1005.00	
35	11.05.2021	2000.00	
36	11.05.2021	2000.00	
37	11.05.2021	1005.00	
योग		**652721.00**	

उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री उमेश कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री उमेश कुमार व प्रशासक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - धौरहरा **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-82 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 23.03.2022 को रूपया 11000.00 आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख

उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा । जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री उपेन्द्र यादव व ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री उपेन्द्र यादव व ग्राम प्रधान श्री रामेश्वर से वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - गाजेगडहा **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-83 लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार दि 04.12.2021 को बैंक से रूपया 16500.00 आहरित किया गया है। उक्त निकासी को कोशबही में दर्शित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त धन का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा कर लिया गया है। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-84 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार दि 24.01.2022 को बैंक से रूपया 5000.00 आहरित किया गया है। उक्त निकासी को कोशबही में दर्शित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट हो रहा है कि उक्त धन का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा कर लिया गया है। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा तथा जिस हेतु उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(1) के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण संतोषजनक प्राप्त न होने की दशा में ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बसंती से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कुकुरहा **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-85 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 02.12.2021 को रूपया 29350.00 आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दू से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दू से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पहाडपुर **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-86 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 16.09.2021 को रूपया 24300.00 आहरित किया गया है। जिसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर सं०-87 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 09.12.2021 को रूपया 24350.00 आहरित किया गया है। जिसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है, उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसिया निस्फी राजा **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-88 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 21.07.2021 को रूपया 9500.00 आहरित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-89 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 21.07.2021 को रूपया 7200.00 आहरित किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - पतरा **विकास खण्ड-** गोला **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-90 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 15.09.2021 को रूपया 19820.00 तथा अनुसार दिनांक 29.11.2021 को रूपया 29500.00 कुल रूपया 49320.00 आहरित कर हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु

सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा । जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार चौहान से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार चौहान से वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर सं०-91 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 29.11.2021 को रूपया 29500.00 आहरित कर हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा । जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार चौहान से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अनिल कुमार राय व ग्राम प्रधान श्री रोहित कुमार चौहान से वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - माडर **विकास खण्ड-** पाली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-92 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही / बैंक स्टेटमेंट (राज्य वित्त) के अनुसार दिनांक 23.08.2021 को रूपया 47523.00 एवं 24.08.2021 को क्रमशः रूपया 34300.00, रूपया 80960.00, रूपया 23324.00, रूपया 24959.00 व रूपया 36133.00 कुल रूपये 247199.00 की निकासी कर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा । जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रशेखर व ग्राम प्रधान श्री विकेश से

स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री चन्द्रशेखर व ग्राम प्रधान श्री विकेश से वसूली अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत - इसलामपुर **विकास खण्ड-** पिपराईच **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-93 दिनांक 31-10-2021 को 15वां वित्त से ग्राम पं. इस्लामपुर में कुल धन राशि रु. 67500.00 का भुगतान इंडिया मार्का हैण्ड पंप मरम्मत कार्य हेतु किया गया है | जिस पर निम्न गंभीर आपत्तियां हैं ----

1— हैण्ड पम्प मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल की सूची और हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी रजिस्टर प्रपत्र या पत्रवाली लेखा परिक्षा में मागोपरांत प्रस्तुत नहीं की गयी | जिसके आभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन किन स्थलों के हैण्ड पम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धन राशि का व्यय किया गया है | डेड स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया |

2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश सं. 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29-6-2011 के विन्दु एक के अनुसार नए इंडिया मार्का हैण्ड पम्प और एकंल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पं. को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद विन्दु 3के अनुसार ग्राम पं. की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा | परिसंपत्ति रजिस्टर के आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पं. में कुल कितने इंडिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित हैं |

3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी , त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र , कि इंडिया मार्का 2 हैण्ड पम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही |

अतः सकल धन राशि रु. 67500.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है | जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम सं. 256 (1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री हरिकेश प्रसाद एवं सचिव (ग्राम पं.) श्री संजीव कुमार सिंह को संयुक्त रूप से बराबर बराबर जिम्मेदार मानते हुए स्पष्टीकरण के साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित हैं|

ग्राम पंचायत - गोविंदपुर **विकास खण्ड-** पिपराईच **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-94 दिनांक 31-10-2021 को 14 वां वित्त से ग्राम पं. गोविंदपुर में कुल धन राशि रु. 37436.00 का भुगतान इंडिया मार्का हैण्ड पंप मरम्मत कार्य हेतु किया गया है | जिस पर निम्न गंभीर आपत्तियां हैं ----

1— हैण्ड पम्प मरम्मत के सम्बन्ध में स्थल की सूची और हैण्ड पम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी रजिस्टर प्रपत्र या पत्रवाली लेखा परीक्षा में मागोपरांत प्रस्तुत नहीं की गयी | जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन किन स्थलों के हैण्ड पम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धन राशि का व्यय किया गया है | डेड स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया |

2- ग्राम विकास आयुक्त 6 के शासनादेश सं. 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक 29-6-2011 के विन्दु एक के अनुसार नए इंडिया मार्का हैण्ड पम्प और एकंल ग्राम पाइप पेयजल योजना कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिस्थापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पं. को हस्तांतरित किया जायेगा | इसके बाद विन्दु 3के अनुसार ग्राम पं. की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा | परिसंपत्ति रजिस्टर के आभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पं. में कुल कितने इंडिया मार्का हैण्ड पम्प स्थापित हैं |

3- उक्त से सम्बंधित फोटोग्राफी , त्रिस्तरीय लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षर पत्र , कि इंडिया मार्का 2 हैण्ड पम्प ठीक हो गया है तथा जल प्रबंधन समिति की संस्तुति लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही |

अतः सकल धन राशि रु. 37436.00 की वित्तीय अनियमितता कर संस्था को क्षति पहुंचाई गयी है | जो उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के प्रावधानों के विपरीत रहा | जिस हेतु उत्तर प्रदेश पंचायतीराज मैन्युअल के अध्याय 13 के नियम सं. 256 (1) के अधीन ग्राम प्रधान श्री विपिन सिंह एवं सचिव (ग्राम पं.) श्री संजीव सिंह को संयुक्त रूप से बराबर बराबर जिम्मेदार मानते हुए स्पष्टीकरण के साथ साथ विभागीय कार्यवाही भी अपेक्षित हैं|

ग्राम पंचायत - सेमरौना विकास खण्ड- खोराबार **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-95 ग्राम पंचायत सेमरौना की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि
1	23/09/2021	5वा वित्त	स्ट्रीट लाइट क्रय	77400.00
			योग रुपया-	77400.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रवालिया एवं व्यय प्रमानको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कामिनी सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।|

ग्राम पंचायत - ज0 अयोध्या प्रसाद **विकास खण्ड-** खोराबार **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-96 ग्राम पंचायत जंगल अयोध्या प्रसाद की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि
1	12/05/2021	चतुर्थ वित्त	बूथ एवं प्रशासनिक व्यय	21000.00
			योग रुपया-	21000.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रवालिया एवं व्यय प्रमानको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम गोपाल तिवारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परसौनी **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-97 ग्राम पंचायत परसौनी के ग्राम निधि 1 बैंक खाता से दिनांक 10/12/2021 को रुपया 8270.00 भुगतान किया गया है जिसकी प्रविष्टी प्रियासाफ्ट रिपोर्ट में व्यय पक्ष में करते हुवे पुनः आय पक्ष में भी किया गया है| उक्त भुगतान से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गयी | जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि नही होती है जब की उक्त धनराशि बैंक से आहरित/भुगतान किया गया है अतः उक्त व्यय की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पांजली एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ल से वसूल की जानी अपेक्षित है।|

ग्राम पंचायत - सिंगहा **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-98 ग्राम पंचायत सिंगहा की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि
1	11/06/2021	14वा० वित्त	सफाई एवं स्वच्छता किट क्रय	47560.00
2	01/09/2021	पांचवा वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	49131.00
			योग रुपया-	96691.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पन्नेलाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।|

ग्राम पंचायत - कनईल **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-99 ग्राम पंचायत कनईल की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्यय का प्रयोजन	धनराशि
1	11/06/2021	15वा० वित्त	सफाई एवं स्वच्छता किट क्रय	47560.00
2	12/08/2021	पांचवा वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	65810.00
			योग रुपया-	113370.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला से वसूल किया जाना चाहिए |

ग्राम पंचायत - रतसही **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-100 ग्राम पंचायत रतसही के निम्न बैंक खातो से विभिन्न तिथियों में कुल 60196.00 रुपया आहरण कर के कोषवही एवं प्रियासाफ्ट में आय व्यय अंकित न कर के तथा उक्त व्यय धन से सम्बंधित पत्रावलिया जाँच न कराकर कुल रुपया 60196.00 का अपहरण किया गया है विवरण निम्न है |

ग्राम निधि 1 खाता सं०4755000100013518 से दिनांक 11/01/2022 को आहरित	रु० 12036.00
केन्द्रीय वित्त खाता सं०4755000100048763 से दिनांक 10/12/2021 को आहरित	रु० 14500.00
केन्द्रीय वित्त खाता सं०4755000100048763 से दिनांक 14/12/2021 आहरित	रु० 33660.00

योग - 60196.00

आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चंदा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला से वसूल किया जाना अपेक्षित है।|

ग्राम पंचायत - कुडा भरत **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-101 ग्राम पंचायत कूड़ा भरत के केन्द्रीय वित्त बैंक खाता सं० 4755000100048745 से दिनांक 20/12/2021 को आहरित रु०14500 के सापेक्ष व्यय कोषवही एवं प्रियासाफ्ट में अंकित नही है उक्त भुगतान से सम्बंधित व्यय प्रमाणक / पत्रावली जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गयी| जिससे उक्त आहरित धन के उपयोग की पुष्टि नही की जा सकी|

आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार पासवान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पवन कुमार शुक्ला से वसूल की जानी अपेक्षित है।|

ग्राम पंचायत - बहीडांडी **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-102 ग्राम पंचायत बहीडाडी की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमा नुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि

1	03/07/2021	चतुर्थ वित्त	सफाई एवं स्वक्षता किट क्रय	47560.00
2	15/07/2021	चतुर्थ वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	102280.00
3	24/07/2021	पंचम वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	60756.00
4	16/10/2021	पंचम वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	91126.00
5	17/11/2021	पन्द्रहवा वित्त	स्ट्रीटलाइट स्थापना	197421.00
6	10/01/2022	पन्द्रहवा वित्त	स्ट्रीटलाइट स्थापना	197421.00
			योग रुपया-	696564.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रवलिया एवं व्यय प्रमाणको की जाँच करा कर व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरजीत यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजानंद यादव से वसूल किया जाना चाहिए|

ग्राम पंचायत - घुसुना **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-103 ग्राम पंचायत घुसुना की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि
1	06/07/2021	पंचम वित्त	सफाई एवं स्वच्छता किट क्रय	47560.00
2	12/07/2021	चतुर्थ वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	99961.00
3	09/09/2021	पंचम वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	50000.00
4	13/09/2021	पन्द्रहवा वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	77000.00
5	21/09/2021	पन्द्रहवा वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	32241.00
6	12/10/2021	पन्द्रहवा वित्त	स्ट्रीटलाइट स्थापना	198000.00
7	10/12/2021	पन्द्रहवा वित्त	स्ट्रीटलाइट स्थापना	197421.00
			योग रुपया-	702183.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रवालिया एवं व्यय प्रमाणको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजानंद यादव से वसूल किया जाना चाहिए|

ग्राम पंचायत - गोछरन **विकास खण्ड-** बांसगांव **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-104 ग्राम पंचायत गोछरन की लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के कोषवही में निम्न व्यय दर्षित का व्यय प्रमाणक एवं कार्यो की पत्रावलिया आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये| जिससे निम्न कार्यो एवं खर्चो की नियमानुसार पुष्टि नही की जा सकी | विवरण निम्न है |

क्र०सं०	कोषवही में भुगतान तिथि	मद का नाम	व्ययका प्रयोजन	धनराशि
1	09/08/2021	चतुर्थ वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय	52050.00
2	17/08/2021	पन्द्रहवा वित्त	सफाई एवं स्वच्छता किट क्रय	48700.00
3	11/09/2021	पन्द्रहवा वित्त	आर० ओं० प्लांट की स्थापना	210760.00
4	22/10/2021	पन्द्रहवा वित्त	डस्टबिन क्रय	86400.00
			योग रुपया-	397910.00

अतः उपरोक्त कार्यो एवं खर्चो की पत्रावलिया एवं व्यय प्रमाणको की जाँच करा कर उक्त व्यय एवं कार्यो की पुष्टि करायी जानी चाहिए| आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में / पुष्टि न होने की स्थिति में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमति कैलाशी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री धर्मवीर यादव से वसूल किया जाना चाहिए |

ग्राम पंचायत - अमटौरा **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-105 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 24.05.2021 को रूपया 6500.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-106 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 25.05.2021 को रूपया 39000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित

समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - बलुईगाडा **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-107 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 23.06.2021 को रूपया 239000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-108 ग्राम निधि प्रथम खाता (केन्द्रीय वित्त) से दिनांक 30.06.2021 को रूपया 92000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - ज0 अखलास कुंवर **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-109 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) संख्या 1602000100147400 से दिनांक 13.04.2021, 30.04.2021 व 01.05.2021 को निम्न विवरणानुसार कुल रूपया 204735.00 की निकासी की गयी है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम	धनराशि	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक
1	30410.00	13.04.2021	12.04.2021
2	35012.00	13.04.2021	12.04.2021
3	52300.00	30.04.2021	28.04.2021
4	11500.00	01.05.2021	30.04.2021
5	62013.00	01.05.2021	30.04.2021
6	13500.00	01.05.2021	30.04.2021
योग	204735.00	-	-

के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - जोतबगही **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-110 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 22.07.2021 को रूपया 490880.00 की निकासी स्ट्रीट लाईट हेतु की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों

में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - कलानी बुजुर्ग **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-111 ग्राम निधि प्रथम (केन्द्रीय वित्त) से रूपया 79380.00 की निकासी बैंक स्टेटमेंट व कोशबही के अनुसार की गयी है। विवरण निम्नवत है -

क्रम	धनराशि रूपये में	बैंक स्टेटमेन्ट व कोशबही के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक	कार्य का नाम कोशबही के अनुसार
1	16300.00	24.05.2021	23.05.2021	रामाग्या के घर से दुरूह के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य
2	10560.00			
3	38000.00			
4	7260.00			
5	7260.00			

जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - कालेसर **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-112 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 24.05.2021 को रूपया 45500.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - खरैला **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-113 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 24.05.2021 को रूपया 45500.00 की निकासी की गयी है I उक्त निकासी के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-114 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 25.05.2021 को रूपया 14500.00 की निकासी की गयी है I उक्त निकासी के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को

गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी। जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा। जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पिछौरा **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-115 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 07.05.2021, 12.05.2021 व 20.05.2021 को निम्न विवरणानुसार कुल रूपया 306027.00 की निकासी की गयी है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम	धनराशि	बैंक स्टेटमेन्ट व कोशबही के अनुसार दिनांक	कोशबही के अनुसार कार्य
1	2970.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत
2	3300.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत
3	79316.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत टाईल्स
4	2970.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत टाईल्स
5	6804.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत ईंट
6	4800.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत सामग्री
7	3300.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत सामग्री
8	12690.00	07.05.2021	प्राथमिक वि० मरम्मत सामग्री
9	65012.00	07.05.2021	सामुदायिक भवन मरम्मत
10	68865.00	07.05.2021	सामुदायिक भवन पेंट
11	48000.00	12.05.2021	सफाई किट
12	8000.00	20.05.2021	स्टेशनरी
योग	306027.00	-	-

के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा

की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-116 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम खाता (केन्द्रीय वित्त) से दिनांक 07.05.2021 व 15.05.2021 को निम्न विवरणानुसार कुल रूपया 420753.00 की निकासी की गयी है। विवरण निम्नवत है :-

क्रम	धनराशि	बैंक स्टेटमेन्ट व कोशबही के अनुसार दिनांक	कोशबही के अनुसार कार्य
1	67836.00	07.05.2021	पाईप
2	6930.00	07.05.2021	मजदूरी
3	10080.00	07.05.2021	मजदूरी
4	139075.00	07.05.2021	सामग्री
5	6930.00	07.05.2021	मजदूरी
6	25917.00	07.05.2021	सामग्री
7	8760.00	07.05.2021	ईंट
8	11008.00	15.05.2021	सामग्री
9	29499.00	15.05.2021	ईंट
10	4800.00	15.05.2021	मजदूरी
11	65480.00	15.05.2021	सामग्री
12	3300.00	15.05.2021	मजदूरी
13	19838.00	15.05.2021	सामग्री
14	3300.00	15.05.2021	मजदूरी

योग	420753.00	-	-

के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - पिपरौली **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-117 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 29.04.2021 को रूपया 35430.00 की निकासी की गयी है, निकासी के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये। आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-118 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 29.04.2021 को रूपया 55340.00 की निकासी की गयी है, जिसे हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त

अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री नीरज यादव व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - तेनुअन **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-119 ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 4755000100013527 (राज्य वित्त) से रूपया 138571.00 की निकासी बैंक स्टेटमेंट के अनुसार की गयी है। विवरण निम्नवत है -

क्रम	धनराशि रूपये में	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक	कार्य का नाम ईग्राम स्वराज के अनुसार
1	2814.00	15.05.2021	14.05.2021	गुड्डू के घर से आमी नदी तक इन्टरलाकिंग कार्य
2	12000.00			
3	26943.00			
4	6720.00			
5	11883.00			
6	6720.00			
7	40390.00			
8	13440.00			
9	13440.00			
10	1407.00			
11	2814.00			

जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कोषबही, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत

राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-120 ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 4755000100013527 (राज्य वित्त) से रूपया 1060989.00 की निकासी बैंक स्टेटमेंट के अनुसार की गयी है। विवरण निम्नवत है –

क्रम	धनराशि रूपये में	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार कार्य का नाम
12	63168.00	29.11.2021	28.11.2021	ब्रिक्स पर भुगतान
13	47040.00			ब्रिक्स पर भुगतान
14	23184.00			कर्टेज मिटटी पर भुगतान
15	20929.00			
16	49750.00	08.12.2021	03.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
17	69000.00	22.12.2021	18.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
18	29357.00			
19	9900.00	22.12.2021	18.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
20	9900.00			
21	9900.00			
22	9900.00			
23	20160.00			
24	43760.00	31.12.2021	28.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
25	4290.00			
26	2400.00			
27	9900.00	31.12.2021	28.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
28	9900.00			
29	5012.00			
30	9900.00			
31	13440.00			
32	9900.00			
33	11500.00	31.12.2021	29.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
34	6240.00			
35	4290.00			
36	32647.00			
37	4290.00			
38	4290.00			
39	84500.00	10.01.2022	06.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
40	183680.00	12.01.2022	06.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
41	6000.00	29.01.2022	10.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय
42	6600.00	04.02.20222	31.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
43	6600.00			
44	6600.00			
45	6600.00			
46	9600.00			

47	6600.00			
48	145500.00			
49	9600.00			
50	40342.00	17.03.2022	15.03.2022	सामग्री हेतु भुगतान
51	4290.00			
52	6240.00			
53	4290.00	19.03.2022		
योग	**1060989.00**			

जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कोषबही, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला पाण्डेय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला पाण्डेय से वसूली अपेक्षित है I

प्रस्तर सं०-121

ग्राम निधि खाता संख्या 4755000100047904 (केन्द्रीय वित्त) से रूपया 2191919.00 की निकासी बैंक स्टेटमेंट के अनुसार की गयी है। विवरण निम्नवत है -

क्रम	धनराशि रूपये में	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक	ईग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक	कार्य का नाम ईग्राम स्वराज के अनुसार
1	27000.00	08.07.2021	08.07.2021	सामुदायिक शौचालय स्व सहायता ग्रुप का मानदेय पर भुगतान
2	141450.00	15.10.2021	14.10.2021	शौचालय मरम्मत और पानी सप्लाई कार्य सामग्री पर भुगतान
3	127369.00	15.10.2021	14.10.2021	सामग्री पर भुगतान
4	52240.00	30.10.2021	28.10.2021	हैण्डपम्प सामग्री पर भुगतान
5	335305.00	30.10.2021	28.10.2021	टायल पर भुगतान
6	35448.00	30.10.2021	28.10.2021	सामग्री पर भुगतान
7	96870.00	01.11.2021	28.10.2021	सफाई किट पर भुगतान
8	41000.00	27.11.2021	27.11.2021	टायल निर्माण कार्य की मजदूरी पर भुगतान
9	19851.00	29.11.2021	28.11.2021	ईंट पर भुगतान
10	53935.00	29.11.2021	28.11.2021	सामग्री पर भुगतान

11	149250.00	29.11.2021	28.11.2021	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री पर भुगतान
12	57119.00	29.11.2021	28.11.2021	सामग्री पर भुगतान
13	65228.00	29.11.2021	28.11.2021	खिड़की दरवाजा पर भुगतान
14	240504.00	14.12.2021	11.12.2021	सामग्री हेतु भुगतान
15	8910.00	13.01.2022	12.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
16	12960.00			
17	8910.00			
18	124257.00			
19	8910.00			
20	26193.00			
21	4000.00	29.01.2022	12.01.2022	सामग्री
22	199776.00	31.01.2022	27.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
23	9600.00	31.01.2022		
24	6600.00	29.01.2022		
25	6600.00	29.01.2022		
26	6600.00	29.01.2022		
27	56594.00	31.01.2022	27.01.2022	सामग्री हेतु भुगतान
28	170540.00	11.02.2022	10.02.2022	सामग्री हेतु भुगतान
29	6600.00			
30	6600.00			
31	9600.00			
32	6600.00			
33	18000.00	14.02.2022	28.12.2021	सामुदायिक शौचालय रख रखाव का मानदेय हेतु भुगतान
34	51500.00	17.03.2022	22.02.2022	सामग्री हेतु भुगतान
योग	**2191919.00**	-	-	-

जिसके सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित कोषबही, पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला पाण्डेय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री गोविन्द कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती मधुबाला पाण्डेय से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - ऊंचगांव **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-122 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 12.07.2021 को रूपया 46480.00 की निकासी की गयी है, जिसे कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है I उक्त कार्य के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती रीना से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री रवि कुमार पाण्डेय व ग्राम प्रधान श्रीमती रीना से वसूली अपेक्षित है I

ग्राम पंचायत - तालनवर **विकास खण्ड-** पिपरौली **जनपद – गोरखपुर**

प्रस्तर सं०-123 ग्राम निधि प्रथम खाता (राज्य वित्त) से दिनांक 07.05.2021 को क्रमशः रूपया 30000.00, रूपया 10000.00 तथा रूपया 22000.00 की निकासी की गयी है के सापेक्ष बार-बार मांगोपरांत भी उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा की वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" का पालन नहीं किया गया। के विपरीत तथा यह भी की बिंदु 8 क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी I जो उत्तरप्रदेश पंचायत राज मैंनूअल के अध्याय 13 के नियम स0 256(2) के प्राविधानो के विपरीत रहा I जिस हेतु तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिये । आपत्ति के अनुरूप स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री अरविन्द कुमार व प्रशासक श्री राजकुमार जायसवाल से वसूली अपेक्षित है I

जनपद - कुशीनगर

परिशिष्ट 'ग'

ग्राम पंचायत

जनपद का नाम - कुशीनगर **मण्डल का नाम - गोरखपुर**

ग्राम पंचायत –बदुराव **विकास खंड –फाजिलनगर जनपद -कुशीनगर**

प्रस्तर- 1 राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त के अंतर्गत निम्लिखित कार्यों के सापेक्ष मजदूरी न देकर गंभीर अनियमितता की गयी है बताया गया कि कार्य ठेकेदार द्वारा कराया गया है परन्तु ठेकेदार द्वरा लेबर सेस नहीं दिया गया न ही टेंडर सम्बंधित नियम का पालन ही किया गया .अतः उक्त के आलोक में स्पस्ट है कि निम्नलिखित कार्य के व्यय रुपया 1988099 में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मजरूल हक़ ,तत्कालीन जे०ई,तथा सचिव तारिक अली जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है तथा अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।

1. स्कूल में टाइल्स निर्माण हेतु श्री श्याम ट्रेडर्स को रुपया 238391.00 तथा मजदूरी हेतु दिलीप कुमार यादव को रुपया 64998.00 दिया गया जो कार्य में लगे सभी मजदुर की मजदूरी का पुष्टि नहीं करता है अतः रुपया 303389 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है
2. पंचायत भवन मरम्मत हेतु श्री श्याम ट्रेडर्स को रुपया 397267.00
3. जूनियर हाई स्कूल में टाइल्स मरम्मत हेतु उमा कंस्ट्रक्शन को रुपया 446690.00
4. प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष में टाइल्स हेतु ॐ कोटेश्वरी ट्रेडर्स को रुपया 129949.00
5. जूनियर हाई स्कूल में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु उमा कंस्ट्रक्शन को रुपया 337367.00
6. प्राथमिक विद्यालय भूलन छपरा में टाइल्स हेतु उमा कंस्ट्रक्शन को रुपया 373437.00

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1988099	1988099

ग्राम पंचायत –नाथ पट्टी **विकास खंड -फाजिलनगर जनपद -कुशीनगर**

प्रस्तर- **2** दिनांक 09-5-2021 को चौदहवा वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 17041425 से प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत टाइल्स तथा इंटरलॉकिंग कार्य पर रुपया 277630 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को किया गया परन्तु मजदूरी न देकर देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक **श्री मजरुल हक तथा सचिव अमित कुमार राय जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	277630.00	277630.00

ग्राम पंचायत –नाथ पट्टी **विकास खंड –फाजिलनगर जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-3 मनरेगा के अंतर्गत खड़ही पोखरे की खुदाई तथा सुन्दरीकरण कार्य दिनांक 22-4-2021 से 19-5-2021 तक करायी गयी तथा प्राप्त मस्टररोल के अनुसार रुपया 156468 मजदूरी दिया गया परन्तु सम्बंधित कार्य के सापेक्ष त्रिस्तरीय फोटोग्राफी नहीं पाया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26-3-2021 को तब लिया गया जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना तथा आचारसंहिता लागु हो गयी थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य करा कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 156468 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव अमित राय) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।**संबंधित कार्य की विभागीय जाँच तथा सम्बद्ध के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	156468	156468

ग्राम पंचायत-बलियावा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-4 मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य जो वर्ष 2020-21 के कार्ययोजना में था परन्तु यह कार्य आलोच्य वर्ष में कराया गया (1. बलियावा में पिच सड़क तक सुर्रेंद्र के खेत शाही जी के खेत तक मिटटी कार्य कार्य दिनांक 13-05-2021 से 02-06-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 98328 व्यय हुआ जबकि 482 मानव दिवस इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23-03-2021 को दिया गया 2. बलियावा में पिच सड़क से बाबूलाल के खेत से बब्बन जी के खेत वा पिच सड़क तक मिटटी कार्य जिस पर रुपया 172788 व्यय हुआ जबकि 847 मानव दिवस इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23-03-2021 को दिया गया 3.छांगुर के खेत से ड्रेन तक मिटटी कार्य दिनांक 01-4-2021 से 21-4-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 109344 व्यय हुआ जबकि 536 मानव दिवस इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23/03/2021 को दिया गया 4. बलियावा में गौरी के घर से रविन्द्र के सागौन होते हुए चकरोड तक मिटटी कार्य दिनांक 20-5-2021 से 2-6-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 87720 व्यय हुआ जबकि 430 मानव दिवस इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 2-05-2021 को दिया गया) जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था त्रिस्तरीय चुनाव की आचार संहिता /अधिसूचना जारी हो गया था दिशानिर्देश के विपरीत कार्य करा कर (रुपया 888012 के व्यय में) गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री अमित कुमार राय जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।प्रत्येक कार्य की विभागीय अधिकारीयों से जाँच कराया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	468180	468180

ग्राम पंचायत –बलियावा **विकास खंड –फाजिलनगर जनपद कुशीनगर**

प्रस्तर-5 पंद्रहवा वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु सामग्री पर व्यय किया गया है परन्तु मजदूरी न देकर सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता किया गया है

1. दिनांक 11-5-2021 को रामअवध के घर से पूरब सड़क भूमिगत नाली निर्माण पर रुपया 39117

2. दिनांक 11-5-2021 को हीरालाल के घर से पिच रोड तक इंटरलॉकिंग पर रुपया 101562

3. प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण में इंटरलॉकिंग पर कुल रुपया 395975

.ये सारे नए कार्य है जो तब कराये गए जबकि त्रिस्तरीय चुनाव की आचार संहिता /अधिसूचना जारी हो गया था जबकि प्रशासक द्वारा इस दौरान कोई भी नया कार्य तथा उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था .प्रशासक को दिए दिये दिशानिर्देश के विपरीत कार्य करा कर (रुपया 536654 के व्यय में) गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक ,जे०ई० तथा सचिव श्री अमित कुमार राय जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।प्रत्येक कार्य की विभागीय अधिकारीयों से जाँच कराया जाना अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	536654	536654

ग्राम पंचायत –बलियावा **विकास खंड –फाजिलनगर जनपद कुशीनगर**
प्रस्तर-6 दिनांक 11-5-2021 को 15वा वित्त के अंतर्गत कार्ययोजना/आई डी 42372320 के अनुसार सभी प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल में शौचालय मरम्मत के जगह प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स एवं मरम्मत कार्य पर कुल रुपया 597961 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी न देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक ,सचिव श्री अमित कुमार राय तथा जे०ई ०जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।कार्य की विभागीय अधिकारी द्वारा जाँच किया जाना अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	597961	597961

ग्राम पंचायत-बनकटा बाजार **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-7 मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 20/05/2021 से 2/06/2021 तक बनकटा बाज़ार में छठ स्थान से भटाही सिवान तक मिटटी कार्य कार्य की स्वीकृति तिथि 23/03/2021 है , कार्य किया गया, जिसपर रुपया 34272 व्यय हुआ जबकि 168 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है अतः यह कार्य अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी श्री ,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री रविन्द्र सिंह) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	34272	34272

ग्राम पंचायत-कोइलसवा बुजुर्ग **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-8 दिनांक 24-05-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51787739 से लालबिहारी के घर से बहरन अन्सारी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु रुपया 289566 का भुगतान ओम कोटेश्वरी ट्रेडर्स को

दिया गया जिसमे रुपया रुपया 248566 सामग्री हेतु दिया गया जबकि रुपया 41000 मजदूरी का भुगतान मजदूरों को उनके खातों में न कर फर्म को दे कर अनियमितत किया गया जिसके लिए प्रशासक श्री **मजरुल हक तथा सचिव दिनेश कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।कार्य की जाँच करते हुए कड़े अनुशासनिक करवाई किया जाना चाहियें ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	289566	289566

ग्राम पंचायत-अमवा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-9 मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 01/04/2021 से 09/06/2021 तक अमवा में छठ स्थान वाले पोखरे की खुदाई एवं सुन्दरीकरण आई डी संख्या (3172013001/डब्लू सी/958486255823123052) तथा कार्य की स्वीकृति तिथि 16/03/2021 है , कार्य किया गया, जिसपर रुपया 68748 व्यय हुआ जबकि 337 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ .स्पष्ट रूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है अतः यह कार्य अनियमित है जिसके लिए संबंधित (तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी **,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्रीमती रंजना प्रजापति) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	68748	68748

ग्राम पंचायत-बरदहा बाजार **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-10 मनरेगा के अंतर्गत बरदहा बाज़ार में धोबही घाट वाले पोखरे की खुदाई और सुन्दरीकरण (3172013013/डब्लू सी/958486255823126807) तथा बरदहा बाज़ार में रामगनेश के खेत से रमाशंकर के खेत तक मिटटी कार्य (3172013013/एल डी/958486255823243368) , कार्य किया गया, जिसपर क्रमशः रुपया 179520 तथा रुपया 28356 व्यय हुआ जबकि कुल 1019 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य में गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 207876 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी श्री ,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्रीमारी अर्चना भारती) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	207876	207876

ग्राम पंचायत-बड़हरा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-11 मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 01/04/2021 से 12/05/2021 तक बडहरा में बृजेश सिंह के खेत से बकुलहा सिवान तक नाली खुदाई कार्य (3172013007/एफ पी/958486255823163906) कार्य की स्वीकृति तिथि 26/03/2021 है , कार्य किया गया, जिसपर रुपया 141984 व्यय हुआ जबकि 696 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा

मई में कराया गया है अतः यह कार्य अनियमित है जिसके लिए संबंधित (तत्कालीन कार्यक्रम **अधिकारी,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री दिनेश कनौजिया) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	141984	141984

ग्राम पंचायत-बेलवा कलाँ **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-12 दिनांक 21-5-2021 को 15वा वित्त के अंतर्गत कार्ययोजना/आई डी 51750145 के अनुसार प्राथमिक स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स एवं मरम्मत कार्य पर कुल रुपया 262969 का भुगतान अभिनव ट्रेडर्स को दिया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी(कुशल तथा अकुशल मजदुर) न देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक , सचिव श्री दिनेश कन्नौजिया तथा जे०ई **०जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।कार्य की विभागीय अधिकारी द्वारा जाँच किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	262969	262969

ग्राम पंचायत-बेलवा खुर्द **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-13 मनरेगा के अंतर्गत दिनांक 1-4-2021 से दिनांक 12- 5- 2021 तक कमलेश के खेत से सोंडा नाला ट्रेन की सफाई कार्य किया गया इस पर रुपया 60792 मजदुरी दिया गया जिससे 298 मानव दिवस कार्य संपादित हुआ। परंतु यह कार्य वर्ष 2020- 21 के कार्य योजना में दर्शित है जबकि इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 22-03- 2021 को दी गई गंभीर अनियमितता की गई। स्पष्ट रूप से कार्य चुनाव के आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया जो कि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः इस कार्य में गंभीर अनियमितता की गई है संबंधित व्यय रुपया 60792 अनियमित है जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी प्रशासक श्री मजरुल हक तकनीकी सहायक तथा सचिव श्री दिनेश कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।संबंधित पर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	60792	60792

ग्राम पंचायत- बेलवा खुर्द **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-14 दिनांक 2-5-2021 को 15वा वित्त के अंतर्गत आईडी संख्या 429839972 से प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाने हेतु रुपया 217766 का भुगतान अभिनव ट्रेडर्स को किया गया है परंतु मजदूरी न देकर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए प्रशासक श्री मजहरूल हक ,तत्कालीन जे ई, तथा सचिव **दिनेश कनौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है । विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	217766	217766

ग्राम पंचायत-बेलवा आलम दास **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-15 दिनांक 9-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 45373789 से प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत किया जाना है जबकि विद्यालय में टाइल्स मरम्मत पर रुपया 100477 तथा शौचालय मरम्मत पर रुपया 124686 कुल रुपया 225163 का व्यय दर्शित है जिसमे घनश्याम यादव को सामग्री तथा मजदूरी हेतु रुपया 150972 तथा अन्य सामग्री पर रुपया 74191 का भुगतान कर गंभीर अनियमितता किया गया है क्योकि मिस्त्री तथा मजदूरों की मजदूरी उनके व्यतिगत खाते में जाना चाहिए न कि किसी व्यक्ति विशेष/फर्म के खाते में,पुनः दिनांक 11-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42510010 से प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत किया जाना है जबकि इस आई डी पर विद्यालय में टाइल्स लगा कर सरकारी धन रुपया 315810 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है क्योकि घनश्याम यादव को सामग्री तथा मजदूरी हेतु रुपया 282000 तथा आर एस ईट भट्टा को रुपया 33810 का भुगतान किया गया है अतः कुल रुपया 540973 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक ,सचिव श्री राजकिशोर प्रसाद तथा जे ई जिम्मेवार है क्योकि पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या (1017/33-3-2020 11 / 2020 दिनांक 6 जून, 2020के अनुसार भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2019 में यह निर्देश दिए गए हैं कि पंचायती राज विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित समस्त योजनाओं की धनराशि पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से ही व्यय की जायेगी। आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में कराये गए कतिपय कार्यों में श्रमांश मद में लाभार्थी श्रमिक को भुगतान करते समय सम्बंधित श्रमिक लाभार्थी के खाते में सीधे पी एफ एम एस के द्वारा भुगतान न करके प्रधान/कार्य प्रभारी के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक को भुगतान किया जाना दर्शित है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मरियम एवं ग्राम **विकास अधिकारी श्री राज किशोर प्रसाद उत्तरदाई है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	540973	540973

ग्राम पंचायत-बेलवा आलम दास **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-16 मनरेगा के अंतर्गत बेलवा आलम दास में अमेरिका के खेत से अच्छेलाल के खेत तक मिटटी कार्य कार्य दिनांक 27-5-2021 से 9-6-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 40596 व्यय हुआ जबकि 199 मानव दिवस सम्पादित हुआ इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23-03-2021 को दिया गया तथा बेलवा आलम दास में अकलू के घर से सुमही पिच मार्ग तक मिटटी कार्य दिनांक 20-5-2021 से 9-6-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 45084 व्यय हुआ जबकि 221 मानव दिवस सम्पादित हुआ इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23-03-2021 को दिया गया ,ये दोनों कार्य वर्ष 2020-21 के कार्ययोजना का है जबकि वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23-03-2021 को दिया गया , जबकि कुल 420 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के आचार संहिता/अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः ये कार्य कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 85680 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री राजकिशोर प्रसाद)** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	85680	85680

ग्राम पंचायत-भटही दरियाव टोला **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-17 मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कार्ययोजना वर्ष 2020-21 के है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 09/12/2020 को दिया गया जबकि कार्य तब कराया गया जबकि चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था. अतः यह कार्य में गंभीर अनियमितता है तथा संबंधित व्यय रुपया 129744 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मजरुल हक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री राजकिशोर प्रसाद) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** ।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है - भटही दरियाव टोला में दुखी के खेत से नवमीं के खेत तक मिटटी कार्य 01/04/2021 से 14/04/2021 किया गया जिसपर रुपया 74460 व्यय हुआ जिससे 365 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ भटही दरियाव टोला में राम्तपेश के खेत से शंकर के खेत तक मिटटी कार्य 6-5-2021से 12-5-2021 जिसपर रुपया 29988 व्यय हुआ जिससे 147 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ भटही दरियाव टोला में उपेन्द्र के खेत से कमलेश के खेत तक मिटटी कार्य 1-4-2021से 26-5-2021 हुआ जिसपर रुपया 25296 व्यय हुआ जिससे 124 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	129744	129744

ग्राम पंचायत-भटही दरियाव टोला **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-18 राज्य वित्त के अंतर्गत दिनांक 5-4-2021 को आई डी संख्या 45405805 से रामनरेश के घर से हरिश्चंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में सामग्री हेतु रुपया 80476 का भुगतान रविन्द्र सिंह को किया गया है ,आई डी संख्या 45405960 में दर्शित कार्य इनरमाँ के खेत से सुधाकर तक नाली निर्माण दर्शित है इसी कार्य पर रुपया 70168 का भुगतान दर्शित है, आई डी संख्या 509227951 से इसी कार्य हेतु रुपया 70068 का व्यय किया गया है अतः एक कार्य हेतु तीन आई डी से कुल रुपया 221162 का भुगतान कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके **सचिव श्री राजदेव प्रसाद के साथ प्रशासकश्री मजरुल हक तथा जे ई जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	221162	221162

ग्राम पंचायत-मुँडेरा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-19

1. दिनांक 26-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51781723 से प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाने पर रुपया 213572 का भुगतान श्याम ब्रिक्स फील्ड को किया गया परन्तु मजदूरी मजदुर के खाते में न देकर फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए
2. दिनांक 26-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42154231 से सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु रुपया 180567 का भुगतान श्याम ब्रिक्स फील्ड तथा गणेश सीमेंट स्टोर्स को दिया गया इसके अतिरिक्त गत वर्ष में रुपया 176151 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया जबकि मनरेगा कन्वर्जेन्स से मजदूरो को रुपया 36984 की मजदूरी दिया गया परन्तु इस कार्य पर मिस्त्री का भुगतान नहीं कर सरकारी धन के व्यय में अनियमितता की गयी क्योकि बिना मिस्त्री के सामुदायिक शौचालय का निर्माण संभव नहीं जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव**

अशोक कुमार यादव जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है तथा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	394139	394139

ग्राम पंचायत-फरेंदाहा **विकास खंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-20 दिनांक 17-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42375001 से सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु रुपया 140000 का भुगतान कृष्णा इंटरप्राइजेज को किया गया है परन्तु मजदूरी न देकर गंभीर अनियमितता की गयी है कार्य में गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 140000 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(प्रशासक श्री मजरुल हक़ ,जे०ई० तथा सचिव श्रीमती अर्चना)** जिम्मेवार है **जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** तथा संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	140000	140000

ग्रामपंचायत-रामपुरउर्फखुशीहालटोला **विकासखंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-21 दिनांक 11-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42117070 से प्राथमिक विद्यालय में शौचालय मरम्मत तथा टाइल्स लगाने पर कुल रुपया 427144 का भुगतान इशरत मार्बल एंड टाइल्स तथा श्याम ब्रिक्स को किया गया परन्तु मजदूरी मजदुर के खाते में न देकर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए प्रशासक **श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है कार्य की जाँच तथा अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	427144	427144

ग्राम पंचायत-असमानपुर **विकास खंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-22 दिनांक 9-5-2021 को भूतपूर्व प्रधान का मानदेय रुपया 31500 का भुगतान प्रधान के बदले विन्ध्यवाशिनी ट्रेडर्स को कर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए तत्कालीन **सचिव रवीन्द्र प्रसाद तथा प्रशासक श्री मजरुल हक** जिम्मेवार है वसूली अपेक्षित है.

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	31500	31500

ग्राम पंचायत-असमानपुर **विकास खंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-23

1. दिनांक 9-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु रुपया 127354 का भुगतान विन्ध्यवाशिनी ट्रेडर्स को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दे कर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए **तत्कालीन सचिव रवीन्द्र प्रसाद तथा प्रशासक श्री मजरुल हक** जिम्मेवार है क्योकि मिस्त्री तथा मजदूरों की मजदूरी उनके व्यतिगत खाते में जाना चाहिए न कि किसी व्यक्तिविशेष/फर्म के खाते में, संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

2. दिनांक 9-5-2021 को 15वा वित्त के अंतर्गत प्रह्लाद के शंकर के वास तक सी सी रोड निर्माण हेतु रुपया 345306 का भुगतान विन्ध्यवाशिनी ट्रेडर्स को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दे कर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए **तत्कालीन सचिव रवीन्द्र प्रसाद तथा प्रशासक श्री मजरुल** हक जिम्मेवार है क्योकि मिस्त्री तथा मजदूरों की मजदूरी उनके व्यतिगत खाते में जाना चाहिए न कि किसी व्यक्तिविशेष/फर्म के खाते में, संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है
3. दिनांक 24-5-2021 को 15वा वित्त के अंतर्गत सोख्ता निर्माण हेतु रुपया 65000 का भुगतान विन्ध्यवाशिनी ट्रेडर्स को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दे कर गंभीर अनियमितता किया गया तत्कालीन सचिव **रवीन्द्र प्रसाद तथा प्रशासक श्री मजरुल हक** जिम्मेवार है क्योकि मिस्त्री तथा मजदूरों की मजदूरी उनके व्यतिगत खाते में जाना चाहिए न कि किसी व्यक्तिविशेष/फर्म के खाते में, संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है
4. दिनांक 24-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आंगनवाड़ी निर्माण हेतु रुपया 66232 का भुगतान विन्ध्यवाशिनी ट्रेडर्स को किया गया परन्तु मजदूरी नहीं दे कर गंभीर अनियमितता किया गया तत्कालीन सचिव **रवीन्द्र प्रसाद तथा प्रशासक श्री मजरुल हक** जिम्मेवार है क्योकि मिस्त्री तथा मजदूरों की मजदूरी उनके व्यतिगत खाते में जाना चाहिए न कि किसी व्यक्तिविशेष/फर्म के खाते में, संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	603892	603892

ग्राम पंचायत-नारायणपुर **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**
प्रस्तर-24

1. दिनांक 10-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42240880 से सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु रुपया 151920 का भुगतान श्याम ब्रिक्स फील्ड को दिया गया परन्तु उक्त कार्य पर मजदूरी नहीं दिया गया जबकि कोई भी कार्य बिना मिस्त्री तथा मजदुर के नहीं किया जा सकता अतः उक्त को भुगतान नहीं कर सरकारी धन के व्यय में अनियमितता की गयी क्योकि बिना मजदुर के सामुदायिक शौचालय का निर्माण संभव नहीं जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए
2. दिनांक 11-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42262494 से प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत टाइल्स तथा किचन मरम्मत पर रुपया 526343 का भुगतान श्याम ब्रिक्स फील्ड को किया गया परन्तु मजदूरी मजदुर के खाते में न देकर फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव जिम्मेवार है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए
3. दिनांक 10-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42261370 से मुसहर पट्टी में पीच रोड से शान्ति के घर तक इंटरलॉकिंग पर रुपया 289997 का भुगतान श्याम ब्रिक्स फील्ड को किया गया परन्तु मजदूरी मजदुर के खाते में न देकर फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक **श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	968260	968260

ग्राम पंचायत-शेरपुर बड़हारा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-25 राज्य वित्त के अंतर्गत दिनांक 12-5-2021 को आई डी संख्या 42497053 से सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कुल रुपया 291800 का भुगतान सामग्री हेतु क्रमशः पावा ट्रेडिंग कंपनी को दिया गया परन्तु मजदूरी न देकर कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है कार्य अगर ठेकेदारी से कराया गया है तो लेबर सेस न जमा कर अनियमितता की गयी है त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि भी उपलब्ध नहीं रही अतः स्पस्ट है कुल रुपया 291800 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन **प्रशासक श्री मजरुल हक ,सचिव मनीष कुमार जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** । विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है .

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	291800	291800

ग्राम पंचायत-खैरटिया **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-26 दिनांक 12-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोख्ता निर्माण कार्य पर सामग्री हेतु कुल रुपया 426184 का भुगतान ओम कोटेश्वरी ट्रेडर्स तथा हाशमी बिल्डिंग मटेरियल को दिया परन्तु मजदूरी उनके खातो में न देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक जे०ई० तथा सचिव अशोक यादव** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।कार्य की जाँच करा कर सम्बद्ध के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	426184	426184

ग्राम पंचायत-खैरटिया **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-27 दिनांक 12-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु इशरत मार्बल एंड टाइल्स को रुपया 151920 का भुगतान किया गया परन्तु मजदुर को मजदूरी उनके खातो में न देकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक जे०ई० तथा सचिव अशोक यादव** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।कार्य की जाँच करा कर सम्बद्ध के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	151920	151920

ग्राम पंचायत- भड़सरवा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-28 राज्य वित्त तथा 15वा वित्त के अंतर्गत दिनांक 3-5-2021 को सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कुल रुपया 275412 का भुगतान सामग्री (राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त दोनों से किया गया ऐसी प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना चाहिए)हेतु क्रमशः श्री श्याम ट्रेडर्स तथा इशरत मार्बल टाइल्स को दिया गया परन्तु मजदूरी न देकर कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है कार्य अगर ठेकेदारी से कराया गया है तो लेबर सेस न जमा कर अनियमितता की गयी है त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि भी उपलब्ध नहीं रही ,पुनः उक्त तिथि में ही मुखलाल के घर से दिनेश के खेत तक नाली निर्माण हेतु श्री श्याम ट्रेडर्स को कुल रुपया 415896 का भुगतान किया

गया परन्तु मजदूरी न देकर कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है कार्य अगर ठेकेदारी से कराया गया है तो लेबर सेस न जमा कर अनियमितता की गयी है त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि भी उपलब्ध नहीं रही , दिनांक 12-5-2021 को हरेन्द्र के घर से कन्हैया के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर रुपया 65271 का भुगतान श्री श्याम ट्रेडर्स को दर्शित है (जबकि गत वर्ष सामग्री पर रुपया 213162 का भुगतान किया गया है) यहाँ भी सिर्फ सामग्री पर भुगतान हुआ जबकि मजदूरी नहीं दिया गया मजदूरी न देकर कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है अतः स्पस्ट है कुल रुपया 756579 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए तत्कालीन प्रशासक **श्री मजरुल हक ,जे०ई० तथा सचिव अशोक कुमार यादव** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है .

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	756579	756579

ग्राम पंचायत-कस्तूरवा **विकास खंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-29 दिनांक 4-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51646147 से प्राथमिक विद्यालय कस्तूरबा में कायाकल्प योजनान्तर्गत टाइल्स लगाने पर कुल रुपया 310233 का भुगतान सुनिल कुमार पाण्डेय बिल्डिंग मटेरियल को किया गया (यहाँ रुपया 26313 का भुगतान बिमलावती ईट भटठा को करना था परन्तु उक्त भुगतान निरस्त हो गया अतः बिना ईट के ही उपरोक्त कार्य संपन्न हो गया)जबकि मजदुर को मजदूरी उनके खाते में न देकर बल्कि मजदूरी उपरोक्त फर्म को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है पुनः दिनांक 4-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51646273 से प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगाने पर कुल रुपया 354237 का भुगतान सुनिल कुमार पाण्डेय बिल्डिंग मटेरियल तथा कृष्णा इंटरप्राइजेज को किया गया परन्तु मजदुर को मजदूरी उनके खाते में न देकर बल्कि मजदूरी उपरोक्त फर्म को भुगतान कर गंभीर अनियमितता की गयी है इसके अतिरिक्त दिनांक 24-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42569283 से ग्राम पंचायत कस्तूरबा में सामुदायिक शौचालय निर्माण पर कुल रुपया 309626 का भुगतान सुनिल कुमार पाण्डेय बिल्डिंग मटेरियल को किया गया परन्तु मजदूरो को मजदूरी उनके खाते में नही दिया गया अतः उपरोक्त कार्यों में सामग्री क्रय कर और मजदूरो को मजदूरी उनके खाते में नही देकर बल्कि मजदूरी उपरोक्त फर्म को भुगतान कर रुपया 1052131 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक ,जे०ई०,तथा सचिव मनीष कुमार जिम्मेवार हैं** जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है **।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1052131	1052131

ग्राम पंचायत-नोनिया पट्टी **विकास खंड-फाजिलनगर** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-30

1. दिनांक 09-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42577222 से सतीशलाल के घर से पूरब नगीनालाल के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु उमापति यादव को रुपया 130000 का भुगतान किया परन्तु मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया जिसके लिए जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव तारिक अली जिम्मेवार है
2. दिनांक 09-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42576581 से रामायण के घर से उत्तर रमाशंकर के घर तक खडन्जा निर्माण हेतु उमापति यादव को रुपया 199875 का भुगतान

किया परन्तु मजदूरी मजदूरो के खाते में न देकर फर्म को देकर सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए जिसके लिए प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव तारिक अली जिम्मेवार है

3. दिनांक 09-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42576277 से सुरेन्द्र के घर से पूरब कैलाश के घर होते हुए रामाधार के घर तक नाली निर्माण हेतु उमापति यादव को रुपया 483976 का भुगतान किया परन्तु मजदूरी मजदूरो के खाते में न देकर फर्म को देकर सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव तारिक अली** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	813851	813851

ग्राम पंचायत-महुआवा बुजुर्ग **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर प्रस्तर-31**

1. दिनांक 25-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42193241 से जूनियर हाई स्कूल में शौचालय मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर मजदूरी पर कुल रुपया 148073 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके मार्कंडेय तिवारी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है
2. दिनांक 25-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 49574464 से झकी टोला में विद्यालय सुन्दरीकरण पर रुपया 121850 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके मार्कंडेय तिवारी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है
3. दिनांक 25-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 36913889 से झकी टोला में विद्यालय शौचालय और बाउंड्री पर रुपया 64469 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके मार्कंडेय तिवारी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है
4. दिनांक 30-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 18746871 से पोखरा टोला में गंगा यादव के घर से घरबहरन के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर रुपया 335033 का भुगतान ओम कोटेश्वरी ट्रेडर्स जबकि रुपया 58005 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके उदासी देवी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है
5. दिनांक 30-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 18746871 से पोखरा टोला में ठगई के घर से छेदी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य पर रुपया 98161 का भुगतान ओम कोटेश्वरी ट्रेडर्स जबकि रुपया 37344 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके उदासी देवी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है
6. दिनांक 10-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 49572696 से प्राथमिक विद्यालय बाजार में सुन्दरीकरण पर रुपया 295842 का भुगतान ओम कोटेश्वरी ट्रेडर्स जबकि रुपया 53784 का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके मार्कंडेय तिवारी को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है अतः उपर्युक्त से स्पस्ट है कि इन कार्यों में मजदूरों को मजदूरी का धन उनके खाते में न देकर व्यक्ति विशेष के खाते में भुगतान कर सरकारी धन रुपया 1212561 के व्यय गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अशोक कुमार यादव** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।
7. संबंधित कार्य की विभागीय जाँच तथा सम्बद्ध के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	1212561	1212561

ग्राम पंचायत-रावतपार **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-32

1. दिनांक 21-5-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या42592345 से प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स निर्माण पर कुल रुपया 275325 का भुगतान अभिनव ट्रेडर्स तथा भारत ट्रेडिंग कम्पनी को किया गया परन्तु मजदूरी मजदुर के खाते में न देकर फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गया जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव दिनेश कन्नौजिया** जिम्मेवार है कार्य की विभागीय सहित आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	275325	275325

ग्राम पंचायत-महासोन **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-33 दिनांक 19-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42727567 से नथुनी के खेत के पास नहर पर पुलिया निर्माण हेतु आर आर ट्रेडर्स को रुपया 272359 का भुगतान किया गया (गत वर्ष में उक्त कार्य हेतु सामग्री पर व्यय किया है) परन्तु मजदूरी मजदूरों के खाते में न देकर फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव दिनेश कन्नोजिया जिम्मेवार है** जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	272359	272359

ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर महंथ **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-34 मनरेगा के अंतर्गत तेलही पोखरे की खुदाई कार्य दिनांक 1-4-2021 से 5-5-2021 तक कराया गया जिसपर कुल रुपया 485520 मजदूरी दिया गया जिससे 2380 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ ,जबकि इस कार्य की तकनीकि तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रहा जबकि दिनांक 4-6-2020 को वित्तीय स्वीकृति दिया गया अर्थात वित्तीय स्वीकृति मिलने के 10 महीने के बाद आगामी वर्ष में तब कराया गया जबकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी थी स्पस्ट रूप से कार्य पर भुगतान अनियमित रहा (इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु साइनबोर्ड पर रुपया 4500 का भुगतान अंसारी ब्रिक्स को किया गया) जिसके लिये **प्रशासक श्री मजरुल हक,जे०ई० तथा सचिव श्री पंकज मिश्र जिम्मेवार है** जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथअनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	490020	490020

ग्राम पंचायत-महुअवा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-35 केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत दिनांक 27-04-2021 को आई डी संख्या 42261990 से सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु उमा कंस्ट्रक्शन को रुपया 506606 का भुगतान किया परन्तु मिस्त्री /कुशल मजदूर की मजदुरी के खाते में न देकर फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी है (जबकि मनरेगा कन्वर्जेन्स के अंतर्गत रुपया 24072 अकुशल मजदुर को दिया गया है) जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अमित राय** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	506606	506606

ग्राम पंचायत-महुअवा **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-36 केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत दिनांक 27-04-2021 को रत्नाकर के घर से रामप्रीत के घर तक नाली मरम्मत कार्य पर निर्माण हेतु रुपया 44155 ,गुल मुहम्मद के घर से सीताराम के पोखरी होते हुए नाली निर्माण पर 28320,शिवमंगल के घर से ललन के घर तक नाली पर रुपया 12030 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को किया, परन्तु इन कार्यों में मजदूरी न देकर दे कर गंभीर अनियमितता (रुपया 84505)की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अमित राय** जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है तथा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	84505	84505

ग्राम पंचायत-दुबौली **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-37 राज्य वित्त तथा 15वित्त के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों में सामग्री हेतु भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को दिया गया है परन्तु मजदूरी नहीं देकर सरकारी धन रुपया 905465 के व्यय में गभीर अनियमितता की गयी है इसके अतिरिक्त एक आई डी का दुसरे आई डी पर भुगतान दर्शित है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक़ ,तत्कालीन जे ० ई०,तथा सचिव अमित राय जिम्मेवार है** जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है उपरोक्त सभी कार्यों का जाँच किया जाना अपेक्षित है

1. कार्ययोजना वर्ष 2020-21 में आई डी संख्या 42266221 तथा 42266371 से स्कूल शौचालय मरम्मत तथा स्कूल मरम्मत तथा बाउंड्री निर्माण दर्शित है जबकि उसी आई डी पर दिनांक 30-4-2021 तथा अन्य तिथियों को प्राथमिक विद्यालय दुबौली में टाइल्स लगाने पर रुपया 74336 ,प्राथमिक विद्यालय दुर्जन में टाइल्स लगाने पर रुपया 200501 तथा प्राथमिक विद्यालय देवीचक में टाइल्स लगाने पर रुपया 139743 कुल रुपया 414580 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को किया गया है जबकि मजदूरी नहीं दिया गया या फर्म को मजदूरी देकर गभीर अनियमितता की गयी है
2. दिनांक 30-4-2021 को आंगनबाड़ी भवन के मरम्मत पर रुपया 127187 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को किया गया है जबकि मजदूरी नहीं दिया गया या फर्म को मजदूरी देकर गभीर अनियमितता की गयी है (जबकि गत वर्ष भी सामग्री हेतु रुपया 160323 का भुगतान दर्शित है परन्तु मजदूरी नहीं दी गयी) .

3. दिनांक 30-4-2021 को पंचायत भवन के मरम्मत पर आलोच्य वर्ष में रुपया 363698 का भुगतान का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन को किया गया है जबकि मजदूरी नहीं दिया गया या फर्म को मजदूरी देकर गभीर अनियमितता की गयी है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	905465	905465

ग्राम पंचायत- अमवा श्री दुबे **विकास खंड-फाजिलनगर जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-38 दिनांक 29-4-2021 तथा अन्य तिथियों में आई डी संख्या 50887143विद्यालयों में टाइल्स निर्माण /मरम्मत पर कुल रुपया 556962 का भुगतान उमा कंस्ट्रक्शन्स को किया गया जबकि इस आई डी पर कुल व्यय रुपया 636662 (गत वर्ष में रुपया 79700 का व्यय) हुआ है परन्तु पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नसोत्रों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद में पंचायत राज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिंदु 2बके माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर 2 लाख कर दीगयी है. टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जे इ रेस / जे इ एम आइ/ जे इ जिलापंचायत / जे इ मंडीपरिषद् के द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2लाख से 2.50 लाख तक ए डी ओ पंचायत , 2.5 से 5 लाख तक डी पी आर ओ और 5 लाख से ऊपर डी एम , 10 लाख से ऊपर जिला पंचायत से लिया जाना आवश्यक है उपरोक्त के आलोक में स्पस्टरूप से नियमो का उलन्घन कर कार्य कराया गया है अतः उक्त व्यय रुपया 556962 अनियमित रहा जिसके लिए **प्रशासक श्री मजरुल हक तथा सचिव अमित राय जिम्मेवार है** जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	556962	556962

ग्राम पंचायत-कठगरही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹14,55,674 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 14,55,674 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद चौरसिया से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग

1455674	0	0	1455674

ग्राम पंचायत-सपहा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹49,89,647 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 49,89,647 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इसरत जहाँ से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
4989647	0	0	4989647

ग्राम पंचायत-पीडरी विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-41

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹10,92,263 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 10,92,263 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री आशुतोष कुमार से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1092263	0	0	1092263

ग्राम पंचायत- मोरवान **विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा

परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹46,11,777 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 46,11,777 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री वकील सिंह से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
4611777	0	0	4611777

ग्राम पंचायत-बिहुली सोमाली हनुमान विकासखंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹13,84,234 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 13,84,234 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1384234	0	0	1384234

ग्राम पंचायत-धुआँ टीकर विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹15,69,266 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 15,69,266 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1569266	0	0	1569266

ग्राम पंचायत-बसडीला विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार

यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹15,44,744 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 15,44,744 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री गंगा वर्मा से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1544744	0	0	1544744

ग्राम पंचायत-अमवा बाज़ार विकास खंड-रामकोला जनपद-कुशीनगर

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹34,41,745 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 34,41,745 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामज्ञान यादव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
3441745	0	0	3441745

ग्राम पंचायत-भठही बुजुर्ग विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-47

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹14,55,530 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 14,55,530 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय चौहान से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1455530	0	0	1455530

ग्राम पंचायत-भठही खुर्द विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹10,08,638 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 10,08,638 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री मुनेब कुशवाहा से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1008638	0	0	1008638

ग्राम पंचायत-चौराही उर्फ अंजही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹5,25,797 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 5,25,797 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुगन्धा देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
525797	0	0	525797

ग्राम पंचायत-शिवपुर मठिया विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹5,50,019 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 5,50,019 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री इंदल से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग

550019	0	0	550019

ग्राम पंचायत-खोटही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ 1,16,09,650 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,16,09,650 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष **50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामदेव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
11609650	0	0	11609650

ग्राम पंचायत-देउयलिया उर्फ मनिया विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ 43,79,171 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 43,79,171 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
4379171	0	0	4379171

ग्राम पंचायत-धनौजी खास विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹13,24,046 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 13,24,046 की वसूली आहरित धनराशि

के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1324046	0	0	1324046

ग्राम पंचायत-रामबर बुजुर्ग विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹57,75,569 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 57,75,569 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
5775569	0	0	5775569

ग्राम पंचायत-मांडे राय विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹15,16,655 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 15,16,655 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1516655	0	0	1516655

ग्राम पंचायत-खैरटवा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज

में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹8,21,689 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 8,21,689 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान रामसेवक कुशवाहा से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
821689	0	0	821689

ग्राम पंचायत-पगार विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹1,02,09,735 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,02,09,735 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत सिंह से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
10209735	0	0	10209735

ग्राम पंचायत-तरकुलवा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹8,93,684 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 8,93,684 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 **प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल साहब से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
893684	0	0	893684

ग्राम पंचायत-ढोढराही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा

परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹16,36,734 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 16,36,734 की वसूली आहरित धनराशि के **सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती सुनिता से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1636734	0	0	1636734

ग्राम पंचायत-फुलवारिया मगरीब विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹21,89,932 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 21,89,932 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जियाउर रहमान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
2189932	0	0	2189932

ग्राम पंचायत-पथरदेवा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹5,23,109 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 5,23,109 की वसूली आहरित धनराशि के **सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ गोविंद राव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राजेश यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
523109	0	0	523109

ग्राम पंचायत-बिहूली निफसी हनुमान विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार

यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹8,41,355 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 8,41,355 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली **ग्राम प्रधान श्री अब्दुल शहजादे अंसारी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
841355	0	0	841355

ग्राम पंचायत-बैरिया विकास खंड-रामकोला जनपद-कुशीनगर

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹32,59,829 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 32,59,829 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शोभनाथ सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
3259829	0	0	3259829

ग्राम पंचायत-मोती पाकड़ विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹12,64,712 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 12,64,712 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 **प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञान्ती देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1264712	0	0	1264712

ग्राम पंचायत-पपउर विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹14,27,097 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 14,27,097 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 **प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती यादव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1427097	0	0	1427097

ग्राम पंचायत-कुसुमही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹16,89,877 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 16,89,877 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजु देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1689877	0	0	1689877

ग्राम पंचायत-धरम समदा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹8,16,038 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 8,16,038 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बबिता देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग

816038	0	0	816038

ग्राम पंचायत-अहिरौली कुसुमही विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹19,96,455 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 19,96,455 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यभान कुशवाहा से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1996455	0	0	1996455

ग्राम पंचायत-परोरहा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹25,02,217 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 25,02,217 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री विनोद यादव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
2502217	0	0	2502217

ग्राम पंचायत-चंदरपुर विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹49,57,189 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 49,57,189 की वसूली आहरित धनराशि

के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री घनश्याम कुशवाहा से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
4957189	0	0	4957189

ग्राम पंचायत-बगहा खुर्द विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹6,44,832 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,44,832 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सीता यादव से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
644832	0	0	644832

ग्राम पंचायत-बड़हरा बाबू विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹34,80,013 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 34,80,013 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बासमती देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
3480013	0	0	3480013

ग्राम पंचायत-कुसुमहा विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज

में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹1,10,05,736 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 1,10,05,736 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री अभिषेक सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
11005736	0	0	11005736

ग्राम पंचायत-अब्दुलचक इस्लाम विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹13,76,072 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 13,76,072 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्री सिकंदर अली से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
1376072	0	0	1376072

ग्राम पंचायत- इंदर सेनवा **विकास खंड-रामकोला जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹6,89,931 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 6,89,931 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुसमावती देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
689931	0	0	689931

ग्राम पंचायत- पिपराजटामपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-76 दिनांक 26-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 50332355 से उच्च प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत तथा सुन्दरीकरण हेतु सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को रुपया 488843 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता

किया गया है इसके अतिरिक्त दिनांक 18-5 -2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 50801833 से प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत तथा सुन्दरीकरण हेतु सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को रुपया 36892 का भुगतान किया गया जबकि गत वर्ष में रुपया 159310 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया स्पस्ट रूप से यहाँ भी मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव श्री कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार हैं अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	525735	525735

ग्राम पंचायत-नौतन हरदों **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-77

1. दिनांक 23-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51129654 से प्राथमिक विद्यालय खैरटिया में मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर रुपया 243748 का भुगतान सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को किया गया जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है अतः उपर्युक्त से स्पस्ट है कि कार्य में मजदूरों को मजदूरी का धन उनके खाते में न देकर फर्म के खाते में भुगतान कर सरकारी धन रुपया 243748 के व्यय गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव कृष्णमोहन लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार है
2. दिनांक 23-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 48083704 से उच्चप्राथमिक विद्यालय में मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर रुपया 85,213 का भुगतान सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को किया गया जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है इसके अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य पर सामग्री हेतु रुपया 302,210 का भुगतान सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को किया गया स्पस्ट रूप से मजदूरी का भुगतान फर्म को कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव कृष्णमोहन लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार है अतः कुल रुपया 328961 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव कृष्णमोहन लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार है कार्य की जाँच तथा अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	328961	328961

ग्राम पंचायत- प्रधानपट्टी **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-78 दिनांक 26-4-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51434852 से प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प योजना के अंतर्गत मरम्मत तथा सुन्दरीकरण हेतु सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को रुपया 248399 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव श्री कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	248399	248399

ग्राम पंचायत- बलडीहा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-79

1. दिनांक 15-4-2021 तथा 28-6-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 49234232 से प्राथमिक विद्यालय बलडीहा में मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर रुपया 241253 का भुगतान सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को किया गया जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है अतः उपर्युक्त से स्पस्ट है कि कार्य में मजदूरों को मजदूरी का धन उनके खाते में न देकर फर्म के खाते में भुगतान कर सरकारी धन रुपया 241253 के व्यय गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव कृष्णमुरारी लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार है कार्य की जाँच तथा अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	241253	241253

ग्राम पंचायत- बरवा कलाँ **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-80 दिनांक 23-4 -2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 48082415 से प्राथमिक स्कूल बरवा कला का मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए (सामग्री तथा मजदूरी) हेतु सुल्तान ट्रेडर्स एंड सप्लायर को कुल रुपया 379648 का भुगतान किया गया जिसमे गत वर्ष अर्थात दिनांक 27-3-2021 को रुपया 151906 तथा आलोच्य वर्ष में रुपया 227742 सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **प्रशासक श्री मेनेजर सिंह तथा सचिव श्री कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	379648	379648

ग्राम पंचायत- भँगरा पिपरासी **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-81 दिनांक 17-4-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42135356 से प्राथमिक विद्यालय नौका टोला में मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर रुपया 714981 का भुगतान अन्सारी ट्रेडर्स एंड सप्लायर को किया गया जबकि मजदूरी का भुगतान मजदूरो के खाते में न करके फर्म को देकर गंभीर अनियमितता की गयी है अतः उपर्युक्त से स्पस्ट है कि कार्य में मजदूरों को मजदूरी का धन उनके खाते में न देकर फर्म के खाते में भुगतान कर सरकारी धन रुपया 714981 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है **जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव जिया उर रहमान जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** (इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष 2021-22 मे ग्राम पंचायत को केन्द्रीय और राज्य वित्त के अनुदान अलग अलग खातों मे प्राप्त हो रहे है जिनका अंकन कोषबही मे किया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष मे ग्राम निधि प्रथम के कुल ₹ 387281 का व्यय केन्द्रीय वित्त के मद हेतु किया गया है और

केन्द्रीय वित्त से कुल रुपया 327600 का व्यय राज्य वित्त मद हेतु किया गया है। स्पष्ट है ग्राम पंचायत सचिव और उच्च अधिकारी के द्वारा केन्द्रीय वित्त और राज्य वित्त की गाइडलाइनमे निर्देशित मद से व्यय न कर ओवरलैपिग कर व्यय किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराए जाने हेतु आकृष्ट किया जाता है।)

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	714981	714981

ग्राम पंचायत-सुखपुरा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-82 मनरेगा के अंतर्गत मदनी शाह के घर से बेलवा बॉर्डर तक मिटटी कार्य दिनांक 11-5-21 से 24-5-21 तक कराया गया यह कार्य 2020-21 के कार्ययोजना का था जिसकी तकनीकि स्वीकृति दिनांक 10-09-2020 को दिया गया परन्तु इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 6-10-2020 को दिया गया परन्तु यह कार्य कार्य चुनाव के आचार संहिता/अधिसूचना जारी होने के बाद माह मई में कराया गया है परन्तु पिछले वर्ष के कार्ययोजना का कार्य आलोच्य वर्ष में करा कर गंभीर अनियमितता की गयी है तथा संबंधित व्यय रुपया 90984 अनियमित है । **जिसके लिए संबंधित (तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव सुमित कुमार) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।**।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	90984	90984

ग्राम पंचायत-जंगल अमवा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-83 मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य नहर के पास रामअवध के खेत से विजय के खेत होते मुराद के खेत ----मिटटी कार्य दिनांक 16-4-2021 से 29-4-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 126276 मजदूरी दिया गया ,नहर के पास ब्रिजा के खेत से सुलेमान के खेत से सुखपुरा सिवान तक मिटटी कार्य दिनांक 16-4-2021 से 29-4-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 84864 मजदूरी दिया गया जो गत वर्ष के कार्ययोजना में था जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 8-9-2020 को दिया गया जबकि उन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20-3-2021 को दी गई अतः गत वर्ष के कार्य आलोच्य वर्ष करा कर गंभीर अनियमितता की गयी है , पुनः सबरू मल्लाह के घर से नहर पुल तक मिटटी कार्य दिनांक 9-4-2021 से 15-4-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 117096 मजदूरी दिया गया जो गत वर्ष के कार्ययोजना में था जिसकी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 11-3-2021 को दिया गया कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20-3-2021 को दी गई अतः गत वर्ष के कार्य आलोच्य वर्ष करा कर गंभीर अनियमितता की गयी है ,रामचंद्र यादव के खेत से खरही यादव तक मिटटी कार्य कार्य दिनांक 16-5-2021 से 29-5-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 110160 मजदूरी दिया गया जो गत वर्ष के कार्ययोजना में था जिसकी तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 10-5-2021 दोनों एक साथ दी गई जबकि कार्य चुनाव के आचार संहिता/अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः इन कार्यों में गंभीर अनियमितता की गयी है तथा संबंधित व्यय रुपया 438396 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री सुमित कुमार) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	438396	438396

ग्राम पंचायत-गायघाट **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-84 मनरेगा के अंतर्गत रामवृक्ष के खेत से कब्रिस्तान तक मिट्टी कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 14-3 - 2021 को लिया गया जबकि वित्तीय स्वीकृति 17 -3- 2021 को दिया गया जबकि यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तब दी गई जब चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था. यह कार्य दिनांक 2-4- 21 से 15-4-21 तक कराया गया जिस पर रुपया 205224 व्यय हुआ इसके अतिरिक्त सरवन के घर से बसीयर के घर तक मिट्टी कार्य कराया गया यह कार्य भी वर्ष 2020- 21 के कार्य योजना का था जबकि इस कार्य की वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति क्रमशः 11- 3- 2021 तथा 17-3-2021 को दिया गया इन दोनों कार्यों के पत्रावली के अवलोकन से स्पस्ट है कि गत वर्ष के कार्ययोजना में दर्शित कार्य आलोच्य वर्ष कराया गया जबकि वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति के पत्रावली में कार्यक्रम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया है जो गंभीर अनियमितता का द्योतक है यह कार्य दिनांक 17-4- 2021 से 23-4 -2021 तक कराया गया इस पर कुल खर्च रुपए 148920 हुआ उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि यह दोनों कार्य बिना वित्तीय स्वीकृति के कराया गया जिस पर कुल रुपया 354144 का व्यय दर्शित है जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी प्रशासक श्री मैनेजर सिंह सचिव श्री संदीप श्रीवास्तव तथा तकनीकी सहायक जिम्मेवार हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	354144	354144

ग्राम पंचायत-जंगल बनवीरपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-85 मनरेगा के अंतर्गत नन्दलाल के खेत से गुल की खुदाई कार्य दिनांक 14-4-2021 से 20-4-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 71196 मजदूरी दिया गया यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्ययोजना का था (जिसकी तकनीकि स्वीकृति दिनांक 3-6-2020 को दिया गया जबकि वित्तीय स्वीकृति की तिथि पत्रावली में नहीं रहा)परन्तु कार्य आलोच्य में कार्य के स्वीकृति प्राप्त होने के 10 माह बाद कराकर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह तकनीकि सहायक तथा सचिव संदीप श्रीवास्तव जिम्मेवार हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है एवं अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	71196	71196

ग्राम पंचायत-जंगल खिरकिया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-86 दिनांक 28-4 -2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 37221094 से प्राथमिक स्कूल हरिजन बस्ती का मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए गोरखनाथ ट्रेडर्स को रुपया 335681 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान न करके गंभीर अनियमितता की गयी पुनः दिनांक 30-4-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत ,आई डी संख्या 37221514 सेजूनियर हाई स्कूल का मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए गोरखनाथ ट्रेडर्स को रुपया 492123 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान न करके गंभीर अनियमितता की गयी कार्य अगर ठेकेदारी से कराया गया है तो लेबर सेस न जमा कर अनियमितता की गयी है त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि भी उपलब्ध नहीं रही ,अतः कुल रुपया 827804 (की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर) के व्यय में अनियमितता की गयी **है जिसके लिए प्रशासक श्री मेनेजर सिंह,धर्मेन्द्र कन्नौजिया जे०ई० तथा सचिव श्री सुमित कुमार जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।उक्त कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना चाहिए तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	827804	827804

ग्राम पंचायत-जंगल खिरकिया
विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-87 मनरेगा के अंतर्गत धुरी के खेत से पारस यादव के खेत तक मिटटी कार्य दिनांक 22-4-2021 से 5-5-2021 तक करायी गयी जिस पर रुपया 90780 व्यय हुआ सम्बंधित कार्य का एस्टीमेट दिनांक 4-9-2019 का है जबकि इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25-3-2021 को दिया गया जबकि यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था जिसे आलोच्य में करा कर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तब दी गई जब चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 90780 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री सुमित कुमार) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	90780	90780

ग्राम पंचायत-सीधुआ **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-88 1-मनरेगा के अंतर्गत कब्रिस्तान के पास से पिच सड़क तक मिटटी कार्य की कुल लागत रुपया 72386 है इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 19-10-2020 को तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 22-10-2020 को दिया गया परन्तु यह कार्य (दिनांक 12-5-2021 से 18-5-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 48348 व्यय हुआ) गत वर्ष में न करा कर 7 माह के बाद आलोच्य वर्ष में तब कराया गया जब त्रिस्तरीय चुनाव की /आचार संहिताअधिसूचना लागु थी स्पष्ट रूप अनियमितता बरती गयी जिसके लिये प्रशासक/कार्यक्रम अधिकारी तकनीकी सहायक तथा सचिव जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है .

2- प्राथमिक विद्यालय मिश्रौली से रेलवे लाइन तक चकरोड पर मिटटी कार्य तथा ट्रांसफार्मर से दीना यादव के खेत तक मिटटी कार्य इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25/05/2021 को दिया गया परन्तु यह कार्य दिनांक 27-5-2021 से 2-6-2021 तक कराया गया जिस पर क्रमशः रुपया 36720 तथा 29580 व्यय हुआ यह कार्य 2021-22 के कार्ययोजना की बताई जा रही है (परन्तु चुनाव के पूर्व प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25-12-2020 को समाप्त हुआ जबकि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल जून 2021से प्रारंभ हुआ) तब वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना कब बनायीं गयी ,क्योकि कार्ययोजना मूलतः वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले बनायीं जाती अतः कार्य तकनिकी रूप से अनियमित है जिसके लिये **प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ,तकनीकी सहायक तथा सचिव श्री राम बड़ाई जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** परन्तु वर्तमान प्रधान इन कार्यों के लिये जिम्मेवार नहीं है क्योकि उसके सपथ लेने के पूर्व ही सारी कारवाई हो गयी थी ,विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है .

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	114648	114648

ग्राम पंचायत- हरैया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-89 दिनांक 25-5-2021 को राज्य तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 36648936 से प्राथमिक विद्यालय हरैया बुजुर्ग का मरम्मत तथा टाइल्स निर्माण पर रुपया 498243 का भुगतान वीर बहादुर सिंह कंस्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान उनके खातों में न कर फर्म को किया गया है जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिये **प्रशासक श्री मनेजर सिंह, जे०ई० धर्मेन्द्र कन्नौजिया तथा सचिव अफ़रोज अहमद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।सम्बंधित पर आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही** अपेक्षित है इसके अतिरिक्त एक आइ०डी० पर राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त दोनों मदों से भुगतान की प्रवृत्ति देखी जा रही है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस प्रवृति पर रोक लगाए जाने की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	498243	498243

ग्राम पंचायत-हरैया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-90 मनरेगा के अंतर्गत नहर पुल से राजन के खेत से ड्रेन तक मिटटी कार्य दिनांक 07/04/2021 से 20/04/2021 तक किया गया जिसपर रुपया 43248 मजदूरी तथा साइन बोर्ड हेतु रुपया 4500 दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 21-03-2021 तथा 24-03-2021 को दिया गया परन्तु यह कार्य गत वर्ष में न करा आलोच्य वर्ष में कराकर अनियमितता किया गया स्पस्टरूप कार्य चुनाव के आचार संहिता/अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः इस कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है तथा संबंधित व्यय रुपया 47748 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री अफरोज अहमद जिम्मेवार जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	47748	47748

ग्राम पंचायत-गाँगरानी
विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-91 दिनांक 17-5-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51622274 तथा 42402962 से प्राथमिक विद्यालय के मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए गोरखनाथ ट्रेडर्स को कुल रुपया 368367 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान न करके गंभीर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त यह कार्य दो आई डी से कराया जो संदिग्ध प्रतीत होता है अतः कुल रुपया 368367(की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर) के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके **लिए प्रशासक श्री मेनेजर सिंह तथा सचिव श्री अफ़रोज अन्सारी जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है उक्त कार्य की जाँच तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	368367	368367

ग्राम पंचायत-गाँगरानी **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-92 मनरेगा के अंतर्गत गंगरानी से बरहज सिवान तक पिच की पटरी पर मिटटी कार्य दिनांक 15-4-2021 से 21-4-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 21012 व्यय हुआ जबकि 103 मानव दिवस

कार्य सम्पादित हुआ इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 14-10-2020 को दिया गया जबकि कार्य 6 माह बाद अर्थात अगले वित्तीय वर्ष में कराया गया अतः गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य आलोच्य वर्ष करा गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 21012 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा** सचिव अफरोज अंसारी **) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है** ।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	21012	21012

ग्राम पंचायत- परसादपुर
विकास खंड-पडरौना **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-93 दिनांक 28-04-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42749030 से प्राथमिक विद्यालय का बृहद मरम्मत पर रुपया 217500 का भुगतान गोरखनाथ ट्रेडर्स को दिया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान उनके खातों में न कर फर्म को किया गया है जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है
2. दिनांक 13-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42747434 से आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण पर रुपया 38900 का भुगतान गोरखनाथ ट्रेडर्स को दिया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान उनके खातों में न कर फर्म को किया गया है जबकि गत वर्ष उक्त कार्य पर रुपया 200000 का भुगतान उक्त फर्म को किया गया है स्पष्ट रूप से कार्य में गंभीर अनियमितता की गयी है **जिसके लिये प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव श्रीमती सुनीता जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है एवं आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है**।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	256400	256400

ग्राम पंचायत- बरहज **विकास खंड-पडरौना** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-94

1. दिनांक 07-05-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 49131633 से प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री निर्माण कार्य हेतु लिए अब्दुल नासिर अन्सारी ट्रेडर्स को कुल रुपया 497608 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया जिसमे गत वर्ष में कुल रुपया 277146 का भुगतान किया गया जबकि आलोच्य वर्ष में रुपया 220462 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी अतः कुल रुपया 497608 (की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर) के व्यय में अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मेनेजर सिंह जे०ई० तथा सचिव श्री अफरोज अन्सारी जिम्मेवार है अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है..
2. दिनांक 7-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत हैण्डपंप मरम्मत पर रुपया 17800 का भुगतान अब्दुल नासिर अंसारी ट्रेडर्स को किया गया उपर्युक्त भुगतान के संबंध मे अधोलिखित आपत्तियाँ है- 1.पंचायत लेखामैन्नु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिएशा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे सम्बंधितयोजनाओ एवंनलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है। लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।2.शासनादेशसंख्या RGSA/197/2019-4/379/2015 LUCKNOW दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे

कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप ID बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।

3.उपर्युक्त के क्रम से सम्पूर्ण भुगतान अपुष्ट रहे अतः गंभीर अनियमितता की गयी। जिसके लिए **प्रशासक श्री मेनेजर सिंह तथा सचिव श्री अफरोज अन्सारी जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।**

4.मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक कीस्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही।

5.कृतकार्य के त्रिस्तरीय **फोटोग्राफ** प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्यप्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप सेकृतकार्य की पुष्टि की जा सके।

6.कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	515408	515408

ग्राम पंचायत- होरलालपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-95 दिनांक 26-4-2021 तथा 7-5-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42555844 से जूनियर हाई स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत मरम्मत तथा सुन्दरीकरण पर क्रमशः रुपया 294029 तथा 203952 कुल रुपया 497981 का भुगतान अब्दुल नासिर अंसारी ट्रेडर्स को किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर फर्म को दिया गया जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है इसके अतिरिक्त इस कार्य पर कुल रुपया 911619.(गत वर्ष में रुपया 413638)का व्यय किया गया जिसके लिए सक्षम अधिकारी से तकनिकी तथा वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही जो आवश्यक रहा अतः रुपया 497981 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह जे०ई० धर्मेन्द्र कन्नुजिया तथा सचिव अफरोज अंसारी जिम्मेवार हैं **जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है एवं आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है**।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	497981	497981

ग्राम पंचायत- होरलालपुर
विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर

प्रस्तर-96 मनरेगा के अंतर्गत उदित सिंह के खेत से चमरिया पोखरे तक मिट्टी कार्य की तकनीकि स्वीकृति तथा तथा वित्तीय स्वीकृति 21-5-2021 को दी गयी जबकि कार्य 28-05-2021 से प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 10-6-2021 तक कराया गया इस पर कुल रुपया 30804 व्यय हुआ यह कार्य 2021-22 के कार्ययोजना की बताई जा रही है (परन्तु चुनाव के पूर्व प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25-12-2020 को समाप्त हुआ जबकि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल 27-05 -2021से प्रारंभ हुआ) तब वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना कब बनायीं

गयी? यह कार्य तकनिकी रूप से अनियमित है जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह तथा सचिव अफरोज अंसारी जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है एवं आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है**।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	30804	30804

ग्राम पंचायत- गुलेलहा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-97 मनरेगा के अंतर्गत pwdरोड से प्राथमिक विद्यालय तक चक रोड पर मिटटी कार्य दिनांक 22/05/2021 से 04/06/2021 तक कराया जिस पर रुपया 14280 व्यय हुआ परन्तु इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 17-5-2021 तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19-5-2021 को दिया गया पत्रावली के अनुसार यह कार्य आलोच्य वर्ष 2021-22 का है परन्तु यह कार्ययोजना कब बनाया गया इससे संबंधित उत्तर नहीं दिया (क्योकि भूतपूर्व प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25-12-2020 तक था वह आगामी वर्ष से संबंधित कार्ययोजना नहीं बना सकते जबकि वर्तमान प्रधान दिनांक 27-05-2021 को शपथ लिया उसके बाद ग्राम सभा के गठन के बाद ही कार्ययोजना बना सकते है)स्पस्ट रूप से कार्य कर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी तकनिकी सहायक तथा सचिव रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है एवं आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	14280	14280

ग्राम पंचायत-गोपालपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-98 मनरेगा के अंतर्गत पीच रोड से जाहिद के खेत तक मिट्टी कार्य दिनांक 23/05/2021 से 12/06/2021 तक कराया गया जिसपर कुल रुपया 43656 व्यय हुआ इससे कुल 214 मानव दिवस सृजित किया गया परन्तु इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 15/12/2020 को दिया गया जबकि कार्य गत वर्ष में न करा कर 6 माह बाद आलोच्य वर्ष में करा कर(तब कराया गया जबकि त्रिस्तरीय चुनाव हेतु आचार संहिता जारी था)गंभीर अनियमितता किया गया **जिसके लिए तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी तथा सचिव श्री रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	43656	43656

ग्राम पंचायत- चकिया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-99 दिनांक 18-5 -2021 को राज्य वित्त तथा केंद्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 44811390 से प्राथमिक स्कूल मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए गोरखनाथ ट्रेडर्स को रुपया 375226 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी कार्य अगर ठेकेदारी से कराया गया है तो लेबर सेस न जमा कर अनियमितता की गयी है त्रिस्तरीय फोटो इत्यादि भी उपलब्ध नहीं रही ,अतः कुल रुपया 375226 (की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर) के व्यय में अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मेनेजर सिंह तथा सचिव श्री **रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उक्त कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना चाहिए तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	375226	375226

ग्राम पंचायत-चकिया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-100 मनरेगा के अंतर्गत नहर से मोहम्मद के खेत तक मिटटी कार्य दिनांक 9 -5 -2021 से 22 -5 -2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 47940 व्यय हुआ जिससे 235 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ इस कार्य की लागत रुपया 54045 रहा इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 18 -03 -2021 तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 20 -03 -2021 को दिया गया यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था जिसे आलोच्य में करा कर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तब दी गई जब चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 47940 अनियमित है जिसके लिए संबंधित (तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री **मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव रविशंकर कन्नौजिया) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।** संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	47940	47940

ग्राम पंचायत- सरया **विकास खंड-पडरौना जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-101 दिनांक 03-5-2021 को राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 51444631 से उच्च प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प योजना के अंतर्गत मरम्मत तथा सुन्दरीकरण हेतु अनन्या इंटरप्राइजेज को रुपया 490649 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा **सचिव श्री जिया उर रहमान जिम्मेवार हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	490649	490649

ग्राम पंचायत-सरया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-102 मनरेगा के अंतर्गत नाहर से में रोड तक नाली की सफाई कार्य दिनांक 10/04/2021 से 16/04/2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 11832 व्यय हुआ परन्तु इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 21-1-2021 को दिया गया पत्रावली के अनुसार यह कार्य गत वर्ष 2020-21 का है परन्तु यह कार्य गत वर्ष में न करा कर आलोच्य वर्ष में करा कर गंभीर अनियमितता किया गया जिसके लिए **तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी तकनिकी सहायक तथा सचिव जिया उर रहमान जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।** अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	11832	11832

ग्राम पंचायत-बसहिया बनवीरपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-103 दिनांक 5-4-2021 को राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 50064688 से प्राथमिक विद्यालय बड़ाई टोला में मरम्मत , सुन्दरीकरण तथा स्थल विकास पर कुल रुपया 403590 का भुगतान पंचायत एसोसिएट को किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर उक्त फर्म

को कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है इसके अतिरिक्त यह सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी है क्योकि एक ही आइ०डी० पर राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त दोनों मदों से भुगतान की प्रवृत्ति देखी जा रही है। पुनः दिनांक 5-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 48516911 से प्राथमिक विद्यालय नौकाटोला तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में इंटरलॉकिंग कार्य पर कुल रुपया 587010 का भुगतान पंचायत एसोसिएट को किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता की गयी है **जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**I

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	990600	990600

ग्राम पंचायत-बसहिया बनवीरपुर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-10**4** मनरेगा के अंतर्गत शरीफ के खेत से बिरगुन के खेत तक मिटटी कार्य दिनांक 14/04/2021 से 20/04/2021 तक किया गया उस पर रुपया 23460 का व्यय हुआ जिससे 115 मानव दिवस कार्य सम्पादित किया एस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13/06/2020 को दिया गया परन्तु 10 माह बाद गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य आलोच्य वर्ष में करा कर सरकारी धन के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन **कार्यक्रम अधिकारी तथा सचिव रविशंकर कन्नौजिया जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	23460	23460

ग्राम पंचायत-हरका घूरमल **विकास खंड-पडरौना जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-10**5**

1. मनरेगा के अंतर्गत रंजीत के खेत से बंसराज के खेत तक मिटटी भराई कार्य दिनांक 1/05/2021 से 05/05/2021 तक किया गया जिसपर रुपया 36720 मजदूरी दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 13-10-2020 तथा 20-10-2020 को दिया गया, पुजारी के खेत से चकरोड़ तक मिटटी भराई कार्य दिनांक 1/05/2021 से 16/0452021 तक किया गया जिसपर रुपया 13056 मजदूरी दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 13-10-2020 तथा 20-10-2020 को दिया गया, परन्तु यह कार्य गत वर्ष में न करा आलोच्य वर्ष में कराकर अनियमितता किया गया जबकि त्रिस्तरीय चुनाव की /आचार संहिताअधिसूचना लागु थी स्पस्टरूप गंभीर अनियमितता बरती गयी जिसके लिये प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक तथा सचिव रविशंकर जिम्मेवार है विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है
2. अलगू के घर से मुर्दाघटी तक चकरोड़ पर मिटटी कार्य दिनांक 25/05/2021 से 07/06/2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 41004 मजदूरी दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 14-05-2021 तथा 19-05-2021 को दिया गया यह कार्य 2021-22 के कार्ययोजना की बताई जा रही है (परन्तु चुनाव के पूर्व प्रधान का कार्यकाल दिनांक 25-12-2020 को समाप्त हुआ जबकि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल 27-05- 2021से प्रारंभ हुआ) तब वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना कब बनायीं गयी ,क्योकि कार्ययोजना मूलतः वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले

बनायीं जाती अतः कार्य तकनिकी रूप से अनियमित है जिसके लिये **प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक तथा सचिव रविशंकर जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**परन्तु वर्तमान प्रधान इन कार्यों के लिये जिम्मेवार नहीं है क्योकि उसके सपथ लेने के पूर्व ही सारी कारवाई हो गयी थी ,विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है .

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	90780	90780

ग्राम पंचायत- पिपरासी **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-106

1. मनरेगा के अंतर्गत मरघट के पास उत्तर तरफ पोखरा की खुदाई कार्य दिनांक 2-4-2021से 5-5-2021 तक कराया गया उस पर रुपया 273156 का व्यय हुआ तथा 1339 मानव दिवस कार्य सृजित किया गया परन्तु इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 8-6-2020 को दिया गया जबकि यह कार्य (11 माह बाद) आलोच्य वर्ष में करा कर गंभीर अनियमितता की गयी
2. कल्याण छापर सिवान से सुदामा के खेत तक मिटटी भराई कार्य दिनांक 9-5-2021 से 29-5-2021 तक कराया गया उस पर रुपया 150144 का व्यय हुआ तथा 736 मानव दिवस कार्य सृजित किया गया परन्तु इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 8-6-2020 को दिया गया जबकि यह कार्य गत वर्ष दिनांक 23-6-2020 से 28-6-2020 फिर 19-2-2021से 4-3-2021 तक कराया गया जिसपर रुपया 58692 व्यय हुआ जबकि 292 मानव दिवस कार्य सृजित किया गया इसके बाद (11 माह बाद) आलोच्य वर्ष में करा कर गंभीर अनियमितता की गयी परन्तु आलोच्य वर्ष में गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य करा कर अनियमितता की गयी जिसके लिए तत्कालीन कार्यक्रम **अधिकारी तथा सचिव सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	423300	423300

ग्राम पंचायत- गंगौली **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-107 दिनांक 30-6-2021 को राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत ,आई डी संख्या 41459568 से प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल का मरम्मत और सुन्दरीकरण के लिए माँ अम्बे इंटरप्राइजेज तथा गोरखनाथ ट्रेडर्स को रुपया 718316 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी चूकि यह कार्य प्रशासक कार्यकाल में कराया गया जिसे वर्तमान प्रधान तथा सचिव द्वारा पेमेंट किया गया इसके अतिरिक्त (पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 3107.2015 विभिन्नसोत्रों से उपलब्ध होनेवाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4क में यह स्पष्ट 50 हजार की सीमातक कीकार्य-योजना काअनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा और कार्ययोजना को टुकड़ों मेंविभाजित नहीं कियाजायेगा.बाद मेंपंचायतराज अनुभाग 1 के आदेश सख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 केबिंदु 2बके माध्यम सेराज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ा कर

2 लाख कर दी गयी है.टेकनिकल परीक्षण- 2 से 2.5लाख तक- जे.ई.आर.ई.एश/ जे.ओम.आई/ जे.ई. जिला पंचायत/ जे.ई.मण्डी परिषद द्वारा किया जायेगा 2.5 लाख से ऊपर -अभियंता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है .वित्तीय /प्रशासनिक स्वीकृति 2लाख से 2.50 लाख तक ग्राम पंचायत , 2.5 लाख तक ए.डी.ओ.पं.,2.5 से 5 लाख तक डी.पी.आर.ओ. और 5 लाख से ऊपर डी.एम., 10 लाख से ऊपरजिला पंचायत किया जाना है)उपर्युक्त कार्य की लागत रुपया 700000 से अधिक है जिसकी वित्तीय स्वीकृति अतः कुल रुपया 718316 (की सामग्री क्रय कर तथा मजदूरी न देकर) के व्यय में अनियमितता की गयी है जिसके लिए **प्रशासक श्री मेनेजर सिंह, तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।** उक्त कार्यों की उच्चस्तरीय जाँच किया जाना चाहिए तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है..

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	718316	718316

ग्राम पंचायत- गंगौली **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-108 मनरेगा के अंतर्गत गंगौली सिवान से बढ़वलिया सिवान तक ड्रेन की सिल्ट सफाई /खुदाई कार्य दिनांक 10 -4-2021 से 30-4 -2021 तक करायी गयी जिस पर रुपया 152388 व्यय हुआ,दीना यादव के खेत से शेरवा सिंह के खेत तक चकरोड पर मिटटी कार्य 19/05/2021 से 01/06/2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 32232 व्यय हुआ तथा केदारी गुप्ता के खेत से दयाशंकर के खेत तक चकरोड पर मिटटी कार्य दिनांक 08/05/2021 से 21/05/2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 72828 व्यय हुआ सम्बंधित कार्य का एस्टीमेट दिनांक 4-9-2019 का है जबकि इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25-3-2021 को दिया गया जबकि यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था जिसे आलोच्य में करा कर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तब दी गई जब चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 257448 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	257448	257448

ग्राम पंचायत- शिवपुरडीह **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-109 दिनांक 25-5-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42303228 से प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत ,खिड़की ,दरवाजा पर रुपया 182,809 का भुगतान वीर बहादुर सिंह कंस्ट्रक्शन को दिया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान उनके खातों में न कर फर्म को किया गया है जो गंभीर अनियमितता का प्रकरण है जिसके लिये **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	182809	182809

ग्राम पंचायत- शिवपुरडीह **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-110 मनरेगा के अंतर्गत बेचू यादव के खेत से रमाशंकर यादव के खेत तक चक मार्ग पर मिटटी कार्य दिनांक 16/05/2021 से 22/05/2021 तक किया गया जिसपर रुपया 29172 मजदूरी दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 18-12-2020 तथा 21-12-2020 को दिया गया नहर पुल से पण्डितजी के घर होते हुए हरका संपर्क मार्ग तक मिटटी कार्य दिनांक 6/04/2021 से 11/04/2021 तक किया गया जिसपर रुपया 40188 मजदूरी दिया गया इस कार्य की तकनीकि तथा वितीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 03-02-2021 तथा 22-02-2021 को दिया गया परन्तु यह कार्य गत वर्ष में न करा आलोच्य वर्ष में करा कर अनियमितता किया गया जबकि त्रिस्तरीय चुनाव की /आचार संहिताअधिसूचना लागु थी स्पस्टरूप गंभीर अनियमितता बरती गयी जिसके लिये प्रशासक श्री मैनेजर सिंह तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी **तकनीकी सहायक तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है तथा इन कार्यों की जाँच किया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	69360	69360

ग्राम पंचायत-बढ़वलिया खुर्द **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-111 मनरेगा के अंतर्गत द्वारिका के खेत से गिरिजेश के खेत तक मिटटी कार्य की कुल लागत रुपया 73604 थी इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 29-05-2020 को तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30-05-2020 को दिया गया परन्तु यह कार्य (दिनांक 02-04-2021 से 22-04-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 65688 व्यय हुआ) गत वर्ष में न करा कर 11 माह के बाद आलोच्य वर्ष में तब कराया गया जब त्रिस्तरीय चुनाव की /आचार संहिताअधिसूचना लागु थी स्पस्टरूप अनियमितता बरती गयी क्योकि इस कार्य की स्वीकृति भूतपूर्व प्रधान द्वारा लिया गया था तथा कार्यकाल समाप्त होते तथा आलोच्य वर्ष में कार्य सम्पादित करने हेतु पुनः कार्य की स्वीकृति न लेकर अनियमितता की गयी जिसके लिये तत्कालीन कार्यक्रम **अधिकारी श्री संदीप सिंह, तकनीकी सहायक तथा सचिव अजय कुमार जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	65688	65688

ग्राम पंचायत-बढ़वलिया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-112 दिनांक 3-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 45136835 से हरेन्द्र सिंह के घर से जीतेन्द्र के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री पर रुपया 68214 का भुगतान अमित कुमार पाण्डेय को किया गया गत वर्ष में भी उक्त फर्म को कुल रुपया 185692 का भुगतान राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त से किया गया परन्तु मजदूरी मजदरों के खाते में न कर देकर फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके **लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा तत्कालीन सचिव सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।साथ ही आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	68214	68214

ग्राम पंचायत-बढ़वलिया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-113 मनरेगा के अंतर्गत हुलासी पोखरी से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मेन सड़क तक मिटटी भराई कार्य दिनांक 02/04/2021 से 15/04/2021 तक तथा 09/06/2021 से 15/06/2021तक कराया गया जिसपर कुल रुपया 102816 मजदूरी दिया गया यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्ययोजना का है इस कार्य का एस्टीमेट दिनांक 4-9-2019 को बना जबकि कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 2-11-2020 को तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 26/11/2020 को लिया गया परन्तु कार्य गत वर्ष में न करा कर आलोच्य वर्ष में करा कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके **तात्कालीन कार्यक्रम अधिकारी ,तकनीकि सहायक तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**जबकि वर्तमान प्रधान जिम्मेवार नहीं है क्योकि उसके कार्यभार ग्रहण करने तथा ग्राम सभा के गठन के पूर्व ही यह कार्य/व्यय अनियमित हो चूका था

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	102816	102816

ग्राम पंचायत-सेखवनिया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-114 दिनांक 03-05-2021 को राज्य वित्त के अन्तर्गत आई डी संख्या 51523353 से हैण्ड पम्प रिबोर हेतु रू0 274965 की सामग्री हेतु पंचायत एसोसिएट को निर्गत है परन्तु पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017 दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आईडी तैयार किये जाने के निर्देश दिए गए है लेकिन एन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/121/33-3-2017दिनांक 19-06-2017 के इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर केसन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही तकनीकि अनुश्रवण का कार्य जे ई एम आई/आर ईडी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डी एम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही अतः कुल रू0 274965 के व्यय में उक्त शासनादेशों का उल्लघन कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिये **प्रशासक श्री मैनेजर सिंह और सचिव श्री रवि कुमार सिंह जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	274965	274965

ग्राम पंचायत-सेखवनिया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-115 मनरेगा के अंतर्गत चंद्रप्रकाश सिंह के व्यक्तिगत पोकर की खुदाई कार्य दिनांक 16 -4-2021 से 29 -5-2021 तक करायी गयी जिस पर रुपया 93024 व्यय हुआ जबकि वित्तीय स्वीकृति दिनांक 23 -3-2021 को दिया गया जबकि यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था जिसे आलोच्य वर्ष में करा कर अनियमितता की गयी इसके अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति तब दी

गई जब चुनाव आचार संहिता/ अधिसूचना जारी हो गई थी जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य कर गंभीर अनियमितता की गयी है तथा संबंधित व्यय रुपया 93024 अनियमित है जिसके लिए संबंधित (कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री रवि कुमार सिंह) जिम्मेवार है संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है।

छोटकी लंगारी में पोखरे की खुदाई कार्य दिनांक 30-5-2021 से 12-6-2021 तक करायी गयी जिस पर रुपया 125868 व्यय हुआ जबकि इस कार्य की तकनीकि स्वीकृति दिनांक 23-04 -2020 को दिया गया जबकि वित्तीय स्वीकृति दिनांक 28-4-2020 को दिया गया जबकि यह कार्य वर्ष 2020-21 के कार्य योजना का था जिसे आलोच्य वर्ष में वित्तीय स्वीकृति मिलने के 13 माह बाद करा कर अनियमितता की गयी ,संबंधित व्यय रुपया 125868 अनियमित है जिसके लिए संबंधित (तात्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव श्री रवि कुमार सिंह) जिम्मेवार है **जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	218892	218892

ग्राम पंचायत-सेखवनिया बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-116 दिनांक 19.12.20 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42727899 से रुपये 31452 .00/- पंचयत एसोसिएट को हैंडपंप मरम्मत का भुगतान किया गया । उपर्युक्त भुगतान के संबंध मे अधोलिखित आपत्तियाँ है-

1. पंचायत लेखामैन्नु. के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिएशा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियोंमें जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानीसे सम्बंधितयोजनाओ एवंनलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है। लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।
2. शासनादेशसंख्या आर.जी.एस.ए./197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपीकी तैयार कार्ययोजना को प्लानप्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप ID बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मतके सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।
3. मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही।
4. कृतकार्य के त्रिस्तरीय **फोटोग्राफ** प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसारकार्य के पूर्व और कार्यप्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकिवास्तविक रूप सेकृतकार्य की पुष्टि की जा सके।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे।

उपर्युक्त के क्रम से सम्पूर्ण भुगतान रुपये 31452.00 अपुष्ट रहे। **जिसके लिए प्रशासक श्री मैनेजर सिंह तथा सचिव श्री रवि कुमार सिंह उत्तरदायी है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
31452	0	0	31452

ग्राम पंचायत- धरनी छापर **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-117 मनरेगा के अंतर्गत विक्रम के खेत से सखवनिया खुर्द के सिवान तक तेल्गुल की सिल्ट सफाई कार्य दिनांक 4-4-2021 से 17-4-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 68748 व्यय हुआ जबकि 337 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 18-03-2021 को दिया गया तथा नसीरुद्दीन के खेत से विजई के खेत तक कच्ची नाली खुदाई कार्य दिनांक 14-5-2021 से 27-5-2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 55692 व्यय हुआ जबकि 273 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ इस कार्य की स्वीकृति भी दिनांक 18-03-2021 को दिया गया किया गया, स्पस्टरूप कार्य चुनाव के आचार संहिता/अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः यह कार्य करा कर गंभीर अनियमितता की है तथा संबंधित व्यय रुपया 124440 अनियमित है जिसके लिए संबंधित **(तात्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव रवि कुमार सिंह) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	124440	124440

ग्राम पंचायत- फागुपुर विशुनपुरा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-118 दिनांक 30-4-2021 को राज्य वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 49558366 से उच्च प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत तथा सुन्दरीकरण हेतु बीरबहादुर सिंह कांट्रेक्टर को रुपया 240975 का भुगतान किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके उक्त फर्म को कर गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए **प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद जिम्मेवार हैं जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	240975	240975

ग्राम पंचायत- फागुपुर विशुनपुरा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-119 मनरेगा के अंतर्गत जीतेन्द्र सिंह के नाली से सोंदिया तक चकरोड पर मिटटी कार्य दिनांक 18/05/2021 से 24/05/2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 94656 का व्यय हुआ है जबकि 464 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ परन्तु यह कार्य गत वर्ष 2020-21 के कार्ययोजना का है जिसकी तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24/03/2021 को दी गयी परन्तु यह कार्य तब कराया जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद माह अप्रैल तथा मई में कराया गया है अतः यह कार्य अनियमित है जिसके लिए संबंधित (कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक ,तकनिकी सहायक तथा सचिव

सलमान खुर्शीद) जिम्मेवार है, पुनः फागू विसुनपुरा में पिच सड़क से मोईनुद्दीन के खेत तक चकरोड पर मिटटी कार्य दिनांक 25/05/2021 से 31/05/2021 तक कराया गया जिस पर रुपया 12240 का व्यय हुआ है जबकि 60 मानव दिवस कार्य सम्पादित हुआ परन्तु यह कार्य जिसकी तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24/03/2021 को दी गयी परन्तु यह कार्य तब कराया गया जबकि शासनादेश के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था .स्पस्टरूप कार्य चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद कराया गया है अतः यह कार्य अनियमित है **जिसके लिए संबंधित (तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव सलमान खुर्शीद) जिम्मेवार** है **जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	106896	106896

ग्राम पंचायत-बतरौली **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-120

1. मनरेगा के अंतर्गत लेमुआ पोखरा की खुदाई और सुन्दरीकरण कार्य दिनांक 6-4-2021 से 29-5-2021 तक कराया गया जिसपर पर रुपया 88536 व्यय हुआ था जबकि इस कार्य की वित्तीय तथा तकनीकि स्वीकृति दिनांक 20-6-2020 को दिया गया (गत वर्ष में कार्य दिनांक 23-6-2020 से 29-6-2020 तक कराया गया जिसपर पर रुपया 36582 व्यय हुआ था पुनः यह कार्य 10 माह के बाद कराया गया) परन्तु आलोच्य वर्ष में गत वर्ष के कार्ययोजना का कार्य करा कर अनियमितता की गयी जिसके लिए कार्यक्रम अधिकारी तथा सचिव जिया उर रहमान जिम्मेवार है
2. गंगोली सिवान से पूरब भलुआ नाला तक दोहिया ड्रेन की सिल्ट सफाई कार्य दिनांक 1-4-2021 से 7-4-2021 तक कराया गया जिसपर पर रुपया 45696 व्यय हुआ था जबकि इस कार्य की वित्तीय तथा तकनीकि स्वीकृति दिनांक 16-03-2021 को दिया गया जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था संबंधित व्यय रुपया 45696 अनियमित है **जिसके लिए संबंधित कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव जिया उर रहमान जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	134232	134232

ग्राम पंचायत- सेखवनिया खुर्द **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-121 मनरेगा के अंतर्गत निर्भैया के पूरब रामाधार सिंह के खेत से भलुआ नाला तक ड्रेन सिल्ट सफाई कार्य दिनांक 4-4-2021 से 17-4-2021 तक कराया गया जिस पर कुल रुपया 73644 व्यय हुआ जबकि 361 मानव दिवस सम्पादित हुआ ,पुनः झंगवा में मुशहर टोली से सुरेश के खेत तक चकरोड पर मिटटी कार्य पर कुल रुपया 79764 व्यय हुआ तथा 391 मानव दिवस सम्पादित हुआ परन्तु इन कार्यों की तकनीकि तथा वित्तीय स्वीकृति क्रमशः दिनांक 23/03/2021 तथा 22/03/2021 को दिया गया जबकि शासनादेश संख्या 63/2020/2990/33.32020-62/2020 दिनांक 24-12-2020 के अंतर्गत कोई भी नया कार्य कराया जाना या उसकी स्वीकृति देना अनुमन्य नहीं था अतः इन कार्यों का निष्पादन कर गंभीर अनियमितता की गयी है तथा संबंधित व्यय रुपया 153408 अनियमित है जिसके लिए संबंधित

(तात्कालिन कार्यक्रम अधिकारी,प्रशासक श्री मैनेजर सिंह ,तकनिकी सहायक तथा सचिव रवि कुमार सिंह) जिम्मेवार है जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।संबंधित कार्य की विभागीय जाँच कराया जाना अपेक्षित है ।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	153408	153408

ग्राम पंचायत- शिवपुर बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-122 दिनांक 22-5-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42151291 से स्प्रे मशीन तथा सामग्री क्रय हेतु गोरखनाथ ट्रेडर्स को रुपया 29950 का भुगतान किया गया परंतु व्यय प्रमाणक तथा स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण क्रय की पुष्टि नहीं हो पाई **अतः उक्त धनराशी की वसूली प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा तत्कालीन सचिव सलमान खुर्शीद से किया जाना अपेक्षित है।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
29950.00	0	0	29950.00

ग्राम पंचायत- शिवपुर बुजुर्ग **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-123 दिनांक 23-05-2021 को केन्द्रीय वित्त के अंतर्गत आई डी संख्या 42150841 से रमेश सैनी के घर से पूरण गोंड के घर तक नाली कार्य हेतु रुपया 36789 का भुगतान गोरखनाथ ट्रेडर्स को किया गया जबकि इस कार्य पर गत वर्ष में रुपया रुपया 140487 का भुगतान सामग्री हेतु किया था स्पस्टरूप से सामग्री का भुगतान तो फर्म को किया गया परन्तु मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न कर फर्म को दे कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके लिए प्रशासक श्री मनेजर सिंह तथा सचिव श्री सलमान खुर्शीद जिम्मेवार हैं **जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।**अनुशासनिक कार्यवाही सहित कार्य की जाँच किया जाना अपेक्षित है।

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
0	0	36789	36789

ग्राम पंचायत-कोहरवलिया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-124 दिनांक-27.10.2021 में रु 27000.00 15वां राज्य वित्त निधि/केन्द्रीय निधि से धन का अपहरण /भुगतान किया गया है जिसका लेखा कैश बुक में नहीं किया गया है और न ही व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है, व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए इसके विपरीत यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशी को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इस

प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपरहण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है |अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान श्री सुरेश गुप्ता व सचिव श्री शम्भू यादव जिम्मेदार है अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण **वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र गुप्ता व सचिव ग्राम पंचायत श्री शम्भू यादव से की जानी अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
27000			27000

ग्राम पंचायत-श्यामपुर हटवा **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ 5,18,176.00 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 5,18,176.00 की वसूली आहरित **धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रचना सिंह से एवं 50 प्रतिशत की वसूली व्याज सहित संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्रीमती आशारानी से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
518176	0		518176

ग्राम पंचायत-खड्डा खुर्द **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-126 वर्ष 2021-22 अंतर्गत 15वां राज्य वित्त निधि से प्रा0वि0 का कायाकल्प मद पर भुगतान (रु 340000) किया जाना दर्शित है इसकी पुष्टि मे संबंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"इसके विपरीत यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशी को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपरहण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है |अभिलेख

उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री श्रीमती कलावती देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री विनोद यादव से की जानी अपेक्षित है |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
340000			340000

ग्राम पंचायत-कटया **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-127 वर्ष 2021-22 अंतर्गत 15वां राज्य वित्त निधि से नसीब के भीटा से रहमुल्ला के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य पर भुगतान (रु 420790) किया गया इसकी पुष्टि मे संबंधित पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए इसके विपरीत यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशी को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपरहण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है | अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान व सचिव जिम्मेदार है अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण **वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र गुप्ता व सचिव ग्राम पंचायत श्री शम्भू यादव से की जानी अपेक्षित है ।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
420790	0		420790

ग्राम पंचायत-लमकन **विकास खंड-पडरौना जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ 3,07,250.00 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,07,250.00 की

वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी से एवं 50 प्रतिशत** की **वसूली ब्याज सहित संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री शम्भू यादव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
307250	0		307250

ग्राम पंचायत-बंधु छपरा **विकास खंड-नेबुआ नौरंगिया** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-129 दिनांक-15.4.2021 15वां वित्त निधि रु० 58143.00 का व्यय 2 अदद इण्डिया मार्का -2 हैण्ड पंप रिबोर पर भुगतान किया गया है इस व्यय स्व सम्बंधित प्रमाणक पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया इसके कार्य स्थल का भी उल्लेख नहीं किया गया | व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए इसके विपरीत यह भी कि खंड 8 क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशी को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"केअंतर्गतअधिभार योग्य है| इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपरहण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है |अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश गौड़ जिम्मेदार है अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री अखिलेश गौड़ से की जानी अपेक्षित **है**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
58143			58143

ग्राम पंचायत-विजयपुर **विकास खंड-नेबुआ नौरंगिया** **जनपद- कुशीनगर**

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं अध्याय-8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम-पंचायत से की जायेगी। लेखा परीक्षा हेतु दिए गये सूचना को स्वीकृत करने के बाद तथा बार बार सम्पर्क करने पर भी वर्ष एवं 2021-22 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए है। उक्त वर्ष के दौरान प्रिया साफ्ट/ई-ग्राम स्वराज में अंकित व्यय के अनुसार विविध मदों में कुल ₹ 3,93,021 व्यय किया गया है । अत: वित्त लेखा मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त व्यय को गबन मानते हुये ₹ 3,93,021 की वसूली आहरित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की **वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमित्रा देवी से एवं 50 प्रतिशत की वसूली संबंधित सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री राधेश्याम जायसवाल से ब्याज सहित की जानी चाहिए।**

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग

393021	0		393021

ग्राम पंचायत-पटेहरा **विकास खंड-विशुनपुरा जनपद-कुशीनगर**

प्रस्तर-131 राज्य वित्त निधि से हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर भुगतान (रु 142533) इसकी पुष्टि में पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक / उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण पत्रावली / और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"इसकेविपरीतयहभीकिखंड8 क के अनुसार "यदिदर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशी को गबन मानते हुए इस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी"के अंतर्गत अधिभार योग्य है| इस प्रकार भुगतान के सापेक्ष निर्माण कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण कर ग्राम पंचायत को क्षति पहुंचायी गयी है |अभिलेख उपलब्ध न कराने हेतु ग्राम प्रधान श्री आधा व सचिव ग्राम पंचायत श्री **मारकंडे पाण्डेय जिम्मेदार है अतएव किये गए भुगतान की सम्पूर्ण वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री आधा व सचिव ग्राम पंचायत श्री मारकंडे पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है** |

अपहरण	दुरूपयोग	अनियमितता	योग
142533			142533

जनपद- महराजगंज

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(ग्राम पंचायतों से संबन्धित आपत्तियां)

जनपद- महराजगंज मंडल-गोरखपुर

प्रस्तर-01- विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगज की ग्राम पंचायत हरैया मौलाही के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता को पंचम वितत आयोग के रोकड बही अनुसार

दिनांक 03.02.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/16 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-02-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत एकडेंगवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती जमिउन्निशां को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 20.01.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/8 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती जमिउन्निशां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-03-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत सौरहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती विन्द्रावती को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 01.02.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/24 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती विन्द्रावती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-04-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत बभनी बुजुर्ग के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती शंकुन्तला देवी को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 31.01.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/10 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-05-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत राजमंदिरकला के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया

जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 31.12.2021 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 4वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/8 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती प्रीति सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-06-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत खरहरवा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती महीबुन्निशां को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 04.02.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/9 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती महीबुन्निशां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-07-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत हाताबेला हरैया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्री बृजलाल को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 06.01.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्री बृजलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-08-</u> विकास खण्ड बृजनमगंज, महराजगंज की ग्राम पंचायत बभनी खुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। जिसके आधार पर ग्राम प्रधान श्रीमती मिन्नतुननिशां को पंचम वित्त आयोग के रोकड बही अनुसार दिनांक 04.01.2022 को उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए माह दिसम्बर-21 को मानदेय रू0 3500.00 के स्थान पर रू0 5000.00 भुगतान किया गया है। जो ऑनलाइन रोकडबही में प्रमाणक संख्या 5वॉ रा.वि.क./2021-22/पी/11 द्वारा भी भुगतानित दर्शित है। अत: अन्तर रू0 1500.00 की धनराशि प्रधान श्रीमती मिन्नतुन्निशां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश राय से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-09-</u> विकास खण्ड परतावल, महराजगंज की ग्राम पंचायत परसाखुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-प्रथम खाते की कैशबुक में दिनांक 12.08.21 को रू0 17250.00 का व्यय ग्राम पंचायत में स्वच्छता मद में मे0 मॉ वैभव लक्ष्मी इण्टरप्राइजेज को भुगतान होना दर्शित है किन्तु उक्त व्यय से संबन्धित कोई

पत्रावली व प्रमाणक, स्टॉक रजि0 आदि लेखा परीक्षामें मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। स्पष्ट है कि रू0 17250.00 का प्रमाणक विहिन काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए प्रधान श्री मुस्ताक अली एवं सचिव श्री गुडडू प्रसाद उत्तरदायी है। अत: उक्त की वसूली प्रधान श्री मुस्ताक अली एवं सचिव श्री गुडडू प्रसाद से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-10-</u> विकास खण्ड मिठौरा**,** महराजगंज की ग्राम पंचायत बडहरा बैद्य के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि की कैशबुक में दिनांक 10.01.22 को रू0 42701.00 का व्यय विभिन्न स्थानों पर पैचिंग कार्य हेतु होना दर्शित है। किन्तु उक्त व्यय से संबन्धित कोई पत्रावली व प्रमाणक, कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि0 आदि लेखा परीक्षामें मांगोपरान्त भी अनुपलब्ध रही जिससे उक्त व्यय वास्तव में किया गया है यह भी अप्रमाणित रहा। ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। स्पष्ट है कि रू0 42701.00 का प्रमाणक विहिन काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है, जिसके लिए प्रधान श्री रामू एवं सचिव श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी है। अत: उक्त की वसूली प्रधान श्री रामू एवं सचिव श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-11-</u> विकास खण्ड नौतनवा**,** महराजगंज की ग्राम पंचायत जमुहानी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि की कैशबुक एवं बैक स्टेटमेण्ट अुनसार दिनांक 24.05.2021 को क्रमश: 42170.00 एवं रू0 56120.00 कुल रू0 98290.00 की निकासी के सापेक्ष विवरणहीन व्यय दर्शित है साथ ही उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, निमार्ण कार्य पत्रावलिया, आदि मांगोपरान्त भी अप्रस्तुत रहा। लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के नियम 8क में प्रावधन है कि व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहने पर दर्शित व्यय अपहरण माना जाएगा। जिसके प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी है। अत उक्त धनराशि रू0 98290.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कॉग्रेस यादव एवं सचिव श्री श्रीनिवास से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-12-</u> विकास खण्ड सिसवा, महराजगंज की ग्राम पंचायत पडरी खुर्द के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 13.12.21 एवं दिनांक 31.01.22 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप मरम्मत पर क्रमश: रू0 52260.00 एवं रू0 5175.00 कुल रू0 57435.00(मजदूरी सहित) का व्यय कैशबुक के व्यय पक्ष में किया गया है। ऑफलाइन एवं आनलाइन दोनो रोकड बही में मरम्मत के स्थान उल्लिखित नही है कि कहॉ पर मरम्मत कराया गया है। उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नही की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नही रहा। प्रार्थना पत्रो के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नही है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्म्त/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नही होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जॉच व समीक्षा नही की जा सकी। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर

के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नही है। स्पष्ट है कि नियमो का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नही किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नही है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रू0 57435.00 की धनराशि प्रधान श्री धनन्जय एवं सचिव श्री राधाबल्लभ नायक द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनो से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-13-</u> विकास खण्ड सिसवा, महराजगंज की ग्राम पंचायत हरपुर पकडी के वर्ष 2020-21 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 25.10.21 एवं दिनांक 28.01.22 को ग्राम पंचायत में हैण्डपंप रिबोर पर क्रमश: रू0 27897.00 एवं रू0 146025.00 कुल रू0 173922.00(मजदूरी सहित) का व्यय कैशबुक के व्यय पक्ष में किया गया है। ऑफलाइन एवं आनलाइन दोनो रोकड बही में रिबोर के स्थान उल्लिखित नही है कि कहॉ पर रिबोर कराया गया है। उक्त कार्य के निमित्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण नही की गयी है। यथा आस-पास के ग्रामीण परिवार द्वारा हाथनल के खराब होने का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नही रहा। प्रार्थना पत्रो के आधार पर मरम्मत के पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हाथनल खराब होने की रिपोर्ट एवं प्रमाणक के साथ पत्रावली में संलग्न नही है। नियमानुसार तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त हाथनल मरम्म्त/रिबोर करायेजाने के पूर्व ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए तथा ग्राम पंचायत की कार्ययोजना में सम्मिलित होने एवं वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए समस्त औपचारिकता पूर्ण किया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही पंजी प्रस्तुत नही होने के कारण हाथनल मरम्मत/रिबोर से संबन्धित कृत कार्यवाही की जॉच व समीक्षा नही की जा सकी। पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 के बिन्दू-2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या-4430/33-1-99/एस0पी0आर0/99 दिनांक 29.07.1999 के अन्तर्गत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं की निगरानी/अनुमोदन संस्तुति करना है। लेखा परीक्षा में हाथनल मरम्मत/रिबोर के उक्त समिति के अनुमोदन/संस्तुति से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न नही है। स्पष्ट है कि नियमो का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नही किया जा रहा है। साथ ही सामग्री व मजदूरी का भुगतान एक संस्था को किया गया है जो कि मान्य नही है और व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8क के अनुसार व्यय प्रमाणक के अप्रस्तुत रहने पर व्यय अपहरण माना जाएगा। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार रू0 173922.00 की धनराशि प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं सचिव श्री पिन्दू कुमार गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनो से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-14-</u> विकास खण्ड घुघली**,** महराजगंज की ग्राम पंचायत भैंसी के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश सं0 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक 16.12.2021 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार रू0 3500.00 से बढाकर रू0 5000.00 किया गया है, जो माह जनवरी-22 से दिया जाना था। आलोच्य वर्ष की कोषबही में दिनांक 10.10.21 को रू0 14000.00 का भुगतान माह जून 21 से सितम्बर 21 तक के तथा दिनांक 22.01.22 को रू0 24500.00 का भुगतान जून 21 से दिसम्बर 21 तक के ग्राम प्रधान मानदेय हेतु होना दर्शित है। स्पष्ट है कि माह जून 21 से सितम्बर 21 तक के मानदेय का दो बार भुगतान कर रू0 14000.00 का अधिक भुगतान कर धन का अपहरण कर लिया गया है जिसके जिसके लिए प्रधान श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा एवं सचिव श्री अमरेन्द्र पटेल उत्तरदायी है। अत: अधिक भुगतान रू0 14000.00 की वसूली प्रधान श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा एवं सचिव श्री अमरेन्द्र पटेल से व्याज सहित वसूल कर खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-15-</u> विकास खण्ड फरेन्दा, महराजगंज की ग्राम पंचायत बैकुण्ठपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्र वित्त खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	ईट	52958909	04.12.21	127507.00	मे0 चौधरी ब्रिक फिल्ड
2	ईट	52958909	04.12.21	131977.00	मे0 चौधरी ब्रिक फिल्ड
3	फोटो	52958909	09.01.22	535.00	आदर्श इण्टरप्राइसेस
		योग-		**260019.00**	

कैशबुक में उक्त दर्शित व्ययो से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, एम0बी0 बुक, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रू0 260019.00 की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि ई-ग्राम स्वराज पर उक्त आई0डी0 वित्तीय वर्ष 2021-22 की कार्ययोजना मे "ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्य" हेतु सृजित है जबकि कैशबुक एवं आनलाइन प्रमाणक अनुसार उक्त भुगतान "प्राथमिक विद्यालय में वाउण्ड्रीवाल एवं गेट निमार्ण कार्य" पर ईट क्रय हेतु मे0 चौधरी ब्रिक फिल्ड को किया गया दर्शित है, साथ ही उक्त दर्शित आई0डी0 हेतु ग्राम पंचायत स्तर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (02/24.06.21/रू0 415000.00) दर्शित है एवं तकनीकी स्वीकृति अज्ञात।

इस प्रकार अन्य परियोजना हेतु सृजित आई0डी0 पर काल्पनिक भुगतान दर्शाकर, निर्धारित स्तर की स्वीकृति न लेकर तथा कुल दर्शित व्यय रू0 260019.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखो से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली श्री उपेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री रामयनन, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-16-</u> विकास खण्ड फरेन्दा, महराजगंज की ग्राम पंचायत चौतरवां के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	स्वच्छता सामग्री	52956095	26.07.21	71700.00	प्रकाश टेडर्स
2	स्वच्छता सामग्री	52956095	29.10.21	49430.00	प्रकाश टेडर्स
		योग-		**121130.00**	

कैशबुक में उक्त दर्शित व्ययो से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रू0 121130.00 की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि ई-ग्राम स्वराज पर उक्त आई0डी0 वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना हेतु सृजित है अत: वित्तीय वर्ष 20-21 हेतु सृजित आई0डी0 पर वित्तीय वर्ष 21-22 में भुगतान कर तथा कुल दर्शित व्यय रू0 121130.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखो से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती सरस्वती देवी,

ग्राम प्रधान तथा श्री रामनयन, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-17-</u> विकास खण्ड फरेन्दा, महराजगंज की ग्राम पंचायत मथुरानगर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में केन्द्र वित्त खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि परियोजना "प्राथमिक विद्यालय का मरम्मत एवं कायाकल्प कार्य" पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	सीमेण्ट एवं बालू	53111655	04.08.21	429454.00	मे0 चौरसिया टेडर्स
		योग-		**429454.00**	

कैशबुक में उक्त दर्शित निमार्ण कार्य परियोजना के व्यय से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, एम0बी0 बुक, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रू0 429454.00 की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु आलोच्य वर्ष की कैशबुक में एवं वर्क आई0डी0 पर मजदूरी हेतु कोई भी भुगतान दर्शित नही है जिससे सामग्री मद पर किया गया भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है। ई-ग्राम स्वराज पर उक्त आई0डी0 वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना मे हेतु सृजित है जिसकी तकनीकी एवं वित्तीय/प्रशानिक स्वीकृति ई-ग्राम स्वराज अनुसार रू0 480000.00 की क्रमश: क्रमाक 407 एवं 1123 दिनांक 26.07.21 की अधिशासी अभियन्ता एवं जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा की गयी दर्शित है।

इस प्रकार उक्त निमार्ण परियोजना पर मजदूरी का भुगतान न कर तथा सामग्री मद पर दर्शित व्यय रू0 429454.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखो से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली श्रीमती रीता चौरसिया, ग्राम प्रधान तथा श्री हेमन्त कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-18-</u> विकास खण्ड फरेन्दा, महराजगंज की ग्राम पंचायत सेखुई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है-

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	स्वच्छता सामग्री	45104246	29.07.21	39750.00	साधुसरन इण्टरप्राइजेज
2	स्वच्छता सामग्री	45104246	21.02.22	19980.00	प्रियल इण्टरप्राइजेज
		योग-		**59730.00**	

कैशबुक में उक्त दर्शित व्ययो से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, व्यय प्रमाणक, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, स्टॉक रजिस्टर, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रू0 59730.00 की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि ई-ग्राम स्वराज पर उक्त आई0डी0 वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजना हेतु सृजित है अत: वित्तीय वर्ष 20-21 हेतु सृजित आई0डी0 पर वित्तीय वर्ष 21-22 में भुगतान कर तथा कुल दर्शित व्यय रू0 59730.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखो से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली श्री महेन्द्र कुमार, ग्राम

प्रधान तथा श्री अशोक पटेल, ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित आधा-आधा किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-19-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत बडहरा विशम्भरपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **<u>625338.00</u>** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **<u>625338.00</u>**, जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्री मनीष कुमार पटेल, ग्राम प्रधान तथा श्री गुडडू प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये-

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद
1	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	11.07.21	34095.00	सामग्री
2	प्रा0वि0 में कायाकल्प योजना अन्तर्गत टाइल्स कार्य	29.08.21	198454.00	सामग्री
		29.08.21	12960.00	मजदूरी
		29.08.23	6720.00	मजदूरी

3	रामलखन के घर से शेषमणि के घर तक राबिश कार्य	26.09.21	52309.00	सामग्री
4	पंचायत भवन एवं शौचालय का मरम्मत कार्य	13.02.22	6828.00	सामग्री
		14.02.22	150117.00	सामग्री
		14.02.22	19200.00	मजदूरी
		14.02.22	7680.00	मजदूरी
		18.02.22	14400.00	मजदूरी
		18.02.22	4800.00	मजदूरी
5	स्वच्छता कार्य	11.07.21	65680.00	सामग्री
		11.10.21	25045.00	सामग्री
6	टेण्डर व्यय	29.08.21	4050.00	टेण्डर
		29.08.21	5000.00	टेण्डर
7	मानदेय	21.01.22	6000.00	पं0सहा0 मानदेय
		16.03.22	12000.00	पं0 सहा0 मानदेय
	योग-		**625338.00**	

<u>प्रस्तर-20-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत बटईडीहा के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस-फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **<u>1827832.00</u>** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली

प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **1827832.00** जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्रीमती जुबैदा अंसारी, ग्राम प्रधान तथा श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद
1	स्वच्छता कार्य/सामग्री	02.07.21	52580.00	चूना/व्लीचिंग सामग्री
		03.10.21	20160.00	रिक्शा/ठेला
		10.03.22	47750.00	सामग्री
2	प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त कक्षा मे टाइल्स कार्य	04.09.21	143309.00	सीमेण्ट, बालू, मिटटी
		06.09.21	14400.00	मजदूरी
		06.09.21	1920.00	मजदूरी
3	मोकिम के घर से धोबहिया पोखरी तक नाली निमार्ण	03.10.21	56474.00	सामग्री
		03.10.21	99352.00	ईटगिट्टी/
		03.10.21	14400.00	मजदूरी
4	हयूम पाइप स्थापना कार्य	03.10.21	67384.00	हयूम पाइप
5	टांस्फार्मर से मोकिम के घर तक नाली निमार्ण	03.10.21	65650.00	सामग्री
		03.10.21	89381.00	ईट/गिट्टी
		03.10.21	20160.00	मजदूरी
6	गुफरान के घर से मुस्तकीम के घर तक नाली निमार्ण	25.10.21	197202.00	ईट गिट्टी/
		25.10.21	106378.00	सीमेण्टबालू/
		25.10.21	14375.00	मजदूरी
7	ट्रास्फार्मर के सामने हयूम पाइप कार्य	13.12.21	28462.00	हयूम पाइप
8	प्रशासनिक/अन्य व्यय	13.12.21	5000.00	टेण्डर
		13.12.21	5273.00	टेण्डर
		26.12.21	1591.00	एडमिन फण्ड
		26.12.21	2386.00	एडमिन फण्ड
9	सामुदायिक शौचालय केयर टेकर मानदेय	30.01.22	18000.00	मानदेय
10	पंचायत सहायक मानदेय	29.01.22	6000.00	मानदेय
		10.03.22	6000.00	मानदेय
11	प्राथमिक स्कूल पर शौचालय निमार्ण कार्य	08.03.22	183088.00	सामग्री

12	अहमद के घर से खलिद के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण कार्य	08.03.22	210094.00	सामग्री
13	तहयाद अली के घर से गयासुद्दीन के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निमार्ण कार्य	08.03.22	272455.00	सामग्री
		09.03.22	63223.00	सामग्री
14	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	10.03.22	15385.00	सामग्री
	योग-		**1827832.00**	

<u>प्रस्तर-21-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत हथियागढ के के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त खाते की कैशबुक की जांच में पाया गया कि परियोजना "ग्राम पंचायत में राबिश कार्य" पर आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरणानुसार सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है-

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	वर्क आई0डी0	दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम
1	राबिश	54077448	29.08.21	50215.00	मे0 खान ब्रिक फिल्ड
		योग-		**50215.00**	

कैशबुक में उक्त दर्शित परियोजना के व्यय से संबन्धित स्वीकृत प्रस्ताव, स्वीकृत कार्ययोजना, स्टीमेट, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, एम0बी0 बुक, कोटेशनटेण्डर पत्रावली/, एवं प्रमाणित कार्यपूर्ति भौतिक सत्यापन/ प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख मांगोपरान्त प्रस्तुत नही किये गये जिनके अभाव में व्यय की गयी धनराशि कुल रू 0 की जॉच एवं पुष्टि नही की जा सकी। 50215.00

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु आलोच्य वर्ष की कैशबुक में मजदूरी हेतु कोई भी भुगतान दर्शित नही है जिससे सामग्री मद पर किया गया भुगतान काल्पनिक प्रतीत होता है तथा ई ग्राम-स्वराज पर उक्त कार्य की आई 0डी0 वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्ययोजनाहेतु सृजित है।

इस प्रकार उक्त परियोजना पर मजदूरी का भुगतान न कर तथा सामग्री मद पर दर्शित व्यय रू0 50215.00 के वास्तविकता एवं उपयोगिता की पुष्टि अभिलेखो से न कराकर ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8(क) के अनुसार अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए श्रीमती विलायती, ग्राम प्रधान तथा श्री प्रमोद यादव, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय व्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

<u>प्रस्तर-22-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत करमहवा बसन्तपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.21 से 31.03.22 तक कुल रू0 613265.00 निम्न विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	**कार्य का नाम**	**दिनांक**	**धनराशि**	**मद/फर्म**
1	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	22.07.21	30670.00	सामग्री/अम्बुज इण्टरप्राइजेज
2	सफाई सामग्री	22.07.21	61000.00	सामग्री/अम्बुज इण्टरप्राइजेज
		21.03.22	45125.00	सामग्री/अम्बुज इण्टरप्राइजेज
3	प्रशासनिक/अन्य व्यय	24.08.21	4050.00	टेण्डर
		24.08.21	4140.00	टेण्डर

		16.11.21	12630.00	स्टेश्नरी/अम्बुज इण्टरप्राइजेज
4	प्राथमिक विद्यालय में टायल्स कार्य	11.09.21	201950.00	सामग्री/लकी टेडर्स
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
		17.09.21	2880.00	मजदूरी
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
		17.09.21	3360.00	मजदूरी
5	पंचायत भवन में टायल्स कार्य	02.11.21	190100.00	सामग्री/लकी टेडर्स
		01.12.21	5760.00	मजदूरी
		01.12.21	5280.00	मजदूरी
		01.12.21	5760.00	मजदूरी
		01.12.21	5760.00	मजदूरी
6	मानदेय	06.02.22	6000.00	पं0 सहायक मानदेय
		17.03.22	12000.00	पं0 सहायक मानदेय
	योग-		**613265.00**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक), एम0बी0 बुक, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0 डी0, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 01.04.21 से 31.03.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **613265.00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में दिनांक 01.04.21 से 31.03.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **613265.00**, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्रीमती बेलाउती देवी, ग्राम प्रधान तथा श्री विनोद वर्मा, ग्राम पंचायत

अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

<u>प्रस्तर-23-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर कैथवलिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक कुल रू0 662310.00 निम्न विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद/फर्म
1	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	26.04.21	27400.00	सामग्री/जी0एन0के0टेडर्स
		29.12.21	62340.00	सामग्री/शिव टेड्रिग कं0
2	राबिश कार्य	11.08.21	89546.00	राबिश/ खान बिक्र फिल्ड
		24.08.21	9180.00	मजदूरी
3	प्राथमिक विद्यालय का कायकल्प कार्य	10.08.21	192861.00	सामग्री/शिव टेड्रिग क0
		15.08.21	9120.00	मजदूरी
		15.08.21	9600.00	मजदूरी
4	सफाई सामग्री	26.04.21	27800.00	सामग्री/जी0एन0के0 टेडर्स
		13.07.21	46950.00	फागिंग मशीन/सागर टेडर्स
		26.07.21	42110.00	सामग्री/ सागर टेडर्स
		26.07.21	18500.00	ठेला खरीद/ सागर टेडर्स
		31.08.21	36201.00	दवा छिडकाव/सागर टेडर्स
		29.12.21	40100.00	सामग्री शिव टेड्रिग कं0
5	प्राथमिक विद्यालय का वाउण्ड्रीवाल मरममत कार्य	29.12.21	8825.00	मजदूरी
		29.12.21	1020.00	मजदूरी
		29.12.21	1224.00	मजदूरी
		29.12.21	12930.00	सामग्री/खान ब्रिक फील्ड
		29.12.21	2880.00	मजदूरी
6	प्रशासनिकअन्य/ व्यय	08.08.21	5273.00	टेण्डर
		08.08.21	4140.00	टेण्डर
		14.08.21	3000.00	जनजागरूकता
		14.08.21	3000.00	जनजागरूकता
		27.08.23	8310.00	प्रशा0मद/ सागर टेडर्स
	योग-		**662310.00**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी <u>व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक), एम0बी0 बुक, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0 डी0, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली</u> एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **<u>662310.00</u>** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **662310.00**, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्री दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

प्रस्तर-24- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत महेशपुर महेदिया के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक कुल रू0 1123814.00 निम्न विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद/फर्म
1	सफाई सामग्री	24.05.21	22300.00	सामग्री/प्रभाकर बि0 मटै0
		12.07.21	50700.00	सामग्री/ सागर टेडर्स
		30.07.31	27000.00	ठेला/जय अम्बे इण्टरप्राइसेस
		08.09.21	45186.00	सामग्री/सागर टेडर्स
2	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	25.08.21	27631.00	आकाश टेडर्स
		25.08.21	54800.00	आकाश टेडर्स
3	मानदेय	25.05.21	9000.00	शौचालय मानेदय
		29.08.21	27000.00	शौचालय मानेदय
		02.09.21	10500.00	ग्राम प्रधान मानदेय
4	प्रशासनिक व्यय/अन्य व्यय	27.08.21	1070.00	कार्ययोजना
		27.08.21	8310.00	प्रशासनिक व्यय/ सागर टेडर्स
		06.09.21	5273.00	टेण्डर
5	कायाकल्प कार्य	29.08.21	6720.00	मजदूरी
		29.08.21	182852.00	सामग्री/ लकी टेडर्स
		29.08.21	6240.00	मजदूरी
		29.08.21	6240.00	मजदूरी
		25.10.21	185578.00	सामग्री/लकी टेडर्स
		26.11.21	6720.00	मजदूरी
		26.11.21	6720.00	मजदूरी

6	सोक पिट निमार्ण	25.10.21	36115.00	सामग्री/जय अम्बे इण्टरप्राइजेज
		25.10.21	43825.00	सामग्री/के0के0 ईट उद्ययोग
		26.11.21	3360.00	मजदूरी
		26.11.21	2880.00	मजदूरी
7	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इण्टरलांकिग कार्य	02.11.21	60748.00	सामग्री/ के0के0 ईट उद्योग
		26.11.21	22489.00	सामग्री/के0के0ईट उद्योग
		26.11.21	3840.00	मजदूरी
		11.12.21	4300.00	मजदूरी
8	प्राथमिक विद्यालय में इण्टरलाकिंग कार्य	02.11.21	86339.00	सामग्री/जय अम्बे इण्टरप्राइजेज
		04.11.21	109858.00	सामग्री/ मणि टेडर्स
		05.11.21	43900.00	सामग्री/ जय अम्बे इण्टरप्राइजेज
		26.11.21	4800.00	मजदूरी
		26.11.21	6720.00	मजदूरी
		26.11.21	4800.00	मजदूरी
	योग-		**1123814.00**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक), एम0बी0 बुक, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, जनरेटेड वर्क आई0 डी0, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 1123814.00 की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 1123814.00 की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्रीमती रूकसाना, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

प्रस्तर-25- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत मुडली के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्रा0पं0 सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु

निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी वास्तविक धनराशि की स्थिति अस्पष्ट रही साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **1896120.00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **1896120.00** जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए श्री रामबेलास, ग्राम प्रधान तथा श्री गुडडू प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद
1	स्वच्छता कार्य	19.07.21	60680.00	सामग्री
		01.12.21	53125.00	सामग्री
		01.02.22	6525.00	सामग्री
		15.03.22	52125.00	सामग्री
2	हैण्डपंप मरम्मत	19.07.21	28335.00	मरम्मत
		24.10.21	20545.00	मरम्मत
		24.10.21	31350.00	मरम्मत
		24.10.21	31350.00	मरम्मत

		24.10.21	31350.00	मरम्मत
		24.10.21	30890.00	मरम्मत
3	ग्रा0पं0 में विभिन्न स्थानों पर राबिश भराई	10.09.21	71295.00	सामग्री
4	प्रशासनिक कार्य/अन्य व्यय	23.08.21	5000.00	टेण्डर
		23.08.21	5273.00	टेण्डर
		08.10.21	10000.00	विद्युत बिल
		30.10.21	12109.00	स्टेश्नरी
		26.12.21	1970.00	एडमिन फण्ड
		26.12.21	2954.00	एडमिन फण्ड
5	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य	06.10.21	175614.00	सामग्री
		31.01.22	37284.00	मजदूरी
6	दयालू के घर से सुरेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण कार्य	09.12.21	19010.00	सामग्री
		09.12.21	159070.00	सामग्री
		31.01.21	6720.00	मजदूरी
7	मुनिराम के घर से मोहित के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण कार्य	09.12.21	176620.00	सामग्री
		09.12.21	37969.00	सामग्री
		31.01.22	13440.00	मजदूरी
8	मुनिराम के घर से तुलाराम के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण	28.12.21	305654.00	सामग्री
		28.12.21	92215.00	सामग्री
		31.01.22	16716.00	मजदूरी
9	श्यामलाल के घर से तुलाराम के घर तक सी0सी0 रोड निमार्ण	31.01.22	33432.00	मजदूरी
10	मानदेय	20.01.22	6000.00	पं0 सहायक मानेदय
		15.03.22	12000.00	पं0 सहायक मानदेय
		01.02.22	18000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
11	हैण्डपंप रिबोर कार्य	29.01.22	30225.00	रिबोर
12	प्रा0 वि0 पर वाउण्ड्रीवाल निमार्ण कार्य	09.03.22	94964.00	सामग्री
		09.03.22	109708.00	सामग्री
		09.03.22	49728.00	मजदूरी
13	पं0 भवन पर मेज कुर्सी दरी, टेबल क्रय	15.03.22	46875.00	सामग्री
	योग-		**1896120.00**	

<u>प्रस्तर-26-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत पिपरा सोहट के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक कुल रू0 1269386.00 निम्न विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मदफर्म/
1	सफाई सामग्री	03.08.21	49500.0	सामग्री/ जय अम्बे इण्टरप्राइजेज
		04.08.21	14650.00	ठेला/ सागर टेडर्स
		04.08.21	14650.00	ठेला/सागर टेडर्स
		25.10.21	49000.00	सामग्री
2	प्रशा0/अन्य व्यय	04.08.21	5000.00	टेण्डर
		04.08.21	1500.00	प्रशा0व्यय कम्प्यूटर
		04.08.21	1000.00	प्रशा0व्यय
		16.08.21	5273.00	टेण्डर
		27.08.21	8310.00	प्रशा0 व्यय/ सागर टेडर्स
3	प्राथमिक विद्यालय मे कायाकल्प कार्य	13.09.21	183971.00	सामग्री/ आकाश टेडर्स
		13.09.21	9025.00	ईट/ सिंह ब्रिक फिल्ड
		11.02.21	16320.00	मजदूरी
		01.12.21	13700.00	सामग्री/ सागर टेडर्स
4	ईट टुकडा व राबिश कार्य	11.08.21	48945.00	राबिस/ सागर टेडर्स
		28.08.21	49274.00	राबिस/ सागर टेडर्स
5	हैण्डपंप रिबोर	15.11.21	28911.00	रिबोर/ जी0एन0के0 टेडर्स
		15.11.21	29161.00	रिबोर/ जी0एन0के0 टेडर्स
		15.11.21	29178.00	रिबोर/ जी0एन0के0 टेडर्स
		15.11.21	29002.00	रिबोर/ जी0एन0के0 टेडर्स
6	प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प कार्य	28.08.21	46068.00	सामग्री/ सागर टेडर्स
		30.08.21	155618.00	सामग्री/ बालाजी टेडर्स
		02.09.21	9600.00	मजदूरी
		02.09.21	9600.00	मजदूरी
		25.10.21	6240.00	मजदूरी
7	प्रा0 वि0 मैरी पिपरी का मरम्मत एवं टाइल्स कार्य	25.10.21	79060.00	सामग्री/ सागर टेडर्स
		25.10.21	6240.00	मजदूरी
		25.10.21	106010.00	सामग्री/ बालाजी हार्डवेयर
		25.11.21	38700.00	सामग्री/ बालाजी टेडर्स
		25.11.21	6240.00	मजदूरी
		26.11.21	6240.00	मजदूरी
8	प्रा0 वि0 पिपरी में टायलेट व कक्ष भवन टाइल्स कार्य	13.12.21	51160.00	सामग्री/ जी0एन0के टेडर्स
		13.12.21	62660.00	सामग्री/लकी टेडर्स
		10.01.22	6720.00	मजदूरी
		10.01.22	38820.00	सामग्री/लकी टेडर्स
		10.01.22	13440.00	मजदूरी

		10.01.22	40600.00	सामग्री/लकी टेडर्स
	योग-		1269386.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक), एम0बी0 बुक, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0 डी0, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 1269386.00 की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में दिनांक 01.04.21 से 31.01.22 तक निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 1269386.00 की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्रीमती शाहजहॉ खातून, ग्राम प्रधान तथा श्री विवेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

प्रस्तर-27- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत पोखरभिण्डा के निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में कुल रू0 2270920.00 निम्न विवरणानुसार विभिन्न परियोजनाओ पर व्यय दर्शित है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	मद
1	हैण्डपंप मरम्मत कार्य	07.05.21	41500.00	सामग्री
		26.27.21	46700.00	सामग्री
		11.03.22	25185.00	सामग्री
2	स्वच्छता सामग्री	07.05.21	41600.00	सामग्री
		26.07.21	58400.00	सामग्री
		16.08.21	121738.00	सामग्री
		28.09.21	45700.00	सामग्री
		29.09.21	44445.00	सामग्री
		11.10321	22000.00	सामग्री
		14.10.21	56690.00	सामग्री
		14.10.21	8540.00	ठेला

		03.11.21	77479.00	फागिंग मशीन
3	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स निमार्ण कार्य	20.09.21	199326.00	सामग्री
		20.10.21	5766.00	मजदूरी
4	सचिवालय कायाकल्प	02.12.21	41167.00	सामग्री
		17.03.22	14400.00	विद्युतीकरण
5	विद्यालय में प्लम्बिग कार्य	11.03.22	19535.00	सामग्री
		31.03.22	20212.00	सामग्री
6	हैण्डपंप रिबोर	19.03.22	31500.00	सामग्री
7	कम्पयूटर क्रय	05.01.20	60000.00	कम्पयूटर
8	मानदेय	19.01.22	6000.00	पंचायत सहायक
		18.02.22	10000.00	प्रधान
		18.02.22	21000.00	प्रधान
		11.03.22	6000.00	पंचायत सहायक
		14.03.22	6000.00	पंचायत सहायक
		09.06.21	27000.00	शौचालय मानदेय
		24.01.22	18000.00	शौचालय मानदेय
9	अन्य व्ययप्रशासनिक व्यय/	25.05.21	26600.00	स्टेशनरी
		30.09.21	4060.00	टेण्डर
		14.10.21	1070.00	कार्ययोजना
		14.10.21	6120.00	स्टेशनरी
		05.02.22	1170.00	स्टेशनरी
		16.10.21	4790.00	टेण्डर
		07.01.22	1925.00	एडमिन फण्ड
		13.03.22	7100.00	स्टेशनरी
10	प्रा विद्यालय प्रागण मैं इण्टरलांकिग 0 कार्य	11.10.21	57960.00	सामग्री
		11.10.21	5760.00	मजदूरी
		11.10.21	6240.00	मजदूरी
		11.10.21	88146.00	सामग्री
		14.10.21	6240.00	मजदूरी
		14.10.21	6240.00	मजदूरी
		20.10.21	43570.00	सामग्री
11	आंगनवाडी केन्द्र निमार्ण पर सामग्री	22.10.21	106000.00	सामग्री
12	विश्व बैक रोड से केशव के खेत तक खण्डजा मरम्मत कार्य़	02.11.21	4000.00	सामग्री
13	सचिवालय मरम्मत कार्य़	13.01.22	45000.00	सामग्री
		13.01.22	98327.00	सामग्री
14	विभिन्न स्थानों पर टुकडा व राबिश कार्य	14.10.21	126217.00	सामग्री
		14.10.21	112343.00	सामग्री
		04.11.21	62750.00	सामग्री

15	फर्नीचर	03.11.21	254941.00	फर्नीचर
16	विवरण विहिन व्यय	02.12.21	6720.00	-
		02.12.21	6240.00	-
		02.12.21	6720.00	-
		05.02.22	63000.00	-
		19.03.22	14400.00	-
		25.12.21	288800.	-
		17.03.22	14000.00	-
		17.03.22	4500.00	-
	कुल योग-		**2270920.00**	

उपरोक्त दर्शित व्ययों के सापेक्ष कई बार अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशानिक), एम0बी0 बुक, मस्टरोल, मानेदय रजिस्टर, जनरेटेड वर्क आई0 डी0, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर एवं कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की जांच एवं पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष मे निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **2270920.00** की जांच एवं पुष्टि व मिलान नहीं किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक में दर्शित व्यय/ उपभोग धनराशि कुल रू0 **2270920.00**, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है, जिसके लिए श्री धीरेन्द्र, ग्राम प्रधान तथा श्री सर्वजीत गुप्ता, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार उपरोक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा-आधा किया जाना चाहिये, और आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

प्रस्तर-28- विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत समरधीरा के वर्ष 21-22 के निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रू0 3460353.00 व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट,

स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **3460353.00** जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है-

क्र0सं0	दिनॉक	धनराशि	विवरण	कार्य का नाम
1	24-07-21	59100.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
2	06-09-21	49523.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
3	30-10-21	47080.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
4	10-01-21	9170.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
5	11-01-22	33470.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
6	11-01-22	16530.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
7	17-03-22	25000.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
8	24-07-21	27000.00	अन्य व्यय	ठेला क्रय
9	23-08-21	119458.00	सामग्री	रामलक्ष्मण के घर से बलवंत यादव क घर तक राबिश और टुकडा भराई कार्य

10	23-08-21	135317.00	सामग्री	मामूर के मोहरपुर रोड एवं राजकुमार के घर तक राबिसऔर टुकडा भराई कार्य
11	23-08-21	83359.00	सामग्री	रामदेव के घर से पश्चिम उमेश पाण्डेय के घर तक राबिस और टुकडा भराई कार्य
12	26-09-21	18720.00	सामग्री	इंडिया मार्का-।। हाथनल मरम्मत कार्य
13	15-09-21	105581.00	अन्य व्यय	बिना विवरण का व्यय
14	17-09-21	151686.00	अन्य व्यय	बिना विवरण का व्यय
15	30-09-21	31670.00	सामग्री	प्रा0 वि0 में इंडिया मार्क-।। हाथनल रिबोर कार्य
16	30-09-21	31670.00	सामग्री	हरिश्चन्द्र के घर के सामने हैण्डपंप रिबोर कार्य
17	30-09-21	31670.00	सामग्री	मदन के घर के सामने हैण्डपंप रिबोर कार्य
18	07-10-21	31670.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में हैण्डपंप रिबोर कार्य
19	11-01-22	15300.00	मजदूरी	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
20	21-11-21	71867.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
21	18-11-21	21072.00	मजदूरी	बाबूलाल के घर से भोला के घर तक पक्की नाली निमार्ण कार्य
22	06-01-22	32170.00	सामग्री	सचिवालय के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य
23	06-01-22	32170.00	सामग्री	जू0हा0स्कूल में हैण्डपंप रिबोर कार्य
24	07-01-22	32170.00	सामग्री	मोहन के घर के पास इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
25	07-01-22	32170.00	सामग्री	सचिवालय के पास इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
26	07-01-22	32170.00	सामग्री	जू0हा0स्कूल में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
27	08-01-22	32170.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
28	08-01-22	32170.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
29	08-01-22	500.00	अन्य व्यय	ग्रा0पं0 में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर कार्य
30	10-01-22	39192.00	मजदूरी	ग्राम सचिवालय के किचन व बाथरूम का मरम्मत कार्य
31	15-09-21	1070.00	अन्य व्यय	प्रशासनिक व्यय
32	21-03-22	34500.00	अन्य व्यय	प्रधान मानदेय (जून 21 से फरवरी 22 तक)
33	12-03-22	12000.00	अन्य व्यय	पंचायत सहायक मानदेय (दिसम्बर 21 से जनवरी 22
34	30-07-21	18735.00	अन्य व्यय	टेण्डर विज्ञापन

35	11-09-21	19200.00	मजदूरी	प्रा0 वि0 का कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
36	23-08-21	188234.00	सामग्री	प्रा0 वि0 का कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
37	11-09-21	16320.00	मजदूरी	प्रा0 वि0 में टायल्स कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
38	13-09-21	135942.00	सामग्री	प्रा0 वि0 में टायल्स कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
39	11-09-21	19940.00	मजदूरी	प्रा0 वि0 का छत का कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
40	03-09-21	25284.00	सामग्री	प्रा0 वि0 का छत का कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कार्य
41	13-10-21	21072.00	मजदूरी	रमेश के घर से पवन के घर तक पक्की नाली निमार्ण
42	14-10-21	7200.00	मजदूरी	रमेश के घर से पवन के घर तक पक्की नाली निमार्ण
43	12-10-21	142806.00	सामग्री	रमेश के घर से पवन के घर तक पक्की नाली निमार्ण
44	13-10-21	19440.00	मजदूरी	योगेन्द्र के घर से रामकरण के घर तक पक्की नाली निमार्ण
45	12-10-21	140438.00	सामग्री	योगेन्द्र के घर से रामकरण के घर तक पक्की नाली निमार्ण
46	14-10-21	22500.00	मजदूरी	शिवलाल के घर से परशुरामके घर तक पक्की नाली निमार्ण
47	14-10-21	165424.00	सामग्री	शिवलाल के घर से परशुराम के घर तक पक्की नाली निमार्ण
48	14-10-21	24624.00	मजदूरी	संतराम के घर से जगबली के घर तक पक्की नाली निमार्ण
49	14-10-21	182178.00	सामग्री	संतराम के घर से जगबली के घर तक पक्की नाली निमार्ण
50	16-10-21	26592.00	मजदूरी	रामबृक्ष के घर से राजेन्द्र के घर तक पक्की नाली निमार्ण
51	16-10-21	173155.00	सामग्री	रामबृक्ष के घर से राजेन्द्र के घर तक पक्की नाली निमार्ण
52	22-10-21	13920.00	मजदूरी	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
53	22-10-21	149967.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार

54	19-11-21	69560.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
55	30-11-21	68007.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय में टायल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
56	19-11-21	33060.00	मजदूरी	ग्राम सचिवालय में वाटर प्रूफिंग व रंगाई पुताई कार्य
57	28-10-21	84193.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय में वाटर प्रूफिंग व रंगाई पुताई कार्य
58	10-01-22	74148.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय के पंचायत भवन मरम्मत कार्य
59	10-01-22	25920.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय के पंचायत भवन मरम्मत कार्य
60	10-01-22	141160.00	सामग्री	ग्राम सचिवालय के किचन व बाथरूम का मरम्मत कार्य
61	25-12-22	3969.00	अन्य	बैक ट्रांसफर
	योग-	**3460353.00**		

इसके लिए श्री कोदई, ग्राम प्रधान तथा श्री रामनाथ प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमश: रू0 1730176.50 व रू0 1730176.50 की सव्याज वसूली व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-29-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत मठिया इददू के वर्ष 21-22 के निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रू0 1112646.00 व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **1112646.00** जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है-

क्र0सं0	दिनॉक	धनराशि	विवरण	कार्य का नाम
1	29-04-21	21600.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
2	10-08-21	41450.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव कार्य
3	10-08-21	27500.00	सामग्री	स्वच्छता हेतु ठेला क्रय
4	13-08-21	23640.00	-	सवच्छता हेतु कूडा निस्तारण/नाली/झाडी सफाई कार्य
5	18-11-21	17322.00	-	सवच्छता हेतु कूडा निस्तारण/नाली/झाडी सफाई कार्य
6	11-01-21	21930.00	-	सवच्छता हेतु कूडा निस्तारण/नाली/झाडी सफाई कार्य
7	18-05-21	36400.00	सामग्री	विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्क-।। हाथनल मरम्मत कार्य
8	01-09-21	21100.00	सामग्री	विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्क-।। हाथनल मरम्मत कार्य
9	01-09-21	6300.00	सामग्री	विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्क-।। हाथनल मरम्मत कार्य
10	30-09-21	10923.00	सामग्री	विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्क-।। हाथनल मरम्मत कार्य
11	06-01-22	39830.00	सामग्री	विभिन्न स्थानों पर इंडिया मार्क-।। हाथनल मरम्मत कार्य
12	13-08-21	35377.00	सामग्री	जल जमाव वाले स्थानों पर राबिस और टुकडा भराई कार्य
13	01-09-21	27631.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में इंडिया मार्क-।। हाथनल रिबोर कार्य
14	01-11-21	36984.00	सामग्री	ग्रा0पं0 में इंडिया मार्क-।। हाथनल रिबोर कार्य
15	13-08-21	1070.00	डिजीटल सिग0	प्रशासनिक व्यय
16	26-08-21	8310.00	स्टेशनरी	प्रशासनिक व्यय
17	07-10-212	10000.00	बिजली बिल	प्रशासनिक व्यय

18	01-09-21	10500.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
19	12-10-21	3500.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
20	01-11-21	3500.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
21	16-12-21	3500.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
22	04-01-22	5000.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
23	16-03-22	10000.00	मानदेय	प्रधान मानदेय
24	12-03-22	12000.00	मानदेय	प्रधान सहायक मानदेय
25	14-08-21	5273.00	अन्य व्यय	टेण्डर विज्ञापन व्यय
26	18-11-21	5000.00	अन्य व्यय	टेण्डर विज्ञापन व्यय
27	26-08-21	4140.00	अन्य व्यय	टेण्डर विज्ञापन व्यय
28	27-08-21	19200.00	मजदूरी	मठिया इददू प्रा0 वि0 का कायाकलप/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
29	11-08-21	112318.00	सामग्री	मठिया इददू प्रा0 वि0 का कायाकलप/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
30	23-08-21	80174.000	सामग्री	मठिया इददू प्रा0 वि0 का कायाकलप/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
31	27-08-21	18168.00	मजदूरी	विद्यालय का कायाकलप/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
32	27-08-21	98001.00	सामग्री	विद्यालय का कायाकलप/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार
33	20-10-21	100784.00	सामग्री	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
34	27-10-21	89925.00	सामग्री	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
35	30-10-21	43200.00	सामग्री	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
36	12-01-22	79506.00	सामग्री	खेल मैदान में मिटटी भराई कार्य
37	25-12-12	1588.00	निदेशक पं0राज	बैक ट्रांसफर
	योग-	**1112646.00**		

इसके लिए श्री अजय, ग्राम प्रधान तथा श्री रामनाथ प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमश: रू0 556323.00 व रू0 556323.00 की सव्याज वसूली व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-30-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत करैलिया के निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रू0 **<u>689958.00</u>** व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल

अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **689958.00** जिसका ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है-

क्र0सं0	दिनॉक	धनराशि	विवरण	कार्य का नाम
1	16.08.21	45400.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में स्व्च्छता हेतु फागिंग/ दवा छिडकाव कार्य
2	10.03.22	49502.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में स्व्च्छता हेतु फागिंग/ दवा छिडकाव कार्य
3	16.08.21	196175.00	सामग्री	प्रा0वि0 अमहवा में टाइल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्वार कार्य
4	15.09.21	19200.00	मजदूरी	प्रा0वि0 अमहवा में टाइल्स/कायाकल्प/सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्वार कार्य
5	29.08.21	4139.00	अन्य व्यय	विज्ञापन व्यय (निविदा)
6	21.02.22	5273.00	अन्य व्यय	विज्ञापन व्यय (निविदा)
7	06.02.22	30370.00	सामग्री	राजेन्द्र यादव के घर के पास इंडिया मार्क-II हाथनल रिबोर कार्य
8	06.02.22	30370.00	सामग्री	घनश्याम के घर के पास इंडिया मार्क-II हाथनल रिबोर कार्य

9	06.02.22	30470.00	सामग्री	हरिद्वार के घर के पास इंडिया मार्क-।। हाथनल रिबोर कार्य
10	21.02.22	49600.00	सामग्री	प्रा0 वि0 करैलिया में दरवाजा एवं जंगला क्रय
11	11.03.22	45830.00	सामग्री	अमर सिंह के घर से संजय सिंह के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
12	21.03.22	132241.00	सामग्री	अमर सिंह के घर से संजय सिंह के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
13	11.03.22	10080.00	मजदूरी	अमर सिंह के घर से संजय सिंह के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
14	21.03.22	41308.00	सामग्री	अमर सिंह के घर से संजय सिंह के घर तक इण्टरलांकिग कार्य
	योग-	**689958.00**		

इसके लिए श्री संतलाल, ग्राम प्रधान तथा श्री गुडडू प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमश: रू0 344979.00 व रू0 344979.00 की सव्याज वसूली व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-31-</u> विकास खण्ड लक्ष्मीपुर, महराजगंज की ग्राम पंचायत बरगदवा अयोध्या के निधि-। खाते (राज्य वित्त एवं केन्द्र वित्त) की कैशबुक की जांच में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर रू0 1125747.00 व्यय दर्शित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इन्टीमेशन लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी आडिट हेतु निर्धारित तिथि को एवं वर्षान्त तक, कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से आडिट हेतु अभिलेखों की मांग किये जाने के उपरान्त भी (अन्तिम पत्र संलग्न) राज्य वित्त व केन्द्रीय वित्त खाते के मूल अभिलेख यथा- कैशबुक, बैक स्टेटमेण्ट, व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ईस्टीमेट, स्वीकृति (तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक), एम0बी0 बुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, जनरेटेड वर्क आई0डी0, मानेदय रजिस्टर, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली एवं अन्य अभिलेख जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थे, प्रस्तुत नहीं किये गये।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4892/33-1-222/99-टी.सी.-III. दिनांक 30 जुलाई 1999 के प्रस्तर-1 तथा संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम- 1947 में संशोधनोपरान्त निर्धारित विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जाने साथ ही पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगें" एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्रामपंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी" की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त स्थिति में आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई- ग्राम स्वराज पोर्टल पर एनुअल रिसीप्ट एण्ड पेमेन्ट एकाउन्टस- फार्मेट-01 पर दर्शित कुल व्यय/उपभोग धनराशि रू0 **<u>1125747.00</u>** जिसका ई-ग्राम

स्वराज पोर्टल पर अपलोड आनलाइन कैश बुक में दर्शित योजनावार विवरण निम्न प्रकार है, की जांच एवं पुष्टि हेतु उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत न किये जाने के कारण ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद- 8-क के अंतर्गत अधिभार योग्य है-

क्र0सं0	दिनॉक	धनराशि	विवरण	कार्य का नाम
1	11.07.21	31100.00	सामग्री	इंडिया मार्का-।। हाथनल मरम्मत कार्य
2	11-07-21	51600.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव
3	17-03-22	52980.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव
4	14.09.21	30355.00	सामग्री	रमेश के घर के पास इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
5	14.09.21	30500.00	सामग्री	महाबीर के घर के पास इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
6	03.10.21	30370.00	सामग्री	ग्राम पंचायत में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
7	14.09.21	65415.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में विभिन्न स्थानों पर राबिस और टुकडा भराई कार्य
8	29.08.21	5273.00	अन्य व्यय	विज्ञापन व्यय (निविदा)
9	29.08.21	4139.00	अन्य व्यय	विज्ञापन व्यय (निविदा)
10	29.10.21	32425.00	सामग्री	इंडिया मार्का-।। हाथनल मरम्मत कार्य
11	29.10.21	52425.00	सामग्री	ग्रा0 पं0 में स्वच्छता हेतु फागिंग/दवा छिडकाव
12	01.09.21	29760.00	मजदूरी	प्रा0 वि0 कें इण्टरलांकिग निमार्ण कार्य
13	28.08.21	157390.00	सामग्री	प्रा0 वि0 के इण्टरलांकिग निमार्ण कार्य
14	28.08.21	57390.00	सामग्री	प्रा0 वि0 के इण्टरलांकिग निमार्ण कार्य
15	01.09.21	41280.00	मजदूरी	प्रा0 वि0 के कमरों ऑफिस, बरामदा एवं किचन में टायल्स कार्य
16	28.08.21	201960.00	सामग्री	प्रा0 वि0 के कमरों ऑफिस, बरामदा एवं किचन में टायल्स कार्य
17	14.09.21	30040.00	सामग्री	पिपल के पेड के पास इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
18	14.09.21	30270.00	सामग्री	प्रा0 वि0 पर इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
19	14.09.21	30130.00	सामग्री	स्कूल में इंडिया मार्का-।। हाथनल रिबोर
20	21.02.21	64370.00	सामग्री	प्रा0 वि0 वाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य
21	21.02.22	54495.00	सामग्री	प्रा0 वि0 वाउण्ड्रीवाल मरम्मत कार्य
22	30.10.21	14080.00	अन्य व्यय	प्रशासनिक व्यय
23	25.01.22	18000.00	अन्य व्यय	नवंबर 21 से दिसम्बर 21 तक का सा0शौ0 रखरखाव भत्ता
	योग-	**1125747.00**		

इसके लिए श्री यमुना, ग्राम प्रधान तथा श्री गुडडू प्रसाद, ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी हैं। प्रत्येक से क्रमश: रू0 562873.50 व रू0 563873.50 की सव्याज वसूली व विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद-जालौन

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

जनपद का नाम: जालौन **मण्डल का नाम: झांसी**

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपत्तियॉ -2021-22

ग्राम पंचायत:- भदारी विकास खण्ड - कोंच

1- प्रस्तरः1 वर्ष 2021-22 में दिनांक 25.09.2022 को रू0 12600 ग्राम पंचायत बडोदा खुर्द में साफ-सफाई के नाम पर ट्रैक्टर भाडा किसे दिया गया यह कैशबुक में अंकित नही पाया गया साथ ही ट्रैक्टर भाडें की रसीद अप्राप्त रहने से भुगातन फर्जी प्रतीत होता है जिसकी वसूली सचिव श्री मनोज कुमार गौतम एवं प्रधान श्रीमती सुषमा देवी से 50:50 के अनुपात में तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- बोहरा विकास खण्ड- कोंच जनपद:- जालौन

2- प्रस्तरः2 वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनुसार दिनांक 08.03.2022 को रू0 18360.00 एवं 21.03. 22 को रू0 12240.00 कुल 30600.00 का भुगतान गौशाला केयर टेयर को दिया जाना दर्शित है। लेकिन यह भुगतान श्री राम बिहारी प्रधान पति को किया गया है। अतः उक्त धनराशि गौपालक को न कर, प्रधान पति को कर की गयी अनियमितता। जिसकी वसूली सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्रीमती कुसुमलता से आधी-आधी तातारीख व्याज सहित की जानी वसूली अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- पचीपुरा कला विकास खण्ड- कोंच जनपद:- जालौन

3- प्रस्तरः3 वर्ष 2021-22 में 31.12.2021 को प्रकाश व्यवस्था पर रू063112.00 भुगतान कैशबुक में दर्शित है लेकिन उक्त भुगतान किसे किया गया इसका विवरण कैशबुक में नही है साथ की उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक उपलब्ध न होने से भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। बिना व्यय प्रमाणक का भुगतान अपहरण की श्रीणी में आता है। अतः उक्त भुगतान की वसूली सचिव श्री अभिषेक यादव एवं प्रधान श्रीमती रागिनी से 50:50 के अनुपात में तातारीख व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- शेखपुर अहीर विकास खण्ड-कुठौंद जनपद:- जालौन

4- प्रस्तरः4 -आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता (राज्य वित्त खाता) से दिनांक 10-11-2021 को रुपया 7820.00 का आहरण किया गया है. जिसे कैशबुक में फोटोकॉपी बावत व्यय भुगतान दर्शित किया गया है. परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया. जिससे बिना व्यय प्रमाणक के व्यय भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान दर्शित कर रुपया 7820.00 का अपहरण किया गया है. जिसकी वसूली 50:50 में प्रधान श्री कुलदीप सिंह एवं सचिव श्री शिवशरण भदौरिया से की जानी अपेक्षित है। तातारीख व्याज सहित वसूली)

मूल आपत्ति सं0-21

ग्राम पंचायत:- आल विकास खण्ड- कुठौंद जनपद:- जालौन

5- प्रस्तरः5 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता (राज्य वित्त खाता से दिनांक 13-01-2022 को रुपया 245000.00 का आहरण किया गया है. जिसका कैशबुक एवं खाता बही में प्रधान मानदेय माह जून से दिसंबर तक रुपया 24500.00 का व्यय भुगतान

दर्शित किया गया है. शेष रुपया 220500.00 (245000.00-24500.00=220500.00) का कोई व्यय लेखा नहीं किया गया साथ ही दर्शित प्रधान मानदेय बावत व्यय रुपया 24500.00 के कोई प्राप्ति रसीद एवं मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार आहरित कुल रुपया 245000.00 का अपहरण किया गया है. जिसकी वसूली ततारीख व्याज सहित 50:50 के अनुपात में प्रधान श्रीमती रूपरानी एवं सचिव श्री उदय नारायण दोहरे से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-21

ग्राम पंचायतः- उकासा विकास खण्ड- कदौरा जनपदः- जालौन

6- प्रस्तरः6 आलोच्य वर्ष 31.03.2022 को प्रियासॉफ्ट की कैशबुक में प्रास प्रधान नकद रू0 14895.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नकद शून्य (रू0 00.00) दर्शित है। उक्त धनराशि का लेखा कैश बुक में न करके अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली तत्कालीन पूर्व प्रधान श्री हरनारायण से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- इमिलियॉ बुजुर्ग विकास खण्ड- कदौरा जनपदः- जालौन

7- प्रस्तरः7 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत इमिलिया बुजुर्ग की कैश बुक में ग्राम निधि से दिनांक 21.08.21 को रू0 6850.00 का भुगतान सेनेटाइजर क्रय हेतु किया गया है। उक्त धनराशि का आहरण ग्राम निधि के राज्य वित्त खाते से दिनांक 21.08.21 को हुआ है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा को कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः रूपये 6850.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित सचिव श्री संतोष वर्मा व प्रधान श्री जगभान सिंह की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-11

ग्राम पंचायतः- पिपरायॉ विकास खण्ड- कदौरा जनपदः- जालौन

8- प्रस्तरः8 आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत पिपरायां में गोशाला में हैण्डपम्प रीबोर कराया गया है। इस कार्य हेतु ग्राम पंचायत पिपरायां की ग्राम निधि बृजेन्द्र की केन्द्रीय वित्त खाते की कैश बुक में दिनांक 12.01.22 को रू0 51747. 00 का भुगतान भारती को किया गया और दिनांक 13.01.22 को रू0 16186.00 का भुगतान सामग्री क्रय हेतु ज्योति ट्रेडर्स को किया गया है। इस तरह कुल रू0 67933.00 (रू0 51747.00 + रू0 16186.00) का भुगतान किया गया है। उक्त धनराशियों को ग्राम निधि केन्द्रीय वित्त खात से दिनांक 12.01.22 को रू0 51747.00 एवं दिनांक 13.01.2022 को रू0 16186.00 का आहरण किया गया है। परन्तु कुछ समय उपरान्त इसी कार्य हेतु पुनः भुगतान ग्राम निधि की केन्द्रीय वित्त की कैशबुक में दिनांक 07.02.22 को रू0 51747.00 एवं दिनांक 07.02.22 को रू0 16186.00 का किया गया है। उक्त धनराशियों की निकासी भी ग्राम निधि के केन्द्रीय वित्त खाते से दिनांक 07.02.22 को रू0 51747.00 एवं रू0 16186.00 की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि कुल रू0 67933.00 का पुनः भुगतान करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली सचिव श्री संतोष वर्मा व प्रधान श्री बृजेन्द्र से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-11

ग्राम पंचायतः- मलकपुरा विकास खण्ड- जालौन जनपदः- जालौन

9- प्रस्तरः9 दिनांक-29-3-22 को बाउचर सं द्वारा रु0 6210.00 फोटो कापी का व्यय दर्शित है। उक्त व्यय की पुष्टी में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

अतः उक्त व्यय की पुष्टि न कराये जाने के कारण के 6210.00 सचिव श्री सतीश कुमार वर्मा एवं प्रधान श्री अमित कुमार से 50-50 प्रतिशत से तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- हरकौती विकास खण्ड- जालौन जनपदः- जालौन

10- प्रस्तरः10 दिनाक-7.9.21 को वाउचर संख्या 14 द्वारा रुपया- 6000=00 पंचायत घर प्रांगण में मिट्टी भराई व्यय कैशबुक में दर्शित है किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि मे व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा।

अतः उक्त व्यय की पुष्टि न कराये जान के कारण के 6000-00 सचिव श्रीमती नीता राठौर एवं प्रधान मु० अनीस से 50-50 प्रतिशत से तातारीख व्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- कुण्डऊ विकास खण्ड- माधौगढ जनपदः- जालौन

11- प्रस्तरः11 आलोच्य वर्ष 31.03.22 को प्रियासॉफ्ट की कैश बुक में पास प्रधान नकद रू0 8515.00 दर्शित है जबकि लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी कैशबुक में पास प्रधान नकद शून्य (रू0 00.00) दर्शित है। उक्त धनराशि का लेखा कैश बुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली पूर्व प्रधान श्री राजेश कुमार तिवारी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- रसूलपुर विकास खण्ड- माधौगढ जनपदः- जालौन

12- प्रस्तरः12 आलोच्य वर्ष दिनांक 31.03.3022 को प्रिया साफ्ट की कैश बुक में पूर्व प्रधान के पास नकद रू0 3831.00 थी। जबकि लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी। कैश बुक में पास नकद शून्य (0.00) थी। उक्त धनराशि को लेखा कैश बुक में न करके रू. 3831.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली मय तातारीख ब्याज सहित पूर्व प्रधान श्रीमती मोहम्दी बेगम पूर्व ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- बोहदपुरा विकास खण्ड-डकोर जनपदः- जालौन

13- प्रस्तरः13 आलोच्य वर्ष की लेक्षा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक-26.04.2021 को पंचवटी हेतु साम्रगी कय मु० 7250.00 एवं दिनांक-26.04.2021 को आवास वाल पेटिग कार्य हेतु मु० 8600.00 का भुगतान अक्षरा कन्ट्रैक्टर्स को किया गया जवकि दोनो भुगतान के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। जिससे उपरोक्त दोनो भुगतान के प्रमाणको की पुष्टि नही की जा सकी।

अतः उपरोक्त दोनो धनराशि 7250+8600=15850-00) का भुगतान प्रमाणक विहीन मानते हुये अपहरण की श्रेणी में रखा जाता है। जिसकी वसूली सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बलवीर सिंह सेंगर एवं ग्रा०प०अ० श्रीमती अर्चना कुशवाहा से तातारीख व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायतः- हरदोई गूजर विकास खण्ड-डकोर जनपदः- जालौन

14- प्रस्तरः14 आलोच्य वर्ष की लेक्षा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में राज्य वित से सी०सी० निर्माण बसीर के घर से दीपक के घर तक की निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी जिससे निम्न दिनांको को भुगतान की गयी धनराशि मु0 474792.00 की पुष्टि नही की जा सकी।

दिनांक	धनराशि	व०स०	वावत	फर्म का नाम
16.07.21	99745	23	सामाग्री	अरविन्द्र कुमार कन्ट्रैन्टर एण्ड सप्लायर्स
23.07.21	83070	25	सामाग्री	अरविन्द्र कुमार कन्ट्रैन्टर एण्ड सप्लायर्स
23.07.21	101171	22	सामाग्री	अरविन्द्र कुमार कन्ट्रैन्टर एण्ड सप्लायर्स
23.07.21	97055	24	सामाग्री	अरविन्द्र कुमार कन्ट्रैन्टर एण्ड सप्लायर्स
23.07.21	93751	26	मजदूरी	
योग-	474792			

अतः उपरोक्त कार्य की निर्माण पत्रावली से सम्बन्धित समस्त अभिलेख जैसे-कार्य योजना इस्टीमेंट कार्य प्रारम्भ के फोटो सामग्री स्थल के, प्रशासनिक स्वीकृत एवं एम०वी०, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, प्रमाणक, मस्टररोल, कार्य समाप्त के फोटो ग्राफ

आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में भुगतान धनराशि मु0 474792. 00 की वसूली ग्रा०प० अधि० श्रीमती अर्चना कुशवाहा एवं प्रधान श्री रविद्र कुमार से तातारीख व्याज सहित आधी आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- जगतपुरा बुजुर्ग विकास खण्ड- डकोर जनपद:- जालौन

15- प्रस्तरः15 लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 12.04.2021 को मु० 82950.00की आहरित / भुगतान धनराशि का कैशबुक में अंकन नही किया गया। भुगतान धनराशि को कैशबुक में दर्शित न कर फर्म/पार्टी को भुगतान सीधे करना तथा प्रिया सॉफ्ट में फीडिंग किया जाना कार्य एवं भुगतान की संदिग्गता प्रदर्शित करता है भुगतान सम्बन्धित प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किया जाना उपरोक्त भुगतान को अपहरण की श्रेणी में दर्शित कराना है।

दिनांक भुगतान धनराशि वावत

12.04.21- 7800- है०प० मरम्मत मजदूरी
12.04.21- 18040- है०प० मरम्मत सामग्री
12.04.21- 18400- है०प० मरम्मत सामग्री
12.04.21- 16550- है०प० मरम्मत सामग्री
12.04.21- 13960- है०प० मरम्मत सामग्री
12.04.21- 8200- है०प० मरम्मत मजदूरी
योग- 82950

उपरोक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत किया जाने चाहिए अन्यथा की स्थिति में धनराशि की वसूली सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री बलवीर सिंह सेंगर एवं ग्रा०प०अधि श्री रमेश कुमार उदैनिया से तातारीख व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- खरूसा विकास खण्ड- डकोर जनपद:- जालौन

16- प्रस्तरः16 अलोच्य वर्ष में दिनांक 18.12.2021 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री कय मु० 19238.00 की वैशाली इन्टर प्राइजेज से की गयी परन्तु उक्त धनराशि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया और न ही स्टाक पंजिका ही प्रस्तुत की गयी

अतः प्रमाणक विहीन भुगतान धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली ग्रा०प०अ० श्री फूल सिंह निरजन एवं प्रधान श्री मनीराम से तातारीख व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-16

ग्राम पंचायत:- महेशपुरा विकास खण्ड- नदीगांव जनपद:- जालौन

17- प्रस्तरः17 आलोच्य वर्ष दिनांक 31.03.2022 को प्रिया साफ्ट की कैश बुक में पूर्व प्रधान के पास नकद रू. 2000.00 थी। जबकि लेखा परीक्षा में शून्य (0.00) थी। उक्त धनराशि का लेखा कैश बुक में न करके अनियमितता की गयी है जिसकी वसूली पूर्व प्रधान प्रहलाद पाल से मय तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायत:- गोवर्धनपुरा विकास खण्ड- नदीगांव जनपद:- जालौन

18- प्रस्तरः18 आलोच्य वर्ष 2021-22 की कैश बुक की जांच में पाया गया कि दिनांक 13.12.21 को बाउचर सं0-26 के द्वारा सामग्री का भुगतान रू. 9744.00 एवं दिनांक 13.12.2021 को बाउचर सं0-28 के द्वारा सामग्री की भुगतान रू. 38879.00 कुल रू0 48623.00 का भुगतान किया गया था। जिसके उक्त बाउचर व पत्रावली जिसमें तीनों स्तर के फोटोग्राफ एवं रजिस्टर्ड फर्म

के क्रय सामग्री के तीन कुटेशन व बिल लेखा परीक्षा में अनुउपलब्ध रहे। अतः भुगतान की गयी कुल धनराशि 48623.00 उक्त के अभाव में अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली, संदीप रावत ग्रा०प०वि०अधि० एवं रमेश चन्द्र ग्राम प्रधान से मय तातारीख ब्याज सहित आधी-आधी की वसूली जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0-15

ग्राम पंचायतः- सरैनी मुस्तकिल विकास खण्ड-महेवा जनपदः- जालौन

19- प्रस्तरः19 आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय वित्त खाता से दिनांक 07-02-2022 को रुपया 17000-00 का व्यय भुगतान किया गया है. जिसका लेखा कैशबुक में प्रशासनिक व्यय बावत दर्शित किया गया है पर उपर्युक्त व्यय के संबंध में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा. जिससे व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी. इस प्रकार रुपया 17000-00 का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती नीरज देवी एवं सचिव श्री आलोक सेंगर से 50:50 में ततारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

मूल आपत्ति सं0- 1

ग्राम पंचायतः- मडैयॉ विकास खण्ड- महेवा जनपदः- जालौन

20- प्रस्तरः20 आलोच्य वर्ष में राज्य वित्त खाता से (आर.112102084840 बैच न.) दिनांक 29-11-2021 को रुपया 6900-00 का आहरण किया गया जिसका कैश बुक में कूड़ा गाड़ी क्रय बावत व्यय दर्शित किया गया है. परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया. बिना व्यय प्रमाणक के उक्त व्यय धनराशि' की पुष्टि नहीं हो सकी. अतः कुल रुपया 6900-00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली प्रधान श्री गोपालदास एवं सचिव श्री सूरजभान से 50:50 में ततारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

मूल आपत्ति सं0-21

जनपद-झांसी

ग्राम पंचायत से संबंधित आपतियॉ

ग्राम पंचायत महेबा

प्रस्तर 1 पन्द्रहवे वित्त आयोग के अनुसार दिनॉक 20.11.2021 को प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत धनराशि 20000.00 श्री करन सिंह निरंजन को भुगतान किया गया जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि 20000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सोनेलाल व ग्राम पंचायत सचिव श्री ओमप्रकाश निरंजन से आधी–आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत किशोरपुरा

प्रस्तर 2 पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार दिनॉक 07.10.2021 को पीएफएमएस के माध्यम से धनराशि 123780.00 का भुगतान किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की

जायेगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि 123780.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जयन्ती व ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से आधी–आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बेला

प्रस्तर 3 पंचम राज्य वित्त आयोग में दिनॉक 24.05.2021 को ऑगनबाडी केन्द्र निर्माण कार्य रू0 102637.00 अमन ट्रेडर्स को पिछले वर्ष 2020–21 का सामग्री क्रय का भुगतान किया गया जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि 102637.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पानकुँवर व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार से आधी–आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिजारी बुजुर्ग

प्रस्तर 4 पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार दिनॉक 16.08.2021 को सूर्य लाइट निर्माण में पीएफएमएस के माध्यम से रू0 26400.00 व्यय किये गये जिसके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। पंचायतराज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त नियम के आलोक में धनराशि 26400.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सरमन व ग्राम पंचायत सचिव श्री बद्री प्रसाद निरंजन से आधी–आधी ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सिंगार

प्रस्तर 5 कैश बुक के अनुसार दिनांक 22-05-2021 को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से राम कुमार पत्रकार को अखवार व बिज्ञापन प्रसाशनिक ब्यय के अंतर्गत रु 4590-00 का भुगतान किया गया जिसका ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8 क में प्रावधान है की यदि दर्शाये गए ब्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी -आधी की जानी चाहिए| उपरोक्त नियमों के आलोक में रु 4590 -00 की धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान संगीता व् ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश नरवरिया से की जानी अपेक्षित है !

ग्राम पंचायत सैगुवा

प्रस्तर 6 कैश बुक के अनुसार दिनांक 19-02-2022 को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से पवन कंप्युटर को फोटो कॉपी एवं पंचायत सामग्री प्रसाशनिक ब्यय के अंतर्गत रु 8950-00 का भुगतान किया गया जिसका ब्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत बिभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायत के वित्त व लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा-8 क में प्रावधान है की यदि दर्शाये गए ब्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी -आधी की जानी चाहिए| उपरोक्त नियमों के आलोक में रु 8950-00 की धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान छक्की लाल व् ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित है !

ग्राम पंचायत मडोरा

प्रस्तर 7 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में बैंक स्टेटमेन्ट पर दर्शित प्रविष्टियों के अनुशार ग्राम निधि के के राज्य बित 14 वां वित्त/5 वां वित्त एवं 15 वाँ/केन्द्रीय वित्त मद रु० 1870298-60 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष वित्तीय नियम के अनुरुप ब्यय प्रमाणकों की मूल प्रति, बिल, मास्टर रोल मूल, पत्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख अनुमोदित कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर प्रमाणित कोषवही स्वीकृत योजना मानचित्र/अारेख विस्तृत प्राक्कलन सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी बित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रावली कार्य को माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका परिसंपति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनराशि के ब्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति उक्त के अधीन उक्त दर्शित ब्यय अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग, ऊ०५० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेत लेखा मैनुअल के अध्याय ४ के प्रस्तर 07 में यह उल्लेख है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रटरी ग्रामपंचायत, का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण दल को ब्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याप ०४ (क) यह कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान से के की जायगी। अतः प्रमाणक बिहीन तथा नियम विरुद्ध बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1870298-60 में से 5% धनराशि रुपये (-) 935149-30 तत्कालीन ग्राम प्रधान- श्री दिलीप सिंह यादव. प्रशासक से तथा 50% धनराशि रुपये 935149-301 सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती प्रिया सिंह से उत्तरप्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-256 के अनुसार वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

ग्राम पंचायत चमरोआ

प्रस्तर 8 ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 29-04-2021 को फ़ोटोस्टेट एवं स्टेशनरी क्रय का भुगतान पंचम राज्य वित्त मद से शिवम साहू को रु 13600 पी.एफ.एम.एस. द्वारा से किया गया । जिस संबंध में सचिव द्वारा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री हरीकिशन तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जितेंद्र मकडारिया से संयुक्त रूप से की जाएगी"। अतः वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भकोरो

प्रस्तर 9 दिनांक 06.09.2021 को पूर्व प्रधान श्री मति अर्चना देवी को रु 42000.00 मानदेय का भुगतान किया गया। जो कि रु 3500 प्रति माह की दर से 12 माह का है । पूर्व प्रधान का कार्यकाल दिसंबर 2020 मे समाप्त हो चुका था । उक्त मानदेय कब का शेष था इसका कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही मानदेय रजिस्टर उपलब्ध कराया गया। इससे मानदेय के अधिंक/अनियमित भुगतान से इन्कार नहीं किया जा सकता । इस अनियमितता के लिए प्रधान श्री मति आशा देवी एव तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शाहरुख खान उत्तरदाई हैं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत फतेहपुर स्टेट

प्रस्तर 10 ग्राम पंचायत फतेहपुर स्टेट के वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर कुल रु० 1406617.99 व्यय किया गया | वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रीतम सिंह द्वारा माह जनवरी 2022 से माह मार्च 2022 तक किये गए व्यय कुल रु० 789842.00 से सम्बंधित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध करवाए गए, जिनकी लेखा परीक्षा संपन्न की गयी । जबकि पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश राजपूत ने अपने कार्यकाल माह अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक व्यय किये गए कुल रु० 616775.99 से सम्बंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए , यथा :- कैशबुक, खाता रजिस्टर, पासबुक, कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावलियां इत्यादि | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि, यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए । उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश राजपूत एवं ग्राम प्रधान श्री लीलाधर द्वारा व्यय धनराशि रु० 616775.99 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत बरौरा

प्रस्तर 11 ग्राम पंचायत बरौरा के वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बद्रीप्रसाद निरंजन से बार-बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख माँगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए । प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 1321694.10 व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए, यथा :- कैशबुक, खाता रजिस्टर, पासबुक, कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां इत्यादि | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि, यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए । उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री बद्रीप्रसाद निरंजन एवं ग्राम प्रधान श्री ब्रजनन्दन द्वारा व्यय धनराशि रु० 1321694.10 का अपहरण किया गया, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत चिपलोंठा

प्रस्तर 12 ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य बर्ष में बैंक स्टेटमेन्ट पर दर्शित प्रविष्टियों के अनुसार ग्राम निधि के राज्य 5 वॉ वित्त एवं 15वाँ केन्द्रीय वित मद से रू 1278238-22 का व्यय किया गया है। उक्त ब्यय के सापेक्ष वित्तीय नियम के अनुरूप ब्यय प्रमाणकों की मूल प्रति बिल मास्टर रोल, एल, प्त्रावली एवं अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख अनुमोदित कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर प्रमाणित कोषवही स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख विस्तृत प्राक्कलन कार्य की तकनीकी सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य एवं प्रशासनिक स्वीकृति कार्य को माप पुस्तिका कार्य पूर्ति प्रमाणपत, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका परिसंपत्ति पंजिका, स्टाक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त आहरित धनरशि ब्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।...

अतः मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के आधीन उक्त दर्शित ब्ययः अपुष्ट रहा। इसप्रकार दर्शित व्यय पंचायतीराज विभाग, उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के बित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 07 में माह उल्लेख है कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रटरी ग्रामपंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वह संप्रेक्षण

दल को ब्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विप्ररीत उक्त लेखा मैनुअल के अध्याप ०8 (क) यह कि यदि दशीये गये ब्यय के सम्बन्ध में कोई. बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी ब्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायगी। अतः. प्रमाणक बिहीन तथा नियम विरुद्ध बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित ब्यय की धनराशि रुपये 1278238-22 में से 50% धनराशि रुपये (-) 639119 = 11 सचिव ग्राम पंचायत श्री सन्तोष सिंह से उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली. 1947 के नियम 256 के अनुसार ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चअधिकारियों के संज्ञान में जाता है।

ग्राम पंचायत पठाकरका

प्रस्तर 13 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर के अनुसार दिनांक 20/11/2021 को प्रधान श्री जगदीश प्रसाद को रु 14000 और दिनांक 02/12/2021 को पुनः रु 14000 मानदेय का भुगतान किया गया। इस प्रकार दिनांक 02/12/2021 तक कुल रु. 28000 मानदेय का भुगतान किया गया जो कि रु 3500 प्रति माह की दर से आठ माह का मानदेय है किन्तु प्रधान के अनुसार दिनांक 20/06/2021 को प्रधान पद की शपथ ग्रहण की गई । दिनांक 02/12/2021 तक कुल पाँच माह के मानदेय का भुगतान किया जाना चाहिए था जब कि आठ माह के मानदेय का भुगतान किया गया। इस प्रकार तीन माह के मानदेय रु 10500 का अधिक भुगतान किया गया। इसके लिए प्रधान श्री जगदीश प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राहुल मुस्तारिया उत्तरदाई हैं। अधिक भुगतान किए गए मानदेय का समायोजन/वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खैलार

प्रस्तर 14 ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 27-4-2021 की कैमरा रिपेयर का भुगतान प्रमोद कुमार को रु 1840 पी.एफ.एम.एस. द्वारा 14वें वित्त मद से किया गया। जिस संबंध में सचिव द्वारा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत को यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8-क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्रीमती प्रियंकाराज तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री जितेंद्र मकड़ारिया से संयुक्त रूप से की जाएगी"। अतः उक्त की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गेवरा

प्रस्तर 15 ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक को कैमरा क्रय का भुगतान ओमप्रकाश को रु 8500 पी.एफ.एम.एस. द्वारा से किया गया । जिस संबंध में सचिव द्वारा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए"। एवं इसी अध्याय के खंड 8- क के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत श्री मुकेश तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री ज्ञानेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से की जाएगी"। अतः उक्त के सम्बन्ध में जाँचोपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दातावली कलाँ

प्रस्तर 16 ग्राम पंचायत दतावाली कलां के वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा हेतु वर्तमान ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गौरव उपाध्याय से बार-बार मौखिक एवं लिखित अभिलेख माँगे जाने के बावजूद कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए गए । प्रिया सॉफ्ट के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रु० 958761.00 व्यय किया गया, जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए, यथा :- कैशबुक, खाता रजिस्टर, पासबुक, कार्ययोजना, स्टाक रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, निर्माण कार्य पत्रावलियां इत्यादि | पंचायती राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि, यदि दर्शाए गए व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाएँ तो उक्त धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से आधी-आधी की जानी चाहिए | उपरोक्त नियमों के आलोक में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी द्वारा व्यय धनराशि रु० 958761.00 का अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद - ललितपुर

<u>प्रारूप- 4</u>

<u>वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22</u>

जनपद का नाम- ललितपुर **मण्डल का नाम- झाँसी**

ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित आपित्तयाँ-

ग्राम पंचायत- उदगुवां **विकास खण्डः तालबेहट**

प्रस्तर- 1 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अनुसार बैंक स्टेटमेंट के अनुसार पंचम वित्त से दिनांक 22-01-2022 को रूपया 6000-00 की निकासी दर्ज है। किन्तु उक्त आहरित धनराशि को कोषवही में दर्ज नहीं किया गया । इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आहरण की गयी धनराशि का आहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री विजय सिंह और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कु. वासु बुन्देला उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- वर्मा विहार **विकास खण्डः तालबेहट**

प्रस्तर- 2 आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा अनुसार कोषवही में पंचम वित्त से दिनांक 26-07-2022 को रू० 29500-00 स्टेशनरी मद में मेघा बुक डिपो को एवं रूपया 25810-00 फोटोकापी मद में में. अतुल गोस्वामी को भुगतान किया जाना दर्शित है। किन्तु कोषवही में दर्शित उपरोक्त व्यय रूपया 55310-00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अपेक्षित था जिससे वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी उक्त धनराशि 55310-00 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए'' एवं खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।

इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में दर्शित व्यय रूपया 55310-00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुउलब्ध रहा। व्यय उपलब्ध न कराये जाने से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये तत्कालीन प्रधान श्री रमाशंकर और तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत श्री राघवेन्द्र कुमार उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिघाखेत **विकास खण्डः जखौरा**

प्रस्तर- 3 आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 06-05-2021 को 5वॉ राज्य वित्त/2021-22/पी/1-पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 19678-00 का भुगतान मेमर्स मेहरबान सिंह को किया गया एवं वर्ष 2021-22 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय दर्शित है, परन्तु उक्तव व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुमत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यिय प्रमाणक विहीन व्यषय गबनध्अपहरण की श्रेणी में आता है।

अत: उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार जिम्मे्दार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बिघामहावत **विकास खण्डः जखौरा**

प्रस्तर- 4 आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23-03-2022 को 5वॉ राज्य वित्त/2021-22/पी/1-पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 19150-00 मेमर्स प्रगति स्टोरर को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2021-22 की कोषवही में उपरोक्त व्यय स्टेशनरी सामग्री पर दर्शित है परन्तु उपरोक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अत: उपरोक्तक व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती कमलेश कुमारी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक कुमार जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मनगुवां **विकास खण्डः जखौरा**

प्रस्तर- 5 आलोच्यं वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत मनगुवां की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 20-10-2021 को पन्द्रहवॉ वित्त आयोग/2021-22/पी/4-पी.एफ.एम.एस. द्वारा मु0 13830-00 का भुगतान मेमर्स मंगलम पाइप को किया गया एवं वर्ष 2021-22 की कोषवही में उपरोक्त भुगतान हैण्डपम्प मरममत एवं मोटर फिटिंग पर व्यंय दर्शित है परन्तुं उक्तु व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतरू उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती इमरती एवं तत्कारलीन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी श्री मयंक जैन जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मैनवार **विकास खण्डः महरौनी**

प्रस्तर- 6 त्रिस्तिरीय पंचायती राज व्यवस्था में शासनादेश संख्याक 1133/33-2-2006-34जी0/01 दिनांक 20.03.2006 एवं शासनादेश संख्या 02/33-2-2014-34जी0/2001 दिनांक 07.11.2014 द्वारा ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता आदि राज्य वित्त् से दिये जाने की व्यावस्था है। आगे पंचायती राज अनुभाग-1 शासनादेश सं0-03/2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22 नवम्बार 2016 के द्वारा भी ग्राम प्रधान को मानदेय भत्ता0 बढ़ाकर रू0 3500-00 प्रतिमाह किया गया है।

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम निधि कोषवही/बैंक स्टैटमेण्ट के अनुसार केन्द्रीय वित्त आयेग मद से रू0 10500-00 का प्रधान मानदेय भत्ता (माह जून 2021 से अगस्तब 2021 तक) दिनांक 04.09.2021 को पन्द्रहवॉ वित्त आयोग/2021-22/पी/4-पी.एफ.एम.एस. द्वारा भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है। इस प्रकार संस्था द्वारा ग्राम प्रधान के मानदेय का भुगतान राज्य वित्ता से न कर केन्द्रीय वित्त मद से करके गाइड लाइन एवं शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार नियमानुसार केन्द्रीय वित्त से रू0 10500-00 का प्रधान मानदेय भत्ता का भुगतान किया जाना अनियमित है जिसके लिये ग्राम पंचायत सचिव श्री संजेश यादव एवं प्रधान श्री सिन्दतपाल सिंह बुन्देला उत्तरदायी हैं। इस संबंध में विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- निवारी **विकास खण्डः महरौनी**

प्रस्तर- 7 वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 23.07.2021 को 5वॉ राज्य वित्त/2021-22/पी/1-पी.एफ.एम.एस. द्वारा रू0 30086-00 शुभम मशीनरी को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2021-22 की कोषवही में उपरोक्त व्यय हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर किया है परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अत: उपरोक्त व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री संजेश कुमार यादव एवं प्रधान श्रीमती नेहा बाजपेयी जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- छायन **विकास खण्डः महरौनी**

प्रस्तर- 8 वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 18.01.2022 को 5वॉ राज्य वित्त/2021-22/पी/1 पी.एफ.एम.एस. रू0 19939-00 रूचि कन्स्ट्रक्सन को भुगतान किया गया एवं वर्ष 2021-22 की कोषवही में उपरोक्त व्यय सफाई किट क्रय सामग्री पर किया है परन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय गबन/अपहरण की श्रेणी में आता है।

अत: उपरोक्तर व्यय का प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सैफ खां एवं प्रधान श्री काशीराम जिम्मेदार हैं । उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दांवर **विकास खण्डः बिरधा**

प्रस्तर- 9 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत दांवर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 30-03-2022 को ग्राम निधि के खाता संख्या- 2342291473 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बालाबेहट (ललितपुर) से PFMS द्वारा धनराशि 12480-00 का भुगतान किया जाना दर्शित है एवं उक्त भुगतान के

सापेक्ष कोषवही में प्रशासनिक व्यय पर उक्त व्यय दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय के प्रमाण में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिससे उक्त व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाये तथा यह भी कि लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जात है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुये उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी तथा उक्त प्रकरण अधिभार योग्य होगा।

अत: उपरोक्त नियम के आलोक में उक्त रूपया 12480-00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है एवं अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री चिन्ना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बछलापुर विकास खण्डः बिरधा

प्रस्तर- 10 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत बछलापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 31-03-2022 को ग्राम निधि के खाता संख्या- 3101687677 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ललितपुर से पी.एफ.एम.एस. द्वारा धनराशि रूपया 12000-00 का भुगतान बैंक स्टैटमेंट में किया जाना दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान/आहरण के सापेक्ष कोषवही में कोई भी व्यय दर्शित नहीं किया गया है जबकि लेखा मैनुअल के नियमानुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय का सम्पूर्ण विवरण कोषवही के व्यय पक्ष में दर्शित किया जाना आवश्यक है।

अत: उक्त धनराशि रूपया 12000-00 का अपहरण/गबन किया गया है इसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामराजा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती फरहाना जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पटउवा विकास खण्डः बिरधा

प्रस्तर- 11

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत पटउवा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04-10-2021 को ग्राम निधि के खाता संख्या- 123000100073066 पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललितपुर से पी.एफ.एम.एस. द्वारा धनराशि 44001-00 का भुगतान किया जाना दर्शित है एवं उक्त भुगतान के सापेक्ष कोषवही में इन्दर सिंह ठेकेदार को घूरा सफाई कार्य पर उक्त व्यय दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय के प्रमाण में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिससे उक्त व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाये तथा यह भी कि लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जात है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुये उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी तथा उक्त प्रकरण अधिभार योग्य होगा।
अत: उपरोक्त नियम के आलोक में उक्त रूपया 44001-00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है एवं अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री साहब एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मनीषा संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- धोवनखेड़ी **विकास खण्डः बिरधा**

प्रस्तर- 12 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत धोवनखेड़ी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27-05-2021 को केंद्रीय वित्त के खाता संख्या- 4053165643 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ललितपुर से पी.एफ.एम.एस. द्वारा धनराशि रूपया 9296-00 का भुगतान बैंक स्टैटमेंट में किया जाना दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान/आहरण के सापेक्ष कोषवही में कोई भी व्यय दर्शित नहीं किया गया है जबकि लेखा मैनुअल के नियमानुसार प्रत्येक आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय का सम्पूर्ण विवरण कोषवही के व्यय पक्ष में दर्शित किया जाना आवश्यक है।
अत: उक्त धनराशि रूपया 9296-00 का अपहरण/गबन किया गया है इसके लिये ग्राम प्रधान श्री रघुवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आंनद सोनी जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नीमखेरा **विकास खण्डः बिरधा**

प्रस्तर- 13 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत नीमखेरा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 17-03-2022 को ग्राम निधि के खाता संख्या- 1239000100073659 पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललितपुर से पी.एफ.एम.एस. द्वारा धनराशि 14500-00 का भुगतान किया जाना दर्शित है एवं उक्त भुगतान के सापेक्ष कोषवही में हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी पर उक्त व्यय दर्शाया गया है परन्तु उक्त व्यय के प्रमाण में कोई भी व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं कराये गये हैं जिससे उक्त व्यय अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा है।
ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का यह संयुक्त दायित्व है कि वे लेखा परीक्षा दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाये तथा यह भी कि लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के खंड 8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जात है तो दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुये उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से की जायेगी तथा उक्त प्रकरण अधिभार योग्य होगा।
अत: उपरोक्त नियम के आलोक में उक्त रूपया 14500-00 का व्यय गबन की श्रेणी में आता है एवं अधिभार योग्य है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री देशराज सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- डुलावन **विकास खण्डः बार**

प्रस्तर- 14 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत डुलावन की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.05.2021 को रू० 17733.00 भुगतान मेसर्स राजेन्द्र जो हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु किया गया है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: लेखा परीक्षा मैनुअल के

अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री रामदेवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राघवेन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कैलगुवां विकास खण्डः बार

प्रस्तर- 15 आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत कैलगुवां की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 15.08.2021 को रू० 15670.00 भुगतान गायत्री कम्प्यूटर्स को स्टेशनरी एवं फोटो कापी हेतु किया गया है। जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: लेखा परीक्षा मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री नंदलाल तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शमीम नादिर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।